VIDYA UNIVERSITY PRESS

TOUCH n PASS

सर्वश्रेष्ठ परीक्षा पथ-प्रदर्शक

B.A.
तृतीय वर्ष
(डिग्री कोर्स)
सेमेस्टर-V

गृह विज्ञान

सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना

SYLLABUS

UNIT-I **Community Development :** Meaning, Definition, Functions, Objectives, Philosophy, Principles of Community Development Programme in India.

UNIT-II **Community Development Organization :** Meaning, Types, Principles, Role & Administrative Structure at the National, State, District, Block & Village levels.

UNIT-III **Home Science Extension Education in Community Development :** Origin, Concept, Need, Importance and Contribution of Home Science Extension Education in National Development.

UNIT-IV **Recent Development Programme for Women & Children :** Support to Training & Employment for Women (STEP), Swarn jayanti Gram Swarojgar Yojana (SGSY), Integrated Child Development Services (ICDS) etc.

UNIT-V **Support Service of Youth Development :** NCC, NSS, Youth Camp, Youth Clubs etc.

UNIT-VI **NGO & Others :** Contribution towards community services, Types & Role of NGO - WHO, CARE, UNICEF, UNESCO, UNDP, CRY, HELP-AGE INDIA.

UNIT-VII **Leadership :** Concept, Definitions, Types, Importance, Function and Role of Community leaders. Methods of Identifying and Training of leaders.

UNIT-VIII **Programme Planning :** Programme planning component cycle and its components—

(i) Designing the project—Defining the objectives, Identifying resources, approach, feasibility and Work plan.

(ii) Implementation.

(iii) Monitoring and Evaluation.

TOUCH 'n PASS

VIDYA®
UNIVERSITY PRESS

पंजीकृत कार्यालय
विद्या एम्पायर, बागपत रोड,
मेरठ, उत्तर प्रदेश (NCR) 250 002
www.vidyauniversitypress.com

© प्रकाशक

लेखन एवं सम्पादन
शोध एवं अनुसन्धान प्रकोष्ठ

मुद्रक
विद्या यूनिवर्सिटी प्रेस

TOUCH 'n' PASS

विषय-सूची

UNIT-I : सामुदायिक विकास ...3
UNIT-II : सामुदायिक विकास संगठन ...19
UNIT-III : सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा ...32
UNIT-IV : महिलाओं और बालकों के लिए नवीन विकास कार्यक्रम ...41
UNIT-V : युवा विकास की सहायक सेवाएँ ...60
UNIT-VI : एन०जी०ओ० एवं अन्य ...83
UNIT-VII : नेतृत्व ...99
UNIT-VIII : कार्यक्रम योजना ...111

UNIT-I

सामुदायिक विकास
Community Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. समाज कार्य के दर्शन से क्या तात्पर्य है?

What is meant by the philosophy of social work?

उत्तर समाज कार्य के दर्शन का तात्पर्य है कि इसके अर्थ और ज्ञान का वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुतिकरण करते हुए इसके आदर्शों और मूल्यों को सही ढंग से निरूपित किया जाए।

प्र.2. सामुदायिक विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए।

Clarify the meaning of community development.

उत्तर सामुदायिक विकास सामाजिक क्रियाओं की प्रक्रिया है जिसमें समुदाय के सदस्य विकास की योजना बनाने तथा उसके क्रियान्वयन के लिए संगठित होकर कार्य करते हैं, अपनी आवश्यकताओं और समस्याओं को समझते हैं और उनके हल के लिए योजना बनाते हैं। अपने ही सामुदायिक संसाधनों के अधिकतम उपयोग के माध्यम से योजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं तथा आवश्यक होने पर शासकीय सेवाओं तथा वस्तुओं की सहायता प्राप्त करते हैं।

सामुदायिक विकास एक आन्दोलन है जो समूचे समुदाय को एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सामान्यत: समुदाय के सदस्य स्वयं अगुवाई कर विकास के लिए कार्य करते हैं अन्यथा विभिन्न तकनीकों द्वारा कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है।

प्र.3. सामुदायिक विकास को परिभाषित कीजिए।

Define community development.

उत्तर **योजना आयोग** के अनुसार, "सामुदायिक विकास ग्रामीण समुदाय में रहने वाले परम्परागत ढंग से जीवन की प्रगतिशील पद्धतियों में परिवर्तन की प्रक्रिया, मनुष्य के सामर्थ्य एवं साधन के माध्यम से स्वयं सहायता देने की विधि, ग्रामीण लोगों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए प्रगति का आन्दोलन है।"

प्र.4. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ कब हुआ?

When was the community development programme started?

उत्तर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरम्भ गाँधीजी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, 1952 में फिसकल आयोग (Fiscal commission, 1949) तथा ग्रो मोर फूड इन्क्वायरी कमेटी (Grow more food enquiry committee) की संस्तुति के आधार पर हुआ। इसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों का बहुमुखी विकास, उन्हीं के प्रयत्नों (Initiative and efforts) तथा सहकारी सहायता (Govt. Assistance and guidance) द्वारा करना था। यह एक जनान्दोलन के रूप में आरम्भ हुआ।

प्र.5. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्षेत्र बताइए।

Mention the scope of community development programme.

उत्तर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम ही इसका क्षेत्र है इसमें इतने कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण जनता के बहुमुखी विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार इस योजना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संक्षेप में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु जितने भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, सभी इसके क्षेत्र में सम्मिलित किये जाते हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का क्या उद्देश्य है?

What is the objective of the government through community development programme?

उत्तर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना करना है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए है जिससे कि सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा सके। विकसित देशों या अविकसित देशों के शहरी क्षेत्रों में सामाजिक विघटन, समाज में गिरावट अथवा समाज में अस्थिरता जैसी बुराइयाँ पनपने लगती हैं। ऐसे देशों एवं स्थान के लोगों में अपनत्व, निकटता एवं सामंजस्य जैसी अच्छाइयों में गिरावट देखने को मिलती है। इसलिए इन स्थानों एवं देशों में सामुदायिक संगठन की आवश्यकता होती है।

प्र.7. सामुदायिक विकास के उद्देश्य लिखिए।

Write the objectives of community development.

उत्तर 1. ग्रामीण आबादी को बेरोजगारी से पूर्ण रोजगारी की दिशा में लाना।
2. भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई दशा में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि लाना।
3. सहकारिता का विकास करना।
4. समुदायों के साधनों को समुदाय के हितों के लिए अधिक-से-अधिक जुटाना।

प्र.8. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कोई चार लाभ बताइए।

State any four advantages of community development programme.

उत्तर 1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करके ग्रामीण सुविधाओं को प्रभावित किया है।
2. स्वास्थ्य रक्षा तथा उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई जिस पर चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य सेवकों की नियुक्ति की गयी।
3. संचार एवं यातायात की पिछड़ी व्यवस्था में सुधार करके सामुदायिक विकास योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में आत्म-सहायता तथा आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त के सर्वाधिक प्रसार के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा अनेक सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है।

प्र.9. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ लिखिए।

Write the characteristics of community development programme.

उत्तर 1. सभी वर्गों को लाभ पहुँचता है।
2. स्थानीय साधनों पर आधारित विकास की योजना है।
3. ग्रामीण जनता में प्रेरणा शक्ति का विकास होता है।
4. लोगों में आपसी सहयोग की भावना विकसित होती है।
5. स्वावलम्बन की भावना का विकास होता है।
6. इसका संचालन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया से किया जाता है।

प्र.10. गुड़गाँव प्रोजेक्ट क्या है?

What is Gurgaon project?

उत्तर गुड़गाँव प्रोजेक्ट गुड़गाँव (गुरुग्राम) जिले के कलेक्टर **एफ० एल० ब्रायन** द्वारा सन् 1920 में शुरू किया गया। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को, अज्ञानता के घोर अन्धकार से, उनको कष्टपूर्ण और दयनीय दशा की स्थिति से उबारने के लिए, उनके मन में इस बात को बैठाना था कि भाग्य से नहीं बल्कि प्रयास और परिश्रम से अपनी स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।

TOUCH 'n' PASS

प्र.11. श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट का प्रारम्भ किसने किया तथा इसके उद्देश्य क्या थे?
Who had started Shrinibetan project and what was its objectives?

उत्तर श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट का प्रारम्भ रवीन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किया गया। इस प्रोजेक्ट के उद्देश्य थे—ग्राम और ग्रामीणों की समस्याओं का अध्ययन करना, समाधान खोजना, प्राथमिक शिक्षा द्वारा ग्रामीणों का ज्ञान बढ़ाना, पशुधन का विकास, कृषि के नये तरीके सीखाना, ग्रामीणों के संसाधनों का विकास करना आदि। इस प्रोजेक्ट के कारण ग्रामों में जन-जीवन के स्तर में काफी सुधार आया।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. सामुदायिक विकास की अवधारणा की व्याख्या कीजिए।
Explain the concept of community development.

उत्तर

सामुदायिक विकास की अवधारणा
(Concept of Community Development)

सामुदायिक विकास एक आन्दोलन है जो समूचे समुदाय को एक अच्छा जीवन प्रदान करने के लिए बनाया गया है। सामान्यत: समुदाय के सदस्य स्वयं अगुवाई कर विकास के लिए कार्य करते हैं अन्यथा विभिन्न तकनीकों द्वारा कार्य करने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाता है।

संक्षेप में, सामुदायिक विकास परियोजना ग्रामीण जीवन के बहुमुखी विकास के लिए जनता तथा सरकार द्वारा सहकारी प्रयास है। अत: सामुदायिक विकास से अभिप्राय है—सामुदायिक विकास समुदाय के द्वारा उसी की प्रेरणा से दिया जाए। अत: इससे यह स्पष्ट होता है कि—

1. **सामुदायिक विकास एक साधन है**—प्रसार शिक्षा के कार्यक्रमों में विकास लाने के लिए किसानों द्वारा सहयोग प्राप्त करने का एक साधन है।
2. **सामुदायिक विकास एक आन्दोलन है**—यह प्रगति के लिए आरम्भ किया गया एक आन्दोलन है जिसमें समुदाय में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास लाने का आन्दोलन सम्मिलित है।
3. **सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है**—यह एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से ग्रामीण समुदाय की कुछ कृषि तथा अन्य क्रियाओं की उपलब्धि सम्भव हो सकती है। इसमें ग्रामीण कल्याण के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है।
4. **सामुदायिक विकास एक विधि है**—यह एक प्रविधि है जिसके माध्यम से समुदाय के लोगों को अपने संसाधनों तथा योग्यताओं के उपयोग द्वारा अपने विकास हेतु अपनाये गये कार्यक्रमों में सहायता प्रदान की जाती है और विकास किया जाता है।
5. **सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है**—सामुदायिक विकास परम्परागत जीवन की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील जीवन में परिवर्तन की प्रक्रिया है। इसके द्वारा ग्रामीण लोगों के परम्परागत जीवन-स्तर को परिवर्तित करके उन्नतशील जीवन-स्तर प्रदान किया जाता है।

प्र.2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन लिखिए।
Write the philosophy of community development Programme.

उत्तर

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का दर्शन
(Philosophy of Community Development)

1. मनुष्यों में यह धारणा सतत् रहती है कि वे गरीबी तथा दु:खों से छुटकारा पाएँ और इसी परिकल्पना पर यह कार्यक्रम निर्धारित है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दृष्टि से लोग सुरक्षा, मान्यता, प्रतिवेदन (Report), आत्मविश्वास अथवा नये अनुभवों की कामना करते हैं।

TOUCH 'n PASS

2. कार्यक्रम का आधार अनुभूत आवश्यकता है।
3. स्वयं सेवा (Self-service) निर्णय लेने, आत्म-विश्वास तथा नेतृत्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपनी सहायता स्वयं करें।
4. लोगों के सामाजिक मूल्यों को महत्त्व मिलना चाहिए।
5. व्यक्ति सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि व्यक्तिगत साधन के बिना बाकी सारे साधन गौण हो जाते हैं।
6. कार्यक्रम लोगों के दृष्टिकोण, आदत, सोचने के ढंग को विकसित करने पर आधारित है।
7. लोग आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक वातावरण को अपने ढंग से नियन्त्रित करने की आकांक्षा रखते हैं।

प्र.3. सामुदायिक विकास के सिद्धान्त बताइए।
State the principles of community development.

उत्तर

सामुदायिक विकास के सिद्धान्त
(Principles of Community Development)

विशेष सिद्धान्त जो सामुदायिक विकास योजना के अंग हैं, निम्न प्रकार से दर्शाये गये हैं—

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाते समय समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता को कार्यक्रम का केन्द्र बिंदु बनाकर चलना चाहिए।
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में परिवर्तनशीलता स्थितियों व दिशाओं के अनुसार आवश्यक है।
3. स्थानीय साधनों का उचित उपयोग होना अति आवश्यक है।
4. ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि है इसलिए कृषि व्यवसाय पर अधिक बल देना चाहिए।
5. सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मनुष्यों में आत्मनिर्भरता व आपसी सहयोग की भावना विकसित करने के आधार पर होना चाहिए।
6. कार्यक्रमों का संचालन पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए।
7. समय-समय पर मूल्यांकन होते रहने से कार्यक्रम सफल बनता है।

प्र.4. सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रम लिखिए।
Write the programmes of community development planning.

उत्तर सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जाने की व्यवस्था है—

1. **कृषि एवं सम्बन्धित क्षेत्र**—इसमें भूमि का सुधार, सिंचाई की व्यवस्था, बीज, खाद की व्यवस्था, सब्जी की खेती, पशु नस्ल सुधार के कार्यक्रम चल रहे हैं।
2. **सहकारिता का विकास**—नई सहकारी समिति का खोलना तथा पुराने का पुनर्गठन करने का काम चल रहा है।
3. **रोजगार**—ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास का कार्यक्रम चल रहा है।
4. **यातायात**—सड़कों की व्यवस्था और अन्य यातायात साधनों की व्यवस्था के विकास का कार्य चल रहा है।
5. **शिक्षा**—अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा व अन्य प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था का कार्यक्रम विशेष रूप से चल रहा है।
6. **स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम**—स्वच्छता का कार्यक्रम, बीमारी की रोकथाम व देखभाल, जच्चा-बच्चा की व्यवस्था का विशेष रूप से कार्यक्रम चल रहा है।
7. **प्रशिक्षण**—दस्तकारों को प्रशिक्षण की व्यवस्था अथवा तकनीकी प्रशिक्षण के कार्य भी विशेष रूप से चल रहे हैं।
8. **गृह निर्माण का कार्य**—पुराने मकानों की दशा ठीक कराने तथा नये मकान बनाने के लिए सलाह व सहायता देने का कार्यक्रम चल रहा है।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. सामुदायिक विकास का अर्थ एवं परिभाषाएँ दीजिए। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यकता भी बताइए।
Give the meaning and definition of community development. Also, write the need of community development programme.

उत्तर

सामुदायिक विकास का अर्थ एवं परिभाषाएँ
(Meaning and definitions of Community Development)

सामुदायिक विकास दो शब्दों से मिलकर बना है—समुदाय एवं विकास।

समुदाय (Community)—यह कुछ व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो—

1. किसी एक भौगोलिक स्थान, मौहोल्ला, गाँव, ब्लॉक, जिला, प्रान्त आदि किसी क्षेत्र में रहते हों।
2. इनमें रहने वालों के समूह अपनी कृषि शिक्षा या निर्वाह करने के लिए किसी स्थान पर रहकर एक-दूसरे पर निर्भर हों।

अत: एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में सामान्य जीवन व्यतीत करने वाले लोगों के समूह को समुदाय कहते हैं। सामान्य जीवन से अभिप्राय है- समूह के रहने, खाने-पीने, वस्त्र पहनने, उनके रीति-रिवाज, परम्पराएँ, लोकाचार आदि में समानता हो। अत: समुदाय की आधारभूत कसौटी के अन्तर्गत मनुष्य का सामान्य जीवन व्यतीत हो सके। समुदायों के आवश्यक तत्त्वों को निम्न प्रकार से जाना जा सकता है—

समुदाय
(Community)

1. व्यक्तियों का समूह + 2. निश्चित भूभाग + 3. सामुदायिक भावना + 4. आत्मनिर्भरता

विकास (Development)—निम्न जीवन-स्तर से उच्च जीवन-स्तर की ओर क्रमश: बढ़ना ही विकास कहलाता है।

"Orderly movement from lower level of living to higher level of living is the development."

विकास शब्द से अभिप्राय सामाजिक सम्बन्धों की उन निश्चित दशाओं में विकास लाने से है जो गुणात्मक तौर पर विकास का कार्य करें।

विकास शब्द का प्रयोग जब किसी समुदाय में किया जाता है तो इसका अर्थ उस समुदाय की योग्यता और क्षमता बढ़ाना होता है। अत: सामुदायिक विकास का अर्थ किसी समुदाय के ऐसे सदस्य की योग्यता एवं कार्यक्षमता को बढ़ाना है जो किसी विशेष क्षेत्र में रहकर एक-दूसरे पर निर्भर हों।

सामुदायिक कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिससे किसी समुदाय के लोग—

1. अपनी आवश्यकता निर्धारित करते हैं।
2. स्वयं को अपने कार्य के लिए संगठित करते हैं।
3. अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं समस्याओं के समाधान हेतु अपनी व्यक्तिगत एवं सामूहिक विकास योजना बनाते हैं।
4. अपने साधनों पर विश्वास करते हुए इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं।
5. आवश्यकता पड़ने पर समुदाय के बाहर लोगों से भी सेवा एवं सामग्री की सहायता का लाभ उठाते हैं।

अत: सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया विधि तथा शान्तिप्रिय आन्दोलन है जो सामुदायिक जीवन स्तर को बढ़ाता है। चूँकि हमारा देश गाँवों का देश है इसलिए इसे सामुदायिक विकास का नाम देना उचित है।

परिभाषाएँ (Definitions)—सामुदायिक विकास को विभिन्न विद्वानों ने निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है—

1. **किंग्स लेडेबिरन** ने लिखा है कि "समुदाय सबसे छोटा एक क्षेत्रीय समूह होता है जिसमें सामाजिक जीवन के सभी पहलू अंगीकार होते हैं।"
2. **ए० डब्ल्यू० ग्रीन** का कहना है कि "सामुदायिक संकीर्ण प्रादेशिक घेरे में रहने वाले उन व्यक्तियों का समूह है जो सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।"
3. सामुदायिक विकास के सम्बन्ध में **लोसबो** (Loshbough) का कहना है "सामुदायिक विकास योजना गहन विकास की समस्या का संगठित तथा नियोजित ढंग है।"
   (It is an organised and planned approach to the problem of intensive development.)

TOUCH 'n' PASS

4. **योजना आयोग** के अनुसार, "सामुदायिक विकास ग्रामीण समुदाय के रहने वाले परम्परागत ढंग से जीवन की प्रगतिशील पद्धतियों के परिवर्तन की प्रक्रिया, मनुष्य के सामर्थ्य एवं साधन के माध्यम से स्वयं सहायता देने की विधि, ग्रामीण लोगों के कल्याण से सम्बन्धित कार्यक्रम के लिए प्रगति का आन्दोलन है।"

अत: संक्षेप में सामुदायिक विकास से अभिप्राय है कि समुदाय का विकास, समुदाय के द्वारा और समुदाय की प्रेरणा से किया जाए।

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि—

सामुदायिक विकास एक साधन है (Community Development is a Mean)—प्रसार-शिक्षा के कार्यक्रम में विकास लाने के लिए किसानों के द्वारा सहयोग प्राप्त करने का एक साधन है।

सामुदायिक विकास एक कार्यक्रम है (Community Development is a Programme)—ग्रामीण कल्याण के लिए निर्धारित कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है।

सामुदायिक विकास एक आन्दोलन है (Community Development is a Movement)—यह समुदाय में आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति के लिए एक आन्दोलन है।

सामुदायिक विकास एक विधि है (Community Development is a Method)—यह एक विधि है जिसके द्वारा व्यक्तियों में स्वयं उनके साधनों द्वारा विकास किया जाता है।

सामुदायिक विकास एक प्रक्रिया है (Community Development is a Process)—यह ग्रामीण व्यक्तियों में ऐसी भावना का संचार करती है जिससे परम्परागत स्तर से ऊपर उठकर प्रगतिशील जीवन की ओर लगातार चला जा सके। अत: यह प्रक्रिया ग्रामीण लोगों के परम्परागत जीवन स्तर को परिवर्तित करके उन्नतिशील जीवन-स्तर प्रदान करती है।

सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यकता
(Need of Community Development Programme)

सामुदायिक विकास के कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का उद्देश्य लोकतान्त्रिक समाजवाद की स्थापना करना है। यह समाज के सभी वर्गों के लिए है जिससे कि सामाजिक विषमताओं को दूर किया जा सके।

विकसित देशों या अविकसित देशों के शहरी क्षेत्रों में सामाजिक विघटन, समाज में गिरावट अथवा समाज में अस्थिरता जैसी बुराइयाँ पनपने लगती हैं। ऐसे देशों एवं स्थान के लोगों में अपनत्व, निकटता एवं सामंजस्य जैसी अच्छाइयों में गिरावट देखने में आती है। इसलिए इन स्थानों एवं देशों में सामुदायिक संगठन की आवश्यकता होती है। अत: ऐसे क्षेत्रों में विशेष ध्यान इन दो बातों की ओर रहता है—

ऐसे समुदायों का विकास करना जिसमें लोग अपनत्व मानें और उसके सामुदायिक कार्यों का संचालन हो।

लोगों में संगठन उनमें मिल-जुलकर आपस में कार्य करने की आदत बने।

अमेरिका जैसे बड़े देश में सामुदायिक कार्य, सामुदायिक संगठन एवं प्रसार-कार्य भिन्न-भिन्न हैं। ऐसे देशों में विकास जैसा अब कोई कार्य नहीं रह गया है। भारतवर्ष जैसे विकासशील देश जहाँ अभी उतना शहरीपन नहीं है और औसतन 64.21% आबादी गाँवों में रहती है, लोग एक-दूसरे के सम्बन्ध को मानते हैं और मित्रता रखते हैं और आपसी सामंजस्य से सामुदायिक विकास कार्य चल रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो उपरोक्त भावना को ध्यान में रखकर वर्ष 1952 से प्रारम्भ किया गया। वर्ष 1974 में इसका नाम सामुदायिक विकास कार्यक्रम के स्थान पर ग्रामीण विकास कार्यक्रम कर दिया गया। ग्रामीण विकास की आवश्यकता निम्नलिखित बिन्दुओं से और भी स्पष्ट हो जाती है—

1. भारतवर्ष की अधिकांश आबादी गाँवों में रहती है।
2. देश की 50% राष्ट्रीय आय कृषि पर आधारित है।
3. देश की लगभग 70% जनता प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि कार्य से जुड़ी हुई है।
4. गाँवों में गरीबी व असमानता ही राजनैतिक अस्थिरता व गाँवों में रहने वालों की परेशानी का कारण बनती है।
5. उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति कृषि क्षेत्र से ही हो पाती है।
6. औद्योगिक उत्पादकता का बढ़ाना भी तभी न्यायसंगत हो सकता है जबकि ग्रामीण जनता की खरीदने की क्षमता को बढ़ाया जाए।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. निम्नलिखित के विषय में लिखिए—
Write about the following :

(अ) सामुदायिक विकास के मूल तत्त्व।
Essential elements of community development.

(ब) सामुदायिक विकास योजना का दर्शन।
Philosophy of community development planing.

(स) सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएँ।
Characteristics of community development Planning.

उत्तर

(अ) सामुदायिक विकास के मूल तत्त्व
(Essential Elements of Community Development)

सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम में निम्नलिखित मूल तत्त्वों पर बल दिया जाना आवश्यक है—

1. क्रिया-कलाप समुदाय की बुनियादी आवश्यकताओं के अनुसार हों।
2. व्यक्तियों की अभिवृत्तियों में परिवर्तन उतना ही महत्त्वपूर्ण है जितना विकास की प्रारम्भिक अवस्था में सामुदायिक विकास के द्वारा भौतिक उपलब्धि।
3. इसमें विविध उद्देश्य, कार्यक्रम की स्थापना तथा सतत् प्रयास होने चाहिए।
4. सामुदायिक विकास का उद्देश्य व्यक्तियों के समुदाय के कार्यों में अधिक और बेहतर सहभागी होना, स्थानीय शासन के विद्यमान रूपों को पुनर्जीवित करना अथवा उन्हें प्रभावशाली स्थानीय की ओर ले जाना जहाँ वे अभी कार्य नहीं कर रहे हैं।
5. पूर्णरूपेण प्रभावशाली होने के लिए समुदाय की स्वयंसेवी संस्थाओं को शासन के आन्तरिक अथवा बाह्य दोनों प्रकार की आवश्यकता होती है।
6. राज्य स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए इस प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं; जैसे—स्थिर नीति का बनाना, विशेष प्रशासनिक व्यवस्थाएँ, कर्मचारीगण की भर्ती एवं प्रशिक्षण, स्थानीय व राज्य संसाधनों को जुटाना, शोध का संगठन, प्रयोग एवं मूल्यांकन।
7. किसी भी कार्य का मूल उद्देश्य वहाँ के स्थानीय नेतृत्व को पहचानना, बढ़ावा देना और प्रशिक्षण देना है।
8. सामुदायिक परियोजना में स्त्रियों तथा युवा वर्ग के सहभागी होने में अधिक विश्वास रखने से विकास कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है।
9. ऐच्छिक अशासकीय संगठनों के साधनों का सामुदायिक विकास कार्यक्रम में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए।
10. स्थानीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक प्रगति होने पर विस्तृत राष्ट्रीय पैमाने पर समानान्तर विकास अवश्य होता है।

(ब) सामुदायिक विकास योजना का दर्शन
(Philosophy of Community Development Planning)

1. मनुष्यों की यह धारणा सतत् रहती है कि वे गरीबी तथा दु:खों से छुटकारा पाएँ और इसी परिकल्पना पर यह कार्यक्रम निर्धारित है। इसके अतिरिक्त सामाजिक दृष्टि से लोग सुरक्षा, मान्यता, प्रतिवेदन (Report), आत्मविश्वास अथवा नये अनुभवों की कामना करते हैं।
2. कार्यक्रम का आधार अनुभूत आवश्यकता है।
3. स्वयं सेवा (Self-Service), निर्णय लेने, आत्म-विश्वास तथा नेतृत्व के विकास के लिए यह आवश्यक है कि लोग अपनी सहायता स्वयं करें।
4. लोगों के सामाजिक मूल्यों को महत्त्व मिलना चाहिए।
5. व्यक्ति सबसे बड़ा साधन है क्योंकि व्यक्तिगत साधन के बिना बाकी सारे साधन गौण हो जाते हैं।

TOUCH 'n' PASS

6. कार्यक्रम लोगों के दृष्टिकोण, आदत, सोचने के ढंग को विकसित करने पर आधारित है।
7. लोग आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा राजनैतिक वातावरण को अपने ढंग से नियन्त्रित करने की आकांक्षा रखते हैं।

(स) सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएँ
(Characteristics of Community Development Planning)

सामुदायिक विकास योजना की विशेषताएँ निम्न प्रकार से दर्शायी जा सकती हैं—

1. **सभी वर्गों को लाभ**—यह कार्यक्रम सभी व्यक्तियों, बच्चों, बूढ़ों, जवानों, स्त्री-पुरुषों, अमीर-गरीब सभी वर्गों को चाहे वह किसी भी धर्म, जाति के मानने वाले हों, समान रूप से विकास के लिए समान अवसर देता है, क्योंकि वह क्षेत्र की समस्त जनता के विकास की योजना है।
2. **स्थानीय साधनों पर आधारित विकास योजना**—इसमें स्थानीय प्रयत्न, स्थानीय नेतृत्व, स्थानीय कुशलता, स्थानीय साधनों तथा आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिससे लोग इसमें सक्रिय भाग ले पाएँ। इसमें बाहरी दबाव तथा हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं होती है।
3. **स्वनिर्भरता मनोवृत्ति का विकास**—इस कार्यक्रम का मुख्य आधार स्वयं सहायता करने को प्रेरित करता है। लोगों को स्वयं अपनी समस्याएँ समझनी हैं अथवा उनके समाधान के सिद्धान्त का पता लगाना है एवं स्थानीय स्तर पर साधनों को खोजकर उपयोग में लाना है।
4. **ग्रामीण जनता में प्रेरक-शक्ति का विकास**—इस कार्यक्रम की मूल विशेषता यह है कि समुदाय प्रगति के लिए प्रेरक शक्ति स्वयं बनाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को आत्मविश्वासी, सक्षम एवं उत्तरदायी बनाता है।
5. **आपसी सहयोग अथवा ग्रामीण नेतृत्व का विकास**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लोगों में आपसी सहयोग की भावना ज्वलन्त होती है जिससे वह अपनी समस्या को स्वयं हल कर सकें।
6. इसका संचालन लोकतान्त्रिक विधि से किया जाता है।
7. इस कार्यक्रम से लोगों में अन्धविश्वास, रूढ़िवादिता, भाग्यवादी दृष्टिकोण तथा उनके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाता है।
8. इसमें भौतिक विकास की अपेक्षा मानवीय तथा सामाजिक विकास को अधिक क्रियाशील बनाया जाता है।

प्र.3. सामुदायिक विकास के उद्देश्य लिखिए तथा सामुदायिक विकास के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Write the objectives of community development and describe the principles of community development.

उत्तर

सामुदायिक विकास के उद्देश्य
(Objectives of Community Development)

भारत की ग्रामीण जनता के जीवन में भूख, निर्धनता, अज्ञानता, रूढ़िवादिता एवं अन्धविश्वास तथा आलस्य यह पाँच भयानक समस्याएँ हैं और ये सभी विकास में बाधक हैं। जब तक इन समस्याओं का विनाश नहीं हो जाता तब तक ग्रामीण जनता के लिए विकासरूपी नौका पर सवार होकर उन्नति के मार्ग की लय को पकड़ना कठिन है। इसको ध्यान में रखकर सामुदायिक विकास योजना द्वारा इन समस्याओं पर प्रहार किया गया है। सामुदायिक विकास योजना ग्रामीण जनता के जीवन के हर पहलू के विकास की योजना है ताकि ग्रामीण हर क्षेत्र में उन्नति कर सकें। स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने सामुदायिक विकास के तीन उद्देश्य बताये हैं—

(अ) ग्रामीण समुदाय का बहुमुखी विकास करना,
(ब) व्यक्तियों में सामुदायिक जीवन (Community Life) की भावना पैदा करना,
(स) जिम्मेदार, आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भरता समूहों का विकास तथा उनमें सच्चे एवं कर्मठ नेता का विकास करना।

श्री वी०टी० कृष्णामाचारी ने सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को निम्न प्रकार बताया है—

(अ) ग्रामीण आबादी को बेरोजगारी से पूर्ण रोजगारी की दिशा में लाना,
(ब) भारतीय कृषि की पिछड़ी हुई दशा में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि लाना,
(स) सहकारिता का विकास करना,
(द) समुदायों के साधनों को समुदाय के हितों के लिए अधिक-से-अधिक जुटाना।

TOUCH 'n PASS

साधारणतया सामुदायिक विकास के उद्देश्यों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

1. **आधारभूत उद्देश्य** (Fundamental Objectives)—
   (i) ग्रामीणों को उनके सीमित साधनों के अनुरूप विशेषज्ञों की मदद से समस्याओं का हल ढूँढ़ने में सहायता करना।
   (ii) ग्रामीणों को बेरोजगारी से मुक्त करके रोजगार दिलाना।
   (iii) भारतीय जनता को भी दूसरे देशों की भाँति सुख-सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
2. **सामान्य उद्देश्य** (General Objectives)—
   (i) ग्रामीण लोगों का विकास करना,
   (ii) मनोरंजन की सुविधाओं का प्रबन्ध करना,
   (iii) स्वच्छ एवं हवादार मकानों का प्रबन्ध करना,
   (iv) शिक्षा की व्यवस्था करना,
   (v) ग्रामीण परिवारों के हर क्षेत्र में विकास की योजना बनाना एवं क्रियान्वित करना।
3. **विशेष उद्देश्य** (Specific Objectives)—
   (i) कृषि व्यवस्था में सुधार।
   (ii) ग्रामीण समाज की समस्याओं को दूर करना।
   (iii) ग्रामीण साधनों का विकास करना।
   (iv) नयी खोजों को गाँवों तक पहुँचाना और उन पर अमल करना।
   (v) ग्रामीण नेतृत्व का विकास।
   (vi) सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना।
   (vii) ग्रामीण साधनों को विकास में लगाना।
   (viii) जनता को राष्ट्रीय योजना के प्रति जागरूक करना।
   (ix) सहकारिता के आधार पर समस्याओं का निराकरण करना।
   (x) नई जानकारियों के प्रति जिज्ञासा पैदा करना।

संक्षेप में, सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्यों को समयबद्ध बनाने के लिए मुख्यत: दो श्रेणियों में बाँटा गया है—
(अ) अल्पकालिक उद्देश्य,
(ब) दीर्घकालिक उद्देश्य

अल्पकालिक उद्देश्य से तात्पर्य उत्पादन को अधिक-से-अधिक बढ़ाना व ग्रामीण कुटीर उद्योगों का विकास करना है।
दीर्घकालिक उद्देश्य से तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों के भौतिक एवं मानव साधनों का पूर्ण रूप से विकास करना है।
यह विकास ग्रामवासी अपने बनाये गये प्रजातान्त्रिक संगठनों द्वारा करते हैं सरकार केवल तकनीकी एवं आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती हैं।

सामुदायिक विकास के सिद्धान्त
(Principles of Community Development)

विशेष सिद्धान्त जो सामुदायिक विकास योजना के अंग हैं, निम्न प्रकार से दर्शाये गये हैं—

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम बनाते समय समुदाय में रहने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता को कार्यक्रम का केन्द्र बिन्दु बनाकर चलना चाहिए।
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में परिवर्तनशीलता स्थितियों व दिशाओं के अनुसार आवश्यक है।
3. स्थानीय साधनों का उचित उपयोग होना अति आवश्यक है।
4. ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय कृषि है इसलिए कृषि व्यवसाय पर अधिक बल देना चाहिए।
5. सामुदायिक विकास कार्यक्रम, मनुष्यों में आत्मनिर्भरता व आपसी सहयोग की भावना विकसित करने के आधार पर होना चाहिए।
6. कार्यक्रमों का संचालन पूर्ण रूप से प्रजातान्त्रिक पद्धति पर आधारित होना चाहिए।
7. समय-समय पर मूल्यांकन होते रहने से कार्यक्रम सफल बनता है।

TOUCH 'n' PASS

8. ग्रामीण जनता की संस्कृति के अनुरूप कार्य करना सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य सिद्धान्त होना चाहिए।
9. ग्रामीण जनता तथा प्रसार कार्यकर्त्ताओं के मध्य जीवन्त, मधुर सम्बन्धों का विकास होना अनिवार्य है।

सामुदायिक विकास योजना एक दुहरी वाहिका है। अत: ग्रामीणों की समस्या का पता लगाकर उनके हल समय-समय पर उन्हें उपलब्ध कराना इस योजना का मुख्य आधार है।

ग्रामीण व्यक्तियों का स्व विकास, उनके नेतृत्व का विकास तथा समाज का विकास करना इस योजना का अभिन्न अंग है।

प्र.4. सामुदायिक विकास की विभिन्न विधियाँ लिखिए। साथ ही, सामुदायिक विकास योजना का क्षेत्र, महत्त्व एवं प्रभाव लिखिए।

Write the different methods of community development. Also, write the scope, importance and effect of community development Plan.

उत्तर

सामुदायिक विकास की विधियाँ
(Methods of Community Development)

विश्व में विभिन्न देशों में चल रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करते हुए यह सुझाव दिया गया कि सामुदायिक विकास के लिए दर्शायी गई तीन विधियों का समावेश आवश्यक है—

1. बहुविषयक वस्तु शिक्षा (Multi-subject matter education)
2. सहायता प्राप्त स्वयं चलाई गई परियोजनाएँ (Aided self help projects)
3. स्थानीय संगठनों का विकास (Development of local organisations)

श्री जे० पाल० लीगन्स का कहना है कि सामुदायिक विकास रूपी उद्देश्य की प्राप्ति प्रसार शिक्षा रूपी विधि पर आधारित है। वहीं पर सामाजिक शिक्षा को भी विधि के रूप में स्वीकृति दी गयी है।

1. **सामाजिक शिक्षा** (Social Education)—ऐतिहासिक रूप में सामाजिक शिक्षा को बुनियादी शिक्षा (Fundamental Education), सामुदायिक शिक्षा (Community Education), जनशिक्षा (Mass Education) तथा प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education) कहा गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि सामाजिक शिक्षा सामुदायिक विकास से पहले ही आरम्भ की गई जो कि निम्नलिखित कारणों से स्पष्ट है—
   (i) चूँकि सामुदायिक विकास का उद्देश्य जनता के व्यवहार में परिवर्तन लाना है जो सामाजिक शिक्षा द्वारा सम्भव हो सकता है।
   (ii) नये स्वतन्त्र और विकासशील देशों में प्रौढ़ शिक्षा या जनशिक्षा प्राय: अनिवार्य है क्योंकि प्राथमिक शिक्षा के अभाव में अधिकतर लोग अनपढ़ हैं और बिना पढ़े स्थानीय नेतृत्व का विकास अथवा स्वायत्त शासित कार्यक्रम नहीं चल सकता।
   (iii) सभी सामाजिक योजनाओं में अच्छे बुद्धिमानों एवं अच्छे मस्तिष्कों की आवश्यकता अवश्यम्भावी है। अत: प्रौढ़ शिक्षा अनिवार्य है।
   (iv) नयी तकनीकों को अपनाने हेतु भी शिक्षित लोग आवश्यक हैं जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम द्वारा सम्भव है। अत: इस विधि द्वारा सामुदायिक विकास के उद्देश्य की पूर्ति शीघ्र होती है।
2. **प्रसार शिक्षा** (Extension Education)—यदि सामुदायिक विकास योजना को संगठन (Organisation) और प्रसार-शिक्षा को प्रबन्धन (Management) कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति न होगी, क्योंकि संगठन शरीर की तरह तथा प्रबन्धन प्राण की भाँति कार्य करता है जिससे शरीर सजीव हो जाता है। ठीक इसी के अनुरूप सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्रसार शिक्षा की भूमिका श्रेयस्कर है जो कि निम्न बिन्दुओं से स्पष्ट हो जाता है—
   (i) प्रसार शिक्षा लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने में पूर्णतया सक्षम है। इसमें सामुदायिक विकास का लक्ष्य पूरा होता है।
   (ii) ग्रामीण लोगों को समस्याओं की सही-सही जानकारी प्रसार शिक्षा द्वारा ही सम्भव है।
   (iii) प्रसार शिक्षा द्वारा ही प्रशिक्षण व्यवस्था निर्धारित की जाती है।
   (iv) प्रसार शिक्षा द्वारा प्रशासनिक नीति बनती है जिससे लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है।

TOUCH 'n' PASS

(v) प्रसार शिक्षा कृषि पर आधारित व्यावहारिक ज्ञान है जो विकास की नीति निर्धारित करता है तथा अनुसन्धान द्वारा प्राप्त की गई पद्धतियों के विवरण पर रोशनी डालता है। इस प्रकार से भी सामुदायिक विकास की लक्ष्य प्राप्ति में सहायता मिलती है।

(vi) ग्रामीण जनता के ज्ञान, दृष्टिकोण एवं कौशल में वृद्धि करके प्रसार शिक्षा उन्हें प्रगतिशील बनाने में सहायक है जिसके परिणामस्वरूप लोग स्वयं प्रेरित होकर नई तकनीकों को अपनाकर जीवन-स्तर ऊपर उठाते हैं।

3. **सहायता प्राप्त स्वयं चलाये गये प्रोजेक्ट** (Aided Self Help Projects)—जनता में आत्मविश्वास पैदा करने, आत्मनिर्भरता बनाने, संगठनात्मक दक्षता उत्पन्न करने के लिए सामूहिक तौर पर समस्या का निदान करने में इस प्रकार की परियोजनाएँ बहुत ही उपयोगी होती हैं। अत: इस विधि द्वारा सामुदायिक विकास योजना के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकते हैं।
4. **स्थानीय संगठनों द्वारा** (By Local Organisation)—गाँव में विकास परिषद् सहकारी समितियाँ, युवक दल, महिला दल का विकास करके भी सामुदायिक विकास योजना के लक्ष्य की पूर्ति होती है। अनुसन्धानों द्वारा ज्ञात हुआ है कि अन्य विधियों का सामुदायिक विकास योजना का लक्ष्य पूर्ति में सर्वोच्च स्थान रहा है।

सामुदायिक विकास योजना का क्षेत्र, महत्त्व एवं प्रभाव
(Scope, Importance and Effect of Community Development Plan)

सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत क्रियान्वित कार्यक्रम ही इसका क्षेत्र है। इसमें इतने कार्यक्रम हैं जो ग्रामीण जनता के बहुमुखी विकास को प्रभावित करते हैं। इस प्रकार सामुदायिक विकास योजना का क्षेत्र बहुत व्यापक है। संक्षेप में आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास हेतु जितने भी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, सभी इसके क्षेत्र में सम्मिलित किये जाते हैं।

जहाँ तक सामुदायिक विकास योजना के महत्त्व का प्रश्न है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्धृत है; जैसे—यह देहात में रहने वाले 6 करोड़ परिवारों के दृष्टिकोण को परिवर्तित करने, उनमें नये ज्ञान और जीवन के लिए तरीकों के प्रति उत्साह उत्पन्न करने और उनमें उन्नत जीवन के लिए महत्त्वाकांक्षा और जीवन का संकल्प भरने की समस्या है। जनतन्त्रीय नियोजन में विस्तार सेवाएँ और सामुदायिक संगठन प्राण शक्ति का मुख्य स्रोत है और ग्राम विकास सेवाएँ वे साधन हैं जिनके द्वारा सहयोगी आत्म-सहायता तथा स्थानीय प्रयत्नों से ग्राम और ग्राम समूह अधिकाधिक मात्रा में सामाजिक परिवर्तन तथा आर्थिक उन्नति, दोनों प्राप्त कर सकते हैं और राष्ट्रीय योजना में भागीदार बन सकते हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकास योजना का प्रभाव निम्न प्रकार से है—

1. आर्थिक विकास,
2. कृषि उत्पादन में वृद्धि,
3. पशु सम्बन्धी विकास,
4. कमजोर वर्गों हेतु आवासीय सुविधा,
5. परिवहन माध्यमों का विकास,
6. सामाजिक कल्याण,
7. शिक्षा का विकास,
8. सांस्कृतिक विकास,
9. विकास हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था,
10. स्वच्छता, स्वास्थ्य रक्षा एवं उपचार।

अत: ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा नियोजन में सामुदायिक विकास योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट है। इस कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि उत्पादन को दी गई है। इसके अलावा शिक्षा-प्रशिक्षण, स्वास्थ्य रक्षा एवं उपचार, आवासीय सुविधाएँ, संचार साधन, महिला एवं बाल कल्याण, कुटीर उद्योग-धन्धों आदि के विकास हेतु अनेक प्रकार से स्वयं ग्रामीण समुदाय तथा सरकार द्वारा प्रयास किये गए हैं—

1. ग्रामीण पुनर्निर्माण के अन्तर्गत पशुधन एवं कुक्कट आदि के विकास कार्य में लावारिस तथा अनुत्पादक मवेशियों को एकत्र कर गौ सदन पहुँचाने की व्यवस्था करके, पशुओं की बीमारी की सूचना देकर, चिकित्सा का प्रबन्ध करके तथा पशुओं के लिए उचित दाम का प्रबन्ध करके इत्यादि अनेक प्रकार से गाँवों का स्तर ऊँचा करने में सहायता पहुँचायी है।
2. कृषि विकास से सम्बन्धित अन-उपजाऊ भूमि को कृषि योग्य बनाना, सिंचाई हेतु कुएँ, नलकूप, तालाब तथा छोटी नहरों आदि से पानी की व्यवस्था करना, उत्तम बीज, उर्वरक खाद आदि का प्रबन्ध करना, नवीन कृषि पद्धतियों तथा कृषि यन्त्रों द्वारा वैज्ञानिक आधार पर खेती करने के लिए प्रोत्साहन देना, भूमि कटाव (Soil erosion) की रोकथाम करना, फलों एवं शाक की खेती का विस्तार करना, वृक्षारोपण आदि अनेक कार्यों को करके सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा ग्रामीण जनता को उन्नत करने में सहयोग प्रदान किया गया है।

TOUCH 'n PASS

3. किसी भी पुनर्निर्माण के अन्तर्गत शिक्षा के विकास का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इस कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करके ग्रामीण सुविधाओं को प्रभावित किया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनेक नये स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय आदि खोले गये हैं। युवक मण्डल तथा कृषक संघों, चर्च मण्डलों की स्थापना, ग्राम शिविरों का संगठन तथा ग्राम सहायकों का प्रशिक्षण आदि कार्यक्रमों के माध्यम से भी सामुदायिक विकास योजना का गाँवों में समाज शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण पुनर्निर्माण में महत्त्वपूर्ण योगदान है।
4. स्वास्थ्य रक्षा तथा उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना की गई जिस पर चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य सेवकों की नियुक्ति की गई। गाँवों की स्वच्छता बनाये रखने के लिए शौचालयों, मूत्रालयों की व्यवस्था करके स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार किये गये हैं। इसके अतिरिक्त मातृ कल्याण एवं शिशु कल्याण, मनोरंजन, ग्राम मेला, खेल प्रतियोगिताएँ, प्रदर्शनी आदि अनेक सामाजिक कल्याण कार्य सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत हुए हैं तथा हो रहे हैं।
5. संचार एवं यातायात की पिछड़ी व्यवस्था में सुधार करके सामुदायिक विकास योजनाओं ने ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया है। अनेक प्रकार से कच्ची एवं पक्की सड़कों से गाँवों को शहरों से जोड़ा गया एवं जोड़ा जा रहा है, संचार व्यवस्था में सुधार के लिए ग्रामीण जनता के लिए दूरभाष की व्यवस्था की गई है। इस प्रकार ग्रामीण जीवन के पुनर्निर्माण में प्रचुर सहायता मिली है।
6. सहायक कुटीर उद्योग-धन्धों को विकसित कर नये कुटीर उद्योगों की स्थापना करके ग्रामीणों की बेरोजगारी की एक कटु समस्या को हल करने में सहयोग प्रदान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में आत्म-सहायता तथा आत्म-निर्भरता के सिद्धान्त के सर्वाधिक प्रसार के लिए सामुदायिक विकास योजनाओं द्वारा अनेक सहकारी समितियों की स्थापना की गयी है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सामुदायिक विकास योजनाओं ने ग्रामीण जनता की प्रगति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किये हैं। इसी प्रकार, सामुदायिक विकास योजनाओं के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हुए एक दिन हम भारतवर्ष की ग्रामीण जनता को विश्व के समक्ष अग्रणी श्रेणी में लाकर खड़ा करने में सक्षम हो जाएँगे।

प्र.5. सामुदायिक विकास कार्यक्रम का विस्तार से मूल्यांकन कीजिए।

Evaluate the community development programme in detail.

उत्तर

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल्यांकन
(Evaluation of Community Development Programme)

भारत जैसे विकासशील देश में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की आवश्यकता से इन्कार नहीं किया जा सकता है जहाँ 70-75% जनता ग्रामों में निवास करती है और जो अंधकार में भटक रही हैं जहाँ गरीबी, अशिक्षा, अन्धविश्वास, साधनों की कमी, स्वास्थ्य चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव, मकानों की समस्या, सफाई आदि अनेक समस्याएँ विकराल रूप से खड़ी हैं वहाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम अंधेरे में रोशनी की एक किरण के रूप में है। इस कार्यक्रम की आवश्यकता को बहुत समय पहले अनुभव किया गया और परिणामत: 2 अक्टूबर 1952 को इस योजना को आरम्भ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समाज का उत्थान, हर क्षेत्र का विकास तथा उन्हें रोजगार दिलाकर स्वावलम्बी बनाना है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् इस कार्यक्रम को आरम्भ किया गया है और आज तक इस योजना का ग्रामीण उत्थान में महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। इस विकास योजना की कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं—

सामुदायिक विकास योजना की उपलब्धियाँ
(Achievements of Community Development Plan)

आरम्भ में सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत 55 विकास क्षेत्र खोले गये। 1958 में इस योजना के अन्तर्गत 2005 ब्लॉक खोले गये जिससे ग्रामीण जनसंख्या का 55% इस योजना से लाभान्वित होने लगा। 1970 में ब्लॉकों की संख्या बढ़ाकर 4893 की गई तथा देश की 40 करोड़ जनसंख्या इस योजना के अन्तर्गत आ गई। आज ब्लॉक की संख्या 5511 हो गई है तथा 221 लाख ग्राम पंचायतें, 4474 पंचायत समितियाँ तथा 252 जिला परिषद् इस योजना को सफल बनाने के लिए प्रयासरत हैं। इस योजना की कुछ महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ इस प्रकार हैं—

1. **कृषि विकास** (Agricultural Development)—चूँकि भारत की लगभग जनसंख्या ग्रामों में ही निवास करती है। अत: उनका मुख्य व्यवसाय कृषि ही है इसलिए विकास योजना का आधार कृषि को बनाया गया है। कृषि के इस क्षेत्र में

TOUCH 'n' PASS

योजना में सराहनीय कार्य हुआ है। सुधरे बीजों, खादों, कृषि यन्त्रों आदि का उपयोग बढ़ा है। सहकारिता, सिंचाई की सुविधाओं तथा फसलों से कीड़ों की रोकथाम हेतु कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग भी होने लगा है। परिणामत: कृषि उत्पादन में उल्लेखित वृद्धि हुई है। अब भारत खाद्यान्न उत्पादन में लगभग आत्मनिर्भर हो गया है। अब हमें खाद्यान्नों के लिए विदेशों का मुँह देखने की आवश्यकता नहीं है। व्यापारिक फसलों तिलहन, कपास, गन्ना आदि का भी उत्पादन बढ़ा है। ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है। किसानों को अपने उत्पादन का सही मूल्य मिले इसके लिए सहकारी-समितियों का गठन किया गया है।

2. **परिवहन का विकास** (Development of Transport)—इस योजना के अन्तर्गत गाँवों में नई कच्ची तथा पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है साथ ही गाँवों को बड़ी सड़कों से भी जोड़ा गया है। सड़कों पर पुलियों का निर्माण किया गया है। उद्योग-धन्धों का विकास बिना परिवहन के साधनों के विकास के सम्भव नहीं है। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए शासन ने देश में सड़कों का जाल बिछाने का निर्णय लिया है। इसी कारण परिवहन तथा यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ है।
3. **पशुपालन**—विकास खण्डों ने अपने-अपने क्षेत्रों में लाखों उन्नत किस्म के पशु किसानों में बाँटे हैं। पशुओं की नस्लों में सुधार करने के लिए हजारों कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गये हैं जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में पशु धन का विकास हुआ है।
4. **समाज शिक्षा अथवा सामाजिक जीवन का प्रभाव** (Impact of Social Education or Social Life)—सामुदायिक विकास योजना का ग्रामीण जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा है। इस कार्यक्रम के कारण लोगों की असमानता दूर हुई तथा उनमें विश्वास एवं नेतृत्व का विकास हुआ। इस योजना के अन्तर्गत आज गाँव-गाँव में सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाये जाते हैं। ग्राम पंचायतों को रेडियो एवं दूरदर्शन की सुविधा भी उपलब्ध करायी गई है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करने के लिए प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, सिलाई शिक्षा केन्द्र खोले गये हैं। अब तक गाँवों में 18 हजार प्रौढ़ साक्षरता केन्द्र खोले गये हैं, 12 हजार नये सिलाई शिक्षा केन्द्र खोले गये और 138 हजार महिलाओं को सिलाई-बुनाई कामों में प्रशिक्षण दिया गया है।
5. **भूमि सुधार** (Soil Improvement)—विकास खण्डों द्वारा हजारों हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है। भूमि का कटाव रोकने के लिए नई मेड़ें बनायी गई हैं।
6. **कुटीर तथा लघु उद्योगों का विकास** (Development of Small Industries)—विकास खण्डों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर तथा लघु उद्योग खोलने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रतिवर्ष ग्रामीण कारीगरों को इस कार्य के लिए करोड़ों रुपये के ऋण दिये जाते हैं, छोटे-छोटे यन्त्र व औजार बाँटे जाते हैं।
7. **स्वास्थ्य एवं ग्राम सफाई** (Health & Sanitation)—इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए विकास खण्डों द्वारा गाँवों में पक्की नालियाँ, पक्की गलियाँ, शौचालय, पक्के कुँओं का निर्माण कराया जाता है। गाँवों में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र (Health Centre) की स्थापना की गई है जहाँ सामान्य बीमारियों की सभी दवाइयाँ उपलब्ध की जाती हैं। बरसात के दिनों में कुँओं तथा अन्य स्थानों की सफाई की व्यवस्था भी सरकार करती हैं। शुद्ध पेय जल ग्रामीण समुदाय में उपलब्ध कराने हेतु 16 हजार कुँओं का निर्माण किया गया तथा 20 हजार कुँओं की मरम्मत तथा नलकूपों का निर्माण कराया गया है। उसके अतिरिक्त सरकार ने 15 हजार धुएँरहित चूल्हे, 9 हजार गोबर गैस संयन्त्र लगवाये हैं। 29 हजार शौचालयों का निर्माण कराया गया। 4 हजार से अधिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये गये।
8. **हरिजन, आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम** (Special Programme for Harijans, tribals and hilly areas)—कृषि के पश्चात् सबसे अधिक प्राथमिकता इस समुदाय के लोगों को सामुदायिक विकास कार्यक्रम में प्राप्त करायी गई। शासन द्वारा इन लोगों के रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जा रही है। अपना स्वयं का व्यवसाय आरम्भ करने के लिए ऋण प्रदान किया जा रहा है तथा इनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इनके बच्चों के लिए हॉस्टल में रहने के लिए मुफ्त कमरे, पुस्तक तथा भोजन की व्यवस्था की जाती है तथा निर्धन स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती हैं। इन लोगों को नौकरियों व शिक्षा में आरक्षण भी प्रदान किया जा रहा है। आदिवासी तथा पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों की सहायता तथा कृषि के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम चलाये गये हैं जिनमें से कुछ को विदेशी सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से भी सहायता प्राप्त होती है।

TOUCH 'n' PASS

9. **श्वेत क्रान्ति** (White Revolution)—कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए शासन ने हरित क्रान्ति का नारा दिया था। हरित क्रान्ति के पश्चात् श्वेत क्रान्ति का नारा दिया गया। इस योजना के अन्तर्गत श्वेत क्रान्ति की सफलता के लिए शासन ने प्रत्येक विकास खण्ड में लाखों उन्नत किस्म के पशु वितरित किये हैं। गाँवों में पशु चिकित्सालय एवं कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की स्थापना की गई है।
10. **सर्वांगीण विकास कार्यक्रम** (All Round Development Programme)—ग्रामों में आय की असमानताओं को दूर करने के लिए तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए पाँचवी पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण ग्राम विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया। इसे विभिन्न राज्यों के 38 गाँवों में आगामी परियोजनाओं के रूप में चलाया गया। इस कार्यक्रम के प्रमुख अंग हैं—चकबन्दी, पूर्ण भूमि विकास, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, फसल बोने की विधियों में परिवर्तन, फसल चक्र अपनाने की विधि का प्रचार आदि।

इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत—

(i) सघन कृषि विकास,
(ii) एकीकृत ग्राम विकास,
(iii) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम,
(iv) ग्रामीण युवक स्वत: रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम,
(v) अन्त्योदय कार्यक्रम,
(vi) प्रयोगशाला से खेतों तक,
(vii) स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान,
(viii) लघु तथा सीमान्त कृषक एवं कृषि मजदूर विकास कार्यक्रम आदि कार्यरत हैं।

यद्यपि इस योजना से ग्रामीण विकास में काफी सहायता मिली है, परन्तु फिर भी जितना विकास होना चाहिए था, न हो सका। विकास की असफलता में निम्नलिखित बाधाएँ रहीं—

(i) कार्यक्रम लाल फीताशाही का शिकार,
(ii) प्रशिक्षित कार्यकर्त्ताओं का अभाव,
(iii) कार्यक्रम में जनता की सहभागिता का अभाव,
(iv) कार्यक्रम पर राजनैतिक नेताओं का प्रभाव,
(v) सुपरिचित कार्यक्रम की रूपरेखा का अभाव,
(vi) जन सहयोग एवं ग्रामीण नेतृत्व का अभाव,
(vii) कार्यक्रम में मानवीय कारकों की अनदेखी (उपेक्षा),
(viii) समाज शिक्षा का अभाव,
(ix) कार्यक्रम में भ्रष्टाचार।

उपरोक्त कारणों से कार्यक्रम को वांछित सफलता अभी नहीं मिली है लेकिन जितने भी प्रयास किये जाते हैं उनमें से कुछ तो अवश्य ही सफल होते हैं। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् आज तक ग्रामों में एक प्रत्यक्ष अन्तर दृष्टिगोचर होता है उनके रहन-सहन के स्तर में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। अत: स्पष्ट है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण जनता की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार किया है। सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि लोगों का सरकार में विश्वास बढ़ा है और वे यह समझने लगे हैं कि देश की सरकार केवल प्रशासन ही नहीं चलाती बल्कि जनता के कल्याण के लिए निर्धनता, बेरोजगारी दूर करने के लिए एवं निम्न वर्गों की उन्नति के लिए भी यथासम्भव प्रयास कर रही है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. किसी इच्छा या इच्छा को अभिव्यक्ति से रोकना कहलाता है—

(क) इनकार (ख) दमन (ग) प्रक्षेपण (घ) प्रतिगमन

उत्तर (ख) दमन

TOUCH 'n' PASS

प्र.2. निम्नलिखित में से कौन-सा क्लाइंट केस वर्कर सम्बन्ध का घटक नहीं है?
(क) स्वायत्तता (ख) गोपनीयता (ग) सहानुभूति (घ) सहानुभूति
उत्तर (घ) सहानुभूति

प्र.3. ..... ब्रिटेन में पहली बस्ती है जो समूह कार्य से जुड़ी है।
(क) चैरिटी संगठन समाज (ख) पड़ोस गिल्ड
(ग) टॉयनबी हॉल (घ) हल हाउस
उत्तर (ग) टॉयनबी हॉल

प्र.4. सामाजिक शिक्षण सिद्धान्त सम्बन्धित है—
(क) अल्बर्ट बंडुरा (ख) जूलियन रोटर (ग) वाल्टर मिशेल (घ) उपरोक्त सभी
उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.5. अमर्त्य सेन निम्नलिखित में किस अवधारणा से जुड़े हैं?
(क) स्वतन्त्रता (ख) मानवाधिकार (ग) बुनियादी जरूरतें (घ) आर्थिक अधिकार
उत्तर (ख) मानवाधिकार

प्र.6. निम्नलिखित में से कौन-सा सिजोफ्रेनिया का लक्षण नहीं है?
(क) व्यामोह (ख) व्यावसायिक कार्य (ग) श्रवण मतिभ्रम (घ) अव्यवस्थित सोच
उत्तर (ख) व्यावसायिक कार्य

प्र.7. माध्य अन्तर भी कहा जाता है—
(क) मानक त्रुटि (ख) भिन्नता (ग) सहकुशल (घ) सहसम्बन्ध
उत्तर (ख) भिन्नता

प्र.8. निम्नलिखित में से कौन-सा एक असामाजिक तत्त्व है?
(क) गुट (ख) भीड़ (ग) संगठित समूह (घ) गिरोह
उत्तर (घ) गिरोह

प्र.9. सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रश्नावली की समीक्षा है—
(क) कोडिंग (ख) सम्पादन (ग) रिकॉर्डिंग (घ) डिकोडिंग
उत्तर (ख) सम्पादन

प्र.10. ''टू ट्रीटीज ऑन'' शीर्षक वाली पुस्तक ''सिविल गवर्नमेंट'' द्वारा है—
(क) हेगेल (ख) जॉन लॉक (ग) जेम्स मिल (घ) बेन्थम
उत्तर (ख) जॉन लॉक

प्र.11. 'कर्मचारी भविष्य निधि और (विविध प्रावधान) अधिनियम' किस वर्ष पारित किया गया था?
(क) 1948 (ख) 1952 (ग) 1961 (घ) 1976
उत्तर (ख) 1952

प्र.12. एक विधि के रूप में सामाजिक समूह कार्य मदद नहीं करता है—
(क) व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण समूह अनुभव के माध्यम से सामाजिक कार्यप्रणाली को बढ़ाते हैं
(ख) समुदाय एक समुदाय में समूहों की समस्याओं को हल करने के लिए
(ग) एक सन्दर्भ प्रदान करें जिसमें व्यक्ति एक-दूसरे की मदद करते हैं
(घ) सामाजिक स्थितियों को प्रभावित करने और बदलने के लिए व्यक्ति और समूह
उत्तर (ख) समुदाय एक समुदाय में समूहों की समस्याओं को हल करने के लिए

TOUCH 'n' PASS

प्र.13. किसने प्रतिपादित किया कि सामाजिक क्रिया प्रचार और सामाजिक कानून के माध्यम से व्यापक सुधार है, जो ग्राहकों के सामाजिक वातावरण में बदलाव लाने की एक विधि है?

(क) एमवी मूर्ति (ख) पीटर ली (ग) फिलिप कोहलर (घ) मैरी रिचमण्ड

उत्तर (घ) मैरी रिचमण्ड

प्र.14. भारत के संविधान का कौन-सा अनुच्छेद सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से सुरक्षा और लोगों के कमजोर वर्गों के आर्थिक और शैक्षणिक हितों को बढ़ावा देने का सुझाव देता है?

(क) अनुच्छेद 44 (ख) अनुच्छेद 45 (ग) अनुच्छेद 46 (घ) अनुच्छेद 47

उत्तर (ग) अनुच्छेद 46

प्र.15. व्यक्तित्व परीक्षण के उदाहरण शामिल हैं—

(क) मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेन्टरी (ख) रोर्शाक इंकब्लॉट परीक्षण
(ग) विषयगत आशंका परीक्षण (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.16. संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे बड़ा व्यावसायिक सामाजिक कार्य संघ है—

(क) इण्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्कर्स (ख) नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स
(ग) अमेरिका एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कर्स (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ख) नेशनल एसोसिएशन ऑफ सोशल वर्कस

प्र.17. व्यावसायिक यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए केन्द्र सरकार की योजना है—

(क) अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (ख) स्वाधार योजना
(ग) उज्ज्वला योजना (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

उत्तर (ग) उज्ज्वला योजना

प्र.18. विवेकीकरण मॉडल सम्बन्धित है—

(क) मैरी रिचमण्ड (ख) पॉल चौधरी (ग) पॉल फ्रेरे (घ) पर्लमैन

उत्तर (ग) पॉल फ्रेरे

प्र.19. निम्नलिखित में से कौन-सा श्रम और रोजगार मन्त्रालय द्वारा स्थापित पुरस्कार नहीं है?

(क) श्रम पुरस्कार (ख) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार
(ग) विश्वकर्मा पुरस्कार (घ) अर्जुन पुरस्कार

उत्तर (घ) अर्जुन पुरस्कार

प्र.20. परिवर्तन को सँभालने में लचीलेपन को कहा जाता है—

(क) परोपकारिता (ख) नवाचार (ग) अनुकूलनशीलता (घ) आक्रामकता

उत्तर (ग) अनुकूलनशीलता

❑

TOUCH 'n PASS

UNIT-II

सामुदायिक विकास संगठन
Community Development Organization

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. TRYSEM किस प्रकार का कार्यक्रम है?
Which type of programme is TRYSEM?

उत्तर ग्रामीण युवकों व महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देने के लिए यह कार्यक्रम सन् 1979-80 में प्रारम्भ किया गया। यह योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के चयनित सदस्य, जिनकी आयु 18-35 वर्ष की है, को विभिन्न रोजगारों हेतु प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से समुचित प्रशिक्षण देने के लिए बनायी गई थी। इसके अन्तर्गत ग्रामीण युवक/युवतियों को तकनीकी कुशलता व व्यावसायिक कुशलता का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करायी गई थी जिससे वे परिवार आर्थिक दृष्टि से मजबूत हो सकेंगे। सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लगभग 4,59,505 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया था और वर्तमान में भी इस संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है।

प्र.2. CFTRI के बारे में लिखिए।
Write about the CFTRI.

उत्तर सन् 1950 में केन्द्रीय आहार तकनीकी अनुसन्धान परिषद, मैसूर में स्थापित हुआ। यह फल, सब्जियों, अनाज, दालों इत्यादि भोज्य पदार्थों के संग्रहीकरण, संरक्षण के सुरक्षित तरीकों का अनुसन्धान करने, सस्ते, सुविधाजनक पौष्टिक आहार तैयार करने तथा पूरक पौष्टिक आहार बनाने में संलग्न रहता है। इस संस्थान में पोषण एवं आहार सम्बन्धी अनुसन्धान किये जाते हैं।
CFTRI ने अनेक पोषाहार एवं बाल-आहार निर्मित किये हैं; जैसे—भैंस के दूध से शिशु-दुग्ध आहार, स्तन्य त्याग आहार (Weaning baby foods), उच्च प्रोटीनयुक्त आहार, वनस्पति प्रोटीन से निर्मित शिशु दुग्ध आहार। अनाजों में धुआँ देकर, उन्हें सुरक्षित रूप से भण्डारण करने के लिए DUROFUME प्रक्रिया, फलों पर नीम की परत चढ़ाकर संरक्षित करने की विधियाँ, मछली सुखाने की विधियाँ भी विकसित की हैं। दूध के विकल्प के रूप में मूँगफली से दूध बनाने की विधि, सोयाबीन से दूध बनाने की विधि प्रकाशित की है।

प्र.3. पंचायती राज व्यवस्था की संरचना के बारे में बताइए।
State about the structure of Panchayati Raj System.

उत्तर संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है। इसके अनुसार—
1. सबसे निचले स्तर अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम सभा के गठन का प्रावधान हैं।
2. मध्यवर्ती स्तर अर्थात खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत।
3. सबसे उच्च स्तर अर्थात् जिला स्तर पर जिलापंचायत के गठन का प्रावधान है।

प्र.4. ग्राम पंचायत की संरचना को समझाइए।
Explain the structure of Gram Panchayat.

उत्तर प्रत्येक ग्राम सभा में एक अध्यक्ष होता है जो ग्राम प्रधान, सरपंच अथवा मुखिया कहलाता है तथा कुछ अन्य सदस्य होते हैं। ग्राम सभा में 1000 की आबादी तक 1 ग्राम पंचायत सदस्य (वार्ड सदस्य), 2000 की आबादी तक 11 सदस्य तथा 3000 की आबादी तक 15 सदस्य होते हैं।

TOUCH 'n PASS

प्र.5. ग्राम पंचायत के कार्य लिखिए।
Write the functions of Gram Panchayat.

उत्तर ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्राम की समस्याओं को समुदाय के सामने रखना एवं समुदाय के हितों के लिए आवाज उठाना है। ग्राम पंचायत कर की वसूली भी करती है जिससे गाँव के विकास सम्बन्धी कार्य होते हैं; जैसे—गाँव के विद्यालयों का कार्य, जन्म व मृत्यु का पंजीकरण, स्वच्छता व सुरक्षा के इंतजाम करना आदि।

प्र.6. क्षेत्र पंचायत का परिचय दीजिए।
Give the introduction of Kshetra Panchayat.

उत्तर क्षेत्र पंचायत गाँव एवं जिले के मध्य सम्पर्क स्थापित करती है। यह पंचायती राज व्यवस्था का द्वितीय स्तर है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले को खण्डों में बाँटती है। खण्डों की सीमाओं का निर्धारण भी राज्य सरकार तय करती है। प्रत्येक खण्ड को विकास खण्ड कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में एक क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत का नाम विकास खण्ड के नाम पर रखा जाता है।

प्र.7. क्षेत्र पंचायत की आय के स्त्रोत लिखिए।
Write the sources of income of Kshetra Panchayat.

उत्तर क्षेत्र पंचायत की आय के स्त्रोत निम्न हैं—

1. स्थानीय कर।
2. मण्डियों से प्राप्त फीस।
3. राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं ऋण।
4. दान तथा चन्दा।
5. क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाये गये करों व शुल्कों से प्राप्त आय।

प्र.8. 11वीं पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियाँ लिखिए।
Write the achievements of 11th five year plan.

उत्तर 11वीं पंचवर्षीय योजना की निम्न उपलब्धियाँ हैं—

1. राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का विकास।
2. जीवन प्रत्याशा में वृद्धि।
3. शिक्षा प्रणाली का विकास।
4. विज्ञान व प्रौद्योगिकी का विकास।
5. अनाज व कच्चे माल में आत्मनिर्भरता के लिए कृषि का विकास।
6. सार्वजनिक क्षेत्र की मदद से पूँजीगत वस्तुओं के क्षेत्र में अच्छा औद्योगीकरण।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. सामुदायिक संगठन का अर्थ लिखिए।
Write the meaning of community organization.

उत्तर

सामुदायिक संगठन का अर्थ
(Meaning of Community Organisation)

सामुदायिक संगठन के अनेक अर्थ हैं। इसके पर्याय शब्द सामुदायिक कार्य, सामुदायिक विकास तथा सामुदायिक लामबंदी हैं। सामान्यतया सामुदायिक संगठन से तात्पर्य समुदाय की समस्याओं को हल करने में सहायता करना है। भारत में समाज कार्य-व्यवसाय के संदर्भ में, इस शब्द का प्रयोग सामुदायिक जीवन में अन्त:क्षेप के लिए समाज कार्य की विधि से है। समाज विज्ञान में, हम सीखते हैं कि समाज तथा सामाजिक संस्थाएँ व्यक्तियों के संग्रह से बढ़कर हैं। इसमें यह भी शामिल है कि ये आपस में एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। इनमें अर्थव्यवस्था, राजनीतिक संगठन, मूल्य, विचार, आस्था, प्रणालियाँ, प्रौद्योगिकी तथा प्रत्याशित आचरण (सामाजिक विचार-विमर्श) का प्रतिमान जैसी प्रणालियों का संग्रह होता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक

TOUCH 'n' PASS

सार्वजनिक स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों का समूह जरूरी नहीं कि संगठित हो। इन्हें संगठित मानने के लिए उनके बीच एक समान विचार तथा आशाएँ होनी चाहिए। इससे उन्हें सामाजिक संरचना तथा कुछ सामाजिक प्रक्रियाएँ प्राप्त होती हैं जिनसे वे (सामाजिक) कुछ संगठित होते हैं। सामूहिक संगठित होने के लिए व्यक्तियों को आगे आना होता है।

साथ ही यह ध्यान देना भी आवश्यक है कि कुछ ढाँचागत या प्रकार; जैसे–अध्यक्ष, खजांची, सचिव आदि के रूप में सामूहिक विभिन्न समूहों का निर्माण करने से ही समुदाय संगठित नहीं होता। संस्थाओं की बहुविविधताओं से नहीं उचित सामूहिक रुचि या गतिविधियों के समूह से ही समुदाय संगठित होते हैं। वास्तव में इससे अधिक द्वन्द्व पैदा होते हैं तथा सामान्य जीवन अवरुद्ध होता है। अत: सामुदायिक संगठन के महत्त्वपूर्ण निर्धारक तत्त्वों में आपसी विचार-विमर्श, एकीकरण तथा वर्तमान संस्थाओं का समन्वय, सामूहिक हित तथा गतिविधियाँ और समुदाय की बदलती परिस्थितियों तथा आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु, यदि आवश्यक हो तो नये समूहों तथा संस्थाओं का निर्माण शामिल है।

प्र.2. सामुदायिक संगठन को परिभाषित कीजिए।

Define the community organisation.

उत्तर

परिभाषा
(Definition)

सामुदायिक संगठन प्रणाली के अध्ययन तथा इसमें कार्य करने के लिए एक स्पष्ट परिभाषा का होना आवश्यक है। साहित्य में अनेक परिभाषाएँ उपलब्ध हैं जिन्हें समय-समय पर एवं विभिन्न सन्दर्भों में प्रस्तुत किया गया है। इनमें से अधिकांश का सामूहिक सार आवश्यकताओं से संसाधनों का मिलान करना है। हम यहाँ पर सामुदायिक संगठन की दो ऐसी परिभाषाएँ दे रहे हैं जो व्यापक रूप से स्वीकार्य हैं—

मूरे जी रॉस (1967) के अनुसार, "सामुदायिक संगठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समुदाय अपनी आवश्यकताओं या उद्देश्यों की पहचान करता है, इन्हें प्राथमिकता देता है। इन पर कार्य करने के लिए विश्वास एवं संकल्प विकसित करता है इनके लिए (आन्तरिक तथा बाहरी तौर पर) संसाधन जुटाता है तथा इन समस्त कार्यों को करने के लिए समुदाय में सहकारिता तथा सहकार का दृष्टिकोण एवं अभ्यास का प्रसार करता है।"

इस परिभाषा में "प्रक्रिया" से रॉस का आशय एक आन्दोलन (गतिविधि) से है जो समस्या या उद्देश्य का पता लगाने से लेकर समुदाय में समस्या के समाधान या उद्देश्य की प्राप्ति तक है। समुदाय की समस्याओं को दूर करने के लिए अन्य प्रक्रियाएँ भी हैं परन्तु यहाँ पर सामुदायिक संगठन प्रक्रिया को उसने ऐसी प्रक्रिया कहा है जिसमें ज्यों-ज्यों एक या एक से अधिक सामुदायिक समस्याओं पर कार्रवाई की जाती है त्यों-त्यों समुदाय की एकीकृत इकाई के रूप में कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है। सामुदायिक संगठन में व्यावसायिक कार्यकर्त्ता का कार्य पहल करने, विकसित करने तथा इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता करना है। उसका कार्य इस प्रक्रिया को सजग, सुविचारित तथा सुस्पष्ट समझी हुई बनाना भी है।

यहाँ पर प्रयोग किया गया "समुदाय" शब्द लोगों के दो मुख्य समूहों से सम्बन्धित है। पहला यह कि एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र जैसे एक गाँव, कस्बे, शहर, पड़ोस या शहर में एक जिले के सभी लोगों से बना होता है। इस प्रकार से यह एक प्रान्त या एक राज्य, एक राष्ट्र या विश्व के सभी लोगों से भी सम्बन्धित हो सकता है। दूसरे इसमें ऐसे लोगों के समूह शामिल हैं जिनके विचार या कार्य सामूहिक जैसे कि कल्याणकारी, कृषि, शिक्षा या धार्मिक हो सकते हैं। इस प्रकार से सामुदायिक संगठन के द्वारा लोगों में कुछ जागरूकता लाने तथा अपने समुदाय के लिए भावना जगाने और सामूहिक हित या कार्य करने के कारण पैदा हुई सामूहिक समस्या पर कार्य करने के लिए इन्हें शामिल किया जा सकता है।

प्र.3. श्रीनिकेतन प्रोजेक्ट के उद्देश्य लिखिए।

Write the objectives of Sriniketan Project.

उत्तर इसका प्रारम्भ रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा ग्रामीण विकास के लिए किया गया। श्रीनिकेतन शान्ति निकेतन से 1 मील दूर है। श्रीनिकेतन कोलकाता से पश्चिमी दिशा में 90 मील दूर "बोलपर" जिले में स्थित है। यह कार्य समाजशास्त्री एलरिट की सहायता से प्रारम्भ किया गया।

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण लोगों का सर्वांगीण विकास करना था।

उद्देश्य—1. ग्रामीण लोगों का अध्ययन करना।

2. कुटीर उद्योगों के विकास के लिए ग्रामीण लोगों की सहायता करना।

TOUCH 'n PASS

3. उनके संसाधनों का विकास करना जिससे वे कृषि की नई वैज्ञानिक विधियों से परिचित हो सकें।
4. पशुओं का विकास करना।
5. समन्वयकारी संस्थाओं को प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक कदम तथा प्रत्येक काम में प्रेरणा प्रदान करना।
6. स्वच्छता का महत्त्व समझाना।
7. बहुउद्देशीय प्राथमिक स्तरीय शिक्षा का विकास, स्वयं सहायता, समूहों को सहायता प्रदान करना तथा ग्रामीण नेतृत्व प्रदान करना।

प्र.4. इटावा पायलट प्रोजेक्ट कब प्रारम्भ हुआ तथा इसके क्या उद्देश्य थे?
When was the Etawah pilot project started and what were its objectives?

उत्तर

इटावा पायलट प्रोजेक्ट
(Etawah Pilot Project)

इसका दूसरा नाम औसत जिला प्रोजेक्ट था। इससे यह जान सकते हैं कि यह संसाधनों के आधार पर प्रतिनिधित्वकर्त्ता जिला था जिससे सफल कार्यक्रम हर क्षेत्र में आसानी से ग्रहण किये जा सकते थे। यह 1947 में बनाया गया पर सितम्बर 1948 में प्रारम्भ हुआ। यह प्रोजेक्ट लेफ्टिनेण्ट कर्नल एलवर्ट मेयर द्वारा मार्गदर्शित है जो अमेरिकी नौ सेना के साथ 1944 में भारत आये थे। उन्हें अमेरिका में इस प्रकार के कामों का अनुभव था। हैरिस होलनेस ने इस कार्यक्रम को अभ्यास में लाया। इसने अमेरिका में 4 कार्यक्रमों से सहायता ली। ये प्रोजेक्ट 64 गाँवों तक विस्तृत हुआ।

उद्देश्य—1. लोगों के मानसिक स्तर का विकास करना।
2. इस कार्यक्रम के प्रति लोगों की इच्छा उत्पन्न करना।
3. खाद्यान्नों एवं अन्य जीवनोपयोगी वस्तुओं में सुधार लाना।
4. पंचायत निर्माण को प्रोत्साहित करना।
5. लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना।
6. लोगों के सामाजिक विकास, प्रेरणा तथा आत्मविश्वास के आधार पर कृषि में हुए विकास को जानना।
7. यह निर्धारित करना कि ये कार्यक्रम दूसरे क्षेत्रों में कितना लाभप्रद होगा।
8. यह ज्ञात करना कि किस प्रकार ग्रामीणों का विकास होगा तथा आत्मविश्वास बढ़ेगा।
9. सामुदायिक जीवन यापन की भावना को प्रोत्साहित करना।
10. लोगों में अपनी सहायता स्वयं करने की प्रेरणा का विकास करना।

प्र.5. अन्त्योदय कार्यक्रम के बारे में लिखिए।
Write about the Antyodaya Programme.

उत्तर

अन्त्योदय कार्यक्रम
(Antyodaya Programme)

2 अक्टूबर, 1977 को स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण से ग्रामीणों के लाभ के लिए एक ऐसा कार्यक्रम बनाया, जिसका लाभ सबसे अधिक निर्धन परिवारों को मिल सके। इसे अन्त्योदय के नाम से जाना जाता है। राजस्थान सरकार ने इस कार्यक्रम को सबसे पहले लागू किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गाँव के निर्धन परिवारों को चुनकर उन्हें निम्न प्रकार से आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रावधान है—

1. कृषि योग्य भूमि का आवंटन।
2. स्वरुचि रोजगार आरम्भ करने की सुविधा।
3. वृद्धावस्था पेन्शन।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले कुछ परिवारों का चयन करके उन्हें कृषि हेतु भूमि आवंटित की गयी। भूमि विकास के कुल खर्च का 25% से 33.5% भाग उन्हें आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान किया गया। रोजगार प्रारम्भ करने के लिए दुधारू पशु, बैलगाड़ी, हथकरघा, सिलाई मशीन, मुर्गी के चूजे आदि दिये गये। जिन निर्धन वृद्धों के परिवार का कोई भी सदस्य जीविका उपार्जित करने योग्य नहीं था या जीविकोपार्जन की स्थिति में नहीं था उन्हें वृद्धावस्था, अयोग्यता तथा अशक्तता के आधार पर वृद्धावस्था पेन्शन दी गयी।

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड का परिचय दीजिए।
Give an introduction of Central Social Welfare Board.

उत्तर केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 12 अगस्त, 1953 में भारत सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु की थी कि समाज कल्याण के कार्यकलापों को बढ़ावा देने में सहायता मिले। इसके अन्तर्गत महिलाओं एवं बच्चों, विकलांगों (Women, Children & Handicapped) को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया। 1969 तक यह बोर्ड सरकार के एक अंग के रूप में कार्य करता रहा और इसके पश्चात् इसे कानूनी दर्जा देने के लिए एक अधिनियम बनाकर इसे धर्मार्थ कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। बोर्ड को समाज से वंचित वर्ग विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों तक कल्याण सेवाएँ पहुँचाने के लिए राष्ट्रव्यापी सेवा प्रारम्भ की गयी।

1954 में C.S.W.B. के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा कल्याण सेवाओं के विस्तार एवं विकास सम्बन्धी कार्यकलाप में C.S.W.B. की सहायता करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्यों में राज्य समाज कल्याण बोर्ड सलाहकार बोर्ड स्थापित किये गये और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. सामुदायिक संगठन के विभिन्न प्रकारों को स्पष्ट कीजिए।
Clarify the different types of community organisation.

उत्तर सामुदायिक संगठन के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकारों का प्रयोग सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों पर आधारित होता है। चूँकि समुदाय के सम्पूर्ण सदस्यों की आवश्यकताओं एवं समुदाय परिधि के अन्दर या बाहर विभिन्न साधनों के बीच सम्बन्धों के अनुसार अलग-अलग प्रकारों का प्रयोग होता है जिससे समुदाय का वास्तविक विकास किया जा सके। समुदाय के साथ कार्य करने के विभिन्न सिद्धान्तों का ज्ञान सामुदायिक संगठन के अनुभव पर आधारित है। अत: इन सिद्धान्तों के आधार पर कार्य करते हुए हम सामुदायिक संगठन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके ज्ञान के बिना अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तथा लक्ष्य पूर्ति में असफल सिद्ध होने की सम्भावना बनी रहती है।

सामुदायिक संगठन कार्य के प्रकार (Types of Community Organisation Work)

सामुदायिक संगठन के विभिन्न उद्देश्यों के आधार पर सामुदायिक संगठन के कुछ प्रकारों को निम्नलिखित रूप से व्यक्त किया जा सकता है—

1. **सूचना निर्माण का प्रकार**—सामुदायिक संगठन कार्य का प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण प्रकार समुदाय की स्थिति का अध्ययन करना है। सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को सामुदायिक सदस्यों के साथ उनके कल्याण कार्य के लिए सर्वप्रथम उनकी वर्तमान स्थितियों अर्थात् उनकी आवश्यकताओं एवं समस्याओं को जानना चाहिए। साथ ही उनकी सामाजिक स्थिति उनकी समस्याओं के विषय में चेतना और समस्याओं को दूर करने के लिए किये गये प्रयासों का अध्ययन करना चाहिए। इसके साथ-साथ समुदाय कल्याण एवं विकास कार्य में लगी हुई विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, मनोरंजन, संचार, खेती, व्यापार-व्यवसाय, उद्योग एवं समाज कल्याणकारी सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन कार्य में कार्यकर्त्ता को न केवल विभिन्न प्रकार की कल्याण कार्य कर रही सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थाओं का पता लगाना है बल्कि उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं को भी जानने का प्रयास करना है कि ये सेवाएँ किन लोगों को और किस प्रकार दी जाती हैं। इन सूचनाओं के ज्ञान से उद्देश्यों के निर्धारण तथा कार्यक्रम योजना के निर्माण में सहायता मिलती है।
2. **समस्याओं के समाधान का प्रकार**—सामुदायिक संगठन कार्य का दूसरा प्रकार है समस्याओं के समाधान के लिए सामुदायिक सदस्यों को एकत्रित कर विचार करना। फिर सदस्यों को उन साधनों के प्रति सचेत करना जो समुदाय में उपलब्ध हैं और जो समुदाय के बाहर से प्राप्त किये जा सकते हैं। इन साधनों को ध्यान में रखते हुए प्रभावपूर्ण एवं व्यावहारिक योजनाओं पर विचार करना।
3. **जनकल्याण का प्रकार**—एक समुदाय में शिक्षित, अशिक्षित एवं विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित लोग निवास करते हैं। इनमें अपनी समस्या जानने, समझने और इसके निराकरण की योग्यता होती है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्य का

TOUCH 'n PASS

तीसरा प्रकार यह होना चाहिए कि सामुदायिक सदस्य अपनी व्यक्तिगत कल्याण एवं विकास की भावनाओं को जोड़े। इससे प्रत्येक धर्म, जाति एवं वर्ग के लोग स्वेच्छा से एवं उपलब्ध सरकारी एवं गैर-सरकारी कल्याण सेवा प्रदान करने वाली संस्थाओं के सहयोग से जन-कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं।

4. **जनहित प्रोत्साहन का प्रकार**—एक समुदाय कई समूहों एवं उप-समूहों का योग होता है। इन समूहों एवं उप-समूहों का बँटवारा व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक एवं वैचारिक विविधताओं के आधार पर होता है। एक समूह के व्यक्ति विशेषकर अपने समूह या उप-समूह के सदस्यों के साथ अपना तालमेल रखना चाहते हैं, अत: सामुदायिक संगठन कार्य में सामुदायिक कार्यकर्त्ता को इन विभिन्न समूहों एवं उपसमूहों के सदस्यों के मनोबल को बढ़ाते हुए इनमें जनहित की भावना का विकास करना चाहिए। उसे ऐसी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जो सभी समूहों व उपसमूहों को लाभकर हो तभी सभी का सहयोग मिल सकता है।
5. **जन संगठन का प्रकार**—इसके लिए एक संगठन स्थापित करने की आवश्यकता होती है। यह संगठन ऐसा होना चाहिए जो विभिन्न लोगों को मान्य हो। इसकी प्रकृति प्रजातान्त्रिक होनी चाहिए। इसमें सभी वर्गों के लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसका नेतृत्व सुयोग्य पदाधिकारियों के हाथ में होना चाहिए।
6. **समाज कल्याण का प्रकार**—सामुदायिक कार्य का यह भी एक महत्त्वपूर्ण प्रकार है कि विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा संचालित समुदाय कल्याण सेवाओं के बारे में लोगों को बताया जाए। साथ ही यदि इस समुदाय को किसी विशेष सेवा की आवश्यकता है तो उसके बारे में उन संस्थाओं का ध्यान आकृष्ट किया जाए। संचालित सेवाओं की अधिक आवश्यकता होने पर स्थापित सामुदायिक संगठन द्वारा सम्बन्धित संस्था से निवेदन कर ऐसी सेवाओं को और बढ़ाया जाए जिससे सहायता प्राप्त करने वाले लोग आवश्यकतानुसार पर्याप्त सेवाओं से लाभान्वित हो सकें। साथ-साथ समुदाय के ऐसे वर्ग जिन्हें इन सेवाओं की आवश्यकता है लेकिन किसी कारण से वे इनसे लाभान्वित नहीं हो पाये हैं को भी लाभान्वित होने का अवसर प्रदान करना चाहिए।
7. **सामुदायिक संसाधनों के विकास का प्रकार**—कुछ सदस्य अपने अज्ञान, पारिवारिक, आर्थिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियों तथा विशेषज्ञों की सलाह के अभाव के कारण समुदाय के उपलब्ध साधनों को नहीं पहचान पाते हैं। इसलिए वे उन साधनों से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं अत: सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को चाहिए कि वह एक विशेषज्ञ या सलाहकार के रूप में कार्य करे जिससे समुदाय या समुदाय के आस-पास विभिन्न संस्थाओं द्वारा संचालित सेवाओं को सभी लोग जान सकें तथा समयानुसार अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उन उपलब्ध साधनों का यथासम्भव प्रयोग कर सकें। सामुदायिक कार्यकर्त्ता एवं संगठन के विभिन्न पदाधिकारियों, कर्मचारियों एवं सदस्यों को चाहिए कि वे नियमित कल्याण सेवा न प्रदान करने वाली संस्थाओं तक पहुँचकर उनकी कल्याण सेवा को नियमित बनाने में सहायता कर सकें। इससे उपलब्ध संसाधनों का पर्याप्त मात्रा एवं आवश्यक दिशा में उपयोग हो सकता है।
8. **सौहार्द विकास का प्रकार**—समुदाय में जहाँ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक स्तर के लोग होते हैं। उनके विचारों में भिन्नता होना स्वाभाविक ही है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को सभी के विचारों का ख्याल रखते हुए आपसी सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
9. **समुदाय में समन्वय स्थापना का प्रकार**—सामुदायिक संगठन कार्य न केवल व्यक्ति विशेष के लिए है, न ही व्यक्ति विशेष के प्रयास से इसके लक्ष्य की प्राप्ति सम्भव है, बल्कि समुदाय के सम्पूर्ण व्यक्तियों के साथ व्यक्तियों के द्वारा सम्भव है। इसलिए सामुदायिक कार्य की वास्तविक सफलता, पारस्परिक विकास एवं समृद्धि के लिए आवश्यक है कि समुदाय कल्याण कार्य के लिए निर्धारित कार्यक्रमों में समुदाय के विभिन्न व्यक्तियों, समूहों, उप-समूहों एवं विभिन्न जाति, धर्म एवं वर्ग के संगठनों के साथ आवश्यक समन्वय स्थापित किया जाए।
10. **समाज सुधार का प्रकार**—सामुदायिक कार्यकर्त्ता को सामुदायिक बुराइयों को दूर करने तथा समुदाय को कंटकरहित बनाने का प्रयास करना चाहिए। सामुदायिक विकास के लिए परिवर्तनशील विधियों द्वारा समुदाय में उत्पन्न होने वाली समस्याओं से लोगों को आगाह करना चाहिए। उसे समस्याओं को अच्छे ढंग से समझने, श्रेणीकरण करने और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक योग्यता का विकास करना चाहिए।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. सामुदायिक संगठन कार्य के प्रमुख सिद्धान्तों का वर्णन कीजिए।
Describe the main principles of community organisation work.

उत्तर

सामुदायिक संगठन कार्य के सिद्धान्त
(Principles f Community work organisation)

सामुदायिक संगठन कार्य के कुछ प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं—

1. **स्वीकृति का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्य का यह प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त है जिसका ज्ञान कार्यकर्त्ता के लिए अत्यन्त आवश्यक है। कार्यकर्त्ता को चाहिए कि (1) वह समुदाय को उसी रूप में स्वीकार करे जिस रूप में समुदाय दिखाई देता है। (2) अपने को समुदाय से स्वीकार कराये अर्थात् कार्यकर्त्ता को अपने कार्य के प्राथमिक चरण में सामुदायिक सदस्यों द्वारा बतायी गई समस्या को ही नहीं बल्कि समुदाय की रूढ़ियों, परम्पराओं, सभ्यता-संस्कृति एवं सामुदायिक मूल्यों को गहराई से समझना चाहिए और सराहना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक समुदाय की न केवल अपनी अलग संस्कृति होती है वरन् उस समुदाय के लोगों के लिए वह अन्य समुदाय की संस्कृति एवं सभ्यता से उत्तम होती है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को समुदाय विशेष के प्रत्येक कार्य व्यवहार को भावनात्मक धरातल पर देखना चाहिए। इसके साथ-साथ कार्यकर्त्ता को अपने विचार-व्यवहार, क्रिया-प्रतिक्रिया को समुदाय के व्यवहार से जोड़ते हुए दोनों में तालमेल स्थापित करना चाहिए और समुदाय के साथ अपने आपको इस प्रकार जोड़ना चाहिए ताकि समुदाय उसे अपना ले।
2. **मूलभूत आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के ज्ञान का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता समुदाय में सदस्यों के साथ एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसलिए समुदाय को स्वीकार करने एवं अपने को समुदाय द्वारा स्वीकृत करने के पश्चात् उसे समुदाय की उन तमाम आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए जो समुदाय के सदस्यों की नजर में महत्त्वपूर्ण हों। कार्यकर्त्ता को कभी भी अपने समुदाय की आवश्यकता या जिस समुदाय में वह कार्य कर चुका है कि आवश्यकता को प्रत्येक समुदाय की आवश्यकता नहीं माननी चाहिए। बल्कि जिस समुदाय में वह अब कार्य कर रहा है उसके द्वारा महसूस की गयी आवश्यकताओं का पता लगाना चाहिए। हो सकता है कि एक समुदाय के लिए सार्वजनिक टेलीफोन उसकी आवश्यकता हो और दूसरे के लिए उच्च शिक्षण संस्था सामाजिक कार्यकर्त्ता का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों में तालमेल स्थापित करना है। इसलिए सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को स्वयं समुदाय में एवं समुदाय के आस-पास कार्यरत सरकारी एवं गैर सरकारी, स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध विभिन्न साधनों का पता लगाना चाहिए तथा सामुदायिक कल्याण के विकास के लिए उन्हें संचालित करना चाहिए।
3. **व्यक्तिकरण का सिद्धान्त**—एक बड़े सामुदायिक भू-भाग में विभिन्न सामाजिक एवं आर्थिक स्तर के लोग निवास करते हैं। विभिन्न सामाजिक-आर्थिक विशेषताओं के कारण इनकी समस्याएँ भिन्न-भिन्न होती हैं। सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ताओं को समस्यागत विशेषताओं की भिन्नता को स्वीकार करते हुए उनमें व्याप्त विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए तथा सभी की समस्याओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को चाहिए कि वह सभी समूहों एवं उपसमूहों के सदस्यों से मिलकर उनकी समस्याओं का अध्ययन करे। विभिन्न एकत्रित समस्याओं के अध्ययनोपरान्त सामान्य एवं सार्वजनिक लाभ प्रदान करने वाली समस्याओं को प्राथमिकता दे। इसके साथ-साथ किसी वर्ग विशेष की अपनी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण अपनी समस्याएँ हो सकती हैं जो अन्य वर्गों से भिन्न हो सकती हैं। इसलिए कार्यकर्त्ता को वर्ग विशेष की विशेष समस्याओं का भी पता लगाना चाहिए।
4. **आत्म-संकल्प का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता सामुदायिक सदस्यों के साथ कार्य कर उनकी योग्यता एवं ज्ञान का विकास उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करता है। उसे सामुदायिक संगठन कार्य के प्रत्येक चरण में सदस्यों की शक्तियों एवं योग्यताओं का विकास आवश्यक दिशा में करते रहना चाहिए। उसे सदस्यों में अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं को पहचानने, उपलब्ध विभिन्न साधनों का पता लगाने तथा दोनों के बीच आवश्यक तालमेल स्थापित करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने का पूरा-पूरा खुला अवसर प्रदान करना चाहिए। कार्यकर्त्ता को आवश्यकतानुसार आवश्यक ज्ञान से उनका ज्ञानवर्द्धन तो अवश्य करना चाहिए। लेकिन उन्हें निर्णय लेने की पूर्ण स्वतन्त्रता देनी चाहिए। इससे वे अपने को जिम्मेदार महसूस करेंगे और अपने द्वारा लिए गये निर्णय के कार्यान्वयन एवं उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहेंगे।

5. **सीमाओं के बीच स्वतन्त्रता का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को समुदाय में लिए जा रहे प्रत्येक निर्णय में सदस्यों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वे ऐसे निर्णय ले सकें जिसमें समुदाय के अधिकाधिक जरूरतमन्द लोगों का कल्याण हो सके। यदि कार्यकर्त्ता को लगे कि सामुदायिक सदस्य ऐसा निर्णय लेने जा रहे हैं जिससे समुदाय के किसी विशेष पक्ष या वर्ग के लोगों को ही लाभ होगा तो उस समय कार्यकर्त्ता को सामुदायिक शक्तियों को हाथ में रखने वाले प्रमुख सदस्यों के सहयोग एवं अपने चातुर्य से इसे रोकना चाहिए। यह समझदार कार्यकर्त्ता समुदाय में लिए जा रहे निर्णयों को आवश्यक मार्गदर्शन देता है, समुदाय अधिकाधिक लोगों के लिए उसे लाभकर बनाने का प्रयत्न करता है, सदस्यों का यथासम्भव ज्ञानवर्द्धन करता है तथा समुदाय की समस्याओं एवं आवश्यकताओं के सम्बन्ध में लिए जा रहे निर्णयों में आवश्यक परिवर्तन एवं नियन्त्रण स्थापित करने का प्रयास करता है।
6. **नियन्त्रित संवेगात्मक सम्बन्ध का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को सदस्यों की समस्याओं को सूक्ष्मता से ग्रहण करना चाहिए और अपने व्यावसायिक ज्ञान के आधार पर उनका प्रत्युत्तर देना चाहिए। समुदाय की समस्याओं, परिस्थितियों की सत्यता महसूस करते हुए उसे अपने कुशल ज्ञान से प्रभावपूर्ण एवं आवश्यक निर्णय लेना चाहिए। कार्यकर्त्ता को सामुदायिक सदस्यों की समस्याओं को सुनने में अपने ध्यान, ज्ञान, विचार एवं एकाग्रता को सदस्यों के ध्यान, ज्ञान, विचार एवं एकाग्रता के साथ जोड़ना चाहिए, लेकिन चिन्तन एवं निर्णय के समय उसको अपने व्यावसायिक पक्षों को ध्यान में रखकर समस्या उन्मूलक प्रभावपूर्ण निर्णय लेना चाहिए।
7. **लचीले कार्यात्मक संगठन का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को चाहिए कि वह सभी सदस्यों को इकट्ठा कर एक ऐसे प्रभावपूर्ण संगठन का निर्माण कराये जिसमें समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों में निवास करने वाले, विभिन्न जाति, धर्म एवं सामाजिक-आर्थिक वर्ग वाले सदस्य शामिल हों। कार्यकर्त्ता को इस प्रकार के संगठन के निर्माण में इसके आकार पर भी ध्यान देना चाहिए। आकार ऐसा होना चाहिए जो न ही अधिक बड़ा हो और न ही अधिक छोटा। संगठन के नेता का चुनाव कराने में भी सदस्यों की इस प्रकार सहायता करनी चाहिए जिससे वे ऐसे नेता का चुनाव कर सकें जो संगठन की जिम्मेदारी निभाने, समुदाय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं को पहचानने तथा समुदाय की स्वीकृति हासिल करने में निपुण हो, साथ ही वह ऐसा भी हो जो विरोधी समूहों एवं उपसमूहों के तनावों को प्रभावकारी ढंग से रोक सके। हर संगठन को एक व्यवस्थित नियम में बाँधने की आवश्यकता होती है जिससे संगठन के जिम्मेदार चयनित कार्यकर्त्ता कुछ समय तक कार्य करने के पश्चात् अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो सकें। संगठन के कर्मचारियों में संगठन के कार्यों का पूरा बँटवारा होना चाहिए। कार्यों के कार्यान्वयन तथा जिम्मेदार कर्मचारियों की जिम्मेदारियों को कम करने के लिए कुछ समितियों एवं उपसमितियों का निर्माण किया जाना चाहिए।
8. **उद्देश्यपूर्ण सम्बन्ध का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता समुदाय में एक व्यावसायिक कार्यकर्त्ता के रूप में कार्य करता है। इसलिए उसे अपने व्यावसायिक उद्देश्य के विषय में सचेत रहना चाहिए। उसे सदस्यों में भी अपने उद्देश्य के विषय में पूर्ण चेतना पैदा करनी चाहिए। उद्देश्यपूर्ण सम्बन्धों की मजबूती के लिए आवश्यक है कि वह समुदाय के उन शक्तिशाली संगठनों, समूह एवं उपसमूह के सदस्यों से भी अपना प्रगाढ़ सम्बन्ध बनाये जिनसे किसी न किसी रूप से समुदाय प्रभावित हो सके।
   अपने व्यावसायिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि कार्यकर्त्ता अपने कार्य में नियमितता बरते। इस नियमितता को तब तक बनाये रखना चाहिए जब तक उसे विश्वास न हो जाए कि सामुदायिक सदस्यों में अब अपनी समस्याओं व आवश्यकताओं को पहचानने और आवश्यकताओं एवं उपलब्ध साधनों के बीच तालमेल स्थापित करने की आत्मशक्ति का विकास हो गया है।
9. **प्रगतिशील कार्यक्रम सम्बन्धी अनुभव का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता की कार्यक्रम के निर्धारण के समय उसके आधार बिन्दुओं को स्पष्ट करते हुए कार्यक्रम विकास की प्रक्रिया में सदस्यों की अभिरुचियों, आवश्यकताओं और योग्यताओं का पता लगाना चाहिए। सामुदायिक कार्यक्रम बाहरी संस्था द्वारा निश्चित नहीं होना चाहिए। कार्यकर्त्ता को उपलब्ध समुदाय कल्याण के स्तर को देखकर विभिन्न प्रकार के आवश्यक कार्यक्रमों की तरफ संकेत करना चाहिए। आरम्भ में संचालित कार्यक्रम समुदाय की योग्यता एवं क्षमता के अनुसार छोटे, आसान और अल्पकालीन होने चाहिए। इस प्रकार आसान कार्यक्रमों से आरम्भ कर जटिल एवं उपयोगी कार्यक्रमों को बनाने में सदस्यों की मदद करनी चाहिए। कार्यकर्त्ता को सदस्यों की सामूहिक योजना बनाने, कार्यक्रम तैयार करने, उनका क्रियान्वयन

करने, संचालित कार्यक्रमों के मूल्यांकन करने एवं मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रमों में सुधार करने में सदस्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

10. **जनसहभागिता का सिद्धान्त**—सामुदायिक संगठन कार्यकर्त्ता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामुदायिक संगठन कार्य सामुदायिक सदस्यों के लिए, सदस्यों के द्वारा और सदस्यों के साथ किया जाना है। किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए सदस्यों की सहभागिता अत्यन्त आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्यकर्त्ता को न केवल कार्यक्रम की योजना तैयार करने और उसके कार्यान्वयन में ही सदस्यों की सहभागिता पर बल देना चाहिए बल्कि समुदाय के अन्दर एवं आस-पास उपलब्ध साधनों को पहचानने और प्रत्येक चरण पर लिए जाने वाले निर्णयों में भी उनकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए। इसमें ऐसे सभी लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो औपचारिक रूप से समुदाय के कल्याण के लिए कार्यरत हों। सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सामुदायिक सदस्य सामुदायिक कल्याण योजनाओं एवं कार्यक्रमों को किसी बाहरी संस्था या संगठन का कार्यक्रम न समझ बैठें। यदि सामुदायिक सदस्य प्रत्येक निर्णय में सहभागी होंगे तो वे इसे अपना निर्णय एवं अपना कार्यक्रम मानकर इसे सफल बनाने में अपनी जिम्मेदारी महसूस करेंगे।
11. **साधन संचालन का सिद्धान्त**—सामुदायिक कार्यकर्त्ता की सफलता के लिए आवश्यक है कि समुदाय के अन्दर एवं आस-पास उपलब्ध विभिन्न सरकारी एवं गैर-सरकारी साधनों के अध्ययनोपरान्त इस बात का निर्णय लें कि समुदाय की आवश्यकता की प्राथमिकता के अनुसार वर्तमान परिस्थितियों में पहले किस साधन को, किसके द्वारा और किस प्रकार संचालित किया जाए। कार्यकर्त्ता के विभिन्न उपलब्ध साधनों को संचालित कराते समय, समुदाय के विभिन्न संगठनों में आवश्यक समन्वय स्थापित करते हुए साधन संचालन में उनकी शक्तियों को प्रयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने में आने वाली समस्याओं से बचने तथा कार्यक्रम को बाधाहीन बनाने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहना चाहिए।
12. **मूल्यांकन का सिद्धान्त**—कार्यक्रम आयोजन एवं संचालन के पश्चात् कार्यकर्त्ता को कार्यक्रम में रही कमियों एवं त्रुटियों का मूल्यांकन करना चाहिए। मूल्यांकन न केवल पिछले कार्यक्रमों में आयी हुई त्रुटियों को जानने के लिए उपयोगी है बल्कि नये कार्यक्रमों के आयोजन एवं कार्यान्वयन के लिए भी। मूल्यांकन से प्राप्त ज्ञान का उचित सदुपयोग नियोजित की जाने वाली कार्यक्रमों में करने से कार्यान्वयन में आने वाली बाधाओं की सम्भावनाएँ हट जाती हैं।

सारांश (Summary)

प्रस्तुत इकाई के अन्तर्गत सामुदायिक संगठन के मूलभूत प्रकारों तथा सिद्धान्तों को समझाने का प्रयास किया गया है। इसके साथ-साथ सामुदायिक संगठन के उद्देश्यों को आधार मानकर सामुदायिक संगठन के प्रकारों के अनुप्रयोग तथा विश्लेषण का भी वर्णन किया गया है। सामुदायिक संगठन के रूप में समाज कार्य की प्रणाली को स्पष्ट किया गया है जिसमें सामुदायिक संगठन के सिद्धान्तों के द्वारा चिन्तन, अनुभव, अवलोकन एवं अध्ययन से उद्देश्यों को पूर्ण स्वरूप देने हेतु स्पष्ट किया गया है।

प्र.3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठनात्मक रूप एवं कार्यों का वर्णन कीजिए।
Describe the organisational setup and working of community development programme.

उत्तर

सामुदायिक विकास कार्यक्रम : संगठनात्मक रूप एवं कार्य
(Community Development Programme : Organisational Form and Work)

सामुदायिक विकास योजना के कार्यक्रम को चलाने के लिए जनता व सरकार दोनों का सहयोग अनिवार्य है। यह कार्यक्रम लोगों की उन्नति के लिए चलाया गया है अत: प्रशासन ने जनता को भी सहभागी बनाया है। केन्द्र से लेकर पंचायत स्तर तक सरकार अथवा जनता का संयुक्त प्रशासन होता है जो एक-दूसरे के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलते हुए आपसी सहयोग के लिए अग्रसर रहते हैं। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए पाँच स्तरीय बनाया गया है या कह सकते हैं कि कार्यों का संचालन व प्रबन्धन केन्द्र, राज्य, जिला, विकास खण्ड व गाँव के स्तर पर अलग-अलग सरकारी व गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया जाता है। जिसका विवरण नीचे दर्शाया गया है—

प्रथम स्तर (1) — राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)
द्वितीयक स्तर (2) — राज्य विकास परिषद् (State Development Council)

TOUCH 'n PASS

तृतीयक स्तर (3) — जिला नियोजन समिति (District Planning Committee)
चतुर्थ स्तर (4) — खण्ड विकास समिति (Block Development Committee)
पंचम स्तर (5) — ग्राम विकास समिति (Village Development Committee)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम को इस प्रकार भी प्रबन्धन के अनुसार विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया जा सकता है—
1. केन्द्रीय स्तर, 2. राज्य स्तर, 3. जिला स्तर, 4. खण्ड स्तर, 5. ग्राम स्तर।

1. **केन्द्रीय स्तर** (Central Level)—इस स्तर पर सामुदायिक विकास कार्य को संचालित करने के लिए गैर-सरकारी संगठन के रूप में एक केन्द्रीय समिति होती है जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद् (National development Council) कहते हैं। इस परिषद् का अध्यक्ष देश का प्रधानमन्त्री होता है तथा इसके सदस्य नियोजन आयोग के सदस्य खाद्य मन्त्री, कृषि मन्त्री तथा सामुदायिक व सहकारिता मन्त्री होते हैं। इस परिषद् का मुख्य कार्य पूरे देश में आर्थिक विकास के कार्यक्रमों का नियोजन करना व चलाना होता है। परिषद् को समय-समय पर सलाह देने के लिए सलाहकार समिति का गठन होता है। इसके सदस्य मुख्यतया कृषि, वित्त, स्वास्थ्य, खाद्य, शिक्षा व वैज्ञानिक अनुसन्धान मन्त्रालयों में मन्त्री व सचिव होते हैं।

   केन्द्र स्तर पर सामुदायिक विकास के कार्यों के दिशा-निर्देश व संचालन के लिए सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास मन्त्रालय होता है। मन्त्रालय में मन्त्री, उपमन्त्री, सचिव, उपसचिव संयुक्त रूप से विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अत: सामुदायिक विकास के लिए दोनों ही संगठन संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इस स्तर पर मुख्य रूप से कार्य का नियोजन, साधनों की व्यवस्था तथा आवश्यक दिशा-निर्देश व समन्वय का कार्य ही होता है।
2. **राज्य स्तर** (State Level)—इस स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम को चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठन के रूप में राज्य विकास परिषद् होती है। इस परिषद् का अध्यक्ष मुख्यमन्त्री होता है। अन्य सदस्य कृषि, शिक्षा, वित्त, सहकारी व संचार मन्त्रालयों के मन्त्री होते हैं। विकास आयुक्त राज्य विकास परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करता है। राज्य विकास परिषद् का मुख्य कार्य पूरे राज्य में विकास के कार्यों को संचालित करना होता है।

   सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास मन्त्रालय होता है। सामुदायिक विकास मन्त्री, उपमन्त्री व विकास आयुक्त व सरकार मिलकर विकास के कार्यों की देखरेख करते हैं। विकास आयुक्त, कृषि उत्पादन आयुक्त राज्य स्तर पर विशेष रूप से समन्वयक (Co-ordinator) के रूप में कार्य करता है अथवा समय-समय पर राज्य विकास परिषद् के कार्यों के सम्बन्ध में सलाह देता है।
3. **जिला स्तर** (District Level)—जिला स्तर पर गैर-सरकारी संगठन के रूप में कार्यों को करने के लिए जिला परिषद् (District Council) होती है। इसका एक अध्यक्ष संचालक के रूप में कार्य करता है। इसको चेयरमैन भी कहते हैं। जिला परिषद् के अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस चुनाव के लिए सम्पूर्ण जिले की ग्राम सभा वोट बैंक होती हैं। पचास हजार ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या पर एक सदस्य का चुनाव होता है। इन चुने हुए सदस्यों द्वारा जिला परिषद् अध्यक्ष-चेयरमैन का चुनाव होता है। चुने हुए सदस्य व जिला परिषद् अध्यक्ष मिलकर परिषद् का गठन करते हैं। इस परिषद् का मुख्य कार्य जिले के स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन करना, ब्लॉक समितियों के कार्यों का विश्लेषण करके समय-समय पर परामर्श देना होता है। जिले का जिला अधिकारी जिला परिषद् के सचिव के रूप में कार्य करता है। जिला स्तर के सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम समन्वयक (Co-ordinator) का दायित्व भी जिला अधिकारी को ही निभाना होता है।

   सरकारी संगठन के रूप में सामुदायिक विकास के कार्यों को करने के लिए जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति (District Planning Committee) होती है। इस समिति का सचिव जिला नियोजन अधिकारी (D.P.O.) तथा जिला स्तर के अधिकारी; जैसे—जिला कृषि अधिकारी (D.A.O.), जिला सहकारी अधिकारी (D.C.O.), कुटीर उद्योग अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी (D.I.O.), पंचायत अधिकारी (D.P.O.), जिला पशु चिकित्सा अधिकारी, जिला प्लांट अधिकारी आदि विकास के कार्यों का प्रबन्धन व संचालन करते हैं। मुख्य रूप से प्रत्येक जिले के ग्रामीण विकास कार्यों का दायित्व जिलाधीश का होता है। जिलाधीश ही कार्यों के लिए हर प्रकार से सहयोग एवं सहायता देते हैं।
4. **ब्लॉक स्तर** (Block Level)—ब्लॉक स्तर पर गैर-सरकारी संगठन के रूप में ग्राम विकास के कार्यों को चलाने के लिए ब्लॉक विकास समिति (Block Development Committee) बनती है। इस समिति के अध्यक्ष को ब्लॉक

TOUCH 'n PASS

प्रमुख कहते हैं। ब्लॉक समिति का चुनाव ब्लॉक की जनता करती है। ब्लॉक की सभी सभाओं के अध्यक्ष समिति के चुनाव के लिए वोट बैंक होते हैं। प्रत्येक ग्राम की सभा की दो हजार की संख्या पर समिति के एक सदस्य का चुनाव होता है। एक ग्राम की संख्या 2000 न होने पर पास की ग्राम सभा को मिलाकर सदस्य का चुनाव किया जाता है। इस प्रकार ब्लॉक समिति के कुल सदस्यों का चुनाव हो जाने पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार चुने हुए ब्लॉक प्रमुख एवं ब्लॉक सदस्यों से ब्लॉक समिति का गठन होता है। ब्लॉक विकास अधिकारी, ब्लॉक विकास समिति के लिए सचिव व समन्वयक का कार्य करता है।

सरकारी संगठन के रूप में ग्राम विकास के कार्यों को चलाने के लिए ब्लॉक स्तर पर सामुदायिक विकास ब्लॉक अधिकारी (C.D.B.O.) होता है। सरकारी भूमिका में ब्लॉक विकास अधिकारी (B.D.O.) होता है एवं उसके सहायक विकास अधिकारी (A.D.O.) कार्यक्रम को ठीक चलाने के लिए कार्य करते हैं जो इस स्तर पर विकास के कार्य को चलाते हैं; जैसे—सहायक विकास अधिकारी कृषि, सहकारिता, पंचायत, सामाजिक कल्याण, पौध सुरक्षा, सांख्यिकी (Statistics), उद्योग (I.S.B.) पशुपालन व ऊन सहायक अधिकारी, युवा व कल्याण व इनके साथ ही J.E. व सभी एक टीम के रूप में कार्य करते हैं। इस स्तर पर कार्यक्रम को कार्यान्वित करना व समय-समय पर उसका मूल्यांकन करना सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों का मुख्य कार्य है। महिला मण्डल व बाल मण्डल के कार्यक्रम की देखभाल के लिए दो ग्राम सेविकाएँ ब्लॉक स्तर पर कार्यरत रहती हैं।

5. **ग्राम-स्तर** (Village Level)—ग्राम स्तर पर गैर-सरकारी संगठन के रूप में ग्राम पंचायतें (Gram Panchayat) ग्राम विकास के सभी कार्य करती हैं। ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। ग्राम प्रधान व ग्राम पंचायत के अन्य सदस्यों का निर्वाचन ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या जो 7 से 15 तक होती है, ग्राम सभा की संख्या पर निर्भर करती है।

ग्राम सभा (Village Assembly)—ग्राम के वे सभी व्यक्ति (स्त्री-पुरुष) जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे ऊपर है व जिन्हें मताधिकार प्राप्त है, ग्राम-सभा कहलाते हैं।

चूँकि ग्रामीण जीवन एकमात्र कृषि पर आधारित होता है इसलिए इस कृषि विकास पर पंचायत ब्लॉक स्तर के संगठनों की सहायता से विशेष ध्यान देती है। इस स्तर पर सरकारी संगठन की ओर से पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत समिति में सचिव के रूप में विकास कार्यों के संचालन की समुचित व्यवस्था करता है।

सरकारी संगठन के रूप में विकास कार्यों को चलाने के लिए ग्राम विकास अधिकारी (Village Development Officer) होता है। प्रत्येक ब्लॉक में लगभग 10 V.D.O. होते हैं। ग्राम विकास के कार्यों की सफलता पूर्ण रूप से इन्हीं के कन्धों पर होती है। ग्राम विकास अधिकारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि उन्हें हर क्षेत्र में नवीन जानकारी मिलती रहे और उसके अनुरूप ग्राम विकास के कार्यों में वह सही मार्गदर्शन करता रहे इसलिए V.D.O. को Multi Purpose Worker भी कहा जाता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. सामाजिक स्तरीकरण के दो मुख्य रूप हैं—

(क) वर्ग और सम्पदा (ख) समाज और समुदाय

(ग) जाति और वर्ग (घ) परिवार और रिश्तेदारी

उत्तर (ग) जाति और वर्ग

प्र.2. 'सोशल डायग्नोसिस' पुस्तक किसके द्वारा लिखी गयी थी?

(क) एच०एच० पर्लमैन (ख) मैरी रिचमण्ड (ग) ट्रेकर (घ) हर्बर्ट बिस्नो

उत्तर (ख) मैरी रिचमण्ड

प्र.3. स्कैटर प्लॉट के बिन्दु चतुर्भुजों के बीच बेतरतीब ढंग से वितरित प्रतीत होंगे जब चर के बीच थोड़ा ..... मौजूद होगा।

(क) फर्क (ख) सहसम्बन्ध (ग) प्रतिगमन (घ) एसोसिएशन

उत्तर (ख) सहसम्बन्ध

प्र.4. किसी विषय की वह विशिष्ट विशेषता जो एक या अधिक भिन्न-भिन्न मान ग्रहण करती है, कहलाती है—
(क) डेटा (ख) परिवर्तनीय (ग) परिकल्पना (घ) स्केल
उत्तर (ख) परिवर्तनीय

प्र.5. अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष था—
(क) 1979 (ख) 1978 (ग) 1975 (घ) 1976
उत्तर (ग) 1975

प्र.6. दैनिक माँगों के प्रति बिगड़ा अनुकूलन के साथ जन्म से मौजूद पुरानी स्थिति है—
(क) मानसिक बीमारी (ख) मानसिक मंदता
(ग) उपरोक्त दोनों (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं
उत्तर (ख) मानसिक मंदता

प्र.7. दमन के नाम से भी जाना जाता है—
(क) अतीत में घूमना (ख) अलगाव
(ग) युक्तिकरण (घ) धमकी भरे आवेग का निषेध
उत्तर (घ) धमकी भरे आवेग का निषेध

प्र.8. भारत में आयु पिरामिड का आधार व्यापक होने के कारण हैं—
(क) उच्च मृत्यु-दर (ख) उच्च रुग्णता (ग) उच्च जन्म-दर (घ) उच्च मातृ मृत्यु-दर
उत्तर (ग) उच्च जन्म-दर

प्र.9. नींद आने में कठिनाई को कहा जाता है—
(क) हाइपोसोमनिया (ख) एनोरेक्सिया नर्वोसा (ग) अनिंद्रा (घ) बुलिमिया नर्वोसा
उत्तर (ग) अनिंद्रा

प्र.10. एक अवधारणा के रूप में जनहित याचिका की उत्पत्ति ..... में हुई।
(क) यू०एस०ए० (ख) यूके (ग) ऑस्ट्रेलिया (घ) भारत
उत्तर (क) यू०एस०ए०

प्र.11. 'सोशल वर्क फिलॉसफी' पुस्तक किसके द्वारा लिखी गयी है?
(क) हर्बर्ट बिस्नो (ख) लिण्डोमेन
(ग) थॉर्नडाइक (घ) ट्रेकर
उत्तर (क) हर्बर्ट बिस्नो

प्र.12. एक प्रणाली के रूप में समूहों की हमारी समझ में निम्नलिखित में से कौन अग्रणी योगदानकर्ता है?
(क) बोगार्ड्स (ख) डेविस
(ग) टैल्कॉट पारसन्स (घ) गार्विन
उत्तर (ग) टैल्कॉट पारसन्स

प्र.13. निम्नलिखित में से कौन-सा एक सुधारात्मक कार्यक्रम/सेवा नहीं है?
(क) भिक्षावृत्ति विरोधी कार्यक्रम (ख) जेल कल्याण सेवाएँ
(ग) समुदाय आधारित युवा क्लब (घ) किशोर अपराधियों के लिए विशेष स्कूल
उत्तर (ग) समुदाय आधारित युवा क्लब

प्र.14. मनो-सामाजिक सिद्धान्त का प्रचार किया गया था—
(क) सिगमण्ड फ्रॉयड (ख) स्किनर (ग) हैमिल्टन (घ) पर्लमैन
उत्तर (ग) हैमिल्टन

TOUCH 'n' PASS

प्र.15. ..... चर और कारण अनुमानों के पुनर्वर्गीकरण में मदद करता है।

(क) अनुसन्धान डिजाइन (ख) डेटा का विश्लेषण

(ग) नमूनाकरण प्रक्रिया (घ) नमूना फ्रेम

उत्तर (ख) डेटा का विश्लेषण

प्र.16. एक चर का दूसरे पर प्रभाव का विश्लेषण इसका उपयोग करके किया जा सकता है—

(क) सहसम्बन्ध (ख) टी-टेस्ट

(ग) ची-स्क्वायर परीक्षण (घ) प्रतिगमन

उत्तर (घ) प्रतिगमन

प्र.17. निम्नलिखित में से कौन संभाव्यता प्रतिचयन के अन्तर्गत नहीं आता है?

(क) सरल यादृच्छिक नमूनाकरण (ख) स्तरीकृत नमूनाकरण

(ग) उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण (घ) क्लस्टर नमूनाकरण

उत्तर (ग) उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण

प्र.18. इनमें से कौन-सी सामाजिक वैयक्तिक कार्य की तकनीकें हैं?

(क) सार्वभौमीकरण (ख) उत्साहवर्धक

(ग) (क) और (ख) दोनों (घ) (क) और (ख) में से कोई नहीं

उत्तर (ग) (क) और (ख) दोनों

प्र.19. परिवीक्षा का अर्थ है—

(क) लाइसेन्स पर रिलीज (ख) जमानत पर रिहाई

(ग) सजा का सशर्त निलम्बन (घ) सजा का निलम्बन

उत्तर (ग) सजा का सशर्त निलम्बन

प्र.20. निम्नलिखित में से कौन-सा एक प्रभावी समूह नेता का सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य है?

(क) समूह अनुशासन लागू करें

(ख) वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह पर जोर दें

(ग) एकतरफा निर्णय लेना

(घ) एक सामाजिक समूह व्यवहार को दण्डित करें

उत्तर (ख) वांछित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए समूह पर जोर दें

TOUCH 'n PASS

UNIT-III

सामुदायिक विकास में प्रसार शिक्षा

Extension Education in Community Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by education?

उत्तर शिक्षा मनुष्य के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने की प्रक्रिया है। इसे निर्देश या अध्ययन के माध्यम से ज्ञान और आदतों को प्रदान करने या प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है।

प्र.2. शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं?
How many types of education?

उत्तर शिक्षा की प्रक्रिया को तीन प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है—औपचारिक, अनौपचारिक तथा गैर-औपचारिक।

प्र.3. औपचारिक शिक्षा को परिभाषित कीजिए।
Define formal education.

उत्तर यह संस्थागत, कालानुक्रमिक रूप से वर्गीकृत और अच्छी तरह से संरचित शिक्षा की प्रणाली है, जो स्कूली शिक्षा से शुरू होती है और उच्च शिक्षा तक जाती है। इसे स्कूलों या शिक्षा संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है, जो विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए स्थापित किये जाते हैं। इसलिए इसे स्कूली शिक्षा, ट्यूशन आदि के रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

प्र.4. अनौपचारिक शिक्षा क्या है?
What is informal education?

उत्तर यह कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें एक व्यक्ति अपने दैनिक अनुभवों और पर्यावरण के सम्पर्क के माध्यम से, घर में, काम पर, दोस्तों से, रेडियो, टेलीविजन, कागजात और किताबों आदि के द्वारा सीखता है।

प्र.5. गैर-औपचारिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by non-formal education?

उत्तर यह एक सुव्यवस्थित शैक्षणिक गतिविधि है, जो कि औपचारिक शिक्षा प्रणाली के बाहर एक प्रकार की चयनित शिक्षा है, जो चयनित व्यक्तियों के समूह को प्रदान की जाती है जिसमें वयस्क, युवा और बच्चे भी शामिल हैं; जैसे-महिलाओं के लिए गृह विज्ञान से सम्बन्धित, स्वास्थ्य, पोषण, शिशु देख-रेख, स्वच्छता, फल और सब्जी संरक्षण जैसी गतिविधियाँ तथा स्वयं सहायता समूह पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि शामिल हैं।

प्रसार शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा (एडल्ट एजुकेशन) तथा सतत शिक्षा (कंटीन्यूइंग एजुकेशन) ये तीनों ही गैर-औपचारिक शिक्षा के अलग-अलग रूप हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्रसार शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषाएँ लिखिए।
Write the meaning and definitions of extension education.

उत्तर

प्रसार शिक्षा (Extension Education)

'प्रसार' (एक्सटेंशन) शब्द का उपयोग 1866 में इंग्लैण्ड में विश्वविद्यालय प्रसार की एक प्रणाली के साथ हुआ था जिसे पहले कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों द्वारा और बाद में इंग्लैण्ड के अन्य शैक्षणिक संस्थानों और अन्य देशों द्वारा अपनाया गया।

TOUCH 'n' PASS

'प्रसार शिक्षा' (एक्सटेंशन एजुकेशन) शब्द का प्रयोग पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा 1873 में विशेष शैक्षिक नवाचार (इनोवेशन) का वर्णन करने के लिए किया गया था। विश्वविद्यालय प्रसार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों से प्राप्त होने वाले शैक्षिक लाभों को सामान्य लोगों तक पहुँचाना था। प्रसार शिक्षा न केवल कृषि पर बल्कि किसी भी तरह की विषय-वस्तु पर कार्य करता है; जैसे-विज्ञान, स्वास्थ्य इत्यादि।

अर्थ एवं परिभाषाएँ (Meaning and Definitions)

'एक्सटेंशन' शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है जिसमें 'एक्स' (ex) का मतलब 'आउट' और 'टेंसियो' (tensio) का मतलब 'स्ट्रेचिंग' (stretching) हैं। जिसका हिन्दी अर्थ खींचना या प्रसार करना होता है। अत: एक्सटेंशन शब्द का मतलब किसी चीज को खींचना या उसका विस्तार/प्रसार करना होता है।

एन्समिन्गर के अनुसार (1957), "प्रसार एक शिक्षा है और इसका उद्देश्य उन लोगों के रवैये और प्रथाओं को बदलना है जिनके साथ हम काम कर रहे हैं।"

केल्सी और हे अर्ने के अनुसार (1966), "यह शिक्षा की विद्यालयी प्रणाली के बाहर है, जिसमें प्रौढ़ और युवा लोग काम करके सीखते हैं।"

एच०डब्ल्यू० बट के अनुसार (1961), "प्रसार को हम ग्रामीण जीवन में सुधार के लिए उपयोगी ज्ञान को बढ़ाने के रूप में परिभाषित कर सकते हैं।"

ओ०पी० दहामा के अनुसार (1973), "प्रसार शिक्षा को एक शैक्षिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो ग्रामीणों को संशोधित तरीकों के बारे में विश्वासप्रद ढंग से ज्ञान प्रदान करता है और उन्हें अपनी विशिष्ट स्थानीय स्थितियों में निर्णय लेने में मदद करता है।"

प्रसार शिक्षा वह शिक्षा है जो लोगों की उन्नति और उनके व्यवहार अर्थात् उनके ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण को बदलने के लिए है। प्रसार शिक्षा ग्रामीण लोगों के बीच उपयोगी अनुसन्धान निष्कर्षों और विचारों का प्रसार करना है। ताकि जिससे लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन आये।

प्र.2. प्रसार शिक्षा की आवश्यकता बताइए।
State the need of extension education.

उत्तर

प्रसार शिक्षा की आवश्यकता
(Need of Extension Education)

आवश्यकता शब्द का तात्पर्य उस अन्तर से है जो व्यक्ति की वास्तविक स्थिति व उसके द्वारा वांछित/इच्छित स्थिति के मध्य होता है। वर्तमान समय में साधनों की सीमित उपलब्धता को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का प्रसार करके ही हम समाप्त कर सकते हैं। अत: व्यक्तियों या ग्रामीणों की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

ग्रामीणों के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीकें रोजाना प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों द्वारा विकसित की जाती है, परन्तु नई-नई जानकारी प्राप्त करने के लिए बार-बार अनुसन्धान केन्द्र जाना ग्रामीणों के लिए सम्भव नहीं हो पाता है। वैज्ञानिक केवल नई तकनीकों को विकसित करने के लिए ही प्रशिक्षित होते हैं। परन्तु लोग इन वैज्ञानिक तरीकों को कैसे अपनाये और साथ-ही-साथ क्या बाधाएँ हैं जो इन वैज्ञानिक तरीकों को वास्तविक परिस्थिति में प्रयोग में लाने में आ रही है, ये पता लगाना प्रसार कार्यकर्त्ता या प्रसार संस्था का कार्य होता है। प्रसार कार्यकर्त्ता या प्रसार संस्था न केवल लोगों के लिए शोध के निष्कर्षों की व्याख्या करते हैं बल्कि लोगों की समस्याओं को वैज्ञानिकों तक पहुँचाते भी है। अत: ऐसी स्थिति में प्रसार संस्था या प्रसार कार्यकर्त्ता लोगों और वैज्ञानिकों के मध्य पुल का कार्य करके उनके मध्य की दूरी को कम करते हैं। जिससे उनकी स्थिति और व्यवहार दोनों में ही परिवर्तन आता है।

प्र.3. प्रसार शिक्षा की व्यापकता का उल्लेख कीजिए।
Mention the scope of extension education.

उत्तर

प्रसार शिक्षा की व्यापकता
(Scope of Extension Education)

प्रसार की व्यापकता में विकास के प्रयासों की एक शृंखला शामिल है जो ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में वंचित और जरूरतमंद लोगों को विकास के उच्च मानकों के लिए सक्षम बनाता है या बेहतर जीवन स्तर और जीवन की गुणवत्ता प्राप्त करने में सक्षम बनाता

TOUCH 'n' PASS

है। प्रसार शिक्षा विभिन्न पहलुओं, कार्यक्रमों, समस्याओं और लोगों के विकास से सम्बन्धित प्रासंगिक मुद्दों सहित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से भी सम्बन्धित है। यह लोगों को सिखाता है, प्रशिक्षित करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें परामर्श देकर उनकी सहायता करता है जिसमें वे अपने द्वारा महसूस की गई जरूरतों को सन्तुष्ट या पूरा करने के तरीकों और साधनों को स्वयं ढूँढ़ सके। यह लोगों को उनके विकास समस्याओं को पहचानने में और खुद ही उन समस्याओं को हल करने में सक्षम बनाकर उनकी सहायता करता है। यह लोगों की मानसिकता और दृष्टिकोण में परिवर्तन पर जोर देता है और विकास के उच्च मानकों के लिए उनमें महत्त्वाकांक्षा पैदा करने की कोशिश करता है। यह मानकों और लक्ष्यों को हासिल करने के प्रति काम करने के लिए लोगों में आवश्यक कौशल, इच्छा और दृढ़ संकल्प उत्पन्न करता है।

प्रसार कार्य केवल तभी आगे बढ़ेगा जब इससे सम्बन्धित कारकों का विकास होगा।

ये कारक निम्नलिखित हैं—

लोगों का व्यक्तिगत विकास (Individual Development of People)

1. लोगों के कृषि उत्पादन में वृद्धि ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार लाया जा सके।
2. ग्रामीण उद्योग से सम्बन्धित ज्ञान के लिए सुविधा।
3. अग्रिम तकनीक/विधियों के लिए सुविधा।
4. पशुपालन, कुक्कुट, बकरियों, सुअर पालन और खेती आदि जैसे सह-उद्योगों का विकास।
5. कृषि और ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना।
6. ग्रामीण लोगों के लिए उचित शैक्षणिक सुविधाएँ प्रदान करना।
7. आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और ग्रामीण लोगों में काम करने की इच्छा पैदा करना।

लोगों के पर्यावरण का विकास (Development of People's Environment)

1. पारिवारिक शिक्षा की व्यवस्था।
2. प्रचलित सामाजिक बुराइयों का उन्मूलन।
3. लोकतान्त्रिक तरीकों का विकास।
4. सामुदायिक कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग।
5. ग्रामीण स्वच्छता और पर्यावरण प्रबन्धन।

बुनियादी संस्थानों का विकास (Development of Fundamental Institution)

1. इन संस्थानों के लिए आत्मविश्वास और सम्मान विकसित करना।
2. लोगों के बीच जिम्मेदारी महसूस करने के लिए।
3. अधिकतम संख्या में लोगों के सहयोग को बढ़ाने के लिए।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।
Clarify the relationship of extension education with other subjects.

उत्तर

प्रसार शिक्षा का अन्य विषयों के साथ सम्बन्ध
(Relationship of Extension Education with other Subjects)

प्रसार शिक्षा एक प्रायोगिक व्यावहारिक विज्ञान है और इसलिए इसका सम्बन्ध अन्य व्यावहारिक विज्ञान के विषयों के साथ है।

प्रसार शिक्षा और समाजशास्त्र (Extension Education and Sociology)

प्रसार शिक्षा तथा समाजशास्त्र, दोनों ही समूहों का अध्ययन करते हैं। समाजशास्त्र का तात्कालिक उद्देश्य समूहों की संरचना, कार्य प्रणाली और संगठन का अध्ययन करना है, जबकि प्रसार शिक्षा भी समूहों में मानव के व्यवहार, उनके व्यक्तिगत जीवन और कैसे मानव में वांछनीय परिवर्तन लाया जा सकता है इसका अध्ययन करता है। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रसार शिक्षा और समाजशास्त्र दोनों ही एक-दूसरे की सहायता के बिना अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

TOUCH 'n PASS

प्रसार शिक्षा और मानवशास्त्र (एंथ्रोपोलॉजी) (Extension Education and Anthropology)

इसमें कोई शंका नहीं है कि सांस्कृतिक मानवशास्त्र केवल समूहों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह सबसे ज्यादा व्यक्ति से सम्बन्धित है, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से मानवशास्त्र से सम्बन्धित अध्ययन हमारा ध्यान बहुत सी ऐसी समस्याओं की तरफ आकर्षित करते हैं जिनका सामना प्रसार शिक्षा को करना पड़ता है। नैतिक आदर्श समाज के सम्बन्ध में तैयार किये जाते हैं और कैसे ये आदर्श व्यक्तिगत व्यवहार को प्रभावित करते हैं, ये प्रसार शिक्षा की रुचि का एक क्षेत्र है।

प्रसार शिक्षा और मनोविज्ञान (Extension Education and Psychology)

मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। इसकी कई शाखाएँ हैं। सामाजिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान की ही कई शाखाओं में से एक है। सामाजिक मनोविज्ञान, मानव व्यवहार को सामाजिक परिदृश्य में समझने में योगदान करता है। प्रसार शिक्षा में साधन और तकनीकों का विकास करते समय या सामाजिक प्रणाली में नई खोजों का परिचय देते समय, सामाजिक मनोविज्ञान से प्राप्त ज्ञान बहुत मदद करता है। इसी तरह शैक्षिक मनोविज्ञान जो कि मनोविज्ञान की ही एक और शाखा है, वह भी शिक्षाविदों द्वारा वयस्कों को सीखने की प्रक्रिया को समझने में मदद करता है और इस प्रकार व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने के उपायों को विकसित करता है। प्रसार शिक्षा में मनोवैज्ञानिक शोध के साधनों और तकनीकों का व्यापक उपयोग किया जाता है।

प्रसार शिक्षा एवं अर्थशास्त्र (Extension Education and Economics)

प्रसार शिक्षा और अर्थशास्त्र, ये दो विज्ञान एक विशेष समूह में प्रचलित आर्थिक स्थितियों या व्यक्ति के सन्दर्भ में साथ मिलकर काम करते हैं। अर्थशास्त्र की बहुत सी समस्याएँ प्रसार शिक्षा की समस्याएँ भी होती हैं। अर्थशास्त्र की समझ, प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से साधनों और तकनीकों को विकसित करने में सहायता प्रदान करती है।

प्रसार शिक्षा एवं शिक्षाशास्त्र (Extension Education and Pedagogy)

प्रसार शिक्षा दोनों लिंगों के वयस्कों और युवाओं के साथ सम्बन्धित है। क्योंकि यह स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित है। इसके पास शैक्षणिक पद्धति के इस्तेमाल के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। शिक्षण विधियों, श्रव्य-दृश्य उपकरण ये सब शैक्षिक वैज्ञानिकों का योगदान है, जिनका उपयोग प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति जो लोगों में परिवर्तन लाना चाहता है, वह बिना शिक्षण विधियों तथा श्रव्य-दृश्य उपकरणों से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। इस प्रकार प्रसार शिक्षा, शिक्षाशास्त्र से जानकारियों को लेकर सार्थक तरीके से उनका उपयोग करती है।

प्रसार शिक्षा एवं गृह विज्ञान (Extension Education and Home Science)

गृह विज्ञान, घर का विज्ञान है, जिसका सम्बन्ध प्रसार शिक्षा के साथ भी है। प्रसार शिक्षा द्वारा परिवार के रहन-सहन में वांछनीय बदलाव लाया जा सकता है। प्रसार शिक्षा सभी प्रकार की संस्थाओं के साथ कार्य करती है और परिवार या घर भी एक संस्था है। गृह विज्ञान प्रसार भी प्रसार शिक्षा का ही एक क्षेत्र है जो गृह विज्ञान के अन्य विभागों द्वारा विकसित की गयी तकनीकों और शोध परिणामों को व्यावहारिक रूप में लोगों तक पहुँचाता है। साथ ही साथ, यह प्राप्त जानकारी के विषय में लोगों की प्रतिक्रियाएँ भी वैज्ञानिकों तक पहुँचाता है ताकि जरूरत के अनुसार वैज्ञानिक तकनीकों में सुधार लाया जा सके।

प्रसार शिक्षा एवं संचार विज्ञान (Extension Education and Communication Science)

संचार, प्रसार शिक्षा का एक साधन है जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न विषयों के प्रति जागरूकता और जानकारी देने में सहायता प्रदान करता है। नई-नई जानकारियों को प्रभावी तरीके से किस माध्यम के द्वारा लोगों तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है, इसकी जानकारी हमें संचार विज्ञान से ही प्राप्त होती है। प्रसार शिक्षा का मुख्य कार्य लोगों को उनकी आवश्यकता की चीजें सिखाना है जिसमें संचार की विभिन्न विधियाँ, संचार में मददगार सामग्री एवं संचार कौशल आदि बहुत ही महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

प्रसार शिक्षा एवं प्रबन्धन (Extension Education and Management)

प्रबन्धन एक ऐसा अध्ययन का विषय है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया और निष्पादन के विषय में कार्य करता है। प्रसार शिक्षा में प्रबन्धन विज्ञान एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में योजना, मार्गदर्शन, निष्पादन, नियन्त्रण, बजट आदि के लिए उपकरण और तकनीक प्रदान करता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. प्रसार कार्यकर्त्ता को परिभाषित कीजिए तथा प्रसार कार्यकर्त्ता के गुणों का वर्णन कीजिए।
Define extension worker and describe their merits.

उत्तर

प्रसार कार्यकर्त्ता
(Extension Worker)

प्रसार कार्यकर्त्ता वह व्यक्ति होता है जिस पर प्रसार प्रक्रियाओं से सम्बन्धित सभी जिम्मेदारियाँ होती हैं। प्रसार कार्यकर्त्ता एक शिक्षक, नेता, दार्शनिक तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। प्रसार कार्यकर्त्ता को "परिवर्तन एजेन्ट" भी कहा जाता है क्योंकि वह अपनी सेवाओं के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन लाता है।

प्रसार कार्यकर्त्ता के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करने व एक अच्छा प्रसार कार्यकर्त्ता बनने के लिए प्रसार कार्यकर्त्ता में कुछ गुण होने चाहिए। उनमें से कुछ गुण निम्न प्रकार हैं—

प्रसार कार्यकर्त्ता के गुण (Merits of Extension Worker)

1. **विषय का ज्ञान**—एक अच्छे प्रसार कार्यकर्त्ता को उस विषय का सम्पूर्ण सैद्धान्तिक व व्यावहारिक ज्ञान होना चाहिए जिसके बारे में वह लोगों को जानकारी देने वाला है। उसे अपने विषय से सम्बन्धित सभी नवीनतम तकनीकों/प्रौद्योगिकी की जानकारी होनी चाहिए जिससे वह लोगों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सके।
2. **सहानुभूतिक रवैया**—कोई भी प्रसार कार्यकर्त्ता समस्या का सर्वोत्तम समाधान तभी बता सकता है जब वह उस व्यक्ति की समस्या को सहानुभूतिपूर्वक तरीके से सुने और स्वयं को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर विचार करें।
3. **आकर्षक व्यक्तित्व**—एक प्रसार कार्यकर्त्ता का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जिससे लोग आसानी से उसकी तरफ आकर्षित हो जाए। प्रसार कार्यकर्त्ता का व्यवहार जीवंत, विनम्र और लोगों को प्रोत्साहित करने वाला होना चाहिए ताकि सभी वर्गों के लोग बिना किसी हिचकिचाहट के उसके सम्पर्क में आ सकें।
4. **अच्छा संगठनकर्त्ता**—एक अच्छे प्रसार कार्यकर्त्ता में ये योग्यता होनी चाहिए कि वह एक अच्छी योजना बना सके और योजना के कार्यान्वयन के लिए लोगों व संसाधनों को संगठित व व्यवस्थित कर सके। पैसे, श्रम और लोगों के अन्य संसाधनों का उचित उपयोग तभी सम्भव होता है जब ये सभी विभिन्न कारक ठीक से संगठित होते हैं।
5. **दूरदर्शिता**—प्रसार कार्य एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए प्रसार कार्यकर्त्ता को पता होना चाहिए कि किस प्रकार की जानकारियों की लोगों को भविष्य में आवश्यकता पड़ सकती है, इनका किस तरह का परिणाम होगा और लोगों पर इसका क्या असर होगा। उन्हें यह भी जानना चाहिए कि दीर्घकालिक लाभ प्राप्त करने के लिए किस काम को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
6. **एक अच्छा प्रेरक**—एक अच्छा प्रसार कार्यकर्त्ता लोगों को नयी तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। जिनसे वे अपने जीवन स्तर में कुछ परिवर्तन लाकर उसे बेहतर बनाये।
7. **उत्साह और ऊर्जा**—प्रसार कार्यकर्त्ता को उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ होना चाहिए। उत्साह व ऊर्जा के बिना एक शरीर एक शव की तरह है। जो व्यक्ति खुद उत्साहित और ऊर्जावान नहीं है, वह दूसरों को उसके मार्ग का पालन करने के लिए नहीं समझा सकता है।
8. **साहसी**—अच्छे प्रसार कार्यकर्त्ता को साहसी होना चाहिए ताकि वह कठिन परिस्थितियों का सामना कर सके।
9. **लोगों को महसूस होने वाली स्थानीय जरूरतों का ज्ञान**—एक प्रसार कार्यकर्त्ता को लोगों की स्थानीय आवश्यकताओं के विषय में जानकारी होनी चाहिए। साथ-ही-साथ उसे स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के बारे में भी पता होना चाहिए।
10. **पहल**—किसी भी प्रसार कार्यकर्त्ता को अपने आप बिना किसी देख-रेख के काम करना पड़ सकता है। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो बिना मार्गदर्शन और देख-रेख के भी कार्य कर सके।
11. **अच्छा संचार कौशल**—एक अच्छे प्रसार कार्यकर्त्ता में एक कुशल संचारक भी होना चाहिए ताकि वह लोगों के सामने अपनी बातों को ऐसे प्रस्तुत करें कि लोग प्रभावित होकर कार्यकर्त्ता द्वारा दी गयी जानकारी व ज्ञान को अपने व्यवहार में सम्मिलित कर ले।

TOUCH 'n' PASS

12. **मित्रतापूर्ण व्यवहार**—प्रसार कार्यकर्त्ता का व्यवहार सौहार्दपूर्ण होना चाहिए ताकि वह लोगों को आसानी से मित्र बना सके। लोगों के साथ मित्रता की भावना सहयोग और प्रसार कार्य को बढ़ावा देती है।
13. **सहिष्णुता**—प्रसार कार्यकर्त्ता को इस तरह से अपने व्यक्तित्व को विकसित करना चाहिए जिससे उसे विपक्ष द्वारा कही गयी बातों से आसानी से चोट नहीं पहुँचे। सहिष्णु लोगों पर क्रोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
14. **ईमानदारी**—जहाँ भी व्यवहार और नीति का सवाल हो, वहाँ लोगों को ईमानदारी और सच्चाई का अभ्यास करना चाहिए। प्रसार कार्य एक व्यावहारिक कार्य है, जिसमें निश्चित नीति को अपनाया जाता है तथा जिसके माध्यम से समुदाय में नई प्रेरणा उत्पन्न होती है।
15. **ग्रामीण सामाजिक मूल्यों का ज्ञान**—किसी व्यक्ति को मनाने के लिए, उस व्यक्ति के सामाजिक मूल्यों का सम्मान करना आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्त्ता को लोगों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिनसे लोगों के सामाजिक मूल्यों को ठेस न पहुँचे।
16. **दृढ़ निश्चय**—प्रसार कार्यकर्त्ता में दृढ़ संकल्प होना चाहिए ताकि वह अपने रास्ते में आने वाली सभी तरह की बाधाओं के बावजूद अपना काम कर सकें। यदि वह दृढ़ संकल्प नहीं होगा तो वह लोगों के बीच विश्वास पैदा करने में असमर्थ होगा।
17. **धार्मिक दृष्टिकोण**—प्रसार कार्यकर्त्ता को उदार और धार्मिक विचारधारा का होना चाहिए ताकि वह उस विशिष्ट समाज में आसानी से सम्मान प्राप्त कर सकें जिसमें उसे काम करना है। प्रसार कार्यकर्त्ता को रूढ़िवादी और कट्टरपंथी नहीं होना चाहिए।

प्रसार कार्यकर्त्ता की भूमिका (Role of Extension Worker)

ग्रामीणों के व्यक्तिगत और सामूहिक व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन लाने और उन्हें प्रेरित करने में प्रसार कार्यकर्त्ता की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके लिए, प्रसार कार्यकर्त्ता को मनोवैज्ञानिक कारकों, प्रसार से सम्बन्धित प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान के बारे में जानकारी होनी आवश्यक है। प्रसार कार्यकर्त्ता की कुछ प्रमुख भूमिकाएँ निम्न प्रकार हैं—

1. **प्रेरणा और भावना पैदा करने के लिए**—प्रसार कार्यकर्त्ता ग्रामीणों को कार्यक्रमों के विकास के लिए प्रेरित करते हैं ताकि वे स्वयं अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाये और नये कार्यक्रम बनाये और अपने उत्थान के लिए उन्हें लागू करें।
2. **स्थानीय रूप से महसूस होने वाली आवश्यकताओं का ज्ञान**—विकास कार्यक्रमों को लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली स्थानीय जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। जिसके लिए प्रसार कार्यकर्त्ता को स्थानीय लोगों द्वारा महसूस की जाने वाली आवश्यकताओं और समस्याओं के बारे में पता होना चाहिए।
3. **तत्कालीन जरूरतों को प्राथमिकता**—प्रसार कार्यकर्त्ता को कार्यक्रम तैयार करने में, उन कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो लोगों की तत्काल आवश्यकता को पूरा करती हो।
4. **ग्रामीण लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए**—ग्रामीण अभी भी विकास कार्यों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर हैं। इसलिए, उन्हें समझना या उन्हें समझाना महत्त्वपूर्ण है कि वे पारस्परिक सहयोग के माध्यम से अधिकांश काम कर सकते हैं।
5. **आत्मनिर्भरता पर जोर**—ब्रिटिश शासन से पहले लोग आत्मनिर्भर थे। भोजन, कपड़े और आवास जैसी उनकी जरूरतें गाँवों में ही पूरी हुआ करती थी, लेकिन अब उन्हें अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए गाँवों से बाहर जाना पड़ता है और फिर भी वे खुद के लिए पर्याप्त कमाई करने में असमर्थ हैं। इसलिए, इस स्थिति में बदलाव लाने और ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाना जरूरी है।
6. **अनुसन्धान केन्द्र और लोगों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित करना**—प्रसार कार्यकर्त्ता की अनुसन्धान केन्द्र और लोगों के बीच एक करीबी समन्वय विकसित करने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका है ताकि लोगों को वैज्ञानिक जानकारी दी जा सके और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिक संस्थाओं को सम्बन्धित किया जा सके।
7. **स्थानीय संसाधनों का पूर्ण उपयोग**—प्रसार कार्य और ग्रामीण उद्योगों; जैसे–कृषि और कुटीर उद्योग को बढ़ाने के लिए उपलब्ध स्थानीय संसाधनों को कुशलता से उपयोग करने में प्रसार कार्यकर्त्ता की महत्त्वपूर्ण भूमिका है ताकि लोग आत्मनिर्भर हो सकें।

TOUCH 'n' PASS

8. **बहुमुखी विकास के लिए योजना**—प्रसार कार्यकर्त्ता को समाज के बहुमुखी विकास के लिए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक विकास कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।
9. **गाँव का पुनर्निर्माण**—प्रसार कार्यकर्त्ता द्वारा गाँवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, बिजली, पानी इत्यादि के विकास के लिए कार्य किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों को गाँवों में रहने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। गाँवों में लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए।
10. **सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन**—प्रसार कार्यकर्त्ता को लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वे समाज और देश के कल्याण के लिए अपनी स्वार्थीयता का त्याग कर सकें और देश के पुनर्निर्माण में भागीदार बन सकें।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. अव्यक्त अधिगम किसका उदाहरण है—

(क) सीखने से बचना (ख) संज्ञानात्मक शिक्षा
(ग) सीखने से बचो (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ख) संज्ञानात्मक शिक्षा

प्र.2. वोल्फगैंग कोहलर की 'द मैंटेलिटी ऑफ एप्स' नामक पुस्तक किस बारे में है?

(क) अव्यक्त शिक्षा (ख) अन्तर्दृष्टि सीखना
(ग) सीखने से बचो (घ) टालना सीखना

उत्तर (ख) अन्तर्दृष्टि सीखना

प्र.3. निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जनजातीय जनसंख्या को 'डूबी हुई मानवता' के रूप में वर्णित किया है?

(क) डॉ० घुरिये (ख) ए०वी० ठक्कर
(ग) डॉ० दास और अन्य (घ) केडी गंगराडे

उत्तर (ग) डॉ० दास और अन्य

प्र.4. सहसम्बन्ध एक सांख्यिकीय उपकरण है—

(क) रिश्ते की खोज करना और मापना और इसे एक संक्षिप्त सूत्र में व्यक्त करना
(ख) फैलाव मापना
(ग) भिन्नता की गणना
(घ) उस बिन्दु का पता लगाना जिसके चारों ओर चर क्लस्टर हैं

उत्तर (क) रिश्ते की खोज करना और मापना और इसे एक संक्षिप्त सूत्र में व्यक्त करना

प्र.5. विवाह में इस प्रकार परिभाषित किया गया है—

(क) परिवार स्थापित करने के लिए एक अनुमोदित सामाजिक पैटर्न
(ख) पुरुष और महिला का सामाजिक रूप से स्वीकृत मिलन
(ग) बच्चों के उत्पादन और रखरखाव के लिए एक अनुबन्ध
(घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.6. मन का वह भाग जो वास्तविकता पर आधारित है—

(क) सहायता
(ख) अहंकार
(ग) सुपर अहंकार
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ख) अहंकार

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. निम्नलिखित में से कौन-सा मानव संसाधन नियोजन का उद्देश्य नहीं है?
(क) विभागों के लिए निश्चित कौशल सेटअप को उसी तरीके से कॉन्फिगर करना
(ख) लोगों के बाजार के माहौल का विश्लेषण करें
(ग) भविष्य की कौशल आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाना
(घ) वर्तमान में कार्यरत मानव संसाधनों का इष्टतम उपयोग
उत्तर (क) विभागों के लिए निश्चित कौशल सेटअप को उसी तरीके से कॉन्फिगर करना

प्र.8. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में कहा गया है—
(क) 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क अनिवार्य शिक्षा
(ख) शिक्षा और काम का अधिकार
(ग) विदेशों के साथ शैक्षिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध
(घ) एंग्लो-इण्डियन समुदायों के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान
उत्तर (ख) शिक्षा और काम का अधिकार

प्र.9. क्लासिकल कंडीशनिंग का प्रचार-प्रसार किसके द्वारा किया गया था?
(क) इवान पावलोव (ख) सिगमण्ड फ्रॉयड
(ग) मास्लो (घ) थॉर्नडाइक
उत्तर (क) इवान पावलोव

प्र.10. गोल्डन ट्राएंगल है—
(क) एक महाद्वीप के तीन क्षेत्रों के रूप में जाना जाता है जहाँ नशीली दवाओं की आपूर्ति आम है
(ख) हेरोइन का उत्पादन करने वाले तीन देशों के समूह के रूप में जाना जाता है
(ग) मजबूत आर्थिक स्थिति वाले तीन देशों का संयोजन
(घ) खराब आर्थिक स्थिति वाले तीन देशों का संयोजन
उत्तर (ख) हेरोइन का उत्पादन करने वाले तीन देशों के समूह के रूप में जाना जाता है

प्र.11. निम्नलिखित में से एक एकल अभिभावक परिवारों में मौजूद नहीं है—
(क) रिश्तेदारी सम्बन्ध (ख) कदम सम्बन्ध
(ग) माता-पिता का रिश्ता (घ) जैविक सम्बन्ध
उत्तर (ख) कदम सम्बन्ध

प्र.12. मानव जीवन सबसे अधिक प्रभावित होता है—
(क) दोस्त (ख) परिवार (ग) स्कूल (घ) सहकर्मी
उत्तर (ख) परिवार

प्र.13. किशोर अपराध को मुख्यतः रोका जा सकता है—
(क) अच्छा पालन-पोषण और परिवार का समर्थन
(ख) साथियों का दबाव
(ग) माता-पिता द्वारा अप्रतिबन्धित स्वतन्त्रता
(घ) परिवार द्वारा अत्यधिक भोग
उत्तर (क) अच्छा पालन-पोषण और परिवार का समर्थन

प्र.14. निम्नलिखित में से एक किशोर आवासीय संस्था में सामाजिक कार्यकर्ता का कार्य नहीं है—
(क) प्रशासन (ख) केस रिकॉर्ड बनाये रखना
(ग) अदालत में मामलों की सुनवाई (घ) शोध-पत्र प्रकाशित करना
उत्तर (घ) शोध-पत्र प्रकाशित करना

TOUCH 'n PASS

प्र.15. निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया से अलग नहीं है?

(क) उपचार (ख) मूल्यांकन
(ग) अध्ययन (घ) सामग्री विश्लेषण

उत्तर (घ) सामग्री विश्लेषण

प्र.16. जन शिक्षण संस्थान (JSS) का कार्यक्रम है—

(क) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय
(ख) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय
(ग) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय
(घ) कृषि मन्त्रालय

उत्तर (ग) मानव संसाधन विकास मन्त्रालय

प्र.17. समाज के कमजोर वर्गों के लिए प्रदान की जाने वाली सेवाएँ कहलाती हैं—

(क) सामुदायिक सेवाएँ (ख) स्वैच्छिक सेवाएँ
(ग) लोक कल्याण सेवाएँ (घ) समाज कल्याण सेवाएँ

उत्तर (घ) समाज कल्याण सेवाएँ

प्र.18. लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है?

(क) 5 जनवरी (ख) 6 जनवरी
(ग) 7 जनवरी (घ) 8 जनवरी

उत्तर (क) 5 जनवरी

प्र.19. सामाजिक नीति का संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल किससे सम्बन्धित है?

(क) पूँजीवादी राज्य (ख) साम्यवादी राज्य
(ग) अधिनायकवादी राज्य (घ) कल्याणकारी राज्य

उत्तर (घ) कल्याणकारी राज्य

प्र.20. कुल प्रजनन दर (टीएफआर) की अवधारणा का अर्थ है—

(क) एक वयस्क महिला द्वारा उसके जीवन काल के दौरान पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या
(ख) एक वयस्क पुरुष से उसके जीवन काल के दौरान पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या
(ग) एक परिवार में पैदा हुए बच्चों की औसत संख्या
(घ) जनसंख्या की औसत वृद्धि दर

उत्तर (घ) जनसंख्या की औसत वृद्धि दर

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-IV

महिलाओं और बालकों के लिए नवीन विकास कार्यक्रम

Recent Development Programme for Women and Children

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. महिलाओं के लिए सरकारी योजना कौन-कौन सी हैं?
What are the schemes of the government for women?

उत्तर महिलाओं के लिए निम्न सरकारी योजनाएँ हैं—

1. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना।
2. सुकन्या समृद्धि योजना।
3. प्रधानमन्त्री उज्ज्वला योजना।
4. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना।
5. फ्री सिलाई मशीन योजना।
6. प्रधानमन्त्री समर्थ योजना।

प्र.2. 2022 की गरीब कल्याण योजना क्या हैं?
What is the Garib Kalyan Yojana of 2022?

उत्तर सरकार ने 2022 में गरीबों को सहायता प्रदान करने और उन्हें लाभ देने के लिए गरीब कल्याण योजना चलाई है जिसके अन्तर्गत गरीबों को फ्री राशन बोनस के रूप में प्रदान किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से कोरोना काल में देश के सभी गरीब नागरिकों को राहत मिली है।

प्र.3. स्टैंड-अप इण्डिया योजना क्या है?
What is the stand-up India Scheme?

उत्तर स्टैंड-अप इण्डिया योजना महिला उद्यमियों और समाज के SC/ST वर्ग के तहत आने वाले लोगों को फण्ड मुहैया कराती है। SC/ST श्रेणी के लोगों को प्रमुखता से आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्टैंड-अप इण्डिया योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा में से कम-से-कम एक SC/ST आवेदक और एक महिला उद्यमी को अपने स्वयं के उद्यम (व्यवसाय) को स्थापित करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपये के बीच ऋण देने में मदद करना है।

प्र.4. SGSY योजना की शुरूआत कब की गई?
When was the SGSY scheme launched?

उत्तर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल, 1999 को शुरू की गई थी।

प्र.5. स्टैंड-अप इण्डिया योजना की विशेषताएँ कौन-कौन सी है?
Mention the features of Stand-up India scheme.

उत्तर स्टैंड-अप इण्डिया योजना की विशेषताएँ निम्नलिखित है—

1. लागू ब्याज दर उस श्रेणी के लिए बैंक द्वारा निर्धारित की जाती है, जो कि MCLR + 3% टेन्योर प्रीमियम से अधिक होगी।

TOUCH 'n' PASS

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों और महिला आवेदकों के लिए स्टैंड अप योजना के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु मानदण्ड 18 वर्ष है।
3. ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण देने का प्रस्ताव केवल उन उद्यमियों के लिए किये जाते हैं जो पहली बार मेन्यूफैक्चरिंग या व्यापारिक क्षेत्रों में व्यवसाय कर रहे हैं।
4. आवेदक का किसी भी बैंक या NBFC में डिफॉल्ट रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
5. कुल ऋण राशि (जिसमें टर्म लोन और वर्किंग कैपिटल शामिल हैं) ₹10 लाख रुपये ₹1 करोड़ के बीच प्रस्तावित की जाती हैं।

प्र.6. SGSY का उद्देश्य क्या है?

What is the objective of SGSY?

उत्तर SGSY का उद्देश्य प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवार को तीन साल के भीतर बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आय पैदा करने वाली सम्पत्ति प्रदान करके गरीबी रेखा से ऊपर लाना है।

प्र.7. स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण स्वरोजगार योजना क्या है?

What is Swarn Jyanti Gram Swarozgar Yojana?

उत्तर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) ग्रामीण विकास मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब परिवारों को स्वरोजगार अपनाने में सहायता करने के लिए शुरू की गई थी। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है।

प्र.8. दीनदयाल अन्त्योदय योजना (राष्ट्रीय आजीविका मिशन) को कितने भागों में बाँटा गया है?

In to how many parts is Deendayal Antyodaya Yojana (National Livelihood Mission) divided?

उत्तर दीनदयाल अन्त्योदय योजना की सुविधाओं को आसानी से लोगों तक पहुँचाने के लिए इस योजना को दो भागों में बाँटा गया है। पहला ग्रामीण भारत के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) और दूसरा शहरी भारत के लिए राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के रूप में बाँटा गया है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को समझाइए।

Explain Integrated Rural Development Programme, (IRDP).

उत्तर

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
(Integrated Rural Development Programme)

चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से निर्धन ग्रामीणों के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये गये जिनमें लघु कृषक विकास एजेन्सी (Small Farmer's Development Agency), सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Drought Prone Area Development Programme), जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (Tribal Area Development Programme), इत्यादि प्रमुख थे। इन कार्यक्रमों ने कोई सार्थक प्रभाव नहीं छोड़ा। ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक रिक्तता-सी व्याप्त हो गयी थी, जिसे भरकर ही इस दिशा में कोई सकारात्मक काम हो सकता था। अन्ततः सन् 1976 में एक ऐसे कार्यक्रम को आरम्भ किया गया जिसमें विज्ञान तथा तकनीक का सहारा लेते हुए स्थानीय स्रोतों के अधिकतम उपयोग का लक्ष्य था। इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. सीमान्त कृषकों, भूमिहीन श्रमिकों, महिलाओं तथा दस्तकारों के लिए लाभकारी रोजगार तथा बच्चों को शिक्षा प्रदान करना।
2. विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी के सहारे स्थानीय उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम उपयोग।
3. कार्यक्रम के माध्यम से लोगों में आत्मनिर्भरता लाना।

TOUCH 'n' PASS

प्र.2. समेकित बाल विकास सेवा से आप क्या समझते हैं?

What do you understand by Integrated Child Development Service or ICDS?

उत्तर समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) एक अनूठी योजना है जो भारत ने अपने बच्चों को उपहारस्वरूप दी है। यह स्कूल से पहले बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान कराने वाली योजना है। भारत सरकार ने 2 अक्टूबर, 1975 को समेकित बाल विकास सेवा की स्थापना की। इसी का संक्षिप्त नाम ICDS है।

भारत में पहले 33 परियोजनाएँ प्रायोगिक आधार पर आरम्भ की गई हैं। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। इनमें से 18 परियोजनाएँ ग्रामीण खण्डों में, 11 आदिवासी खण्डों में और 4 झुग्गी झोंपड़ियों वाले इलाकों में आरम्भ की गईं। सन् 1990 तक यह योजना 2200 से अधिक खण्डों में आरम्भ हो गई थी।

कार्यक्रम (Programmes)—समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए निम्न सेवाएँ उपलब्ध हैं—

(i) सहायक पोषाहार, (ii) पोषाहार एवं स्वास्थ्य-शिक्षा, (iii) रोग निरोधन, (iv) स्वास्थ्य परीक्षण, (v) विशेषज्ञ सुविधाएँ, (vi) शाला-पूर्व शिक्षा।

प्र.3. 'DWACRA' कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए।

Write the objectives of DWACRA.

उत्तर DWACRA के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने के साधन उपलब्ध होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है—महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषणीय स्थिति में सुधार लाना। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे ग्रामीण महिलाएँ उस क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकती हैं। इसी क्रम में विभिन्न विभागों के प्रयासों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education), प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा आदि की सुविधाएँ इन्हें उपलब्ध करायी जाती हैं। स्वच्छ पेयजल, वातावरण में सुधार हेतु शौचालय एवं रसोईघर को आदर्श, स्वास्थ्यकर बनाने के लिए धूम्ररहित चूल्हे की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महिलाओं को चुने हुए व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् इन्हें ऋण तथा अनुदान अधिक उत्पादन उन्मुख परिसम्पत्ति पर पूँजी निवेशित करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे वे प्रशिक्षण का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर अपनी जीविकोपार्जन सुचारू रूप से कर सकें।

प्र.4. CAPART के उद्देश्य लिखिए।

Write the objectives of CAPART.

उत्तर CAPART के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. गाँव की समृद्धि बढ़ाने के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक क्रिया को प्रोत्साहन करना, उनका संवर्धन करना तथा उसकी सहायता करना। इस प्रयोजन के लिए नई प्रौद्योगिकी चलाने के लिए प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देना।
2. ग्राम विकास के लिए सुसंगत प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करना।
3. विभिन्न एजेन्सियों विशेषकर स्वैच्छिक संगठनों के अनुसन्धान और विकास प्रयासों का पता लगाकर तथा उन्हें वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।
4. सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा आम जनता को उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के लिए सारिणी के रूप में कार्य करना।
5. सूचना और डाटा बैंक।
6. मशीन, टूल्स, उपकरण आदि के निर्माताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जानकारी देना ताकि इनका उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सके।

TOUCH 'n' PASS

7. ऐसी परियोजनाओं और स्कीमों को प्रोत्साहन, सहायता और उन्हें बनाये रखना तथा उनमें समन्वय रखना जिनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमुखी विकास, रोजगार के अवसर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, संगठन तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
8. प्रशिक्षार्थियों के लिए खासतौर पर स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार हो सकें।
9. ग्राम विकास व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर वही सरकारी एजेन्सी तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के बीच कार्य बढ़ाने के लिए कृषि कार्यक्रम, विचार संगोष्ठियाँ आदि प्रायोजित करना।
10. सोसाइटी के लिए पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकें तैयार करना, मुद्रित करना तथा प्रकाशित करना।

प्र.5. KVIC के कार्य लिखिए।
Write the functions of KVIC.

उत्तर KVIC के कार्य निम्नलिखित हैं—

1. सहायता व परामर्श
2. प्रशिक्षण कार्यक्रम
3. विपणन कार्यक्रम
4. अनुसन्धान
5. अन्य कार्य—
   (i) लघु उद्यमियों की समस्या का समाधान।
   (ii) खादी वस्त्र की लोकप्रियता बढ़ाने हेतु फैशन शो का आयोजन।
   (iii) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान को नई आकर्षक डिजाइनें तैयार करने का दायित्व देना।
   (iv) राज्यों के खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व अन्य संस्थाओं के द्वारा भेजी गई नवीन योजनाओं का अनुमोदन करना।
   (v) खादी ग्रामोद्योग के विकास की योजनाएँ बनाना तथा कार्यक्रम को संगठित व क्रियान्वित करना।

प्र.6. स्टेप योजना क्या है?
What is step scheme?

उत्तर स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में पदस्थ नियमित अध्यापक और सहायक अध्यापकों के लिए वन स्टेप अप योजना लागू की जा रही हैं। इस योजना के तहत गणित, विज्ञान, अंग्रेजी विषय में यूजी और पीजी की डिग्री शिक्षकों को दिलाई जाएगी। यह डिग्री लेने वाले शिक्षकों को डीईओ के माध्यम से आवेदन करना होगा।

भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्टेप योजना के अंतर्गत मेहदावल के बाबू चंद्रशेखर सह बालिका इंटर कालेज के समीप सांसद ने केंद्र की शुरूआत की। इसमें महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षित कर प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

केन्द्र का उद्घाटन करते हुए सांसद शरद त्रिपाठी ने बताया कि भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को स्वावलम्बी तथा आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा अनेक सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। जिसके अंतर्गत मेरे पहल से मेहदावल में इस केन्द्र को चलाने की अनुमति बीडी श्रमिक कल्याण समिति को मिली है। उन्होंने बताया कि इस तरह की योजना के लिए पहले चरण में ही सरकार ने 1600 करोड़ रुपये का बजट जारी किया है तथा इसको बढाने का भी लक्ष्य रखा गया है। भारत में बेरोजगार युवाओं की बढती तादात पर चिंता जताते हुए श्री त्रिपाठी ने कहा कि 65 प्रतिशत युवाओं के इस देश में महज 3 फीसदी युवा ही प्रशिक्षित है। जिसको बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पहल की है। पूरे जिले में अन्य इस तरह की योजनाओं को जाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जिससे क्षेत्र के लोगों में जागरूकता पैदा हो तथा रोजगार मिल सके। सांसद ने इस केन्द्र के अध्यक्ष विजय त्रिपाठी की मेहनत की सराहना करते हुए कहा कि, इनकी मेहनत और ईमानदारी से ही मेहदावल मे भारी संख्या में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इस दौरान मदन सह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष भूपेंद्र त्रिपाठी, दिनेश पांडेय, उर्मिला सह, बुलबुल सह, हरिद्वार पाठक, रामबहादुर सह, नन्हें लाल त्रिपाठी, अनिरुद्ध पांडेय, वेद त्रिपाठी, अवनीश त्रिपाठी, निशांत त्रिपाठी, दीपशिखा त्रिपाठी, रकी त्रिपाठी अनिल त्रिपाठी, सहित भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पर टिप्पणी कीजिए।
Write a note on SGSY.

उत्तर

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
(Swarn Jayanti Gram Swarojgar Yojana)

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) (बाहरी विंडो में खुलने वाली वेबसाइट) ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में 1 अप्रैल, 1999 को शुरू की गई। योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों की मदद करके सामाजिक एकजुटता, प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण और आमदनी देने वाली परिसंपत्तियों की व्यवस्था के जरिए उन्हें स्वयं-सहायता समूहों के रूप में संगठित करना है। यह कार्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के जरिए किया जाता है। लोगों की अभिवृत्ति और कौशल, संसाधनों की उपलब्धता और बाजार की संभाव्यता के आधार पर चुने हुए मुख्य कार्यकलापों के द्वारा कार्यकलाप समूह की स्थापना पर यह योजना ध्यान देती है। इस योजना में प्रक्रियागत दृष्टिकोण और गरीब ग्रामीणें की क्षमता निर्माण पर बल दिया जाता है। इसलिए इसमें स्वयंसेवी सहायता समूहों के विकास और पोषण, जिसमें कौशल-विकास भी शामिल है, में गैर-सरकारी संगठनों/सीबीओज/व्यक्तियों बैंकों को स्वयं सहायता संवर्द्धन संस्थान/सुविधा प्रदाता के रूप में शामिल किया जाता हैं योजना के तहत स्थानीय जरूरतों के तुताबिक सामाजिक मध्यस्थता और कौशल विकास प्रशिक्षण पर आने वाली लागत उपलब्ध कराई जाती है। समूहों के विकास की अवस्था के आधार पर प्रशिक्षण, आवर्ती कोष से आवंटन और आर्थिक कार्य-कलाप हेतु निधि के उपयोग में डी.आर.डी.ए. और राज्यों को लचीलेपन की गुंजाइश दी गई है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर आय सृजन के अवसर पैदा करने के लिए गरीब व्यक्तियों की क्षमता और हर क्षेत्र की भूमि आधारित और अन्य संभावनाओं के आधार पर बड़ी संख्या में लघु उद्यमों की स्थापना पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इसलिए इसमें विभिन्न घटकों; जैसे—गरीब व्यक्तियों में क्षमता पैदा करना, कौशल विकास प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन और ढाँचागत सहायता पर विशेष बल दिया जाता है। योजना के अंतर्गत सब्सिडी कुल परियोजना लागत के 30 प्रतिशत की दर से दी जाती है। लेकिन इसकी अधिकतम सीमा ₹ 7,500 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांगों के लिए यह सीमा 50 प्रतिशत रखी गई है जो अधिकतम ₹ 10,000 है) तय की गई है। स्वयं सहायता समूहों को परियोजना लागत का 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाती है जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख या प्रति व्यक्ति ₹ 10,000 इनमें जो भी कम हो तय की गई है। लघु सिंचाई परियोजनाओं,स्वयं सहायता समूहों और स्वरोजगारियों के लिए सब्सिडी की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है।

एसजीएसवाई में ग्रामीण गरीबों में कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। तदनुरूप स्वरोजगारियों में से कम से कम 50 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/जनजातियों, 40 प्रतिशत महिलाओं और 3 प्रतिशत विकलांगों को शामिल करना अनिवार्य बनाया गया है। योजना के तहत एक बार ऋण देने के बजाय बहु-ऋण सुविधा को तरजीह दी जाती है।

स्थानीय संसाधनों, लोगों की व्यावसायिक योग्यता और बाजार उपलब्धता के आधार पर प्रत्येक ब्लॉक में 10 मुख्य क्रियाकलापों तक का चयन किया जा सकता है ताकि स्वरोजगारी अपने पूंजी निवेश से समुचित आय प्राप्त कर सकें। योजना मे सामूहिक प्रस्तावों पर जोर दिया गया है अर्थात् ब्लॉक स्तर पर चार-पांच चुनी हुई गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए और उन गतिविधियों के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस योजना में चुनी हुई गतिविधियों पर आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और प्रत्येक स्वरोजगारी की आवश्यकताओं के अनुरूप उसके विकास पर जोर दिया जाता है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना पंचायती राज संस्थाओं बैंकों और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (बाहरी विंडो में खुलने वाली वेबसाइट) के जरिए क्रियान्वित की जा रही है। योजना पर खर्च की जाने वाली राशि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत शुरु से अब तक 22.52 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है जिनमें 66.97 लाख स्वरोजगारी शामिल हैं। इन स्वरोजगारियों में 35.54 लाख स्वयं सहायता समूह के सदस्य और 31.43 लाख व्यक्तिगत स्वरोजगार प्राप्त है। इन्हें कुल ₹ 14,403.73 करोड़ की निवेश सहायता दी गई है। सहायता प्राप्त कुल स्वरोजगार प्राप्त लोगों में से 45.54 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध हैं और 47.85 प्रतिशत महिलाएँ शामिल हैं। 2006-07 के दौरान इस योजना के लिए ₹ 1200 करोड़ की केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित के बारे में लिखिए—
Write about the following :

(i) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board)

(ii) राज्य समाज कल्याण बोर्ड (State Social Welfare Board)।

उत्तर

(i) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (Central Social Welfare Board)

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 12 अगस्त, 1953 में भारत सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु की थी कि समाज कल्याण के कार्यकलापों को बढ़ावा देने में सहायता मिले। इसके अन्तर्गत महिलाओं, बच्चों एवं विकलांगों (Women, Children and Handicapped) को मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया। 1969 तक यह बोर्ड सरकार के एक अंग के रूप में कार्य करता रहा और इसके पश्चात इसे कानूनी दर्जा देने के लिए एक अधिनियम बनाकर इसे धर्मार्थ कम्पनी के रूप में पंजीकृत किया गया। बोर्ड को समाज में वंचित वर्ग विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों तक कल्याण सेवाएँ पहुँचाने के लिए राष्ट्रव्यापी सेवा प्रारम्भ की गई।

1954 में CSWB के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने तथा कल्याण सेवाओं के विस्तार एवं विकास सम्बन्धी कार्यकलाप में CSWB की सहायता करने के लिए राज्यों एवं संघ राज्यों में राज्य समाज कल्याण बोर्ड सलाहकार बोर्ड स्थापित किये गये और विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

CSWB को एक राष्ट्रीय संगठन के रूप में महिलाओं व बच्चों के संरक्षण तथा उनकी क्षमता तथा उन्हें पूर्ण रूप से सशक्त बनाने हेतु उत्तम सेवाएँ प्रदान करने के लिए CSWB प्रयत्नशील रहता है। CSWB के द्वारा ही महिलाओं एवं बच्चों के कानूनी तथा मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा हुई है साथ-ही-साथ कई सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध भी अभियान चलाये गये हैं।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के उद्देश्य (Objectives of CSWB)—

1. स्वैच्छिक भावना को मजबूत करते हुए मानवतावादी दृष्टिकोण के साथ एक परिवर्तनकर्त्ता के रूप में कार्य करना।
2. कमजोर एवं संकट के क्षण में आयीं महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण के लिए एक प्रतिबद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता का एक नेटवर्क बनाने के लिए आगे आना।
3. उभरते हुए क्षेत्रों में महिलाओं एवं बच्चों के सम्मुख आने वाली नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नीतिगत उपायों को बनाना।
4. स्वैच्छिक संगठनों को सुदृढ़ बनाने तथा ऐसे क्षेत्रों में जहाँ अभी तक कोई कार्यक्रम योजना नहीं पहुँच पाई है उसका विस्तार/प्रसार करना।
5. बदलते समाज की चुनौतियों के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा महिलाओं व बच्चों के हितों में आने वाली कई बुराइयों का नकारात्मक प्रभाव कम करना।
6. महिलाओं एवं बच्चों को विभिन्न अधिनियम के स्रोतों के विषय में बताना।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के कार्यक्रम (Programmes of CSWB)—

1. **अल्पावास गृह**—पारिवारिक उपेक्षा तथा अचानक से बेघर हुई महिलाओं एवं बच्चों के अस्थायी आवास की योजना 1969 में अल्पावास गृह चलाई गई जिसमें 6 महीने से 3 वर्ष तक अस्थायी रूप से आश्रय प्रदान किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत भरण-पोषण, चिकित्सा, शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि की व्यवस्था होती है।
2. **परिवार परामर्श केन्द्र**—इस योजना का प्रारम्भ 1983 में किया गया। अत्याचार के शिकार बहिष्कृत बच्चे एवं महिलाओं को इस केन्द्र में परामर्श दिया जाता है। यह केन्द्र महिलाओं की स्थिति को प्रभावित करने वाले सामाजिक मुद्दों पर ही जागरूकता तथा जनमत संग्रहित करता है।
3. **राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशु गृह योजना**—शिशु गृह व उसकी देखभाल सेवाओं की जरूरत न सिर्फ कामकाजी महिलाओं को है अपितु गरीब परिवार की महिलाओं को भी है। इस योजना के उद्देश्य के अन्तर्गत 0-6 वर्ष तक के बच्चों

TOUCH 'n PASS

को सम्मिलित किया जाता है। 2007-08 में इस कार्यक्रम को प्रारम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत यह नियम बनाया गया कि उसमें 25 बच्चे से अधिक न हो और समय सीमा 9 बजे (प्रात:) से लेकर 6 बजे (सायं) तक होगा।

4. **जागरूकता विकास कार्यक्रम**—इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विशेषकर बच्चो, महिलाओं व विकलांगों को उनके अधिकार एवं समस्याओं के समाधान हेतु जागरूक करना है। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में कई शिविर के माध्यम से महिलाओं को मंच प्रदान किया गया।
5. **महिलाओं के लिए शिक्षा के संक्षिप्त पाठ्यक्रम**—CSWB ने महिलाओं एवं किशोरियों को जिनकी किसी कारणवश शिक्षा अधूरी रह गई है उसे पूरा करने के लिए कई प्रकार के व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रारम्भ किये गये ताकि वे सशक्त हो सकें।
6. **अनुभव योजना/अभिनव योजना**—ऐसा अनुभव किया गया है कि महिलाओं एवं बच्चों से सम्बन्धित अनेक समस्याएँ CSWB की परिधि से पूरी तरह बाहर हैं। अत: बोर्ड द्वारा ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये जिसमें वेश्याओं के बच्चे, कबाड़ी तथा कुष्ठ रोग से सम्बन्धित बच्चे सम्मिलित थे तथा इसके अतिरिक्त नशामुक्ति, मद्यपान, आत्महत्या तथा अवसादग्रस्त छात्राओं को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया।

(ii) राज्य समाज कल्याण बोर्ड
(State Social Welfare Board)

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना के पश्चात् यह महसूस किया जाने लगा कि क्षेत्रीय स्तर पर इसकी सहायता के लिए एक संगठनात्मक संरचना होनी चाहिए ताकि इस क्षेत्र में कार्यरत असंख्य स्वैच्छिक संगठनों के कार्य को नियन्त्रित तथा समन्वित किया जा सके। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थाओं के कार्यों का निरीक्षण करने के लिए राज्य समाज कल्याण सलाहकार परिषद स्थापित कर उन्हें केन्द्रीय समाज कल्याण परिषद से सम्बद्ध करें। इसके बाद CSWB के द्वारा दुर्गा बोर्ड देशमुख की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि राज्य सरकार से यह प्रार्थना की जाए कि वे राज्य समाज कल्याण सलाहकारी परिषद की स्थापना करें। इसके लिए राज्यों में संस्थाओं की कार्य प्रणाली का गहन अध्ययन किया गया ताकि उनकी गतिविधियों की जानकारी हो सके और उसमें आवश्यकतानुसार सुधार किया जा सके।

राज्य समाज कल्याण परिषद का चयन राज्य सरकार द्वारा केन्द्र समाज के साथ परामर्श करके किया जाता है। भारत में राज्य स्तर पर सामाजिक प्रशासन के कार्य तथा सामाजिक सेवाएँ किसी एक गठन के द्वारा संचालित नहीं की जाती हैं बल्कि ये विभिन्न संगठनों द्वारा की जाती हैं। समाज कल्याण का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है तथा दूसरे विभाग के कार्य किसी-न-किसी रूप में समाज पर अवश्य ही प्रभाव डालेंगे जिन्हें रोका नहीं जा सकता है। समाज कल्याण विभाग के अन्तर्गत कार्य करने वाले एजेन्सी निम्नलिखित हैं—

1. शिक्षा विभाग,
2. चिकित्सा विभाग
3. श्रम विभाग
4. ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
5. राजस्व विभाग।

राज्य समाज कल्याण बोर्ड के कार्य (Functions of State Social Welfare Board)—

1. पंजीकृत स्वैच्छिक संगठनों से अनुदान राशि सम्बन्धी आवेदन प्राप्त करना तथा उनकी मान्यता के निर्धारण के उपरान्त उन्हें अनुमोदित करना।
2. नये क्षेत्र व स्थान में स्वैच्छिक समाज कल्याण संगठनों के विकास को प्रोत्साहित करना।
3. स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्य का निरीक्षण करना उचित कार्यवाही को CSWB को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।
4. नये कार्यक्रम तथा कार्यों को अपनाने के लिए CSWB को सहायता तथा परामर्श देना।
5. सहायता प्राप्त स्वैच्छिक संस्था के लिए क्षेत्रीय सलाहकारी सुविधाएँ प्राप्त करना तथा CSWB की सहायता करना।
6. कार्यों की पुनरावृत्ति को समाप्त करना।
7. CSWB की धनराशि के अनुसार इनकी आज्ञा से ऐसे कार्यक्रम चलाना जो कि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सौंपे गये हों।
8. CSWB की धनराशि के अनुसार उसकी ओर से कार्यक्रम को क्रियान्वित करना।

इस प्रकार राज्य सरकार के द्वारा विकास का कार्य पूरा होता है और समाज का कल्याण होता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. निम्नलिखित को विस्तृत रूप में लिखिए—

Discuss the following in detail :

(i) गुड़गाँव प्रोजेक्ट (Gurgaon Project)

(ii) इटावा पायलट प्रोजेक्ट (Etawah Pilot Project)।

उत्तर

(i) गुड़गाँव प्रोजेक्ट
(Gurgaon Project)

श्री एफ० एल० ब्रेन (F.L. Brayne) पंजाब के गुड़गाँव जिले (वर्तमान में हरियाणा) के उपायुक्त द्वारा इस योजना को प्रारम्भ किया गया। इसके अन्तर्गत ग्राम पथ प्रदर्शक द्वारा प्रसार कार्य किया जाता था जो 3 माह तक कृषि की जानकारी कृषकों को पहुँचाता था। प्रारम्भ में यह योजना अधिक प्रभावशाली नहीं रही क्योंकि तकनीकी ज्ञान का अभाव था लेकिन 1933 में इसने आन्दोलनात्मक रूप धारण कर लिया और केन्द्रीय सरकार द्वारा ₹1 करोड़ का 1935-36 में अनुदान स्वीकृत किया गया और सहकारी विभागों के माध्यम से इस कार्य को किया जाने लगा।

उद्देश्य (Objectives)—1. ग्रामीणों को उनकी पुरानी मान्यताओं से बाहर निकालना, उन्हें सुधार करने के लिए सहमत करना तथा विभिन्न बीमारियों के जीवाणु नियन्त्रण सम्बन्धित प्रदर्शन दिखाना।

2. ग्रामीण के पूरे जीवन से सम्बन्ध बनाना।
3. एक ही समय में पूरे जिले में एक साथ काम प्रारम्भ करना।
4. विकासात्मक कार्यों को अभियान के रूप में प्रारम्भ करना।

कार्यक्षेत्र (Workspace)—1. कृषि विकास तथा खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाना।

2. स्वास्थ्य सुधार करना।
3. ग्रामीण स्वच्छता बनाना।
4. समाज सुधार करना।
5. ग्रामीण संस्थाओं में आन्दोलन करना।
6. महिला शिक्षा पर बल देना।
7. समन्वयकारी समितियों का गठन करना।
8. समन्वय एवं प्रसारण करना।

यहाँ पर गहनों एवं त्योहारों पर अधिक खर्च को रोकने के लिए प्रचार-प्रसार करने पर बल दिया जाता था।

कार्य पद्धति (Working method)—1. विभिन्न संदेशों को नाटक एवं संगीत के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना जिससे अपने संदेशों के अनुरूप लोगों को परिवर्तित किया जा सके।

2. कार्यक्रम को गाँव के स्तर पर फैलाने तथा ग्रामीणों को उससे सम्बन्धित सहायता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शकों की नियुक्ति की गई।
3. ग्रामीण विद्यालयों के शिक्षक अधिकतर ग्रामीण लोगों को इसके कार्यक्रमों की महत्ता तथा श्रम की महत्ता को समझाते थे।

(ii) इटावा पायलट प्रोजेक्ट
(Etawah Pilot Project)

इटावा (उत्तर प्रदेश) में सन् 1948 में इटावा पायलट प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् ग्रामीण विकास की दिशा में, भारत सरकार का यह पहला कदम था। कार्यक्रम को चलाने में अमेरिकी कृषि विशेषज्ञ **लेफ्टिनेन्ट कर्नल एलबर्ट मेयर** की सहायता ली गई तथा उन्हें ही इस कार्यक्रम का आयोजक भी बनाया गया। इटावा प्रोजेक्ट एक प्रयोग के रूप में चलायी गयी थी, जिसका उद्देश्य भविष्य की ग्रामीण विकास योजनाओं की सम्भावनाओं का पता करना तथा मार्गदर्शन करना था। इस प्रोजेक्ट में उन्नत पद्धति से खेती, पशुपालन, साक्षरता, जनस्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों का विकास इत्यादि पर बल दिया गया।

कार्यक्रम के लक्ष्य (Objectives of the Programme)—

1. ग्रामीण विकास की सम्भावनाओं का पता चलाना तथा अनुकूल विकास कार्यक्रम बनाना।

TOUCH 'n' PASS

2. ग्रामीणों को उनकी आवश्यकताओं के प्रति जागरूक बनाना।
3. लोगों में विकास कार्यक्रम के प्रति विश्वास जगाना तथा स्वावलम्बी बनाना।
4. कृषि का कितना विकास हुआ है तथा उत्पादकता कितनी बढ़ी है, इसका पता करना।
5. उत्पादन बढ़ाने के उपायों का पता करना।
6. सहकारिता, सामुदायिक जीवन तथा समाज सुधार के प्रति लोगों का विवेक जगाना।
7. ग्रामोत्थान के प्रति लोगों की रुचि का पता करना ताकि ग्रामोत्थान को कितने लोगों ने अपनाया है, इसकी सूचनाएँ एकत्रित की जा सके।

कार्यक्रम की गतिविधियाँ (Programme Activities)

इटावा पायलट प्रोजेक्ट के संचालन हेतु ग्राम स्तर पर श्रमिकों (Village level worker) की नियुक्ति की गयी जो गाँव में रहकर महत्त्वपूर्ण सूत्र का काम करते थे। कार्यक्रम ग्रामीणों की अनुभूत आवश्यकताओं पर आधारित था, अत: लोगों का विश्वास प्राप्त करना, उन्हें समस्याओं से भिज्ञ करना और काम करने के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाना ही कार्यक्रम का पहला बिन्दु था। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु कार्यक्रम को इस प्रकार क्रियान्वित किया गया कि लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने विकास के लिए स्वयं प्रयत्नशील बने। कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदर्शन या साक्ष्य पर बल दिया गया जिससे लोगों का विश्वास प्राप्त किया जाए। विकसित पद्धतियों एवं तकनीकों के सहारे खेती करने को जब प्रदर्शित किया जाता है और उसके परिणाम सामने आते तो ग्रामीणों को नई विधाओं को परखने और उनका मूल्यांकन करने में सुविधा होती। अधिक उपज और बेहतर फल उन्हें प्रेरित करते और वे नई पद्धतियों को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ते। इटावा पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के सहायक व्यवसायों के विकास पर भी ध्यान दिया गया जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था अधिक समर्थ हो सके। कुटीर उद्योगों के विकास सम्बन्धी योजनाएँ भी बनाई गई जिससे ग्रामीण एक ही व्यवसाय पर निर्भर न रहें। कृषि सुविधाएँ मुहैया करवाने के लिए अच्छी किस्म के बीजों, यन्त्रों, उर्वरक तथा खाद के बिक्री केन्द्र खोले गये, जिससे कृषकों को इन्हें खरीदने के लिए दूर जाना नहीं पड़े और पैसों के साथ-साथ उनके समय और शक्ति की बचत हो सके। सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओं की जानकारियाँ ग्राम स्तरीय कार्यकर्त्ताओं के माध्यम से लोगों को प्राप्त हो जाती थीं। अत: ग्रामीणों को सुविधाएँ प्राप्त करने में कोई असुविधा नहीं होती थी।

ग्राम विकास के लिए प्रसार माध्यमों का उपयोग एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया थी और इसका उपयोग इटावा पायलट प्रोजेक्ट में किया। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित कृषि जगत सम्बन्धी कार्यक्रमों को अधिक रुचिकर, मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाये गये। रेडियो कार्यक्रमों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से कृषि सम्बन्धी जानकारियों के अतिरिक्त, लोगों को अन्य उपयोगी बातों की जानकारियाँ भी प्राप्त हुईं; जैसे—पोषण, स्वास्थ्य, परिवार, कल्याण, ऋण सुविधाएँ इत्यादि। आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचारों तथा समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को देश-विदेश की खबरें मिलतीं और बाह्य जगत में उनका परिचय होता। इससे लोगों के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन में भी परिवर्तन लाने की चेष्टा की गयी। जनस्वास्थ्य, शिक्षा तथा परिवार कल्याण के क्षेत्र में भी इटावा प्रोजेक्ट में बल दिया गया। डॉक्टरी सुविधाएँ प्रदान की गयीं और औषधि वितरण केन्द्र खोले गये। बच्चों के लिए स्कूल तथा प्रौढ़ों के लिए साक्षरता केन्द्र संचालित किये गये। परिवार कल्याण को बढ़ावा देने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का मुफ्त वितरण किया गया तथा गर्भ निरोधक ऑपरेशन करवाने वालों को पुरस्कृत किया गया।

इटावा प्रोजेक्ट के सन्दर्भ में सरकार द्वारा अनेक कार्य सम्पादित किये गये जिनके माध्यम से प्रसार कार्य तथा ग्रामोत्थान को बढ़ावा मिला। इनमें से अधिकांश कृषि कार्य से सम्बन्धित थे; जैसे—जलापूर्ति हेतु नलकूपों का निर्माण, भूमि कटाव को रोकना, बंजर भूमि का सुधार, बीज-उर्वरक-खाद के लिए बिक्री केन्द्रों की व्यवस्था, भण्डारण सुविधाएँ इत्यादि। इनके अतिरिक्त विद्युतीकरण, यातायात सुविधा, प्रसार केन्द्रों की स्थापना पर भी बल दिया गया जिससे विकास कार्यक्रमों को गति मिल सके।

इटावा प्रोजेक्ट की उपलब्धियाँ (Achievements of Etawah Pilot Project)

प्रसार कार्यक्रमों में इटावा पायलट प्रोजेक्ट एक अग्रणी योजना थी। इसने लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाया तथा प्रगति के प्रति लोगों को जागरूक और आस्थावान बनाया। इससे प्रसार कार्य से जुड़े लोगों का भी उत्साह बढ़ा और वे अधिक लगन से काम करने में जुट गये। इस प्रोजेक्ट को उत्तर प्रदेश सरकार ने हर सम्भव सहायता दी। तभी तो 64 गाँवों में प्रारम्भ हुआ यह प्रोजेक्ट बाद में 97 गाँवों में भी लागू किया गया। यह अग्रवर्ती कार्यक्रम था। इसने कई नकारात्मक धारणाओं को तोड़ा और सकारात्मक स्थितियाँ पैदा

TOUCH 'n PASS

कीं। लोगों में व्याप्त धारणा कि ग्रामीण अशिक्षित हैं, रूढ़िवादी हैं, परिवर्तन और विकास में विश्वास नहीं करते-निरस्त हो गयी। जिन गाँवों में प्रोजेक्ट चलाया गया, वहाँ अच्छी फसल उपजी क्योंकि लोगों ने उन्नत पद्धतियों को अपनाया था। पशु नस्लों में तथा उनकी देखभाल में अन्तर पाया गया। ग्रामीणों के रहन-सहन में अन्तर आया। वे साफ-सुथरे ढंग से जीवनयापन करने लगें।

स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के फलस्वरूप लोगों में बीमारियों पर रोक लगी। परिवार नियोजन ने लोगों को कई रूपों में खुशहाली दी। शिक्षण अभियान के प्रसार से साक्षरता-दर में बढ़ोत्तरी हुई। कृषि यन्त्र एवं औजार गाँवों में बनने लगे तथा उनकी मरम्मत भी होने लगी। प्रसार कार्य के फलस्वरूप कुटीर उद्योगों को काफी बढ़ावा मिला। वे पुर्नस्थापित हुए और इनके द्वारा ग्रामीणों की आमदनी की नई सम्भावनाएँ जगीं, जिसने लोगों के आर्थिक स्तर को सुधारा। जिन गाँवों में इटावा पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया वहाँ प्रगति की एक लहर देखने को मिली और गाँवों का सर्वांगीण विकास हुआ। कार्यक्रम की सफलता सरकार के लिए हितकारी साबित हुई। सरकार की ओर से अन्य क्षेत्रों में भी प्रसार कार्य चलाये गये।

कार्यक्रम की सीमाएँ (Limitations of the Programme)

सभी प्रसार कार्यक्रमों की भाँति इटावा पायलट प्रोजेक्ट की भी कुछ सीमाएँ थीं, जिनके घेरे में यह कार्यक्रम बँधकर रहा। यह एक अग्रगामी (पायलट) प्रोजेक्ट था। अत: इसे सीमित रखा गया तथा इसका व्यापक प्रसार नहीं हो पाया। स्वतन्त्र भारत में शासकीय स्तर पर चलाए जाने वाला यह प्रथम प्रयास था। अत: लोग इसके प्रति अत्यधिक शंकित रहे और जिस व्यापकता से इसे ग्रहण किया जाना चाहिए था, नहीं किया गया। जिन क्षेत्रों में यह कार्यक्रम चलाया गया, वहाँ उच्च वर्गीय लोग अधिक रहते थे। अपने हाथों काम करना उन्हें अपमानजनक लगा। अत: निम्नवर्गीय लोगों में ही यह प्रोजेक्ट चल पाया। उच्च वर्ग के लोगों को यह प्रोजेक्ट भ्रामक लगा क्योंकि सरकार नयी थी और उसके पैर जम ही रहे थे। इटावा प्रोजेक्ट आरम्भ होने के समय उत्तर भारत दंगों की विभीषिका से उबर नहीं पाया था; छुटपुट घटनाएँ हो भी रही थीं, अत: स्त्रियाँ खुलकर बाहर आने में असमर्थ थीं। प्रोजेक्ट के कार्यक्रमों से वे पूरी तरह लाभान्वित नहीं हो पायीं और स्त्रियों के निमित्त चलाये जाने वाले कार्यक्रमों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा।

प्र.3. एकीकृत ग्राम विकास योजना का विस्तृत विवरण दीजिए।

Give a brief description of Integrated Rural Development Programme or IRDP.

उत्तर

एकीकृत ग्राम विकास योजना
(Integrated Rural Development Programme)

राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर, 1980 से उत्तर प्रदेश के समस्त विकास खण्डों में एकीकृत ग्राम विकास योजना लागू कर दी गई। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विकास खण्ड में प्रतिवर्ष निर्धन वर्ग के 600 लक्षित परिवारों को लाभान्वित करने का निश्चय किया गया है ताकि वे रोजगार का सुनिश्चित व स्थायी साधन प्राप्त करके गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें और अपने जीवन-स्तर में लगातार सुधार ला सकें। योजना के लिए ₹5 लाख प्रति विकास खण्ड प्रतिवर्ष की दर से परिव्यय निर्धारित किया गया जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का आधा-आधा भाग होगा। इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना काल में प्रत्येक विकास खण्ड में 3000 कमजोर वर्ग के परिवारों को सहायता प्रदान की जाएगी।

कापार्ट गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को स्वरोजगार उद्यम चलाने में सहायता करता है। सरकारी सहायता और संस्थागत ऋण मिलाकर आय पैदा करने वाली परिसम्पत्तियों की व्यवस्था की गई है। 1988-89 के द्वारा 64 परियोजनाओं को ₹92.4 लाख स्वीकृत किये गये।

कापार्ट स्वैच्छिक संगठनों से भिन्न उन संगठनों की भी सहायता करता है जो ग्रामीण प्रौद्योगिकी सम्बन्धी परियोजना आरम्भ करते हैं। यह ग्राम विकास के विभिन्न पहलुओं पर फिल्म दृश्य श्रव्य कार्यक्रमों का निर्माण और समन्वय करता है। कापार्ट ग्रामीण क्षेत्रों में जानकारी के प्रसार-प्रचार के उद्देश्यों से प्रदर्शनी और ग्राम स्तर पर मेलों का आयोजन करता है। "ग्राम श्री" नाम की प्रदर्शनी प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है और यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है।

पृष्ठभूमि (Background)—उत्तर प्रदेश में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना वर्ष 1978-79 में प्रारम्भ की गई थी। उस समय उन विकास खण्डों, जिनमें लघु सीमान्त कृषक योजना जैसे अन्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चल रहे थे, उनमें से 311 विकास खण्ड एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लिए गये थे। बाद में, उसी वर्ष, ऐसे क्षेत्रों में जहाँ कि विशेष कार्यक्रम नहीं चल रहे थे, 53 विकास खण्ड और शामिल किये गये। वर्ष 1979-80 में 92 तथा वर्ष 1980-81 में 73 और विकास खण्ड को लेकर एकीकृत ग्राम्य विकास खण्डों की संख्या 549 कर दी गयी।

प्रथम वर्ष चुने गये 331 विकास खण्डों में से 165 को सघन रोजगार विकास खण्ड (आई०इ० ब्लॉक) तथा अवशेष 165 को सघन विकास (आई०डी०) ब्लॉक कहा गया था और इनके लिए क्रमश: ₹10 लाख व ₹5 लाख प्रतिवर्ष प्रति ब्लॉक विकास खण्ड की दर से बजट का प्रावधान किया गया था। अन्य 53 विकास खण्ड एकीकृत ग्राम्य विकास के अंश के रूप में पूर्ण रोजगार योजना (एफ० ई० पी०) के लिए क्षेत्रीय नियोजन के अंतर्गत आच्छादित थे। इनमें से प्रत्येक विकास खण्ड के लिए प्रथम वर्ष में ₹2 लाख और बाद में दूसरे, तीसरे व चौथे वर्षों में क्रमश: ₹3 लाख, ₹4 लाख व ₹5 लाख की व्यवस्था निर्धारित थी। बाद में सघन रोजगार योजना तथा सघन विकास योजना के विकास खण्डों को समान मानकर ₹5 लाख प्रति वर्ष विकास खण्ड की दर से सघन आवंटित हुआ और अवशेष विकास खण्डों की स्थिति यथावत रही।

वस्तुत: उपरोक्त योजनाओं और कार्यक्रमों की उपयुक्तता विकास खण्ड स्तरीय नियोजन पर आधारित थी जिससे स्थानीय संसाधनों के भरपूर उपयोग द्वारा पूर्ण रोजगार को सृजित व सुनिश्चित किया जा सके लेकिन इस कार्य के लिए अपेक्षित दक्षता विकास खण्ड अथवा जनपद स्तर पर उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त यह भी अनुभव किया गया कि ग्रामीण नामों से पृथक्-पृथक् चलने वाली विकास योजनाओं से अनावश्यक जटिलता तथा शासकीय संसाधनों के अपव्यय की सम्भावना पैदा हो रही है। अत: शासन में निश्चय किया कि लक्षित वर्ग के लाभार्थियों हेतु विभिन्न नामों से चल रहे कार्यक्रमों; जैसे-लघु एवं सीमान्त कृषक योजना, सघन रोजगार योजना, विकास योजना आदि सभी कार्यक्रमों को सम्मिलित करते हुए एक ही योजना में इन्हें आत्मसात करते हुए एक ही नाम से चलाया जाना चाहिए। तद्नुसार वर्तमान एकीकृत ग्राम्य विकास योजना उपरोक्त अनुभव, विचार प्रक्रिया और संस्तुति का ही सुपरिणाम है। इस योजना में न केवल कृषि, पशुपालन व उद्योगों के द्वारा लक्षित वर्गों की आर्थिक उन्नति करने का प्रावधान है वरन् इन कार्यक्रमों की लाभप्रदता व आय-सृजन क्षमता का परीक्षण भी करते रहने की व्यवस्था है।

योजना के उद्देश्य
(Objectives of the Plan)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यह संकल्पना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार की सुविधाएँ सृजित की जाएँ ताकि उनके जीवन-स्तर को सघन तथा योजनाबद्ध प्रयासों द्वारा गरीबी रेखा से ऊपर लाया जा सके।

लक्षित वर्ग लाभार्थी निम्न प्रकार हैं—

1. **लघु कृषक**—जिनकी जोत सीमा 5 एकड़ या उससे कम है। यदि सीलिंग एक्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि क्लास-I सिंचित भूमि है तो जोत सीमा 2.6 एकड़ होगी।
2. **सीमान्त कृषक**—जिसके जोत सीमा 2.5 एकड़ या उससे कम है। यदि सीलिंग एक्ट के अनुसार प्रश्नगत भूमि क्लास-I सिंचित भूमि है जो जोत सीमा 1.25 एकड़ या उससे कम होगी।
3. **कृषक मजदूर**—वह व्यक्ति जिसके पास कोई भूमि नहीं है परन्तु जिसका घर है जो कृषि स्रोतों से अपनी कुल आय कम-से-कम 50% प्राप्त करता है।
4. **गैर-कृषक मजदूर**—वह व्यक्ति जिसकी मजदूरी से कुल आय ₹200 प्रति माह से अधिक न हो। इन व्यक्तियों की कुल आय का कम-से-कम 50% गैर कृषि स्रोतों से आना चाहिए। इनके पास घर होने की आवश्यकता नहीं है परन्तु यह प्रश्नगत गाँव के रहने वाले हों।

कार्यक्रम (Programmes)—इसमें निम्न कार्यक्रमों को चलाया गया—

1. कृषि यन्त्र, उर्वरक, बैल तथा बैलगाड़ी, 2. पशुपालन, 3. मत्स्य पालन, 4. कुक्कुट पालन, 5. सिंचाई यन्त्र, 6. वानिकी, 7. सामुदायिक सिंचाई योजना, 8. ग्रामीण उद्योग आदि।

अनुदान—1. अनुदान नकद रूप में न देकर वस्तु के रूप में दिया जाएगा अथवा ऋण के मामले में सम्बन्धित संस्था को देकर लाभार्थी के खाते में जमा कराया जाएगा।

2. लघु कृषकों के लिए प्रोजेक्ट के कुल खर्चे का 25% तथा सीमान्त कृषक, कृषक मजदूरों व गैर-कृषक मजदूरों के लिए $33\frac{1}{3}$% अनुदान अनुमानित है। एक लाभार्थी के लिए अनुदान की सीमा ₹ 3000 होगी। प्रोजेक्ट की लागत हेतु सहकारी व व्यावसायिक बैंकों द्वारा ऋण सुलभ होगा।

TOUCH 'n' PASS

एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम की विशेषता
(Features of Integrated Rural Development Programme)

1. लक्षित समूह में लघु व सीमान्त किसान, कृषि मजदूर व ग्रामीण कारीगर सम्मिलित हैं।
2. इस कार्यक्रम में उन ग्रामीणों को लिया जाता है कि जिनकी आय ₹4800 की वार्षिक पारिवारिक आय की सीमा से कम है।
3. चुने हुए परिवारों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं व विकलांगों का प्रतिशत 50, 40 व 3 होना आवश्यक है। इस कार्यक्रम में परिवार नियोजन के ग्रीनकार्ड धारकों को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।
4. लघु कृषकों को 25% तथा सीमान्त कृषक, कृषि मजदूर व ग्रामीण कारीगरों को $33\frac{1}{3}$% सब्सिडी देने का प्रावधान है।

   अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति एवं विकलांगों के लिए यह प्रतिशत 50 है। इनके लिए अनुदान की सीमा ₹5000 एवं अन्य श्रेणियों के लिए ₹3000 है।
5. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के सभी लाभार्थियों हेतु सामूहिक बीमा योजना सरकार ने अपने खर्चे पर लागू की है।
6. वर्ष 1992-93 से गरीबी रेखा के पूर्व के ₹6400 वार्षिक प्रति परिवार के स्थान पर ₹11,060 वर्ष 1992-93 से लागू कर दिया गया।
7. वर्ष 1991-92 में आई०आर०डी०पी० के लिए ₹481.56 करोड़ का उपयोग किया गया जो कुल आबंटन का 68.44% है।
8. वर्ष 1985-86, 86-87, 87-88, 88-89 व 89-90 में प्रति परिवार क्रमश: ₹3547, ₹4511, ₹4470, ₹5069 व ₹5506 व्यय किये गये।

प्र.4. समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम को विस्तार से समझाइए।
Briefly explain the Integrated Child Development Service Programme or ICDS.

उत्तर

समेकित बाल विकास सेवा
(Integrated Child Development Service or ICDS)

समेकित बाल विकास सेवा (ICDS) एक अनूठी योजना है जो भारत ने अपने बच्चों को उपहारस्वरूप दी है। यह स्कूल से पहले बच्चों और उनकी माताओं को जीवित रहने की दर बढ़ाने और उन्हें स्वास्थ्य, पौष्टिक भोजन तथा सीखने के अवसर प्रदान कराने वाली योजना है।

संसार के अन्य विकासशील देशों की भाँति भारत में कुपोषण की समस्या विकट है। जो मानव संसाधन हैं वे शिशुओं एवं छोटे बच्चों की मृत्यु-दर अधिक होने के कारण नष्ट होते हैं इसलिए जो सामाजिक-आर्थिक विकास योजना बनाते हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है कि पहले वे इन शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु-दर में कमी लाने के लिए कार्य करें।

अनेक अध्ययनों से पता चला है कि भारत में शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु-दर की वृद्धि का मुख्य कारण कुपोषण है। देश की 40.6% जनता गरीब है। भोजन पर 80% राशि व्यय करके भी वे सन्तुलित भोजन प्राप्त नहीं कर सकते।

इसलिए बच्चों के भविष्य के विकास के लिए यह आवश्यक समझा गया है कि पहले आवश्यक सेवाओं के संगठन के महत्त्व को समझा जाए। इसका कारण है कि बचपन में ही बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखी जाती है।

समेकित बाल विकास सेवा से लाभ उठाने वाले

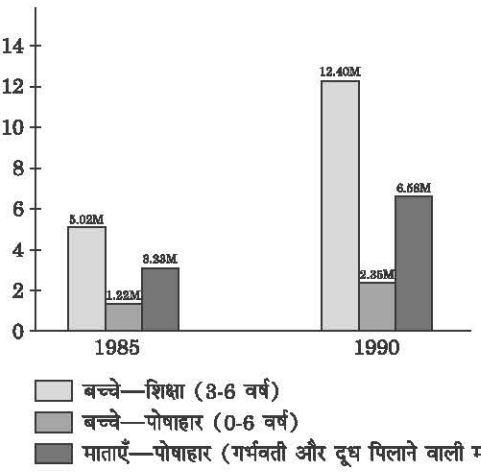

इसके लिए यह जरूरी समझा गया कि बच्चों को सभी सुविधाएँ एक साथ उपलब्ध कराई जाएँ तो उसका असर अलग-अलग सेवाएँ प्राप्त करने की अपेक्षा अच्छा होगा। इसका मुख्य कारण है कि एक सेवा की क्षमता इस बात पर निर्भर करती है कि दूसरी

TOUCH 'n' PASS

सम्बन्धित सेवाओं से कितना सहारा मिलता है। भारत सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए 2 अक्टूबर, 1975 को समेकित बाल-विकास सेवा की स्थापना की। इसी का संक्षिप्त नाम ICDS है।

भारत में पहले 33 परियोजनायें प्रायोगिक आधार पर आरम्भ की गई हैं। यह भारत सरकार द्वारा बनाई गई राष्ट्रीय बाल नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण योगदान है। इनमें से 18 परियोजनायें ग्रामीण खण्डों में 11 आदिवासी खण्डों में और 4 झुग्गी झोंपड़ियों वाले इलाके में आरम्भ की गईं। वर्ष 1990 तक यह योजना 2200 से अधिक खण्डों में आरम्भ हो गई थी।

उद्देश्य (Objectives)—समेकित बाल-विकास सेवा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं—

1. 1-6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती स्त्रियों के आहार एवं स्वास्थ्य में सुधार लाना।
2. बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना।
3. मृत्यु, रोग, कुपोषण और स्कूल छोड़ देने की प्रवृत्ति को कम करना।
4. बाल-विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों की नीति और कार्यों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करना।
5. पोषण एवं स्वास्थ्य-शिक्षा द्वारा माताओं और बच्चों की स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता में वृद्धि करना।

कार्यक्रम (Programmes)—समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत 6 वर्ष तक के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं के लिए निम्न सेवाएँ उपलब्ध हैं—

1. **सहायक पोषाहार**—उन बच्चों को जिनकी आयु कम है, गर्भवती महिलाओं को तथा दूध पिलाने वाली माताओं को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाता है। खाने की वस्तुएँ क्या होनी चाहिए वे अनेक बातों पर निर्भर करती हैं; जैसे—स्थानीय उपलब्धता, लाभ पाने वाले लोग, परियोजना के स्थान प्रशासनिक सम्भावना आदि और साथ-साथ यह भी कोशिश की जाती है कि स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही प्रयोग किया जाए। इसका मुख्य कारण यह है कि एक वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को लगभग 300 कैलोरी, 10-12 ग्राम प्रोटीन और गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को 500 कैलोरी तथा 25 ग्राम प्रोटीन वाला अतिरिक्त आहार दिया जाना चाहिए।

   यह आहार वर्ष में 300 दिन दिया जाता है। जो बच्चे गम्भीर रूप से कुपोषित होते हैं उन्हें विशेष आहार दिया जाता है। प्रत्येक राज्य में भोजन का प्रकार भिन्न होता है। केन्द्र में ही गर्म करके भोजन दिया जाता है। इस भोजन में विभिन्न प्रकार के अनाजों का मिश्रण, दालें, सब्जियाँ, तेल और चीनी रहते हैं। कुछ केन्द्रों में तुरन्त खाने के लिए तैयार भोजन दिया जाता है। जो बच्चे घोर कुपोषण का शिकार होते हैं उन्हें अन्य बच्चों की अपेक्षा दुगुना भोजन देना चाहिए।

   छोटी आयु के बच्चों में विटामिन A की कमी से अन्धापन आ सकता है। इसे रोकने के लिए हर छठे माह विटामिन A की बड़ी खुराक या मेगा डोज दी जाती है।

   रक्तहीनता नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत खून की कमी से बचने के लिए बच्चों को वर्ष में एक बार सौ दिनों तक लगातार लौह गोलियाँ दी जाती हैं।

2. **पोषाहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा**—सभी महिलाओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा दी जाती है। शिक्षा देते समय गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को प्राथमिकता दी जाती है। जिनके बच्चे कुपोषण या अन्य रोगों से पीड़ित होते हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा देने के लिए गाँवों में विभिन्न पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

   आँगनबाड़ी—समेकित बाल विकास योजना की समस्त सेवाएँ एक ही केन्द्र में उपलब्ध करायी जाती हैं जिसे 'आँगनबाड़ी' कहते हैं। ये केन्द्र बच्चों की देखभाल के लिए गन्दी बस्तियों में ही स्थापित किये जाते हैं। इन केन्द्रों को चलाने वाली स्त्री को आँगनबाड़ी कार्यकत्री कहते हैं। आँगनबाड़ी कार्यकत्री परिवर्तन लाने वाली एक बहु-उद्देश्य कार्यकत्री होती है जो उसी समुदाय में से ली जाती है और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों और माताओं से सीधा सम्पर्क रखने की कड़ी है।

   आँगनबाड़ी कार्यकत्री दिन के समय में गाँवों में अलग-अलग घरों में जाकर वहाँ विशेष रूप से माताओं को पोषाहार एवं स्वास्थ्य के सम्बन्ध में बताती हैं और उन्हें केन्द्र में मिलने वाली सेवाओं से लाभ उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसके अलावा आँगनबाड़ी कार्यकत्री नियमित रूप से माताओं की बैठकें बुलाती हैं जिनमें 15 से 45 वर्ष की स्त्रियाँ भाग लेती हैं। इनमें बच्चे व माता की देखभाल के विभिन्न विषयों पर चर्चा की जाती है और सिखाया जाता है।

TOUCH 'n PASS

गाँव या शहर में 1000 की जनसंख्या पर तथा आदिवासी क्षेत्र में प्रति 700 की जनसंख्या पर एक आँगनबाड़ी खोली जाती है। आँगनबाड़ी बाल-कल्याण केन्द्र होता है।

30 जून, 1990 तक दो लाख से भी अधिक 'आँगनबाड़ी' कार्यकत्रियाँ और उनकी उतनी ही सहायिकायें देशभर में स्कूल पूर्व बच्चों और माताओं को स्वास्थ्य, पौष्टिक आहार और शिक्षा के बारे में सेवाएँ प्रदान कर रही थीं। इस प्रणाली के अन्तर्गत छ: वर्ष से कम आयु के 1 करोड़ 24 लाख बच्चों और 23.5 लाख गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को पूरक पौष्टिक आहार दिया जा रहा था। आँगनबाड़ी केन्द्रों में 65.5 लाख बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा दी जा रही थी।

अपने सभी प्रयासों में आँगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं की परियोजना स्तर पर कार्यकर्त्ताओं की टोली का सहयोग मिलता है—इसके अन्तर्गत पर्यवेक्षक और बाल-विकास परियोजनाधिकारी होते हैं। कुछ बड़ी परियोजनाओं में बाल-विकास परियोजना अधिकारियों की सहायता के लिए सहायक बाल-विकास परियोजनाधिकारी भी रहती हैं।

स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों के डॉक्टरों, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और सुपरवाइजरों की टोली इन परियोजना क्षेत्रों की समेकित बाल विकास सेवा की टोली को अपना सहयोग व समर्थन देती है।

आँगनबाड़ी कार्यकत्री उसी गाँव में रहती है जो उसका कार्यक्षेत्र है। ये सामान्य पढ़ी-लिखी होती हैं और विशेष प्रशिक्षण संस्थाओं में उसे गाँव में माँ और बच्चे की देखभाल करने की विशेष शिक्षा दी जाती है।

सुपरवाइजर पर 17 से 25 आँगनबाड़ी केन्द्रों की जिम्मेदारी होती है। वह उनके काम-काज की देखभाल करती है और उनकी मित्र विचारक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है और रिकार्ड रखने, सभी घरों में जाने तथा स्त्रियों को बैठकें आदि बुलाने में उन्हें सहायता देती है। वह उनके काम का दिशा-निर्देश भी करती है।

बाल-विकास परियोजनाधिकारी समेकित बाल विकास सेवा की कार्यकत्रियों और सरकारी प्रशासन के बीच कड़ी का कार्य करती है।

3. **रोग निरोधन**—एक आँगनबाड़ी केन्द्र के अन्तर्गत आने वाले सारे क्षेत्र में सभी बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कराया जाता है। ये बीमारियाँ हैं—गलघोंटू या डिप्थीरिया, काली खाँसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक (क्षय)। क्षेत्र में रहने वाली गर्भवती स्त्रियों को टिटनेस टॉक्साइड के दो इन्जेक्शन लगाये जाते हैं जिससे माँ और बच्चे दोनों की रक्षा हो सके।

   महिलाओं को प्रसव पूर्व एवं प्रसवोपरान्त देखभाल की शिक्षा दी जाती है। गर्भवती महिलाओं को प्रोटीन बहुल आहार, लौह लवण और फॉलिक एसिड की गोलियाँ भी दी जाती हैं। चार बार इस अवधि में उनकी स्वास्थ्य जाँच की जाती है तथा जिन स्त्रियों में खतरे की सम्भावना दिखाई देती है उन्हें उपयुक्त संस्थानों में भेजा जाता है।

   यह देखा गया है कि ग्रामों में शिक्षा की कमी के कारण अधिकतर बच्चे घर पर ही पैदा होते हैं ऐसी स्थिति में प्रसव के बाद माँ को देखभाल बहुत जरूरी है। 6-8 सप्ताह बाद माँ को प्रसव के बाद जाँच के लिए स्वास्थ्य केन्द्र में आने के लिए समझाया जाता है।

4. **स्वास्थ्य प्रशिक्षण**—उपकेन्द्र से आई नर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टर सभी बच्चों के स्वास्थ्य का नियमित रूप से परीक्षण आँगनबाड़ी में करते हैं। उनकी स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं का पता लगाकर उनका इलाज करते हैं इसके लिए केन्द्र को नियमित रूप से दवा का बक्सा या किट भेजा जाता है। आँतों के कीड़े समाप्त करने के लिए बच्चों को नियमित रूप से दवाई दी जाती है। इसके अलावा आँगनबाड़ी कार्यकत्री दस्त या अतिसार होने पर उसकी चिकित्सा के बारे में उचित सलाह देती है ओ० आर० एस० (Oral Rehydration Salt) के पैकेट केन्द्रों में आते हैं और उनका घोल तैयार करके बच्चों को देना सिखाया जाता है।

5. **विशेषज्ञ सुविधाएँ**—समेकित बाल विकास सेवा के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा शहरी स्वास्थ्य प्रणाली के डॉक्टरों और नर्सों की स्वास्थ्य टोली स्वास्थ्य सुविधाएँ प्रदान करती है। जो मामले गम्भीर होते हैं उन्हें अस्पतालों और अन्य विशेष संस्थानों में भेजने की व्यवस्था भी रहती है। बच्चों के स्वास्थ्य का विवरण कार्डों में दर्ज किया जाता है। इसके साथ-साथ माताओं को शिक्षित करने और बच्चे के स्वास्थ्य विकास में उनकी रुचि बनाये रखने के लिए एक कार्ड उन्हें भी दिया जाता है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं का विवरण भी एक कार्ड पर लिखा जाता है जो प्रसवपूर्व देखभाल करने में सहायक है।

TOUCH 'n PASS

6. **शाला पूर्व शिक्षा**—तीन से छ: वर्ष की उम्र के बच्चों को अनौपचारिक ढंग से कई प्रकार की बातें सीखने के विशिष्ट अवसर मिलने चाहिए। आँगनबाड़ी प्रारम्भिक बचपन की शिक्षा खेल-खेल में शिक्षा देने की विधि से देती है ताकि बच्चे का मानसिक विकास हो और बच्चे की उत्सुकता को शान्त किया जा सके। बच्चे आपस में बैठकर खेलना सीखते हैं, शिशु-कविताएँ और गीत गाते हैं और रंगों की पहचान तथा पास-पड़ौस के वातावरण के सम्बन्ध में सीखते हैं और इस तरह से आगे के वर्गों में प्राथमिक शिक्षा पाने की उनकी नींव मजबूत होती है। इसके लिए कोई विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया गया है। आँगनबाड़ी कार्यकत्री को प्रोत्साहित किया जाता है कि वह शिक्षा देने का अपना ढंग और प्रकार की विधियाँ अपनाएँ।

प्रशिक्षण (Training)—आँगनबाड़ी कार्यकत्री प्राय: आठवीं या दसवीं पास होती है। देश के सैकड़ों प्रशिक्षण केन्द्रों में से किसी एक में उसे तीन महीने का बुनियादी प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा उसे आई०सी०एस० परियोजना स्तर के तथा स्वास्थ्य कर्मचारी नियमित मासिक सतत् शिक्षा भी देते हैं तथा समय-समय पर प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम भी चलाये जाते हैं। सुपरवाइजर किसी भी सामाजिक विज्ञान विषय में स्नातक होती है। उन्हें दो महीने की अवधि का सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। बाल-विकास परियोजना अधिकारियों को जन-सहयोग और बाल-विकास की राष्ट्रीय संस्थान के बैंगलोर, गुवाहाटी, लखनऊ स्थित तीन क्षेत्रीय केन्द्रों में किसी एक में अपने कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है।

प्र.5. ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम एवं इस कार्यक्रम के उद्देश्य लिखिए।
Write about the programme of Development of Women Children Rural Areas or DWCRA and its objectives.

उत्तर

ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम (ग्राम शिविका)
(Development of Women Children Rural Areas or DWCRA)

संक्षिप्त रूप से ग्रामीण महिला शिशु विकास कार्यक्रम को 'ग्राम शिविका' नाम से पुकारा जाता है और अंग्रेजी में इसे DWCRA कहते हैं जोकि इसका संक्षिप्त रूप है। इसको **ग्रामीण महिला बाल (शिशु) विकास कार्यक्रम** भी कहते हैं। यह गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक विकास के लिए एक विशेष प्रकार का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की समीक्षा करने पर यह देखा गया कि इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने वाली महिलाओं की संख्या अत्यन्त ही कम है जिस कारण पारिवारिक अर्थव्यवस्था की नींव कमजोर रह जाती है। यह देखते हुए समेकित ग्रामीण विकास की एक उपयोजना के अन्तर्गत यह कार्यक्रम सितम्बर 1982 में आरम्भ किया गया जिसका प्रमुख लक्ष्य महिलाओं को स्वरोजगार हेतु साधन उपलब्ध कराना है जिससे वे आय वृद्धि करके अपनी आय बढ़ा सकें तभी शिशु विकास भी अधिक अच्छी तरह सम्भव हो सकेगा।

अध्ययनों एवं अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि जिन परिवारों में स्त्री पुरुष दोनों कमाकर अपने परिवार की आय में वृद्धि करते हैं वे परिवार स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा के स्तर में अच्छे रहते हैं। महिला की आय बच्चों को पौष्टिक आहार देने तथा शिक्षा की सुविधा जुटाने में सहायता पहुँचाती है। अत: जो परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं उन परिवारों में महिला को रोजगार के नये अवसर देना आवश्यक है। गाँवों में अतिरिक्त आय का स्रोत सृजित करने से महिलाएँ भी पुरुषों के समान बराबरी से आगे आकर आय अर्जित करने वाले उद्यमों में भाग लेती हैं और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम बनाया गया है।

उद्देश्य (Objectives)—ग्राम शिविका के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आय बढ़ाने के साधन उपलब्ध होते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है—महिलाओं को पारिवारिक आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करके उनके परिवार की आर्थिक एवं पोषणीय स्थिति में सुधार लाना। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसी व्यवस्था की जाती है जिससे ग्रामीण महिलाएँ उस क्षेत्र में उपलब्ध सेवाओं का लाभ आसानी से उठा सकती हैं। इसी क्रम में विभिन्न विभागों के प्रयासों द्वारा समेकित बाल विकास सेवा (ICDS), प्रौढ़ शिक्षा (Adult education), प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा आदि की सुविधाएँ इन्हें उपलब्ध करायी जाती हैं। स्वच्छ पेयजल, वातावरण में सुधार हेतु शौचालय एवं रसोईघर को आदर्श, स्वास्थ्यकर बनाने के लिए धूम्ररहित चूल्हे की सुविधाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महिलाओं को चुने हुए व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् इन्हें ऋण तथा अनुदान अधिक उत्पादन उन्मुख परिसम्पत्ति पर पूँजी निवेशित करने के लिए प्रेरित किया जाता है जिससे वे प्रशिक्षण का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर अपनी जीविकोपार्जन सुचारू रूप से कर सकें।

ग्राम शिविका में चयन का आधार (Criterion for Selection of Beneficiary of DWCRA)—ग्राम शिविका गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की महिलाओं के लिए चलाया गया कार्यक्रम है। इसके चयन का आधार भी वही है जो समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का है अर्थात् ऐसे परिवारों का चयन करना जिनकी वार्षिक आय ₹ 4,800 से कम हो। इन चुने हुए परिवार की महिलाओं को समूह के रूप में गठित किया जाता है। प्रत्येक समूह किसी व्यवसाय का चयन कर लेता है। इसके बाद व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण, कच्चे माल की व्यवस्था, तैयार माल की बिक्री, बैंकों तथा कार्यालयों के समन्वय से उस समूह तथा समूह के प्रमुख का दायित्व हो जाता है। कार्यक्रम इसमें सहायता इसी उद्देश्य से देता है कि वास्तव में समूह आत्मनिर्भर बन सके और उसकी आय में वृद्धि हो जिससे उसके परिवार वाले अच्छी जिन्दगी बसर कर सकें।

कार्यक्रम के लिए जिलों का चयन करते समय उन परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है जिन परिवारों में शिशु-मृत्यु दर अधिक है। जिससे ग्रामीण समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को सबसे पहले लाभ हो सके। चयन के अन्य आधार इस प्रकार हैं—क्षेत्र का पिछड़ापन, अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या, महिलाओं में निरक्षरता, जनसंख्या वृद्धि दर, शादी होने की कम उम्र पर किया जाता है। चयनकर्त्ता जिले के प्रत्येक प्रखण्ड में 30 समूह गठित किये जाते हैं। ये 30 समूह प्रखण्ड को प्रत्येक पंचायत 6-6 समूह के हिसाब से 5 चयनित पंचायतों में गठित होते हैं। प्रत्येक समूह में 15-20 महिलाएँ होती हैं। पंचायत का चयन पंचायत में अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या, बाजार की उपलब्धता, दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति आदि के साथ समन्वय, समेकित बाल विकास सेवा के साथ समन्वय को देखते हुए किया जाता है। प्राथमिकता के आधार पर साधारणत: हरिजन बस्ती की महिलाओं का चयन किया जाता है।

ग्राम शिविका हेतु प्रशिक्षण (Training for DWCRA)—ग्राम शिविका में नीति विषयक मार्गदर्शिकाओं के सम्बन्ध में कर्मचारियों को कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय ग्राम विकास के संस्थान, हैदराबाद की मॉडल एजेन्सी के रूप में ग्राम शिविका कार्यक्रम सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने का भार सौंपा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, अपने परिसर में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम राज्यों के ग्रामीण विकास संस्थानों में भी आयोजित किये जाते हैं। हर एक स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के लिए मानक सुनिश्चित करने के लिए वर्ष के दौरान व्यापक प्रशिक्षण मैनुअल का संकलन तैयार किया गया है।

प्रशिक्षण संस्थान महिला कार्यकर्त्ताओं को ग्राम शिविका कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी देते हुए इस बात का प्रशिक्षण देते हैं कि किस प्रकार समूह गठित किया जाए, बाजार का सर्वेक्षण किया जाए, कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, व्यवसाय-विशेष में प्रशिक्षण देने हेतु किस प्रकार प्रशिक्षण का चयन किया जाए, बैंकों से ऋण किस प्रकार प्राप्त किया जाए तथा चयनित महिलाओं में से ऐसी महिला का किस प्रकार चयन किया जाए जो बिक्री कर सके और कार्य को सुचारू रूप से चला सके।

इसके अतिरिक्त महिला को शिशु विकास एवं मातृ-शिशु स्वास्थ्य व पोषण के सम्बन्ध में भी प्रशिक्षण दिया जाता है। कम-से-कम एक बार प्रत्येक महिला कार्यकर्त्ता को प्रशिक्षण लेना बहुत जरूरी है।

ग्राम शिविका का अन्य विभागों से सम्बन्ध (Integration of DWCRA with Other Departments)—ग्राम शिविका महिलाओं को बढ़ती हुई आय हेतु अवसर उपलब्ध कराने का ग्रामीण क्षेत्र में एक आर्थिक कार्यक्रम है लेकिन इसमें एक महत्त्वपूर्ण कल्याण घटक भी शामिल है। बच्चों और महिलाओं के सभी कार्यक्रमों में उचित समन्वय होना चाहिए जिससे प्रयास की पुनरावृत्ति से बचा जा सके। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकारों को सुझाव दिया गया है कि वे अन्य कार्यक्रम अधिकारियों के साथ सम्पर्क बनाने के लिए राज्य, जिला, प्रखण्ड स्तर पर समन्वय समितियाँ गठित करें जिससे कि ग्राम शिविका, आई० सी० डी० एस, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, माँ तथा शिशु के देखभाल आदि जैसे कार्यक्रमों के लाभों का आपसी आदान-प्रदान किया जा सके। अनेक राज्यों में आई० सी० डी० एस० की परियोजनाएँ समन्वित रूप से चलाई जा रही हैं।

महिलाएँ ग्रामीण क्षेत्र की रूढ़ियों, प्रथाओं तथा सामाजिक रीति-रिवाजों के कारण उत्पन्न हुई अनेक कुरीतियों के कारण दु:ख झेलती हैं। ग्रामीण समाज में महिलाएँ प्रचलित विभिन्न बाधाओं और कुरीतियों से, जो उन्हें समाज में सही दर्जा प्राप्त करने के लिए अड़चन पैदा करती हैं, अपने को मुक्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाई हैं इसलिए ग्रामीण महिलाओं में सामाजिक कार्यकर्त्ताओं, स्वयंसेवी एजेन्सियों, उत्प्रेरकों के माध्यम से जागृति पैदा करने की आवश्यकता है। अचानक खर्चों को पूरा करने के लिए महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसके लिए थ्रिफ्ट तथा क्रेडिट ग्रुप बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इससे महिलाएँ अपनी तत्काल वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में आत्मनिर्भर बन जाएँगी, उनमें आत्मविश्वास जागृत होगा।

इस सम्बन्ध में प्रयास बढ़ाने के लिए जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों को अधिकार दिया गया है कि वे किसी समूह को उसकी बचत के बराबर ₹ 15000 तक अनुदान दे सकती है।

ग्राम शिविका महिलाओं की रुचि बनाये रखने के लिए उनकी गतिविधियाँ आर्थिक रूप से सक्षम होनी चाहिए। महिला समूहों द्वारा तैयार किये गये उत्पादों का विपणन महत्त्व रखता है। इसके लिए कुछ राज्य सरकारों ने सरकारी विभागों द्वारा अपेक्षित अनेक वस्तुओं को सप्लाई हेतु ग्राम शिविका समूहों को अनुमोदित किया गया है। कापार्ट ने ग्रामीण उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए 'ग्राम श्री' मेले आयोजित किये हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित में से कौन गेस्टाल्ट थेरेपी से सम्बन्धित है?

(क) सी०आर० रोजर्स (ख) सिगमण्ड फ्रॉयड (ग) पर्ल्स और पर्ल्स (घ) बी०एफ० स्किनर

उत्तर (ग) पर्ल्स और पर्ल्स

प्र.2. विकास का ट्रिकल डाउन सिद्धान्त मानता है कि—

(क) वैश्विक समृद्धि घरेलू अर्थव्यवस्था तक फैलती है

(ख) श्रम की अधिक माँग के माध्यम से विकास नीचे की ओर फैलता है

(ग) अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कराधान की दरों के व्युत्क्रमानुपाती होती है

(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ख) श्रम की अधिक माँग के माध्यम से विकास नीचे की ओर फैलता है

प्र.3. वृद्ध व्यक्तियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के सिद्धान्त किस वर्ष लागू होते हैं?

(क) 1990 (ख) 1999 (ग) 1981 (घ) 1991

उत्तर (घ) 1991

प्र.4. निर्णय लेने का साधन—

(क) परिवर्तनों के बीच चयन करना (ख) विकल्पों में से चयन करना

(ग) आबंटन के लिए चयन करना (घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (ख) विकल्पों में से चयन करना

प्र.5. निम्नलिखित में से कौन-सा समूह कार्य का सिद्धान्त नहीं है?

(क) प्रगतिशील कार्यक्रम अनुभव (ख) विशिष्ट उद्देश्य

(ग) समूह प्रयोग योजना (घ) सतत मूल्यांकन

उत्तर (ग) समूह प्रयोग योजना

प्र.6. टीम निर्माण शामिल है—

(क) टीम के सक्रिय सदस्यों को पहचानना

(ख) उन सदस्यों को पहचानना जो टीम के विकास में योगदान देते हैं

(ग) टीम के सभी सदस्यों को पहचानना

(घ) टीम के जानकार सदस्यों को पहचानना

उत्तर (ग) टीम के सभी सदस्यों को पहचानना

प्र.7. महिला स्वयं सहायता समूह का अन्तिम लक्ष्य है—

(क) पैसे की बचत (ख) ऋण लेना

(ग) परिक्रमी निधि प्राप्त करना (घ) सशक्तिकरण

उत्तर (घ) सशक्तिकरण

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. MDP का पूरा नाम है—

(क) मतलब लोकतान्त्रिक भागीदारी (ख) प्रमुख विकास परियोजना
(ग) तरीके विकास योजना (घ) उन्मत्त अवसादग्रस्तता मनोविकृति

उत्तर (घ) उन्मत्त अवसादग्रस्तता मनोविकृति

प्र.9. भारत की सामाजिक नीति का मुख्य स्त्रोत है—

(क) सामाजिक विधान (ख) पंचवर्षीय योजनाएँ
(ग) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त (घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ग) राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्त

प्र.10. अंगूर-वाइन संचार का सम्बन्ध है—

(क) औपचारिक संचार (ख) अनौपचारिक संचार
(ग) ऊपर की ओर संचार (घ) अधोमुखी संचार

उत्तर (ख) अनौपचारिक संचार

प्र.11. निम्नलिखित में से कौन-सा सामाजिक वैयक्तिक कार्य प्रक्रिया से अलग नहीं है?

(क) उपचार (ख) मूल्यांकन
(ग) अध्ययन (घ) सामग्री विश्लेषण

उत्तर (घ) सामग्री विश्लेषण

प्र.12. रिश्तों की डिग्री जानने के लिए हमें एक सांख्यिकीय परीक्षण का उपयोग करना होगा जिसे कहा जाता है?

(क) टी-टेस्ट (ख) अनोवा
(ग) ची-स्क्वायर परीक्षण (घ) पियर्सन का सहसम्बन्ध

उत्तर (घ) पियर्सन का सहसम्बन्ध

प्र.13. "पेपर्स ऑन सोशल वर्क-एन इण्डियन पर्सपेक्टिव" किसके द्वारा लिखा गया था?

(क) जी०आर० बनर्जी (ख) जी०आर० मदन
(ग) सचदेव (घ) मारुला सिद्धैया

उत्तर (क) जी०आर० बनर्जी

प्र.14. सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था?

(क) 1994 (ख) 1995 (ग) 1996 (घ) 1963

उत्तर (क) 1994

प्र.15. जनसांख्यिकीय संक्रमण के सिद्धान्त में शामिल है—

(क) उच्च जन्म-दर और उच्च मृत्यु-दर
(ख) तेजी से गिरती मृत्यु-दर और उच्च जन्म-दर
(ग) कम जन्म-दर और कम मृत्यु-दर
(घ) उपरोक्त सभी

उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.16. पायलट अध्ययन—

(क) अनुसन्धान के लिए उपयोग किये जाने वाले उपकरणों का प्रारम्भिक परीक्षण
(ख) मूल अध्ययन के एक साल के अंदर अनुवर्ती अध्ययन किया गया
(ग) मूल अध्ययन से पहले सीमित पैमाने पर प्रारम्भिक अध्ययन किया गया
(घ) परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए मैक्रो स्तर का अध्ययन किया गया

उत्तर (ग) मूल अध्ययन से पहले सीमित पैमाने पर प्रारम्भिक अध्ययन किया गया

TOUCH 'n PASS

प्र.17. मानवाधिकार कौन-से अधिकार हैं?

(क) अधिकार जो भारत के संविधान द्वारा प्रदान किये गये हैं
(ख) अधिकार जो मौलिक हैं
(ग) प्रकृति द्वारा सभी मनुष्यों को दिये गये अधिकार
(घ) मनुष्य द्वारा वांछित अधिकार

उत्तर (ग) प्रकृति द्वारा सभी मनुष्यों को दिये गये अधिकार

प्र.18. डायग्नोस्टिक स्कूल ऑफ सोशल केस वर्क किसके द्वारा विकसित किया गया था?

(क) रॉस (ख) जंग
(ग) रैंक (घ) मीड

उत्तर (घ) मीड

प्र.19. जनहित याचिका का तात्पर्य है—

(क) न्यायालय के बाहर न्याय प्रदान करने की व्यवस्था
(ख) शीघ्र न्याय प्रदान करना
(ग) गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया की मदद से समाज के गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करना
(घ) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर (ग) गैर-सरकारी संगठनों और मीडिया की मदद से समाज के गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोर वर्गों को न्याय प्रदान करना

प्र.20. पाउली फ्रेरे के दृष्टिकोण को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है—

(क) लोगों के लिए सेवाओं का संगठन
(ख) समुदाय के नेताओं की लामबंदी
(ग) लोगों के साथ क्रिया-प्रतिबिम्ब प्रक्रिया
(घ) कार्य के लिए लक्ष्य प्रणालियों की पहचान

उत्तर (ग) लोगों के साथ क्रिया-प्रतिबिम्ब प्रक्रिया

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-V

युवा विकास की सहायक सेवाएँ
Support Services of Youth Development

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राजीव युवा मितान क्लब योजना का शुभारम्भ कब किया गया?
When was the Rajeev Yuva Mitan Club Scheme launched?

उत्तर राजीव युवा मितान क्लब की घोषणा 18 सितम्बर 2021 में हुई थी। छत्तीसगढ़ युवा उत्सव के समापन समारोह में मुख्यमन्त्री ने क्लब के प्रतीक चिह्न का विमोचन किया था। तब बताया गया था कि क्लब में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रत्येक महीने 10 हजार रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

प्र.2. युवा भारत नेतृत्व शिविर क्या है?
What is Youth India Leadership Camp?

उत्तर विवेकानन्द केन्द्र कन्याकुमारी मध्य प्रान्त द्वारा महाविद्यालय स्थानों के गठन के उद्देश्य से युवा भारत नेतृत्व अभियान का नियोजन जुलाई 2022 में किया गया। प्रान्त समिति, विभाग समिति, नगर समिति और तकनीकी टोली की विभिन्न बैठकों के माध्यम से महाविद्यालय स्तर के 18-28 आयु वर्ग के 1028 युवाओं का पंजीयन कराया गया। पंजीयन के पश्चात आयोजित ऑनलाइन/ऑफलाइन परीक्षा में 602 प्रतिभागियों ने भाग लिया। परीक्षा से चयनित युवाओं को 7 दिवसीय सेवा कार्य नगर स्तर पर अथवा ऑनलाइन गतिविधि के माध्यम से दिये गये।

प्र.3. NCC के प्रतीक में तीन रंग किसको दर्शाते हैं?
What do the three colour's in the NCC symbol represent?

उत्तर लाल रंग–थल सेना को, गहरा नीला रंग–नौ सेना को तथा हल्का नीला रंग–वायु सेना को प्रदर्शित करते हैं।

प्र.4. NSS के संस्थापक कौन हैं?
Who is the founder of NSS?

उत्तर आर०वी० राव ने सभी राज्यों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में NSS कार्यक्रम आरम्भ किया।

प्र.5. NSS दिवस कब मनाया जाता है?
When is NSS day celebrated?

उत्तर महर्षि वेदव्यास कॉलेज भखारा में प्राचार्य डॉ० गुप्तेश्वर गुप्ता के निर्देशानुसार 24 सितम्बर को एनएसएस स्थापना दिवस मनाया गया।

प्र.6. राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) का प्रतीक क्या है?
What is the symbol of NSS?

उत्तर राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रतीक चिह्न उड़ीसा के कोणार्क स्थित सूर्य मन्दिर के रथ के चक्र है। सूर्य मन्दिर के ये विशाल चक्र सृजन, संरक्षण और निर्मुक्ति के आवर्तन को अभिव्यक्त करते हैं तथा काल और स्थान से पूरे जीवन में गति का महत्त्व बताते हैं।

TOUCH 'n' PASS

प्र.7. NCC का प्रशिक्षण किस प्रकार दिया जाता है?
How is the training given in NCC?

उत्तर छात्रों को एनसीसी का प्रशिक्षण थल सेना, जल सेना और वायु सेना के सैनिकों द्वारा दिया जाता है। एनसीसी में शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा सिंगिंग, डांसिंग और एक्टिंग जैसी अन्य ट्रेनिंग दी जाती है। सैन्य प्रशिक्षण के साथ ही अनुशासन और नेतृत्व का प्रशिक्षण भी दिया जाता है

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. एनसीसी का परिचय एवं उद्देश्य लिखिए।
Write the introduction and objectives of NCC.

उत्तर

परिचय
(Introduction)

1. दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध प्रशिक्षित युवाओं का एक बड़ा पूल बनाने और सशस्त्र बलों के लिए एक बड़ा पूल बनाने के उद्देश्य से, ब्रिटिश सरकार द्वारा विश्वविद्यालय कोर की अवधारणा की गई थी। भारत में एनसीसी को लड़कों और लड़कियों दोनों को तैयार करने के उद्देश्य से उठाया गया था, उनका पालन-पोषण किया और उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनाकर राष्ट्र निर्माण की दिशा में उनकी ऊर्जा का उपयोग किया।
2. स्वतन्त्रता के बाद वर्तमान दिन एनसीसी औपचारिक रूप से 15 जुलाई, 1948 को संसद के माध्यम से अस्तित्व में आया। NCC का गर्ल्स डिवीजन जुलाई 1949 में उठाया गया था। 1 अप्रैल, 1950 को बॉम्बे और कोलकाता में एयर विंग को एक-एक एयर स्क्वाड्रन के साथ उठाया गया था। एनसीसी की नेवल विंग को जुलाई 1952 को उठाया गया था, इस प्रकार कोर में सभी तीन सेवाओं का प्रतिनिधित्व किया।
3. आज एनसीसी के पास 13 लाख से अधिक कैडेटों की एक नामांकित शक्ति है और इसमें तीनों सेवाओं के दो प्रभाग शामिल हैं, अर्थात् कॉलेजों के लड़कों/लड़कियों के लिए सीनियर डिवीजन/सीनियर विंग और स्कूल के लड़के/लड़कियों के लिए जूनियर डिवीजन/जूनियर विंग/एनसीसी का आदर्श वाक्य 'एकता और अनुशासन' है।

उद्देश्य (Objectives)—एनसीसी के उद्देश्य निम्नांकित हैं—

1. स्वयंसेवक युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में आश्वस्त, प्रतिबद्ध और सक्षम नेता बनने के लिए प्रशिक्षित करें।
2. देश के जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए कैडेटों के बारे में जागरूकता का स्तर बढ़ाना।
3. अपने ज्ञान को समृद्ध करने, संचार कौशल विकसित करने और चरित्र निर्माण के लिए अवसर प्रदान करना और कैडेटों को प्रोत्साहित करना।
4. समाज के प्रति रचनात्मक योगदान देने के लिए सामाजिक गतिविधियों और सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का संचालन करना।
5. नेतृत्व के गुणों और जोखिम लेने की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साहसिक गतिविधियों को कम करना।
6. देश की छवि को विदेशों में पेश करने के लिए "सद्भावना राजदूत" लॉन्च करने के लिए एक मंच प्रदान करें।
7. सशस्त्र बलों, नेतृत्व कौशल और सैन्य मूल्यों के बारे में जागरूकता विकसित करने के लिए सैन्य प्रशिक्षण का संचालन करना, कैडेटों को सशस्त्र बलों में शामिल होने के लिए प्रेरित करने के लिए वातावरण प्रदान करना।

प्र.2. राष्ट्रीय युवा नीति का उल्लेख कीजिए।
Explain the National youth plan.

उत्तर

राष्ट्रीय युवा नीति
(National Youth Plan)

राष्ट्रीय युवा नीति में एक बार फिर भारत के युवाओं के सामासिक एवं सर्वांगीण विकास के प्रति समूचे राष्ट्र की वचनबद्धता को दोहराया गया है ताकि वे राष्ट्र के पुनर्निर्माण व आगे होने वाले सामाजिक परिवर्तनों के चुनौतीपूर्ण विशेष कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में दिल, दिमाग और शरीर से मजबूत बन सकें।

TOUCH 'n PASS

युवा कार्यक्रम विभाग सक्रिय रूप से मौजूदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2003 की समीक्षा कर रहा है। मसौदा युवा नीति, 2011 को 10 प्रमुख क्षेत्रों को ध्यान में रखकर बनाया गया है नामत: राष्ट्रीय मूल्यों; सामाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय एकता का संवर्धन; रोजगार व उद्यमशीलता के अवसरों के माध्यम से युवाओं का सशक्तिकरण; शिक्षा औपचारिक व अनौपचारिक स्वास्थ्य; स्वास्थ्य से सम्बद्ध मुद्दे एवं स्वस्थ जीवन शैली; लिंग आधारित न्याय व समानता; समुदाय सेवा में भागीदारी; जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए किशोरों को तैयार करना; सामाजिक न्याय व प्रतिकूल सामाजिक प्रथाओं के विरुद्ध कार्रवाई; पर्यावरण, इसके संरक्षण व परिरक्षण से सम्बद्ध मुद्दे; तथा राज्य प्रायोजित कार्यक्रमों व स्कीमों को सहायता सहित युवा एवं स्थानीय शासन मसौदा युवा नीति को युवा कार्यक्रम विभाग के तहत शीर्षस्थ संस्थान राजीव गाँधी युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) द्वारा तैयार किया गया है और इसमें विभिन्न स्टेकहोल्डरों से परामर्श किया गया है। इस मसौदे को युवा कार्यक्रम विभाग द्वारा विभिन्न मन्त्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणियों/सुझावों के लिए परिचालित किया गया है। मसौदे को आम जनता के सुझावों हेतु युवा कार्यक्रम विभाग की वेबसाइट पर भी डाला गया है।

प्र.3. राजीव युवा मितान क्लब योजना क्या है?

What is the Rajeev Yuva Mitan Club Scheme.

उत्तर 18 सितम्बर, 2021 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित समारोह के दौरान राज्य में **'राजीव युवा मितान क्लब योजना'** का शुभारम्भ किया तथा क्लब के गठन एवं संचालन के लिए जिलों को ₹19.43 करोड़ की राशि भी जारी की।

1. इस योजना के तहत राज्य की सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में चरणबद्ध रूप से कुल 13,269 राजीव युवा मितान क्लब गठित किये जाएँगे। क्लबों को वर्ष भर में ₹132.69 करोड़ की अनुदान राशि दी जाएगी।
2. राजीव युवा मितान क्लब के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में ₹50 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रत्येक क्लब को प्रत्येक तीन माह में ₹25 हजार के मान से एक वर्ष में रचनात्मक गतिविधियों के संचालन के लिए एक लाख रुपये दिये जाएँगे।
3. मुख्यमन्त्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमन्त्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गाँधी के युवा भारत के सपने को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में राजीव युवा मितान क्लब योजना की शुरूआत की गई है।
4. इसका उद्देश्य राज्य की युवा प्रतिभाओं को तराशना, उन्हें संगठित करते हुए उपयुक्त मंच प्रदान करना तथा उनकी ऊर्जा का उपयोग नया छत्तीसगढ़ बनाने में करना है।
5. मुख्यमन्त्री ने कहा कि युवा शक्ति, राज्य के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण पूँजी है। राज्य की युवा शक्ति को संगठित करने और उन्हें रचनात्मक कार्यों से जोड़ने का यह क्रान्तिकारी कार्यक्रम है। यह युवाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ की संस्कृति, पर्यावरण, खेल को आगे बढ़ाने तथा जनकल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाने और लोगों को इसका लाभ दिलाने में मदद मिलेगी।
6. खेल एवं युवा कल्याण विभाग सचिव एन०एन० एक्का ने कहा कि राजीव युवा मितान क्लब का ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर गठन किया जाएगा। क्लब का पंजीयन फर्म एवं सोसाइटी एक्ट के तहत होगा। प्रत्येक क्लब में 20 से 40 युवा होंगे, जिनकी आयु 15 से 40 वर्ष के मध्य होगी।
7. योजना के क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं मार्गदर्शन हेतु मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में मन्त्रिस्तरीय समिति का गठन होगा। राज्यस्तरीय कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। जिला एवं अनुविभाग स्तर पर भी समितियाँ गठित की जाएँगी। जिलों के प्रभारी मन्त्री जिलास्तरीय समिति के संरक्षक होंगे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल ने 14 जनवरी, 2020 को छत्तीसगढ़ युवा उत्सव के समापन समारोह में राजीव युवा मितान क्लब के गठन की घोषणा की थी।

प्र.4. युवा विकास में युवा छात्रावास का क्या योगदान है? उल्लेख कीजिए।

What is the role of youth scholarship in youth development? Explain.

उत्तर

युवा छात्रावास
(Youth Hostel)

युवा छात्रावासों का निर्माण युवाओं में यात्रा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है ताकि वे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनुभव ले सकें। युवा छात्रावासों का निर्माण केन्द्र और राज्य सरकारों का संयुक्त उद्यम है। केन्द्र सरकार

TOUCH 'n PASS

निर्माण की लागत वहन करती है जबकि राज्य सरकार पानी, बिजली व गम्य सड़कों सहित पूर्ण रूप से विकसित भूमि निशुल्क उपलब्ध कराती है। युवा छात्रावास ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व वाले, शैक्षणिक केन्द्रों, पर्यटक महत्त्व आदि के ऐसे क्षेत्रों में अवस्थित हैं जहाँ युवा क्रियाकलापों हेतु सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ये छात्रावास उचित दरों पर युवाओं को ठहरने की उत्तम जगह उपलब्ध कराते हैं। इन युवा छात्रावासों की देखरेख, केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त प्रबन्धकों द्वारा की जाती है।

युवा कार्यक्रम एवं खेल मन्त्रालय (युवा कार्यक्रम विभाग) भारत सरकार ने अधिमानत: युवा छात्रावास के कैचमेन्ट क्षेत्र से सेवानिवृत्त ऐसे रक्षा कार्मिकों, जिन्हें हिन्दी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं का अच्छा ज्ञान हो, से युवा छात्रावासों के लिए प्रबन्धक चुनने का निर्णय किया है। नई नियुक्ति नीति के तहत मेजर/लेफ्टिनेन्ट कर्नल/कर्नल या समतुल्य स्तर के रक्षा सेवा (सेना/नौसेना/वायुसेना) से सेवानिवृत्त व्यक्ति युवा छात्रावासों में प्रबन्धकों की नियुक्ति के पात्र हैं। सेवानिवृत्त इच्छुक जेसीओ को भी नियुक्त किया जा सकता है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान युवा छात्रावासों के टैरिफ प्रभारों को संशोधित किया गया है। टैरिफ प्रभारों में अन्तिम बार संशोधन वर्ष 2003 में किया गया था।

अभी तक समूचे देश में 80 युवा छात्रावासों का निर्माण किया गया है और 5 युवा छात्रावास निर्माण के विभिन्न चरणों में है। 80 युवा छात्रावासों में से 12 छात्रावासों को युवा और खेल विकास के इष्टतम उपयोग हेतु नेहरू युवा केन्द्र संगठन, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों को हस्तान्तरित किया गया है। ऐसे पूरे किये गये/हस्तान्तरित/निर्माणाधीन युवा छात्रावासों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध V, VI और VII में दिया गया है।

चालू वित्त वर्ष 2010-11 के दौरान पोर्ट ब्लेयर (अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह), विजयवाड़ा (आन्ध्र प्रदेश), पेडम मापूसा (गोवा), गाँधीनगर (गुजरात), डलहौजी (हिमाचल प्रदेश), तीर्थरामेश्वर (कर्नाटक), काझीकोड (केरल), जबलपुर (मध्य प्रदेश), गोपालपुर-ऑन-सी, पुरी (उड़ीसा), अजमेर (राजस्थान), जयपुर (राजस्थान), तंजावुर (तमिलनाडु), त्रिची (तमिलनाडु), आगरा (उत्तर प्रदेश), मसूरी (उत्तराखण्ड), दार्जीलिंग (पश्चिम बंगाल), तेजपुर (असम), गंगटोक (सिक्किम), अगरतला (त्रिपुरा) में स्थित 20 युवा छात्रावासों के अग्रभाग के तत्काल उन्नयन कार्य हेतु प्रत्येक युवा छात्रावास को पाँच लाख रुपये की दर से एक करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

जालन्धर (पंजाब), काड़प्पा (आन्ध्र प्रदेश), राइंग (अरुणाचल प्रदेश), चूड़ाचाँदपुर एवं थौबल (मणिपुर) में पाँच छात्रावासों में निर्माण का कार्य अन्तिम चरण में है। इन पाँच युवा छात्रावासों में से जालन्धर (पंजाब) और थौबल (मणिपुर) में दो युवा छात्रावासों का कार्य चालू वित्त वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जाने की सम्भावना है।

मन्त्रालय आज के युवाओं की आशाओं के अनुरूप मौजूदा युवा छात्रावासों को नया रूप देने और नयी कार्यप्रणाली स्थापित करने की दिशा में भी कार्यरत है।

प्र.5. अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम पर टिप्पणी कीजिए।
Write a note on International Cooperation Commonwealth Youth Program.

उत्तर

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम (CYP)
(International Co-operation Commonwealth Youth Program)

राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम (सीवाईपी) के दृष्टिकोण में एक ऐसे समाज के लिए कार्य करना निहित है जहाँ युवा महिलाएँ व पुरुष अपनी सम्भाव्य सृजनशीलता तथा कौशलों का विकास करके समाज के उत्पादक तथा तेजस्वी सदस्यों के रूप में सशक्त हों। ये युवा पुरुष तथा महिलाएँ निर्णय लेने के प्रत्येक स्तर पर पूरी तरह से भाग लेने में समर्थ हों जिससे अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र तथा मानवाधिकार के राष्ट्रमण्डल के मूल्यों को सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके। यह कार्यक्रम 1974 में प्रारम्भ हुआ था जिसका समग्र उद्देश्य राष्ट्रमण्डल में युवाओं के विकास को बढ़ावा देना था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में युवाओं को बढ़ावा देता है तथा उन्हें सहायता करता है और अन्तर्राष्ट्रीय समझ को बढ़ाने हेतु अवसर प्रदान करता है।

चण्डीगढ़ स्थित सीवाईपी एशिया केन्द्र, लुसाका (जाम्बिया) में अफ्रीका क्षेत्र के लिए, जार्जटाउन (गुयाना) कैरीबियन क्षेत्र के लिए तथा सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण प्रशान्त क्षेत्र सहित सीवाईपी के चार क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में से एक है। सीवाईपी का समग्र दायित्व लंदन स्थित राष्ट्रमण्डल सचिवालय का है। एशिया केन्द्र सहित सीवाईपी की गतिविधियाँ राष्ट्रमण्डल सचिवालय की युवा कार्य इकाई द्वारा निर्देशित होती है। एशिया केन्द्र इस क्षेत्र के 8 राष्ट्रमण्डल देशों नामत: ब्रुनेई, बांग्लादेश, भारत, मलेशिया, सिंगापुर तथा श्रीलंका की विशेष जरूरतों को पूरा करता है।

वर्तमान में निम्नलिखित तीन प्रमुख महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम केन्द्रित हैं—

1. राष्ट्रीय युवा नीति,
2. मानव संसाधन विकास तथा
3. युवा अधिकारिता।

भारत तथा सदस्य देश, कार्यक्रमों का वित्त पोषण करते हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर युवा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान
(International Level Exchange of Youth Delegations)

विभाग, युवा सम्बन्धी विभिन्न मुद्दों पर अन्य देशों तथा अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियों/संगठनों के सहयोग से एक अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के सृजन के लिए प्रयास करता है। विभाग एशिया-प्रशान्त क्षेत्र के राष्ट्रमण्डल देशों में युवाओं से सम्बन्धित अनेक कार्यक्रमों के आयोजन में राष्ट्रमण्डल युवा कार्यक्रम एशिया केन्द्र, चण्डीगढ़ के साथ भी सहयोग करता है।

इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न देशों के युवाओं के मध्य विचारों, मूल्यों तथा संस्कृति के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा अन्तर्राष्ट्रीय समझ भी विकसित करने के लिए पारस्परिक आधार पर मित्र देशों के साथ युवा प्रतिनिधिमण्डलों का आदान-प्रदान किया गया।

प्र.6. राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स से आप क्या समझते हैं?
What do you understand by NYC?

उत्तर

राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स (NYC)
(National Youth Corps)

सरकार ने युवाओं की क्षमता का उपयोग करने तथा राष्ट्र निर्माण में उनकी ऊर्जा लगाने के उद्देश्य से चालू वित्त वर्ष 2011 के दौरान राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स नामक नई स्कीम शुरू की है। यह 2009 में संसद के दोनों सदनों में महामहिम राष्ट्रपति के सम्बोधन तथा जम्मू एवं कश्मीर के सम्बन्ध में अक्टूबर, 2009 में माननीय प्रधानमन्त्री की घोषणा के अनुसरण में है। इस स्कीम के तहत 20 हजार स्वयंसेवियों को पंजीकृत करने की परिकल्पना की गई है जिनमें से 8 हजार स्वयंसेवियों को जम्मू एवं कश्मीर तथा 12 हजार स्वयंसेवियों को अन्य राज्यों में तैनात किया जाएगा।

उद्देश्य (Objectives)

1. ऐसे अनुशासित और समर्पित युवाओं का समूह गठित करना जिनमें राष्ट्र निर्माण के महत्त्वपूर्ण कार्य में जुटने की प्रवृत्ति और भावना हो।
2. समुदाय में सूचना, मूल जानकारी के प्रसार हेतु बिन्दुओं के रूप में कार्य करना।
3. समूह मॉडयूलेटरों तथा साथी समूह, शिक्षकों के रूप में कार्य करना।
4. विशेष रूप से सार्वजनिक सदाचार, ईमानदारी और श्रम की गरिमा के संवर्धन के प्रति युवा लोगों के लिए अनुकरणीय मॉडल के रूप में कार्य करना।

एनवाईसी स्कीम के तहत 18-25 वर्ष की आयु वर्ग के युवा पुरुषों व महिलाओं को मार्च 2012 तक पूर्णकालिक आधार पर 2 वर्ष तक सेवा करने के योग्य बनाया जाता है जिसके लिए उन्हें ₹2500 प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों तथा लिंग सन्तुलन को प्रोत्साहित किया जाता है।

मन्त्रालय व जम्मू एवं कश्मीर राज्य सरकार द्वारा समूचे देश में विभिन्न जिलों में जम्मू एवं कश्मीर में 7098 स्वयंसेवियों सहित 17600 स्वयंसेवियों को चुना गया है, प्रशिक्षित किया गया व तैनात किया गया है।

राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स के युवा स्वयंसेवियों को अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ निम्नलिखित क्षेत्रों में तैनात किया गया है—

1. पंचायत (जम्मू एवं कश्मीर)
2. डल व नागिन लेक की सफाई व रख-रखाव
3. देश के गाँवों में युवा क्लब सर्वेक्षण तथा विधिमान्यकरण कार्यक्रम
4. महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीए) के तहत कार्यकर्त्ताओं के प्रशिक्षण व अनुकूलन में सहायता।

TOUCH 'n' PASS

5. प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत युवा नेताओं के प्रशिक्षण की शुरूआत व पर्यवेक्षक समितियों का गठन।
6. पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए) के तहत ग्रामीण खेलों का संवर्धन।
7. भारत के निर्वाचन आयोग के साथ झारखण्ड और महाराष्ट्र (2009); बिहार (2010) में राज्य विधान सभा चुनावों में मतदाता जागरूकता अभियान।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास और विकास का वर्णन कीजिए।
Describe the history and development of NSS.

उत्तर

राष्ट्रीय सेवा योजना का इतिहास और विकास
(History and Development of NSS)

1. भारत में विद्यार्थियों को राष्ट्रीय सेवा के कार्य में भागीदार बनाना राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के समय से शुरू हुआ था। उन्होंने अपने विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया था कि उन्हें अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को हमेशा स्वयं से ऊपर रखना चाहिए। विद्यार्थियों का पहला कर्त्तव्य अध्ययन के अपने समय को बौद्धिक विचारों में मग्न रहने का एक अवसर नहीं होना चाहिए बल्कि उन्हें इसे उन लोगों की सेवा में सम्पूर्ण समर्पण के लिए स्वयं को तैयार करने का अवसर मानना चाहिए जिन्होंने राष्ट्रीय मान और सेवाओं के रूप में राष्ट्र का मुख्य आधार तैयार किया जो किसी समाज के लिए बहुत अनिवार्य होता है। उन्हें ऐसे समुदाय, जिनके बीच उनकी संस्था स्थित है, के साथ जीवंत सम्पर्क बनाने की सलाह देते हुए उन्होंने यह सुझाव दिया कि आर्थिक और सामाजिक दिव्यांगता के बारे में शैक्षिक अनुसन्धान करने के बजाय विद्यार्थियों को "कुछ ऐसा सकारात्मक होना चाहिए ताकि ग्रामीणों का जीवन और ऊँचे भौतिक और नैतिक स्तर पर उठ सके।"
2. स्वतन्त्रता के बाद समय शैक्षिक सुधार के उपाय और शिक्षित मानव शक्ति की गुणवत्ता बढ़ाने के साधन, दोनों के रूप में विद्यार्थियों के लिए सामाजिक सेवा शुरू करने की प्रेरणा का समय था। डॉ० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक ओर विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच स्वस्थ सम्पर्क विकसित करने और दूसरी ओर परिसर और समुदाय के बीच एक रचनात्मक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से स्वैच्छिक आधार पर शैक्षिक संस्थाओं में राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की सिफारिश की।
3. इस अवधारणा पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (CABE) द्वारा जनवरी, 1950 में आयोजित अपनी बैठक में फिर से विचार किया गया। इस मामले के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के बाद और इस क्षेत्र में अन्य देशों के अनुभव के आधार पर, बोर्ड ने यह सिफारिश की कि विद्यार्थी स्वैच्छिक आधार पर कुछ समय हाथ से काम करने को दें और ऐसे कार्य में शिक्षक भी उनसे जुड़ें। 1952 में भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रारूप प्रथम पंचवर्षीय योजना में विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष तक सामाजिक और श्रम सेवा की आवश्यकता पर और बल दिया गया। इसके परिणामस्वरूप विभिन्न शैक्षिक संस्थानों द्वारा श्रम और सामाजिक सेवा शिविर, परिसर कार्य परियोजनाएँ, ग्राम शिक्षुता स्कीम आदि चालू की गई। 1958 में तत्कालीन प्रधानमन्त्री पं० जवाहर लाल नेहरू ने मुख्यमन्त्रियों को अपने पत्र में स्नातक शिक्षा के लिए सामाजिक सेवा को एक पूर्वापेक्षा के रूप में रखने का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने शिक्षा मन्त्रालय को शैक्षिक संस्थानों में राष्ट्रीय सेवा शुरू करने की एक उपयुक्त योजना तैयार करने का निर्देश भी दिया।
4. 1959 में शिक्षामन्त्रियों के सम्मेलन में उक्त योजना की प्रारूप रेखा प्रस्तुत की गई। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय सेवा हेतु एक साध्य योजना तैयार करने की तत्काल आवश्यकता पर सर्वसम्मति बनी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए जिस तरह की शिक्षा स्कूल और कॉलेजों में दी जाती है, उसमें कुछ और किये जाने की आवश्यकता है और इसमें कुछ ऐसे कार्यक्रम जोड़ना आवश्यक है जिससे देश के सामाजिक और आर्थिक निर्माण में रुचि पैदा हो। यह देखा गया कि यदि इस योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है तो सामाजिक सेवा को यथासम्भव और शीघ्र शैक्षिक प्रक्रिया के साथ जोड़ना अनिवार्य है। इस सम्मेलन में प्रस्तावित प्रायोगिक परियोजना का ब्यौरा तैयार करने के लिए एक समिति नियुक्त करने का सुझाव दिया गया। इन सिफारिशों के अनुसरण में इस दिशा में ठोस सुझाव देने के लिए 28 अगस्त, 1959 को

TOUCH 'n' PASS

डॉ० सी०डी० देशमुख की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय सेवा समिति नियुक्त की गई। समिति ने यह सिफारिश की कि माध्यमिक स्कूल शिक्षा पूरी करने वाले और स्वयं को कॉलेज या विश्वविद्यालय में पंजीकृत करवाने के इच्छुक सभी विद्यार्थियों के लिए 09 माह से 1 वर्ष की अवधि की राष्ट्रीय सेवा अनिवार्य की जाए। इस योजना में कुछ सैन्य प्रशिक्षण, सामाजिक सेवा, शारीरिक श्रम और सामान्य शिक्षा को शामिल किया जाना है। समिति की सिफारिशों के वित्तीय भार और कार्यान्वयन में कठिनाइयों को देखते हुए इसकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

5. 1960 में, भारत सरकार के अनुरोध पर प्रो० के०जी० सैयीदैन ने विश्व के कई देशों में कार्यान्वित विद्यार्थियों द्वारा राष्ट्रीय सेवा का अध्ययन किया और अनेक सिफारिशों के साथ "युवाओं के लिए राष्ट्रीय सेवा" शीर्षक से इस आशय की अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि विद्यार्थियों द्वारा सामाजिक सेवा की व्यवहार्य योजना विकसित करने के लिए भारत में क्या किया जा सकता है? इस बात की भी सिफारिश की गई कि परस्पर बेहतर सम्बन्ध के लिए सामाजिक सेवा शिविर निर्धारित आयु समूह के भीतर विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थियों, दोनों के लिए होने चाहिए।
6. डॉ० डी०एस० कोठारी की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग (1964-66) ने यह सिफारिश की कि शिक्षा के सभी स्तरों पर विद्यार्थियों को किसी न किसी रूप में सामाजिक सेवा के साथ जोड़ा जाना चाहिए। अप्रैल, 1967 में राज्यों के शिक्षा मन्त्रियों के सम्मेलन के दौरान इस बात को स्वीकार किया गया और उन्होंने यह सिफारिश की कि विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है जो पहले से स्वैच्छिक आधार पर चल रहा है और उन्हें राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) नामक एक नये कार्यक्रम के रूप में इसका विकल्प दिया जा सकता है। तथापि, होनहार खिलाड़ियों को इन दोनों से छूट दी जानी चाहिए और खेलों और एथलेटिक्स के विकास को प्राथमिकता देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उन्हें राष्ट्रीय खेल संगठन (एनएसओ) नामक एक अन्य स्कीम में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए।
7. मई, 1969 में शिक्षा मन्त्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बुलाये गये विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में भी सर्वसम्मति से यह घोषणा की गई कि राष्ट्रीय अखण्डता के लिए राष्ट्रीय सेवा एक सशक्त माध्यम हो सकता है। इसे शहरी विद्यार्थियों को ग्रामीण जीवन से परिचित कराने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। राष्ट्र की प्रगति और उत्थान में विद्यार्थी समुदाय के योगदान के प्रतीक के रूप में स्थायी महत्त्व की परियोजनाएँ भी शुरू की जा सकती हैं। सितम्बर, 1969 में कुलपतियों के सम्मेलन ने इस सिफारिश का स्वागत किया और यह सुझाव दिया कि इस प्रश्न की विस्तार से जाँच करने के लिए कुलपतियों की एक विशेष समिति गठित की जा सकती है। भारत सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विवरण में यह निर्धारित किया गया कि कार्य का अनुभव और राष्ट्रीय सेवा, शिक्षा के अभिन्न अंग होने चाहिए।
8. इसका ब्यौरा शीघ्र ही तैयार कर लिया गया और योजना आयोग ने चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के लिए ₹ 5 करोड़ का परिव्यय स्वीकृत कर दिया। यह शर्त रखी गई कि एनएसएस कार्यक्रम चुनिंदा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया जाना चाहिए।
9. 24 सितम्बर, 1969 को, तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री डॉ० वी० के० आर० वी० राव ने सभी राज्यों को शामिल करते हुए 37 विश्वविद्यालयों में एनएसएस कार्यक्रम शुरू किया और साथ ही राज्यों के मुख्यमन्त्रियों से सहयोग और सहायता का अनुरोध किया। यह उचित भी था कि यह कार्यक्रम गाँधी शताब्दी वर्ष के दौरान शुरू किया गया; क्योंकि गाँधी जी ने ही भारतीय स्वतन्त्रता और देश के दलित लोगों के सामाजिक उत्थान के लिए आन्दोलन में भाग लेने के लिए भारतीय युवाओं को प्रेरित किया था।
10. इस कार्यक्रम का मुख्य सिद्धान्त यह है कि यह स्वयं विद्यार्थियों द्वारा ही आयोजित किया जाता है और विद्यार्थियों और शिक्षकों को सामाजिक सेवा में अपनी संयुक्त सहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय विकास के कार्यों में भागीदारी का बोध होता है। इसके अलावा, विशेष रूप से विद्यार्थी कार्य का अनुभव प्राप्त करते हैं जो उन्हें स्वरोजगार या विश्वविद्यालय की शिक्षा पूरी होने पर किसी संगठन में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सहायक हो सकता है। प्रारम्भ में, इसके लिए प्रतिवर्ष प्रति एनएसएस विद्यार्थी ₹120 के व्यय का वित्तीय प्रावधान रखा गया जिसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा 7:5 के अनुपात में वहन किया जाना था अर्थात् प्रतिवर्ष प्रति एनएसएस विद्यार्थी केन्द्र सरकार द्वारा ₹70 और राज्य सरकार

TOUCH 'n PASS

द्वारा ₹50 दिया जाना है। मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, अब विशेष शिविर और नियमित कार्यकलापों के लिए उक्त राशि में संशोधन करने पर विचार किया जा रहा है।

11. इस योजना के प्रति विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया काफी उत्साहवर्धक रही। वर्ष 1969 में, प्रारम्भ में 40,000 विद्यार्थियों के पंजीकरण से शुरू करते हुए वर्ष 1995-96 के दौरान एनएसएस विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़कर 11.36 लाख हो गई। छठी, सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान एनएसएस विद्यार्थियों की भागीदारी रही।
12. अब यह योजना देश में सभी राज्यों और विश्वविद्यालयों में लागू है और कई राज्यों में माध्यमिक स्तर को भी शामिल किया गया है। अब विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक, सरकारी पदधारी, विश्वविद्यालय और कॉलेज/स्कूल और आमजन एनएसएस की आवश्यकता और महत्त्व महसूस करते हैं। इसने युवा विद्यार्थियों में जीवन की वास्तविकताओं की जागरूकता, लोगों की बेहतर समझ और समस्याओं का बोध पैदा किया है। इस प्रकार राष्ट्रीय सेवा योजना, परिसर को समुदाय की आवश्यकताओं के लिए प्रासंगिक बनाने में एक ठोस प्रयास है। एनएसएस यूनिटों के उत्कृष्ट कार्य और अनुकरणीय आचरण के कई उदाहरण हैं जिससे उन्हें लोगों का आदर और विश्वास मिला है। विशेष शिविर के लिए वर्ष 1995-96 से विषय का नाम वाटरशेड प्रबन्धन और जल भूमि विकास पर फोकस के साथ 'सतत विकास हेतु युवा' है। विषयों को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप चुना गया है। साथ ही 1991-92 से राष्ट्रीय सेवा योजना ने "विश्वविद्यालय में एड्स पर चर्चा" (यूटीए) नामक एड्स जागरूकता पर राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है जिस पर पूरे विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है और इसकी सराहना की गई है।
13. विश्वविद्यालय और माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों द्वारा दी गई समुदाय सेवा में कई पहलुओं पर काम किया गया है; जैसे—गहन विकास कार्य के लिए गाँवों को गोद लेना, चिकित्सा, सामाजिक सर्वेक्षण करना, चिकित्सा केन्द्र स्थापित करना, व्यापक स्तर पर टीकाकरण कार्यक्रम, साफ-सफाई अभियान, समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, रक्त दान, अस्पतालों में मरीजों की सेवा, अनाथालयों में अनाथों और शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों की सेवा आदि। एनएसएस स्वयंसेवकों ने पूरे देश में समय-समय पर चक्रवात, बाढ़, अकाल, भूकम्प आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं/आपात स्थितियों के दौरान सराहनीय राहत कार्य किया। एनएसएस विद्यार्थियों ने सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन और राष्ट्रवाद, प्रजातन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक सद्भावना, वैज्ञानिक रुझान के विकास जैसे राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत उद्देश्यों को लोकप्रिय बनाने के लिए अभियान चलाने में उपयोगी कार्य भी किया है।

प्रस्तावित विस्तार (Proposed Extension)

1. गत वर्षों में एनएसएस कार्यक्रमों का मात्रा और गुणवत्ता, दोनों की दृष्टि से विस्तार हुआ है। अगस्त, 1984 में भारत सरकार द्वारा एक समीक्षा समिति गठित की गई थी। इस समिति की एक महत्त्वपूर्ण सिफारिश यह भी थी कि एनएसएस के कार्यक्रम में काफी क्षमता है, अत: इसे जारी रहना चाहिए और इसका विस्तार किया जाना चाहिए। समिति ने प्रत्येक वर्ष एनएसएस के तहत 10 प्रतिशत और ज्यादा विद्यार्थियों को शामिल करने की भी सिफारिश की। सरकार द्वारा समिति की यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई है और नौवीं योजना के अन्त तक इस कार्यक्रम के तहत 20 लाख विद्यार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।
2. हाल में, इस योजना का विस्तार करके इसे एक खुली यूनिट बनाया गया है जिसमें एनएसएस के पूर्व स्वयंसेवकों और सामाजिक कार्य करने की क्षमता रखने वाले व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

माध्यमिक स्तर पर राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme at Secondary Level)

1. माध्यमिक स्तर पर योजना कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और दमन एवं दीव वर्तमान में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में प्रायोगिक आधार पर 1985 में शुरू की गई थी। विशिष्ट एजेन्सियों द्वारा किये गये मूल्यांकन के बाद इसे अन्य राज्यों में लागू किया गया है। वर्ष 1992 तक एनएसएस कार्यक्रम को गुजरात, केरल, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, गोवा राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया गया है जिनमें 1.60 लाख विद्यार्थियों को शामिल किया गया है। इस समय एनएसएस की कुल संख्या 1.3 मिलियन से अधिक है।

TOUCH 'n' PASS

2. शिक्षा नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना की भूमिका स्वीकार की गई है और इसकी सराहना की गई है, अत: राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ाये। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों से आशा है कि वे अपने बजट में आवश्यक प्रावधान करें ताकि प्रत्येक वर्ष एनएसएस स्वयंसेवकों की संख्या में 10 प्रतिशत की वृद्धि पर होने वाले व्यय को पूरा किया जा सके।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में संशोधित) पर विशेष बल
(Special Emphasis on the National Education Policy, 1986 (revised in 1992)

1. 1992 में किये गये संशोधन के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में यह परिकल्पना की गई है कि युवाओं को शैक्षिक संस्थानों और बाहरी एजेन्सियों के माध्यम से राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में भाग लेने के अवसर प्रदान किये जाएँगे। विद्यार्थियों को किसी-न-किसी मौजूदा योजना में भाग लेना होगा; जैसे-राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना को भी सुदृढ़ किया जाएगा।
   "विस्तार कार्य के लिए शैक्षिक अधिमान दिये जाने पर विचार किया जा सकता है और कतिपय क्षेत्रों में इसे सीधे सामाजिक कार्य और ग्रामीण विकास जैसे विस्तार कार्यकलापों से जोड़ा जा सकता है"
   "हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्णत: अनुमोदन करते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि सभी विद्यार्थी किसी-न-किसी मौजूदा योजना में भाग लें, विशेष रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) और राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) में।
2. उपरोक्त सिफारिशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्रवाई, 1992 के कार्यक्रम में यह प्रावधान किया गया है कि इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों और युवाओं की भागीदारी प्रेरित करने और उसे बनाये रखने हेतु प्रोत्साहनों से बिल्कुल अलग शिक्षकों की रुचि और सहभागिता प्रेरित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन विकसित किये जाएँ। सम्भव प्रोत्साहनों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है—
   (क) विश्वविद्यालय प्रणाली के तीसरे आयाम के तहत विस्तार कार्य के रूप में एनएसएस में शिक्षकों के उत्कृष्ट योगदान को अनुसन्धान कार्य के बराबर मानना।
   (ख) एनएसएस के तहत उत्कृष्ट योगदानों हेतु शिक्षकों के लिए विशेष प्रोत्साहन।
   (ग) कॉलेज और विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के प्रवेश के समय और कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के भीतर पदोन्नति हेतु भी एनसीसी, एनएसएस आदि के तहत उत्कृष्ट रिकॉर्ड वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रोत्साहन आदि।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में राष्ट्रीय सेवा योजना को विशेष महत्त्व दिया गया है, जिसमें यह प्रस्ताव किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी से आशा है कि वह एनएसएस या एनसीसी में भाग लेगा। अब यह महसूस किया गया है कि यह योजना विशेष रूप से हमारे देश में वर्तमान परिसर परिदृश्य, जहाँ विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास और अन्य कार्यकलापों के अवसर बहुत कम हैं, के सन्दर्भ में विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व विकास के लिए उपयोगी है। इस प्रकार केन्द्र और राज्य सरकारों को ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए काम करने की आवश्यकता है जिसमें विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में और माध्यमिक स्तर पर सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यथा परिकल्पित एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से ऐसे अवसर मिल सकें।
राष्ट्रीय सेवा योजना का विगत अनुभव काफी उत्साहवर्धक रहा है। इससे विद्यार्थियों को स्कूलों/कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में समुदाय सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के विविध अवसर मिले हैं।

प्र.2. एनसीसी किस प्रकार का संगठन है?
In which type of NCC organisation?

उत्तर

एनसीसी का संगठन
(Organisation of NCC)

एनसीसी एक स्वैच्छिक संगठन है जिसे रक्षा मन्त्रालय के माध्यम से प्रशासित किया जाता है। रक्षा मन्त्री समग्र रूप से प्रभारी हैं और एनसीसी और अन्य मामलों के कुशल कामकाज के लिए भारत सरकार के जिम्मेदार हैं।
एनसीसी मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, जिसके प्रमुख लेफ्टिनेन्ट जनरल रैंक के अधिकारी हैं, जो देश में एनसीसी के सुचारु कामकाज के लिए जिम्मेदार हैं।

राज्य की राजधानियों में 17 निदेशालय स्थित हैं, जिनकी अध्यक्षता एक मेजर जनरल/ब्रिगेडियर के पद के अधिकारी करते हैं या तीनों सेवाओं के समकक्ष हैं। राज्य के आकार और राज्यों में एनसीसी की वृद्धि के अनुसार, निदेशालयों के पास 14 समूह मुख्यालय होते हैं, जिसके माध्यम से वे अपनी कमान का उपयोग करते हैं और राज्य में संगठन पर नियन्त्रण रखते हैं। प्रत्येक समूह का नेतृत्व ब्रिगेडियर/कर्नल रैंक के एक अधिकारी द्वारा किया जाता है या समूह कमांडर के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक एनसीसी समूह मुख्यालय 5-7 एनसीसी इकाइयों/बटालियनों को नियन्त्रित करता है, जिसकी कमान कर्नल/लेफ्टिनेन्ट कर्नल या समकक्ष के पास होती है। प्रत्येक बटालियन में ऐसी कम्पनियाँ शामिल होती हैं जिनकी कमान लेफ्टिनेन्ट, कैप्टन या मेजर के रैंक के एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स (ANO) के पास होती है। कुल मिलाकर, देश में 99 समूह मुख्यालय हैं जो 700 सेना विंग इकाइयों (तकनीकी और लड़कियों की इकाई सहित), 73 नौसेना विंग इकाइयों और 64 एयर स्क्वाड्रन के एक नेटवर्क पर नियन्त्रण रखते हैं।

ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, पुरुषों के लिए कैम्पटी और ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, ग्वालियर में महिलाओं के लिए दो प्रशिक्षण अकादमियाँ हैं, जहाँ कॉलेजों और स्कूलों के प्रोफेसरों और शिक्षकों को विशेष रूप से कैडेट्स को एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर (एएनओ) के रूप में प्रशिक्षण दिया जाता है।

एनसीसी में निम्नलिखित कर्मचारी हैं—

1. तीनों सेवाओं से नियमित अधिकारी।
2. एनसीसी से पूरे समय महिला अधिकारी (WTLO)।
3. एसोसिएट NCC अधिकारी (ANO), जो प्रोफेसर और शिक्षक हैं।
4. NCC से गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर (GCI)।
5. सेना, नौसेना और वायु सेना से स्थायी अनुदेशक (पीआई) स्टॉफ।
6. सिविलियन ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर और शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर।
7. सिविलियन स्टॉफ

अच्छा और संगठित प्रशिक्षण एनसीसी का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा है और इसलिए इसे उचित महत्त्व दिया जाता है। वाहिनी ने कठोर प्रशिक्षण की अपनी सुव्यवस्थित प्रणाली के माध्यम से सफलता प्राप्त की है जिसमें प्रशिक्षण शिविरों पर अधिक तनाव के साथ बुनियादी, उन्नत और विशिष्ट प्रशिक्षण शामिल हैं।

एनसीसी की प्रशिक्षण गतिविधियों को मोटे तौर पर निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है—

1. **संस्थागत प्रशिक्षण**—स्कूल और कॉलेज में परेड के रूप में आयोजित प्रशिक्षण।
2. **शिविर प्रशिक्षण**—औपचारिक प्रशिक्षण 10-12 दिनों की अवधि के शिविरों के रूप में आयोजित किया जाता है।
3. **अटैचमेंट ट्रेनिंग**—सेना/नौसेना/वायु सेना इकाइयों के साथ लगाव या भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) और अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) जैसे अधिकारी प्रशिक्षण अकादमियों के साथ औपचारिक प्रशिक्षण।
4. **नौसेना विंग गतिविधियाँ**—कैडेटों को सीमांशिप, नेविगेशन, कम्युनिकेशन और अन्य सम्बद्ध नौसैनिक विषयों को पढ़ाया जाता है। तैराकी, स्कूबा डाइविंग और विंड सर्फिंग अन्य रोचक गतिविधियाँ हैं जिनसे कैडेटों को अवगत कराया जाता है।
5. **वायु सेना विंग गतिविधियाँ**—कैडेट्स को एयरमैनशिप, एयरो मॉडलिंग, नेविगेशन, एयर फ्रेम्स, एयरो इंजन और माइक्रोलाइट फ्लाइंग सिखाया जाता है।
6. **रिमाउंट और पशु चिकित्सा गतिविधि**—यह गतिविधि मुख्य रूप से घुड़सवारी के लिए है।

प्र.3. एनएसएस की मूल अवधारणाओं और घटकों का विवरण दीजिए। एनएसएस कार्यक्रमों का भी उल्लेख कीजिए
Explain the basic concepts and components of NSS. Also, mention the objectives of NSS programmes.

उत्तर

NSS की मूल अवधारणाएँ
(Basic Concepts of NSS)

राष्ट्रीय सेवा योजना, परिसर और समुदाय के बीच सार्थक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने यह माना था कि जब तक युवा विद्यार्थियों को गाँवों/समुदाय के उत्थान हेतु कार्य करने के लिए प्रेरित नहीं किया जाता तब तक

TOUCH 'n PASS

देश वांछित दिशा में आगे नहीं बढ़ सकता। गाँधीजी के नजरिए से गाँव, देश अर्थात् भारत का आइना है जहाँ देश की अधिकतर जनसंख्या रहती है। अत: राष्ट्र के पुनर्निर्माण और पुनरुत्थान के लिए यह उचित माना गया कि ग्रामीण समुदाय पर विशेष बल देते हुए विद्यार्थियों और शिक्षकों में समग्र रूप से भारतीय समाज के सुदृढ़ीकरण के लिए समझ पैदा की जाए और उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाए। अत: युवा विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय को, राष्ट्रीय सेवा योजना के 3 मूल घटक माना गया है।

NSS के घटक
(Components of NSS)

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी (National Service Scheme Programme Officer)

कार्यक्रम अधिकारी, जो शिक्षण संकाय का एक सदस्य होता है, युवाओं/एनएसएस विद्यार्थियों को आवश्यक नेतृत्व प्रदान करता है। शिक्षक/एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी के पास व्यावसायिक ज्ञान और कौशल होते हैं। वह स्कूल/कॉलेज और शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधि भी होता है तथा उसे युवा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की जानकारी होती है। इसके अलावा, उससे आशा की जाती है कि वह संस्थान और समग्र रूप से संस्थान के मूल्यों और मानदण्डों के अनुसार काम करने वाले आदर्श व्यक्ति की भूमिका निभाएगा। अत: वह समुदाय सेवा के माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करने में उन्हें आवश्यक नेतृत्व प्रदान करने वाला सबसे उपयुक्त व्यक्ति है। वास्तव में कार्यक्रम अधिकारी इस लक्ष्य को प्राप्त करने में विद्यार्थियों का हितैषी, चिन्तक और मार्गदर्शक होता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक (National Service Scheme Volunteer)

राष्ट्रीय सेवा योजना स्वयंसेवक, जो कॉलेज/स्कूल स्तर का विद्यार्थी होता है, इस कार्यक्रम का मुख्य लाभार्थी होता है; क्योंकि इससे समुदाय के बारे में उसकी सोच विकसित होती है, वह विशेष कार्य करने के कौशल अर्जित करता है और उसमें एक नेता, एक आयोजक और एक प्रशासक के गुण विकसित होते हैं और समग्र रूप से उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से उसे समुदाय को नजदीक से जानने का अवसर मिलता है और इस प्रकार अपने परिवेश की तुलना में उसे मानव प्रकृति का अनुभव प्राप्त होता है। इसी तरह राष्ट्रीय सेवा योजना का लक्ष्य, एनएसएस युवा विद्यार्थियों को "समुदाय सेवा के माध्यम से उनके व्यक्तित्व का विकास" के माध्यम से बेहतर नागरिक बनाना है।

समुदाय (Community)

समुदाय, एनएसएस स्वयंसेवकों को लोगों के रहन-सहन के हालातों की प्रत्यक्ष जानकारी देता है और इस प्रकार एक दूसरे से सीखने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एक ओर, विद्यार्थियों और शिक्षकों के समुदाय के साथ मेलजोल से विद्यार्थी स्वयंसेवकों का व्यक्तित्व सशक्त बनता है, दूसरी ओर इससे समुदाय को अपने रहन-सहन के हालातों में सुधार करने में सहायता मिलती है।

एनएसएस कार्यक्रमों/कार्यकलापों के लक्ष्य (Objectives of NSS Programmes or Activities)

राष्ट्रीय सेवा योजना का कार्यात्मक लक्ष्य इस कार्यक्रम के तीन मूल घटकों को एक-दूसरे से जोड़ना है। राष्ट्रीय सेवा योजना से सीखने के विविध अनुभव मिलने चाहिए जिनसे स्वयंसेवकों में सहभागिता, सेवा और उपलब्धि का बोध विकसित होना चाहिए। कार्यकलापों का लक्ष्य इस प्रकार होना चाहिए—

1. समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने और विश्वविद्यालय/कॉलेज विद्यार्थियों को ग्रामीण परिवेश से परिचित कराकर उनकी शिक्षा में सहयोग करने के लिए शिक्षा को वर्तमान स्थिति के और ज्यादा अनुरूप बनाना।
2. विद्यार्थियों को ऐसी विकास परियोजनाओं की योजना और निष्पादन में अपनी भूमिका निभाने के अवसर देना, जिनसे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी मलिन बस्तियों में ठोस समुदाय परिसम्पत्तियाँ सृजित करने में सहायता मिलेगी बल्कि इनसे समुदाय के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार भी होगा।
3. विद्यार्थियों और गैर-विद्यार्थियों को ग्रामीण क्षेत्रों में वयस्कों के साथ काम करने के लिए प्रोत्साहित करना।
4. शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों और स्थानीय युवाओं (ग्रामीण और शहरी), दोनों को विकास कार्यक्रम में और ज्यादा घनिष्ठता से सहभागी बनाने और साथ ही शिविरों के दौरान सृजित परिसम्पत्तियों का उचित रख-रखाव सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उनमें छुपी हुई क्षमता का पता लगाकर नेतृत्व के गुणों को विकसित करना।

TOUCH 'n' PASS

5. श्रम और स्व-सहायता की गरिमा और शारीरिक कार्य को बौद्धिक कार्यों से मिलाने की आवश्यकता पर बल देना। युवाओं को कार्पोरेट रहन-सहन और सहयोगी कार्य के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने और राष्ट्रीय अखण्डता का संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. युवाओं को कार्पोरेट रहन-सहन और सहयोगी कार्रवाई के माध्यम से राष्ट्रीय विकास की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने और राष्ट्रीय अखण्डता का संवर्धन करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ये कार्यकलाप शुरू करते समय, प्रत्येक एनएसएस यूनिट को अपने कार्यक्रमों/कार्यकलापों की परिकल्पना तैयार करनी चाहिए जिनका उद्देश्य अनुशासन की भावना पैदा करना, चरित्र निर्माण करना, शारीरिक स्वस्थता का संवर्धन करना और संस्कृति का विकास करना हो।

प्र.4. एनएसएस कार्यक्रमों का विस्तृत वर्गीकरण बताइए।
State the detail classification of NSS programmes.

उत्तर

एनएसएस कार्यक्रमों का वर्गीकरण
(Classification of NSS Programmes)

राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यकलापों को 2 प्रमुख समूहों में बाँटा गया है। ये है नियमित एनएसएस कार्यकलाप और विशेष शिविर कार्यक्रम—

1. **नियमित एनएसएस कार्यकलाप**—इसके तहत विद्यार्थी सप्ताह अन्त के दौरान या कॉलेज समय के बाद गोद लिए गाँवों, कॉलेजों/स्कूल परिसरों तथा शहरी मलिन बस्तियों में विभिन्न कार्यक्रम शुरू करते हैं।

   एनएसएस स्वयंसेवक समुदाय सेवा के लिए गोद लिये गये गाँवों और मलिन बस्तियों में विभिन्न कार्यकलाप चलाते हैं। इन सेवाओं की अवधि 120 घण्टे होती है। एनएसएस यूनिट नियमित कार्यकलाप आयोजित करती हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है—

   (i) **एनएसएस स्वयंसेवकों का अनुकूलन**—एनएसएस स्वयंसेवकों को एनएसएस कार्यकलापों के मूल सिद्धान्तों से परिचित कराने के लिए व्याख्यानों, चर्चाओं, फील्ड दौरों और दृश्य-श्रव्य सामग्रियों आदि के माध्यम से उनके अनुकूलन हेतु 20 घण्टे का समय रखा जाता है।

   (ii) **परिसर कार्य**—एनएसएस स्वयंसेवकों को संस्थान और सम्बन्धित विद्यार्थियों के लाभार्थ शुरू की गई परियोजनाओं में सहभागी बनाया जा सकता है। ऐसी परियोजनाओं में खेल के मैदानों का विकास, बगीचे बनाना, परिसरों में वृक्षारोपण, नशीली दवाओं के सेवन और एड्स पर जागरूकता कार्यक्रम, जन शिक्षा और अन्य परियोजनाएँ शामिल होती हैं। एनएसएस स्वयंसेवक एक वर्ष में अधिकतम 30 घण्टों के लिए परिसर परियोजनाओं पर काम कर सकते हैं।

   (iii) शेष 70 घण्टों का उपयोग अलग से या इस क्षेत्र में अन्य लोगों के सहयोग से गोद लिए गये गाँवों/शहरी मलिन बस्तियों में परियोजनाओं पर समुदाय सेवा के लिए किया जाएगा, जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है—

   (a) **संस्थागत कार्य**—विद्यार्थियों को परिसर से बाहर महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए कार्यरत चुनिन्दा शैक्षिक संगठनों में रखा जा सकता है।

   (b) **ग्रामीण परियोजना**—सामान्यत: ग्रामीण परियोजनाओं में निरक्षरता के उन्मूलन, वाटरशेड प्रबन्धन और बंजर भूमि विकास, कृषि कार्यों, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, सफाई, मातृ और बाल-देखरेख, पारिवारिक जीवन शिक्षा, महिलाओं के साथ न्याय, ग्रामीण सहकारी समितियों के विकास, बचत अभियानों, ग्रामीण सड़कों के निर्माण, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध अभियान आदि के लिए गोद लिए गये गाँवों में एनएसएस स्वयंसेवकों का कार्यकरण शामिल होता है।

   (c) **शहरी परियोजनाएँ**—ग्रामीण परियोजनाओं के अलावा अन्य परियोजनाओं में प्रौढ़ शिक्षा, मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के कल्याण, नागरिक रक्षा में प्रशिक्षण, यातायात नियन्त्रण, प्रथम उपचार चौकियों की स्थापना, अस्पतालों, अनाथालयों, निराश्रय घर, पर्यावरण, जन शिक्षा, नशीली दवाओं, एड्स जागरूकता

TOUCH 'n' PASS

और आय सृजन परियोजनाएँ आदि शामिल होती हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना अपनाने वाले व्यावसायिक और तकनीकी संस्थानों को समुदाय के लिए आवश्यकताओं पर आधारित उचित कार्यक्रम तैयार करने पड़ सकते हैं।

(d) **प्राकृतिक आपदाएँ और राष्ट्रीय आपातकाल स्थितियाँ**—राष्ट्रीय सेवा योजना यूनिटों से बचाव, राहत, पुनर्वास में सार्वजनिक सहायता जुटाने और प्राधिकारियों को आवश्यक सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाओं और राष्ट्रीय आपातकाल स्थितियों में एनएसएस स्वयंसेवकों की सेवाओं का उपयोग करने की आशा की जाती है। ऐसी आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों में कार्यक्रम अधिकारियों से आशा की जाती है कि वे प्रशासन को सहायता करने के लिए पहल करें और एनएसएस यूनिटों और अपने स्वयंसेवकों की सेवाएँ उपलब्ध कराएँ।

(e) **राष्ट्रीय दिवस और समारोह**—राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रमों में राष्ट्रीय दिवसों के समारोह भी शामिल हैं। ऐसे प्रावधान का उद्देश्य ऐसे अवसरों को उपयुक्त ढंग से मनाना है।

(f) **विशेष शिविर कार्यक्रम**—इसके तहत लम्बे अवकाश के समय के दौरान स्थानीय समुदाय की भागीदारी से गोद लिए गये गाँवों या शहरी मलिन बस्तियों में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के साथ 10 दिनों की अवधि के शिविर आयोजित किये जाते हैं। इन शिविरों में 50 प्रतिशत एनएसएस स्वयंसेवकों के भाग लेने की आशा की जाती है।

2. **विशेष शिविर कार्यक्रम**—इसके तहत लम्बे अवकाश के समय के दौरान स्थानीय समुदाय की भागीदारी से गोद लिए गए गाँवों या शहरी मलिन बस्तियों में कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के साथ 10 दिनों की अवधि के शिविर आयोजित किये जाते हैं। इन शिविरों में 50 प्रतिशत एनएसएस स्वयंसेवकों के भाग लेने की आशा की जाती है।

प्र.5. नेहरू युवा केन्द्र संगठन पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।
Write a long note on NYKS.

उत्तर

नेहरू युवा केन्द्र संगठन (NYKS)

सिंहावलोकन (Overview)—भारत के समक्ष जनसंख्या की दृष्टि से लाभ का अद्वितीय अवसर है, जिसमें युवा वर्ग प्रमुख महत्त्वपूर्ण परिसम्पत्ति है युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय, जो युवा सशक्तिकरण तथा विकास के लिए नोडल मन्त्रालय है, युवाओं में गहन स्वयंसेवा, समुदाय सेवा, अच्छे नागरिक बनने की भावना पैदा करने और उनका व्यक्तित्व विकास करने की दिशा में कार्यरत रहा है। इस प्रयोजनार्थ मन्त्रालय के एक महत्त्वपूर्ण कार्यान्वयक खण्ड, नेहरू युवा केन्द्र का प्रयास ग्रामीण युवा क्लबों की स्थापना पोषण तथा मार्गदर्शन में सहायता करने का है।

पृष्ठभूमि (Background)—नेहरू युवा केन्द्रों की स्थापना, ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने तथा अपने व्यक्तित्व और कौशलों का विकास करने के अवसर प्रदान करने के लिए 1972 में की गई थी। वर्ष 1987-88 में नेहरू युवा केन्द्र की स्थापना उक्त केन्द्रों के कार्यकरण की देखरेख करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय, भारत सरकार के अधीन स्वायत्त संगठन के रूप में की गई थी।

कार्यक्षेत्र (Workspace)—ग्रामीण युवा क्लबों सहित नेहरू युवा केन्द्र संगठन मूल स्तर पर सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है जो विश्व में अपनी तरह का अकेला संगठन है। संगठन स्वयंसेवा भाव, स्वसहायता तथा समुदाय भागीदारी के सिद्धान्तों के आधार पर उन युवाओं की शक्ति का सदुपयोग करता है। जो 13 से 35 वर्ष के है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन के 501 केन्द्र, 28 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 1.25 लाख से अधिक ऐसे ग्राम आधारित सक्रिय युवा क्लब हैं जिनमें लगभग 37 लाख स्वयंसेवी पंजीकृत हैं। इसका उद्देश्य मूल स्तर पर युवाओं के ग्राम आधारित स्तर पर स्वयंसेवी कार्य समूह गठित करना है और राष्ट्र निर्माण के कार्यकलापों में इस विपुल क्षमता का उपयोग करना है।

युवा क्लब व इसके सदस्य, स्वयंसेवी नेहरू युवा केन्द्र संगठन के विशाल राष्ट्रीय ग्रामीण नेटवर्क का आधार हैं। युवा क्लबों के अपने दूर-दूर तक फैले नेटवर्क, जिसमें लगभग 20,000 राष्ट्रीय युवा कॉर्प्स (एनवाईसी) स्वयंसेवियों तथा नेहरू युवा केन्द्र हैं, के साथ यह संगठन युवाओं को देश के लिए एक महत्त्वपूर्ण ताकत के रूप कार्य करने के अवसर प्रदान करने के लिए ऊर्जावान तन्त्र बन गया है।

TOUCH 'n PASS

युवाओं का समावेशन-युवा क्लब सर्वेक्षण व विधि मान्यकरण
(Inclusion of Youth, Youth Club Selection and Method Validation)

हाल में नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा 85 दिन के अभियान में 12,000 युवा स्वयंसेवियों को शामिल करते हुए मौजूदा सभी 3.5 लाख सदस्यों के साथ 1.25 लाख सक्रिय युवा क्लबों का वृहत डाटा आधार तैयार किया गया है और नेहरू युवा केन्द्र संगठन की वेबसाइट पर ऑनलाइन डाटा आधार डाला जाएगा।

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा शुरू किये गये कार्यक्रम (Programme started by NYKS)

मूलत: अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नेहरू युवा केन्द्र संगठन का प्रयास आधुनिक भारत के जिम्मेदार व उपयोगी नागरिक बनने वाले युवाओं को सक्रिय भागीदार के रूप में राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने का है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन एक लाख से अधिक ग्राम आधारित युवा क्लबों के स्वतन्त्र मूल स्तर के नेटवर्क के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में साक्षरता समर्थन, जागरूकता, अभियान, सामाजिक संपरीक्षा तथा सहायता कार्यक्रमों में शामिल रहा है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, नियमित रूप से युवा क्लबों की क्षमता निर्माण व जागरूकता, ग्रामीण युवाओं के रोजगार अवसरों हेतु कौशल उन्नयन व प्रशिक्षण तथा साथ ही उनके व्यक्तित्व विकास व अच्छे नागरिक बनने सम्बन्धी कार्यकलाप चलाता है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन खण्ड, जिला व राज्य स्तरों पर साहसिक कार्य, स्कूल खेल व अन्य खेल स्पर्धाएँ आयोजित करने में भी कार्यरत है। नेहरू युवा केन्द्र संगठन, राष्ट्रीय युवा उत्सव भी आयोजित करता है जिसमें सांस्कृतिक कार्यकलाप, प्रतियोगी स्पर्धाएँ, हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी, खान-पान उत्सव आदि शामिल होते हैं जिनके माध्यम से देश के जोशपूर्ण युवाओं के विभिन्न प्रकार के सामाजिक स्वरूप की झलक प्रस्तुत की जाती है।

अन्य मन्त्रालयों/विभागों के साथ सहक्रियाशीलता
(Co-operation with other Ministries or Departments)

नेहरू युवा केन्द्र संगठन के विशाल नेटवर्क व इसकी फील्ड यूनिटों के उपयोग में आमूल-चूल परिवर्तन शुरू हो गया है। हाल में विभाग द्वारा प्रमुख पहल के रूप में शुरू की गई एक ऐसी ही भूमिका, भारत सरकार व राज्य सरकारों के साथ प्रयासों में सहक्रियाशीलता व समन्वय रहा है। अब युवा क्लब और एनवाईसी स्वयंसेवी, भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों व योजनाओं तक पहुँचने के लिए पर्याप्त अवसर व उपयुक्त मंच प्रदान करते हैं। इस नेटवर्क को कार्यक्रम साक्षरता, समर्थन, प्रायोगिक आधार पर सम्भव क्षेत्रों में कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा सरकार के कुछ एक प्रमुख महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों की सामाजिक संपरीक्षा के माध्यम से कई तरह से उपयोगी पाया गया है।

ग्रामीण विकास मन्त्रालय (Ministry of Rural Development)

एमजी एनआरईजीए : 2000 खण्डों के 80,000 गाँवों/ग्राम पंचायतों में गहन सामाजिक संपरीक्षा का तन्त्र स्थापित करने तथा जीविका सुरक्षा से सम्बद्ध कार्य हेतु 10 चुनिन्दा राज्यों के 200 परियोजना जिलों में कार्यान्वित किये जाने हेतु एमजीएनआरईजीए के तहत कार्यकर्त्ताओं की क्षमता निर्माण व जागरूकता संवर्धन।

स्वच्छ जल एवं सफाई विभाग (Department of Clean Water and Sanitation)

बिहार के 15 प्रतिशत से कम सफाई सुविधा वाले 9 चुनिन्दा जिलों के 45 खण्डों व 2250, गाँवों को यह सुविधा देने हेतु निर्मल बिहार सम्पूर्ण सफाई जागरूकता अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य टीएससी, बिहार सरकार की तकनीकी सहायता से सफाई व स्वच्छता स्तरों को सुधारना है।

गृह मन्त्रालय (Home ministry)

तृतीय जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम (Third Tribal Youth Exchange Programme)

नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने सितम्बर से अक्टूबर, 2010 के बीच भोपाल (मध्य प्रदेश), बडोदरा (गुजरात), हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश) तथा एर्नाकूलम (कोचीन) में तृतीय जनजातीय युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया है। प्रत्येक स्थान पर आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के 40 चुनिन्दा जिलों के 250 जनजातीय युवाओं को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया। इस प्रकार कुल लगभग 1000 जनजातीय युवाओं

TOUCH 'n' PASS

ने भाग लिया। गृह मन्त्रालय की विज्ञापन एवं प्रचार की स्कीम के तहत सरकार के विकास कार्यक्रमों तथा पूर्वोत्तर भारत में उग्रवाद के दुष्प्रभावों के प्रचार-प्रसार में निम्नलिखित शामिल हैं—

श्रम मन्त्रालय (Labour ministry)

नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा आरजीएनआईवाईडी के सहयोग से पारम्परिक रोजगार कौशल प्रमाणीकरण परियोजना शुरू की गई है। प्रथम उपाय के रूप में आरजीएनआईवाईडी ने एनसीवीटी के सहयोग से उन युवाओं के लिए प्रमाणीकरण कार्यक्रम शुरू किया है जिन्होंने पारम्परिक कौशल विकसित किये हैं। इस परियोजना के तहत तमिलनाडु के कन्याकुमारी और त्रिवनामली; मध्य प्रदेश के शिवपुरी व मन्दसौर जिलों; पंजाब के तरण-तारण व फतेहगढ़ साहिब जिलों; आन्ध्र प्रदेश के कुडप्पा व गुण्डूरिन जिलों में परीक्षण/जाँच की गई। पारम्परिक कौशल प्राप्त कुल 4432 व्यक्तियों ने जाँच परीक्षा दी जिनमें से 3989 व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र दिये गये हैं।

भारत का निर्वाचन आयोग (Election Commission of India)

राज्य विधानसभा चुनाव 2010 के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा बिहार के 34 जिलों में ग्राम आधारित युवा क्लबों/युवती मण्डलों के माध्यम से 'मताधिकार' के सम्बन्ध में बिहार में 'मतदाता जागरूकता अभियान' शुरू किया गया। इस अभियान के दौरान नेहरू युवा केन्द्र संगठन के स्वयंसेवियों द्वारा बिहार के 34 जिलों के 9005 गाँवों में सूचना, शिक्षा व संचार सम्बन्धी सामग्री वितरित की गई।

खेल विभाग, एमवाईएएस (Sports department, MYAS)

अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएँ—पीवाईकेकेए मिशन निदेशालय, खेल विभाग युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय ने नेहरू युवा केन्द्र संगठन को देश के 626 जिलों में अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित करने का कार्य सौंपा था। 537 जिलों में अन्तर स्कूल खेल प्रतिस्पर्धाएँ आयोजित की गई हैं।

पीवाईकेकेए ग्रामीण खेल प्रतिस्पर्धाएँ—नेहरू युवा केन्द्र संगठन ने देश के 7 चुनिन्दा राज्यों में 250 खण्ड स्तर व 24 जिला स्तर टूर्नामेन्ट आयोजित किये हैं। ये प्रतिस्पर्धाएँ खण्ड स्तर पर 5 खेल शाखाओं तथा जिला स्तर 10 खेल शाखाओं में आयोजित की जाती हैं।

सेफ किड्स फाउण्डेशन (इण्डिया) : नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा दिल्ली के 60 स्कूलों व 20 मलिन बस्तियों में सेफ किड्स "वॉक दिस वे" नामक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यातायात नियमों व सुरक्षित पैदल चलने के तरीकों की जानकारी दी जाती हैं।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूएनएफपीए) किशोर स्वास्थ्य एवं विकास (एएचडी) परियोजना (United Nations Poulation Fund Adolescent Health and Development Project)

नेहरू युवा केन्द्र संगठन, देशभर में 31 राज्यों में 64 जिलों में यूएनएफपीए की सहायता से 'किशोर स्वास्थ्य एवं विकास' परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना के तहत 3824 किशोर क्लबों के लिए विभिन्न किशोर विकास कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। ये किशोर क्लब, किशोरों में जागरूकता पैदा करने व जीवन कौशलों का निर्माण करने के प्रति कार्यरत हैं ताकि वे जीवन में सही चुनाव कर सकें।

प्र.6. राष्ट्रीय सेवा योजना के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए।
Describe the different schemes of NSS.

उत्तर

राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) (National Service Scheme)

राष्ट्रीय सेवा योजना शैक्षिक विस्तार में एक उत्कृष्ट प्रयोग है। यह सतत सामुदायिक मेलजोल के माध्यम से विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के मध्य स्वैच्छिक कार्य की भावना पैदा करती है। वर्षों से एनएसएस, समुदाय के साथ जोड़ने वाले भारत के सबसे बड़े युवा छात्र आन्दोलन के रूप में उभरा है।

राष्ट्रीय सेवा योजना, जो एनएसएस के रूप में लोकप्रिय है, को 1969 में गाँधी जी की जन्मशती पर 37 विश्वविद्यालयों में प्रारम्भ किया गया था जिसमें 40 हजार विद्यार्थी शामिल थे और जिसका मुख्य फोकस सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व

TOUCH 'n' PASS

के विकास पर था। आज एनएसएस की पूँजी में 251 विश्वविद्यालयों में 14698 कॉलेजों/उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा संस्थानों तथा 8174 सेकेंड्री स्कूलों में फैले हुए 3.2 मिलियन से अधिक छात्र स्वयंसेवक हैं।

कार्यक्रम (Programme)

राष्ट्रीय सेवा योजना में 2 प्रकार के कार्यक्रम हैं अर्थात् स्वयंसेवकों द्वारा किये जाने वाले "नियमित क्रियाकलाप" और "विशेष शिविर कार्यक्रम"। "नियमित क्रियाकलापों" के अन्तर्गत एनएसएस के स्वयंसेवक लगातार 2 वर्षों तक प्रतिवर्ष 120 घण्टे देते हैं जिसमें एनएसएस के सम्बन्ध में सामान्य अभिमुखीकरण के 20 घण्टे शामिल हैं। इस अवधि के दौरान वे अपनाये गये अपने गाँवों/मलिन बस्तियों में स्वच्छता, प्रौढ़ शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण/बचाव आदि के क्षेत्र में कार्य करते हैं।

विशेष शिविर, छात्रों को सामूहिक रहन-सहन, सामूहिक अनुभव को बाँटने और समुदाय से लगातार सम्पर्क के अद्भुत अवसर उपलब्ध करता है। विशेष शिविर कार्यक्रम सामान्यतया राष्ट्रीय महत्त्व के विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर आयोजित किये जाते हैं। विशेष शिविर का वर्तमान विषय 'स्वस्थ भारत के लिए स्वस्थ युवा' है। प्रतिवर्ष प्रत्येक एनएसएस इकाई के 50 प्रतिशत स्वयंसेवकों से 7 दिवसों की अवधि के विशेष शिविरों में भाग लेने की आशा की जाती है। दो वर्षों के पंजीकरण की इस अवधि में अर्थात् प्रत्येक वर्ष प्रत्येक यूनिट के 50 प्रतिशत स्वयंसेवक विशेष शिविर में भाग लेते हैं।

वित्त पोषण पद्धति (Funding pattern)

पूर्वोत्तर क्षेत्र, सिक्किम तथा पहाड़ी भू-भाग जहाँ पर वित्त पोषण का 3:1 का अनुपात है, को छोड़कर सभी राज्यों में इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से 7:5 के अनुपात में वित्त पोषण किया गया है। जम्मू व कश्मीर तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों में ये कार्यक्रम शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित हैं। योजना के संशोधित मानदण्डों, जो 1 अप्रैल, 2010 से प्रभावी हुए थे, के अनुसार नियमित क्रियाकलापों हेतु प्रतिवर्ष प्रति स्वयंसेवक ₹250 और विशेष शिविर कार्यक्रम हेतु ₹450 प्रति स्वयं सेवक प्रतिवर्ष की राशि देय है।

संगठन (Organisation)

राष्ट्रीय स्तर पर युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय योजना की नीति, आयोजन और मॉनीटरिंग को देखता है। कार्यक्रम सलाहकार की अध्यक्षता में कार्यक्रम सलाहकार प्रकोष्ठ को एनएसएस के तहत छात्रों के लिए निर्धारित लक्ष्यों तथा विशेष शिविर कार्यक्रम के तहत लक्ष्यों का मूल्यांकन और मॉनीटरिंग का कार्य सौंपा गया है। उप अथवा सहायक कार्यक्रम सलाहकार अथवा युवा अधिकारी के नियन्त्रण के अधीन विभिन्न राज्यों में 15 क्षेत्रीय केन्द्र कार्य कर रहे हैं। राज्य स्तर पर, राज्य एनएसएस प्रकोष्ठों की स्थापना, राज्य स्तर पर सम्बन्धित कार्यक्रम के निर्बाध कार्यान्वयन हेतु अन्तर विभागीय समन्वय की देखरेख करने के लिए पूर्ण वित्तीय सहायता के साथ केन्द्र सरकार द्वारा की जाती है।

प्रशिक्षण (Training)

एनएसएस कार्यक्रम अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सामाजिक विकास के आधुनिक कौशलों के साथ उन्हें तैयार करने के लिए, भारत सरकार के वित्त पोषण से देशभर में 5 अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और अनुसन्धान केन्द्र (टीओआरसी) और 13 प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण केन्द्र (टीओसी) कार्य कर रहे हैं, ये संस्थान फील्ड कार्यकर्त्ता के लिए अभिमुखीकरण और पुन:श्चर्या पाठ्यक्रम चलाते हैं, जो एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ जुड़े हैं।

लक्ष्य और उपलब्धियाँ (31 दिसम्बर, 2010 तक)
(Goals and Achievements (up to 31 December 2010))

वर्ष 2010-11 में नियमित कार्यकलापों के लिए 32,46,058 स्वयंसेवक पंजीकृत करने का लक्ष्य था जिसे पहले ही पूरा कर लिया गया है। अपनाये गये गाँवों में 13,310 विशेष शिविर आयोजित किये गये जाने हैं जिसकी तुलना में आज तक 7084 विशेष शिविर आयोजित किये गये हैं और यह लक्ष्य 31.03.2010 तक पूरा कर लिए जाने की आशा है।

पल्स पोलियो टीकाकरण में 1,54,341 स्वयंसेवकों ने भाग लिया, जिसमें 325716 बच्चों को लाभ मिला। वर्ष के दौरान 1591 रक्तदान शिविर आयोजित किये गये और एनएसएस स्वयंसेवकों द्वारा 62,879 रक्त यूनिट दान की गई। वृक्षारोपण अभियान में 26,50,829 पौधे लगाये गये हैं।

TOUCH 'n PASS

राजीव गाँधी साहस स्कीम (Rajiv Gandhi Sahas Scheme)

युवा विद्यार्थियों में साहसिक क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए 26 जून, 2009 को राजीव गाँधी साहस स्कीम प्रारम्भ की गई थी जिसे उत्तर में हिमालयी क्षेत्र से दक्षिण भारत में कुन्नूर तथा टेकड़ी तक 2000 एनएसएस स्वयंसेवकों के साथ वार्षिक आधार पर संचालित किया जाता है और इसमें कम-से-कम 50 प्रतिशत स्वयंसेवक बालिकाएँ होंगी। इन शिविरों में किये जाने वाले साहस क्रियाकलापों में पर्वतारोहण (पहाड़ तथा मरूस्थल), नदी, जल, राफ्टिंग, पैरा-सेलिंग, पैरा-ग्लाइडिंग और आधारभूत स्कीइंग शामिल हैं।

गणतन्त्र दिवस पूर्व तथा गणतन्त्र दिवस शिविर (Republic day pre and Republic day Camp)

एनएसएस स्वयंसेवक प्रत्येक वर्ष राजपथ में गणतन्त्र दिवस की परेड में भाग लेते हैं। परेड में मार्च करने वाले दल के चयन हेतु 5 गणतन्त्र दिवस पूर्व परेड शिविरों का आयोजन किया जाता है इन शिविरों में 1000 एनएसएस स्वयंसेवकों (प्रारम्भिक चयन के पश्चात्) और एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी भाग लेते हैं। 1000 स्वयंसेवकों में से 200 स्वयंसेवकों का चयन अन्तिम रूप से जनवरी में नई दिल्ली में चलने वाले एक माह के गणतन्त्र दिवस में भाग लेने के लिए किया जाता है।

इंदिरा गाँधी एनएसएस पुरस्कार (IGNSS)

आईजीएनएसएस पुरस्कारों की शुरूआत, एनएसएस के रजत जयन्ती वर्ष 1993-94 में की गई थी। ये पुरस्कार, एनएसएस स्वयंसेवकों, कार्यक्रम अधिकारियों तथा कार्यक्रम समन्वयकर्त्ताओं की नि:स्वार्थ सेवा के सम्मान में दिया जाता है। ये पुरस्कार (i) उत्कृष्ट विश्वविद्यालय (कार्यक्रम समन्वयकर्त्ता) (ii) 6 उत्कृष्ट कार्यक्रम अधिकारियों तथा 6 यूनिटों और (iii) 6 उत्कृष्ट एनएसएस स्वयंसेवकों को दिये जाते हैं।

इंदिरा गाँधी एनएसएस पुरस्कारों की सभी श्रेणियों की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। अब विश्वविद्यालय/माध्यमिक परिषद स्तर पुरस्कार के लिए ₹2,00,000/- 6 एनएसएस यूनिटों के लिए प्रत्येक यूनिट को ₹70,000/- 6 कार्यक्रम अधिकारियों के लिए प्रत्येक अधिकारी को ₹20,000/- तथा 16 स्वयंसेवकों के लिए प्रत्येक स्वयंसेवक को ₹15,000/- का नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कारों की संख्या बढ़ाने का भी निर्णय किया गया है। वर्ष 2010-11 के लिए पुरस्कार, 6 एनएसएस यूनिटों/कार्यक्रम अधिकारियों के बजाय 10 यूनिटों/अधिकारियों तथा वर्तमान में 16 एनएसएस स्वयंसेवकों के बजाय 30 स्वयंसेवकों को दिये गए।

एनएसएस पर 12 मिनट की लघु कारपोरेट फिल्म बनाई गई तथा इसे स्थापना दिवस के दौरान रिलीज किया गया।

06 दिसम्बर, 2010 तक राष्ट्रीय सेवा योजना की उपलब्धियाँ योजना आयोग के लिए अन्तरिम रिपोर्ट (Achievements of the National Service Scheme by 6 December 2010, Final Report to the Planning Commission)

1. एनएसएस स्वयंसेवकों का वास्तविक पंजीकरण	: 32,46,058
2. आयोजित विशेष शिविर	: 7,084
3. अंगीकृत गाँव	: 15,381
4. रक्त दान शिविर आयोजित किये गये	: 1,591
5. रक्त यूनिट दान की गई	: 62,879
6. पौधे लगाये गये	: 26,50,829
7. पल्स पोलियो टीकाकरण में स्वयंसेवकों ने भाग लिया	: 1,54,341
8. बच्चों को लाभ पहुँचा	: 3,25,716

प्र.7. राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का क्या कार्य है? वर्णन कीजिए।
What is the work of RGNIYD? Describe.

उत्तर

राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (RGNIYD)

युवा विकास, भारत जैसे विशाल देश में मानव संसाधनों के निर्माण के सन्दर्भ में राष्ट्रीय विकास का प्रमुख घटक है, अत: यह महसूस किया गया कि युवा प्रेरणा के सभी प्रासंगिक पहलुओं का पता लगाने तथा युवा कल्याण के कार्यक्रम विकसित करने तथा

TOUCH 'n' PASS

उनका डिजाइन तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय संगठन होना आवश्यक है। इस उद्देश्य से युवा कार्यक्रम एवं खेल विभाग, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वायत्त निकाय के रूप में राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान (आरजीएनआईवाईडी) की स्थापना की गई और इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, XXVII, 1975 (1993 का 67 वाँ) के तहत पंजीकृत किया गया।

यह एक व्यावसायिक संसाधन एजेन्सी के रूप में उभरा है और युवा कार्यक्रम एवं खेल मन्त्रालय के एक "बुद्धिजीवी शक्ति" के रूप में कार्य करता है। युवा से सम्बन्धित क्रियाकलापों में तथा सरकारी एवं गैर-सरकारी एजेन्सियों की सहायता करता है। राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष संस्थान के रूप में यह एनएसएस, एनवाईके और अन्य युवा संगठनों के साथ निकट सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कार्य करता है। यह संस्थान युवाओं के प्रशिक्षण और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में युवा विकास क्रियाकलापों के एक सुग्राहक के रूप में कार्य करता है।

इसको मानव संसाधन विकास मन्त्रालय द्वारा सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया।

संस्थान को आवश्यक कार्यात्मक सुविधाएँ तथा ढाँचा मुहैया करवाया गया है ताकि यह युवा कार्य में व्यावसायिक विशेषज्ञता की उपलब्धता को सुनिश्चित करने और युवा कार्यकर्त्ताओं के एक दक्ष संवर्ग को बनाने के लिए एक उन्नत अध्ययन तथा प्रायोगिक अनुसन्धान केन्द्र के रूप में कार्य कर सके। अपने कार्यात्मक क्रियाकलापों की एक नियमित विशेषता के रूप में संस्थान ने कई अनुसन्धान परियोजनाएँ तथा विस्तार कार्यक्रमों को युवाओं में वह क्षमता खोजने के लिए प्रारम्भ किया है जोकि सम्भवत: छुपी हुई ही रहती। यह युवाओं को उनसे सम्बन्धित मुद्दों तथा साथ ही उनके विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले मुद्दों पर बहस तथा चर्चा करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

राजीव गाँधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान युवा विकास के क्षेत्र में प्रशिक्षण, अनुसन्धान, कार्य अनुसन्धान, परामर्श, प्रसार तथा प्रलेखन क्रियाकलापों हेतु एक शीर्ष संस्थान के तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण एवं परिवर्तनकारी भूमिका को निभा रहा है।

संस्थान में प्रशासनिक प्रभाग के अतिरिक्त 5 प्रभाग हैं जिनमें से प्रत्येक एक संकाय प्रमुख के अधीन है।

1. प्रशिक्षण, अनुकूलन व विस्तार प्रभाग (टीओई)
2. अनुसन्धान, मूल्यांकन व प्रलेखन/प्रसार प्रभाग (आईईएडी)
3. पंचायती राज व युवा कार्यक्रम प्रभाग (पीआरआईवाईए)
4. युवा विकास प्रभाग में अन्तर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र (आईसीईवाईडी)
5. सामाजिक सौहार्द व राष्ट्रीय एकता प्रभाग (एसएचएएनयू)
6. किशोर स्वास्थ्य एवं विकास प्रकोष्ठ
7. लिंग आधारित अध्ययन प्रकोष्ठ

आरजीएनआईवाईडी द्वारा संचालित कार्यकलाप व कार्यक्रम
(Activities and Programme conducted by RGNIYD)

(क) डॉ० ए०पी०जे० अब्दुल कलाम द्वारा 11 नवम्बर, 2010 को आरजीएनआईवाईडी की प्रख्यात वक्ता शृंखला का उद्घाटन।

(ख) 21 मई, 2010 को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाना।

(ग) 8-19 जून, 2010 तक द्वितीय विशाल एनएसएस ग्रीष्मकालीन शिविर।

(घ) 1 सितम्बर, 2010 आरजीएनआईवाईडी स्थापना दिवस समारोह

(ङ) निम्नलिखित प्रकाशन जारी किये गये—

1. युवा विकास रिपोर्ट—भारत, 2010
2. भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र पर केन्द्रित बल के साथ जनजातीय मनोभाव विदित करना।

(च) राष्ट्रीय युवा नीति में संशोधन हेतु राष्ट्रीय परामर्श 1 जुलाई, 2010।

(छ) अर्द्ध-कानूनी प्रशिक्षण व कानूनी सहायता कार्यकलाप एवं परामर्श-25 अप्रैल, 2010।

TOUCH 'n PASS

(ज) युवा एवं शान्ति संवर्धन पर क्षेत्रीय विशेषज्ञ समूह परामर्श 21-23 जून, 2010।

(झ) प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) कार्यक्रम—युवा से सम्बद्ध विभिन्न मुद्दों पर लगभग 1256 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया जो प्राप्त ज्ञान का आगे युवा में प्रसार करेंगे जिनके साथ वे मिलकर कार्य करते हैं।

(ञ) उद्यमशीलता विकास हेतु कार्यक्रम का संचालन—आरजीएनआईवाईडी ने एनसीबीटी के सहयोग से ग्रामीण युवाओं के पारम्परिक कौशलों का मूल्यांकन करने का विशेष कार्य शुरू किया। पंजाब राज्य में पटियाला, होशियारपुर, फरीदकोट व मान्सा जैसे जिलों से कौशल मूल्यांकन व प्रमाणीकरण के कुल 878 आवेदन प्राप्त हुए; मध्य प्रदेश में सेहोर, उज्जैन, रतलाम जिलों से युवाओं से कुल 1058 आवेदन प्राप्त हुए; तमिलनाडु में डिण्डीगुल, थेनी, मदुरै, वेल्लोर व त्रिची जिलों से 1972 आवेदन प्राप्त हुए; और आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम, ईलूरू, हैदराबाद व विजयवाड़ा जिलों के युवाओं से 1199 आवेदन प्राप्त हुए। मदुरै व त्रिची जिलों के युवाओं को 171 प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं। इन चार राज्यों के युवाओं से कुल 5107 आवेदन प्राप्त हुए। यह परिकल्पना की गई है कि मार्च, 2011 के अन्त तक मूल्यांकन की समूची प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

(ट) आरजीएनआईवाईडी द्वारा विकसित पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता व विषयवस्तु का मूल्यांकन।

(ठ) युवा मुद्दों सम्बन्धी प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करना।

(ड) शैक्षिक कार्यक्रम—इस वर्ष के दौरान, 18 राज्यों के कुल 76 छात्रों को पाँच स्नातकोत्तर कार्यक्रमों में प्रवेश दिया गया। आरजीएनआईवाईडी छात्रों का प्रथम बैंच उत्तीर्ण होकर निकला और उनमें से 22 उम्मीदवारों को प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों में रोजगार मिला।

प्र.8. राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।
Write a long note on NPYAD.

उत्तर

राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम (NPYAD)
(National Youth and Adolescent Development Programme)

परियोजना तैयार करने व इसके कार्यान्वयन में क्षेत्र स्तर के संगठनों के लिए निधियों की उपलब्धता में होने वाले विलम्ब को दूर करने तथा राज्य सरकारों की सहभागिता को संस्थागत रूप देने के लिए, वित्तपोषण की पद्धति तथा कार्यान्वयन तन्त्र की एकरूपता को सुनिश्चित करते हुए, समान उद्देश्य वाली योजनाओं की अधिकता को कम करने के उद्देश्य से युवा गतिविधियों व प्रशिक्षण के संवर्धन, राष्ट्रीय एकीकरण के संवर्धन, साहस संवर्धन और किशोरों का विकास व सशक्तिकरण नामक चार योजनाओं, जो युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय से शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता अनुदान प्राप्त योजनाएँ थीं, को मिलाकर राष्ट्रीय युवा एवं किशोर विकास कार्यक्रम (एनपीवाईएडी) नामक योजना दसवीं योजनावधि के दौरान तैयार की गई थी। हालाँकि कार्यात्मक तन्त्र तथा कार्यक्रम निष्पादन में सहक्रियाशीलता व समन्वय होगा लेकिन योजना के अन्तर्गत प्रत्येक घटक के वित्तीय पैरामीटर में स्पष्ट विभाजन होगा।

युवा कार्यक्रम व खेल मन्त्रालय पंचायती राज संस्थानों व शहरी स्थानीय निकायों तथा पॉलिटेक्निको सहित शैक्षिक संस्थान को छोड़कर सीधे अखिल भारतीय संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त करेगा, जो अपने प्रस्ताव सम्बन्धित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के युवा कार्यक्रम विभाग के माध्यम से भेजेंगे।

योजना, परियोजना कार्यान्वयन की एजेन्सियों (पीआईए) के जरिए कार्यान्वित की जा रही हैं। परियोजना कार्यान्वयन एजेन्सी, योजना के अन्तर्गत एक अथवा अधिक कार्यक्रम क्षेत्र अथवा घटकों को शामिल करते हुए परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है। परन्तु विचार के लिए परियोजना का मुख्य कारक विगत अनुभव तथा संसाधन (अवसंरचना तथा तकनीकी जनशक्ति) होंगे। प्रस्ताव, युवा कार्यक्रम विभाग में प्रस्तावों पर निर्णय करने हेतु सचिव (युवा कार्यक्रम) की अध्यक्षता में विधिवत गठित परियोजना मूल्यांकन समिति (पीएसी) के समक्ष रखे जाते हैं।

इस कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थी राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त युवा नेटवर्क के तहत युवाओं तथा किशोर वर्ग हैं। इनमें नेहरू युवा केन्द्र संगठन या राज्य सरकारों, एनएसएस यूनिटों से सम्बद्ध युवा क्लबों के सदस्य या स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के युवा विद्यार्थी शामिल हैं। ऐसे अन्य प्रतिष्ठित युवा संगठनों के किशोर और युवा भी पात्र हैं, जिनकी देश के

विभिन्न भागों में शाखाएँ हैं। विशेष योग्यताओं वाले तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के युवाओं को वरीयता दी जाती है।

राष्ट्रीय युवा उत्सव (National Youth Festival)

युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय ने राजस्थान सरकार के सहयोग से झीलों के शहर उदयपुर में 12 से 16 जनवरी, 2011 तक सोलहवाँ युवा राष्ट्रीय उत्सव आयोजित किया था। इस उत्सव का विषय 'सबसे पहले भारत' था। इस पाँच दिवसीय उत्सव में पूर्वोत्तर के सभी राज्यों सहित समूचे देश के लगभग 2500 से 3000 युवाओं ने भाग लिया। महामहिम उपराष्ट्रपति श्री हामिद अंसारी, तात्कालिक माननीय युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्री, माननीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मन्त्री, भारत सरकार तथा राजस्थान के माननीय मुख्यमन्त्री ने उपस्थित होकर उत्सव की शोभा बढ़ायी।

उत्सव के दौरान आयोजित 'युवा कृति', 'व्यंजन उत्सव' और 'हवाई साहस' जैसे अनेक आकर्षक कार्यक्रमों तथा 'सुविचार' तथा 'युवा अभिसमय' जैसे पारस्परिकता वाले कार्यक्रमों की, लोगों द्वारा व्यापक सराहना की गई। श्री मोहम्मद अजरूद्दीन, संसद सदस्य एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान तथा 16वें एशियाई खेलों में 4 × 400 मीटर रिले क्वार्टेट से भारतीय महिला टीम की स्वर्ण पदक विजेता, सदस्य, सिनी जोस ने भी 'सुविचार' के एनएसएस भागीदारों को सम्बोधित और प्रेरित किया।

तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार (Tenzing Norgay National Courage Award)

तेंजिंग नार्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार के तहत साहस के क्षेत्र में व्यक्तियों की उपलब्धियों को सम्मानित किया जाता है तथा युवा लोगों को सहनशीलता, जोखिम उठाने, मिलजुलकर सहयोग से काम करने की भावना तथा चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में तत्काल और प्रभावी तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामान्यत: हवाई साहस, जलीय साहस तथा स्थलीय साहस के क्षेत्र में एक-एक पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक वर्ष आजीवन उपलब्धि पुरस्कार भी दिया जाता है। अन्य चीजों के साथ-साथ इस पुरस्कार में पाँच-पाँच लाख रुपये की राशि दी जाती है।

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार (National Youth Awards)

राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, स्वैच्छिक समुदाय सेवा करने हेतु युवाओं को प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसके तहत राष्ट्रीय विकास और सामाजिक सेवा हेतु युवा व्यक्तियों द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य को सम्मानित किया जाता है। राष्ट्रीय विकास के विभिन्न कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी में कार्यरत स्वैच्छिक संगठन को एक युवा पुरस्कार भी दिया जाता है इस पुरस्कार में व्यक्ति को ₹40,000 तथा स्वैच्छिक संगठन को ₹2 लाख की राशि दी जाती है। सामान्यत: प्रत्येक वर्ष दिये जाने वाले पुरस्कारों की संख्या 25 से अधिक नहीं होगी। सामान्यत: ये पुरस्कार राष्ट्रीय युवा उत्सव के उद्घाटन दिवस को दिये जाते हैं। वर्ष 2009-10 के पुरस्कार उदयपुर में 12 जनवरी, 2011 को 16वें राष्ट्रीय युवा उत्सव के दौरान महामहिम उपराष्ट्रपति श्री एम० हामिद अंसारी (तात्कालिक) द्वारा 22 व्यक्तियों को दिये गये।

यूएनएफपीए सहायता प्राप्त स्कीम (UNFPA Assisted Scheme)

यूएनएफपीए ने एक परियोजना के रूप में युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय को सहायता दी है जो स्वास्थ्य मन्त्रालय की आरसीएच परियोजना हेतु यूएनएफपीए वृहत वित्त पोषण कार्यक्रम का भाग है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवा कार्यक्रम और खेल मन्त्रालय में किशोर सेल की स्थापना सहित मन्त्रालय की किशोर विकास योजना को युक्तिसंगत बनाने हेतु क्षमता निर्माण में सहायता करना है। इसके लिए सहायता, यूएनएफपीए के छठें देश कार्यक्रम के तहत प्रदान की गई जो 2004 से 2007 की अवधि के लिए थी। इस परियोजना के तहत शुरू किये गये/प्रस्तावित कार्यकलाप तथा मुख्य कार्यक्षेत्र इस प्रकार हैं—एनएसएस, एनवाईकेएस, आरजीएनआईवाईडी हेतु क्षमता निर्माण; कार्यान्वयक एजेन्सियों का संस्थागत सुदृढ़ीकरण; संदर्श निर्माण/नोडल अधिकारियों/फिल्ड कार्यकर्त्ताओं का अनुकूलन प्रशिक्षण। 64 जिलों में यूएनएफपीए के माध्यम से किशोर क्लबों का गठन; एनएसएस तथा एनवाईकेएस के लिए एमआईएस तथा डाटा आधार फार्मेटों का विकास; साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण सम्बन्धी मैनुअल सुविधाओं का विकास तथा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरजीएनआईवाईडी के राष्ट्रीय किशोर संसाधन केन्द्र की स्थापना। इस परियोजना के तहत ₹13.40 करोड़ (2005-06 से शुरू) का व्यय किया गया।

TOUCH 'n PASS

यूएनएफपीए के 7वें देश कार्यक्रम (सीपी 7) के तहत यूएनएफपीए समर्पित योजना का कार्य जारी रखने का प्रस्ताव है जो 2008 से 2012 की अवधि के लिए होगा। अनवरत कार्यकलापों को सुदृढ़ करना जारी रखने के अलावा वर्ष 2008-12 के लिए तैयार किये जा रहे आगामी कार्यक्रम में इस परियोजना को मौजूदा जिलों में और अधिक खण्डों में शुरू किया जाएगा तथा अतिरिक्त जिलों को भी शामिल किया जाएगा।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित में से कौन-सी एक सामाजिक प्रक्रिया नहीं है?
(क) आवास (ख) संस्कृतिकरण
(ग) विनाश (घ) आत्मसात्करण
उत्तर (ग) विनाश

प्र.2. निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान है?
(क) किशोरे न्याय अधिनियम-1985
(ख) अस्पृश्यता अपराध अधिनियम-1954
(ग) दहेज निषेध अधिनियम-1962 (घ) कारखाना अधिनियम-1948
उत्तर (घ) कारखाना अधिनियम-1948

प्र.3. भारत में पंचायती राज संस्थाओं ने निम्नलिखित में से एक को जन्म दिया है?
(क) अस्पृश्यता का उन्मूलन
(ख) दलित वर्गों को भूमि स्वामित्व
(ग) ग्राम शासन में कमजोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व
(घ) शिक्षा का प्रसार
उत्तर (ग) ग्राम शासन में कमजोर वर्गों का औपचारिक प्रतिनिधित्व

प्र.4. ''सोशल ग्रुप वर्क-ए हेल्पिंग प्रोसेस'' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) विल्सन जी० और रायलैंड (ख) ट्रेकर एच०बी०
(ग) फिलिप्स एच०यू० (घ) कोनोपका जी०
उत्तर (घ) कोनोपका जी०

प्र.5. सामाजिक विधान का उद्देश्य है—
(क) सामाजिक समस्याओं को हल करने के लिए
(ख) मौजूदा जरूरतों और मौजूदा कानूनों के बीच अन्तर को पाटने के लिए
(ग) नये कानून बनाना
(घ) कानूनों और समस्याओं की समीक्षा करना
उत्तर (ख) मौजूदा जरूरतों और मौजूदा कानूनों के बीच अन्तर को पाटने के लिए

प्र.6. दमित विचारों का सूक्ष्म वस्तुओं के रूप में प्रकट होना है—
(क) ऊर्ध्वपातन (ख) दुविधा
(ग) मुआवजा (घ) निर्धारण
उत्तर (क) ऊर्ध्वपातन

प्र.7. 'लुकिंग ग्लास सेल्फ' की अवधारणा किसने दी?
(क) कार्ल मार्क्स (ख) जी०एच० मीड
(ग) सी०एच० कूली (घ) एम०के० गाँधी
उत्तर (ग) सी०एच० कूली

TOUCH 'n' PASS

प्र.8. सामाजिक कार्य अनुसन्धान में 'परिवर्तनों का संचालन' का अर्थ है—
(क) चरों को समझने के लिए पर्याप्त सरल बनाना
(ख) चर को मापने योग्य बनाना
(ग) चरों को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना
(घ) चरों को अनुसन्धान के लिए उपयुक्त बनाना
उत्तर (ख) चर को मापने योग्य बनाना

प्र.9. निम्नलिखित में से कौन-सा सही मिलान नहीं है?
(क) आर्य समाज—स्वामी दयानन्द सरस्वती
(ख) ब्रह्म समाज—राजा राममोहन राय
(ग) प्रार्थना समाज—रमाबाई रानाडे
(घ) सत्यशोधक समाज—ज्योतिबा फुले
उत्तर (ग) प्रार्थना समाज—रमाबाई रानाडे

प्र.10. 'सोशल डायग्नोसिस' पुस्तक किसके द्वारा लिखी गयी थी?
(क) मैरी रिचमण्ड (ख) जोसेफ लूफट
(ग) पेरेलमैन (घ) रॉस
उत्तर (क) मैरी रिचमण्ड

प्र.11. 'आश्वासन' उन तकनीकों में से एक है जो व्यापक श्रेणी के अन्तर्गत आता है?
(क) निर्देश (ख) जानकारी माँगना
(ग) न्यूनतम प्रतिक्रियाएँ (घ) जटिल प्रक्रियाएँ
उत्तर (क) निर्देश

प्र.12. 'मानकीय प्रणाली' से तात्पर्य है—
(क) समाज के नियमों और मानदण्डों की प्रणाली
(ख) समाज की संस्कृति
(ग) समाज का पारम्परिक व्यवहार
(घ) उपरोक्त सभी
उत्तर (घ) उपरोक्त सभी

प्र.13. निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जनसंख्या की विविधता को इंगित करेगी?
(क) माध्यमिक संघ (ख) सामाजिक सहिष्णुता
(ग) माध्यमिक नियन्त्रण (घ) सामाजिक गतिशीलता
उत्तर (क) माध्यमिक संघ

प्र.14. भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सामुदायिक विकास कार्यक्रम सबसे पहले 1952 में शुरू किया गया था?
(क) तमिलनाडु (ख) पंजाब और हरियाणा
(ग) उत्तर प्रदेश (घ) राजस्थान
उत्तर (घ) राजस्थान

प्र.15. सामुदायिक संगठन के दृष्टिकोण कौन-से है/हैं?
(क) समुदाय संचालित विकास (ख) सामाजिक पूँजी निर्माण
(ग) पारिस्थितिक सतत विकास (घ) ये सभी
उत्तर (घ) ये सभी

TOUCH 'n PASS

प्र.16. किसी अनुमान की विश्वसनीयता को इंगित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है?

(क) ब्रह्मांड (ख) सांख्यिकीय महत्त्व

(ग) नमूनाकरण विधि (घ) आत्मविश्वास अन्तराल

उत्तर (घ) आत्मविश्वास अन्तराल

प्र.17. मई 2012 से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मन्त्रालय के तहत निम्नलिखित में से कौन-सा विभाग बनाया गया है?

(क) उच्च शिक्षा विभाग

(ख) विकलांगता मामलों का विभाग

(ग) स्वास्थ्य अनुसन्धान विभाग

(घ) ग्रामीण विकास विभाग

उत्तर (ख) विकलांगता मामलों का विभाग

प्र.18. नीचे दिया गया सहानुभूतिपूर्ण और परानुकम्पी विभाजन का सही क्रम क्या है?

(क) वक्ष-त्रिक-कपाल-ग्रीवा-काठ

(ख) कपाल-काठ-वक्ष-ग्रीवा-त्रिक

(ग) त्रिक-ग्रीवा-वक्ष-कपाल-काठ

(घ) त्रिक-कपाल-ग्रीवा-वक्ष-काठ

उत्तर (ग) त्रिक-ग्रीवा-वक्ष-कपाल-काठ

प्र.19. मानव कान सामान्यतः से लेकर ध्वनियाँ सुन सकता है—

(क) 200-100 हर्ट्ज (ख) 10-2000 हर्ट्ज

(ग) 20-2000 हर्ट्ज (घ) 1000-5000 हर्ट्ज

उत्तर (ग) 20-2000 हर्ट्ज

प्र.20. फाई-घटना, स्ट्रोबोस्कोपिक गति, प्रेरित गति और ऑटोकाइनेटिक गति सभी हैं—

(क) सचित्र संकेत (ख) स्पष्ट गति

(ग) दोहरी छवियाँ (घ) गैर-मौखिक संकेत

उत्तर (ख) स्पष्ट गति

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VI

एन०जी०ओ० एवं अन्य
NGO and Other

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. CRY की शुरूआत किसने की?
Who started CRY?

उत्तर 1979 में CRY की स्थापना रिपन कपूर ने की थी। वे भारत का बच्चों का खुशहाल बचपन सुनिश्चित करना चाहते थे। रिपन ने CRY के साथ देश के नागरिकों तथा, सरकारों को भी जोड़ा है।

प्र.2. CRY का लक्ष्य क्या है?
What is the aim of CRY?

उत्तर 1. लोगों को बच्चों के बारे में बताना और उन्हें इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सक्षम बनाना। ताकि बच्चे कभी पीछे न रह जाए।
2. लोगों को परिवर्तन के लिए समझाना।
3. भारत के बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित, संरक्षित और सम्मान देने के लिए सबको एक साथ करने के लिए इकट्ठा करना।

प्र.3. CRY का फुल फॉर्म क्या है?
What is the full form of CRY?

उत्तर CRY का फुल फॉर्म है Child Rights and You. यह एक NGO है जो बच्चों के अधिकारों के लिए काम करता है।

प्र.4. UNDP को परिभाषित कीजिए।
Define UNDP.

उत्तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है। यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढाँचे के विकास और प्रजातान्त्रिक को प्रोत्साहित करने का काम करता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 'यूएनडीपी' परिवर्तन के लिए अधिवक्ताओं और लोगों के बेहतर को बनाने में सहायता करने के लिए ज्ञान, अनुभव और संसाधनों को जोड़ता है।

प्र.5. UNDP का मुख्य कार्य क्या है?
What is the main function of UNDP?

उत्तर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (United Nations Development Programme) एक संयुक्त राष्ट्र संगठन है जो देशों की गरीबी को खत्म करने और सतत् आर्थिक विकास और मानव विकास हासिल करने में मदद करने के लिए काम करता है।

प्र.6. UNDP क्या है?
What is UNDP?

उत्तर UNDP को साल 1965 में स्थापित किया गया था। इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को EPTA यानी Expanded Programme of Technical Assistance और 1958 में स्पेशल फण्ड को विलय कर स्थापित किया गया था। EPTA की स्थापना 1949 में विकासशील देशों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से सहायता प्रदान करने के लिए की गयी थी। UNDP 170 से अधिक देशों में काम करता है।

TOUCH 'n' PASS

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. UNDP का इतिहास एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए।
Explain the history and works of UNDP.

उत्तर

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
(United Nations Development Programme)

अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिए यह एक प्रमुख एजेन्सी है। इसका कार्य विश्व के लगभग सभी देशों और उनके क्षेत्रों में गरीबी और असमानता में कमी लाना है। UNDP द्वारा सभी देशों के विकास के लिए उचित प्रयास किये जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सभी देशों की नीतियों, उनके नेतृत्व कौशल और क्षमताओं का विकास करना और उन्हें उनके लक्ष्य की प्राप्ति हेतु आवश्यक सहायता प्रदान करना है।

इसका मुख्य लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, कानूनी शासन और संस्थानों का निर्माण तथा लोकतान्त्रिक शासन के निर्माण में अपनी भागीदारी देना है। जिससे लोगों के जीवन में सार्थक परिवर्तन लाया जा सके।

UNDP का इतिहास—वर्ष 1949 में बनाये गये तकनीकी सहायता के संयुक्त राष्ट्र विस्तारित कार्यक्रम EPTA और 1958 में गठित संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष दोनों का विलय कर UNDP को बनाया गया था। इसे वर्ष 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित किया गया।

भारत में UNDP का कार्य—वर्ष 1951 से **United Nations Development Programme** यानी UNDP ने भारत में मानव विकास के लिए कई क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है। UNDP ने भारत में लोकतान्त्रिक शासन, गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण प्रबन्धन हर क्षेत्र में काम किया है।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) द्वारा किये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार हैं—

1. सतत् विकास 2. मानव विकास 3. विकास चुनौतियों का समाधान 4. रणनीति अगुवाई।

प्र.2. UNDP के सतत् विकास लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए।
Mention the sustainable development aims of UNDP.

उत्तर

UNDP के सतत् विकास लक्ष्य
(Sustainable Development aim of UNDP)

1. 2030 तक सभी देशों में शान्ति और समृद्धि कायम करना।
2. 2030 तक गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के अनुपात को कम करना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक संसाधनों के अवसर देना और उन्हें आधारभूत सेवाओं का लाभ प्रदान करना है।
3. 2030 तक सभी प्रकार की भुखमरी और कुपोषण को समाप्त करना।
4. 2030 तक कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर तैयार करना।
5. विकसित और विकासशील देशों में कृषि उत्पादन क्षमता का विकास, कृषि अनुसन्धान और सेवाओं का विकास आदि।
6. 2030 तक मातृ मृत्यु दर को प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 70 से कम करने के साथ नये जन्मे बच्चे (नवजात शिशु) और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत को समाप्त करना।
7. 2030 तक कई गम्भीर बीमारियों जैसे एड्स, मलेरिया, तपेदिक अन्य रोग को समाप्त करना।
8. 2030 तक सभी लड़के और लड़कियों को मुक्त और गुणवत्ता युक्त प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त कराना। सभी बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा तक पहुँच।
9. युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना तथा कौशल प्राप्त युवाओं को तकनीकी और कौशल के क्षेत्र में नौकरियों के अवसर में वृद्धि करना।
10. UNDP द्वारा लैंगिक समानता को मुख्य रूप से लक्षित किया गया है। जिसका लक्ष्य हर क्षेत्र में महिलाओं को सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्ति प्रदान करना है।

TOUCH 'n' PASS

11. सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा और शोषण को समाप्त करना।
12. महिलाओं के प्रति फैली सभी प्रकार की कुप्रथाओं का अन्त करना आदि।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. गैर-सरकारी संगठन के बारे में आप क्या जानते हैं? इनका देश के विकास में क्या योगदान है?
What do you know about non-government organisation or NGO? What is their contribution in the development of country?

उत्तर

गैर-सरकारी संगठन
[Non-Government Organisation (NGO)]

गैर-सरकारी संगठन वह संस्थाएँ या समूह हैं जो पूरी तरह या अधिकतर सरकार से सम्बन्धित नहीं होते हैं। ये मूल रूप से मानवीय कार्यों में लगे होते हैं और जो सरकारी कार्य तो कर सकते हैं लेकिन लाभ का कोई काम नहीं करते हैं। विदेशों में इनका पंजीकरण निजी कम्पनियों के रूप में होता है, लेकिन वहाँ भी यह लाभ का काम नहीं करते बल्कि स्थानीय के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मानवीय कार्यों में सहयोग करते हैं। ये मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं—एक तो संस्थागत और दूसरा ट्रस्ट।

ट्रस्ट धार्मिक या दान देने वाले जैसे कार्यों के लिए जनता से धन एकत्रित करती हैं।

N.G.O. के प्रकार—

1. **स्थानीय**—जो अपने मुख्यालय या उसके आस-पास तक ही अपना कार्य सीमित रखते हैं, स्थानीय गैर-सरकारी संगठन कहलाते हैं।
2. **राज्य स्तरीय**—इनका विकास कार्यक्षेत्र पूरे राज्य में फैला होता है।
3. **राष्ट्रीय**—इनका कार्यक्षेत्र पूरे देश में फैला होता है; जैसे—CRY।
4. **अन्तर्राष्ट्रीय**—इनका कार्यक्षेत्र कई देशों तक फैला होता है; जैसे—CARE, OXFAM।

गैर-सरकारी संगठनों के गुण व विशेषता—

1. ये गैर मुनाफा कमाने वाली संस्था होती हैं।
2. ये गैर राजनैतिक होती हैं।
3. इसका गठन व्यक्तियों के समूहों के द्वारा होता है। इनका गठन किसी सामाजिक उद्देश्य से किया जाता है जो इनके सदस्यों के द्वारा ही निर्धारित किये जाते हैं।
4. ये संस्थाएँ किसी से भी धन और सामग्री की मदद ले सकती हैं।
5. यह संस्थाएँ उन समुदायों से भी सहयोग लेती हैं जिनके विकास के लिए ये कार्य करती हैं।
6. कई संस्थाएँ आपस में मिलकर भी समस्या के समाधान के लिए कार्य करती हैं।
7. इनका कार्यक्षेत्र, उद्देश्य, देश, काल और परिस्थिति के अनुरूप बदलता रहता है।
8. इसका गठन व संचालन प्रजातान्त्रिक होता है।

गैर-सरकारी संस्थाओं के कई नाम प्रचलित हैं; जैसे—स्वैच्छिक संगठन (Voluntary Organisation (VO), स्वैच्छिक संस्था (Voluntary Agencies, (VA), स्वैच्छिक विकास संस्था (Voluntary Development Organisation (VDO), गैर-सरकारी विकास संस्था (Non-Government Development Organisation (NGDO)।

गैर-सरकारी संस्थाओं के प्रमुख क्षेत्र—देश में कितने प्रकार की और कितनी संख्या में गैर-सरकारी संस्था कार्यरत हैं यह कहना सम्भव नहीं है। 1860 का गैर-सरकारी संस्था/ट्रस्ट पंजीकरण कराने का कानून पूरे देश में लागू है। कोई भी व्यक्ति समूह जो गैर मुनाफा, गैर-राजनैतिक ढंग से किन्हीं सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्य करना चाहती है तो वह स्वतन्त्र है कि अपना उद्देश्य और नियमावली बनाकर जब चाहे संस्था का गठन कर सकती है।

TOUCH 'n PASS

कार्यक्षेत्र/उद्देश्य के कुछ प्रमुख उदाहरण—1. वृद्ध स्त्री-पुरुष की देखभाल। 2. छोटे बच्चों की देखभाल। 3. अपंग लोगों की देखभाल। 4. पशुओं की देखभाल। 5. शिक्षा संस्थान चलाना। 6. पर्यावरण सुरक्षा। 7. जन स्वास्थ्य। 8. संस्कृति विकास। 9. विज्ञान तकनीकी प्रसार। 10. महिला विकास इत्यादि।

गैर-सरकारी संस्था अपने कार्यक्षेत्र के अनुरूप सरकारी विभागों से भी तालमेल बिठाकर अपने क्षेत्र में कार्य करती है। इस तरह दोनों एक-दूसरे की पूरक बनकर समाज को लाभ पहुँचाती है।

ये NGO's संयुक्त राष्ट्र संगठन (NGO) के विभिन्न संगठनों; जैसे-UNICEF, WHO, FAO के साथ मिलकर भी कार्य करती हैं।

प्र.2. ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका एवं दायित्वों को समझाइए।

Explain the role and responsibilities of non-government organisations or NGO's in rural development.

उत्तर

ग्रामीण विकास में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और दायित्व
(Role and Responsibilities of Non-government Organisations in Rural Development)

गैर-सरकारी संगठन स्थानीय लोगों के साथ ही मिलकर बनते हैं। वे अपनी स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। गाँव में साक्षरता का अभाव एवं गरीबी के कारण लोग सरकार की योजनाओं एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में रुचि नहीं लेते हैं। योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करने, ग्रामीण क्षेत्रों में अवसर उपलब्ध करवाने, उन्हें तथा गरीबों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है। गैर-सरकारी संगठन इस लक्ष्य को प्राप्त करने में व्यापक भूमिका निभा सकते हैं। विदेशी वित्तीय संस्थान एवं दानदाता संस्थाएँ भी गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से ग्रामीण विकास में रुचि दिखा रही हैं। विश्व बैंक तथा उसकी समकक्ष संस्थाएँ निरन्तर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से अधिकाधिक वित्त प्रदान कर रही हैं। विश्वव्यापी गरीबी की समस्या को देखते हुए विश्व स्तर पर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से गरीबी निवारण एवं ग्रामीण कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दिया जाता है। विभिन्न देशों में संचालित गरीबी निवारण परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों के योगदान को बढ़ावा देने के लिए विश्व बैंक ने एक औपचारिक तन्त्र का गठन किया है, जो सीधे गैर-सरकारी संगठनों से सम्पर्क रखता है।

ग्रामीण विकास एवं गरीबी निवारण परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठन अधिक कुशलता से कार्य कर सकते हैं क्योंकि इन कार्यक्रमों के लिए राष्ट्रीय एवं स्थानीय स्तर पर सरकारी तन्त्र की कमी देखी गई है। दक्षिणी एशिया में 1990-2000 के दशक में गरीबों की संख्या 47.4 करोड़ से बढ़कर 52.2 करोड़ हो गई है। यद्यपि यह प्रतिशत के रूप में 45 से घटकर 40 रह गया है। भारत सरकार ने अपनी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए और गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार, जहाँ सरकारी व निजी क्षेत्र की सेवा प्रदान करने की क्षमता अपर्याप्त एवं अकुशल है वहाँ गैर-सरकारी संगठन सरकारी प्रयासों को अधिक कुशलता से लागू कर सकते हैं।

ग्रामीण विकास में किसी भी योजना एवं कार्यक्रम की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि विभिन्न संगठनों में लोगों की सक्रिय भागीदारी कितनी रही। विकास के कार्यों में स्वयंसेवी संगठनों द्वारा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित कर कार्य किये जाते हैं। ये संगठन सरकारी प्रयासों तथा विकास के कार्यों को ग्रामीण विकास के साथ जोड़कर करते हैं। आज गैर-सरकारी संगठनों का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। आज हर कार्य में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी ली जा रही है और हर प्रकार के कार्य में गैर-सरकारी संगठन सक्रिय हैं।

आज कई गैर-सरकारी संगठनों ने कई क्षेत्रों में लोगों की भागीदारी से ऐसे कार्य किये जो सरकारी प्रयासों के 50 वर्ष बाद भी नहीं हासिल किये हैं। राजस्थान में पीने और सिंचाई के पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तालाब बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों का कायापलट करने में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका को राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है इसको सफल देखकर देश में 'वाटरशैड' के प्रोजेक्ट चलाये जा रहे हैं। बिहार में उठा सुलभ शौचालय आन्दोलन देशभर में फैलकर स्वच्छता को बढ़ावा देकर ऐतिहासिक काम कर रहा है। इसने ग्रामीणों के साथ मिलकर स्थानीय आवश्यकताओं एवं संसाधनों के अनुरूप कई प्रकार के शौचालय विकसित कर पर्यावरण सुधार के साथ समाज सुधार में भी महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। आज अनेक क्षेत्रों में कई

TOUCH 'n PASS

गैर-सरकारी संगठन उल्लेखनीय काम कर रहे हैं। "सेवा" जो महिलाओं द्वारा चलाया गया एक गैर-सरकारी संगठन है, जो गरीब महिला सदस्यों के पतियों के लिए जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा तथा सम्पत्ति बीमा की योजनाएँ चलाता है। इसमें गरीबी को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पर्यावरणविद् सुनीता नारायण ने पेय पदार्थों में निर्धारित मानक से अधिक कीटनाशकों की जानकारी देकर जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को चेतावनी दी है।

इसके अलावा एड्स जैसी बीमारी पर भी विदेशी व देशी सहायता से अनेक गैर-सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं। आज भी बाल शिक्षा, बाल मजदूरी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण, महिला साक्षरता, लिंग अनुपात, महिला सशक्तिकरण, स्वरोजगार, एड्स जैसी अनेक समस्याएँ हैं जो कि गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से ही काफी हद तक दूर हो सकती हैं।

भारत में गैर-सरकारी संगठनों का उभरता परिदृश्य—आठवीं से लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों को काफी महत्त्व दिया गया है। शिक्षा और सूचना प्रसार के कारण इनकी संख्या में वृद्धि के साथ-साथ इनका कार्य क्षेत्र एवं जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। भारत देश में अधिकतर योजनाओं में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में नाबार्ड और कापार्ट के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर चलाई जा रही हैं। बढ़ती बेरोजगारी एवं घटते रोजगार के कारण ग्रामीण क्षेत्र में निम्न आय वर्ग की वित्त की माँग बढ़ रही है जबकि औपचारिक क्षेत्र की संस्थाएँ इनकी पूर्ति नहीं कर पा रही हैं। इस बात को ध्यान में रखकर नाबार्ड में लघु वित्त की नई योजना प्रारम्भ की है जो कि वित्तीय संस्थाओं की वित्त की माँग एवं पूर्ति में अन्तर को कम करने का कार्य करेगी तथा इससे ग्रामीण गरीबी को दूर करने में सहयोग मिलेगा।

1992 में लघु वित्त सेवा को स्वयं सहायता समूह से जोड़ने के बाद इस क्षेत्र में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका बढ़ गई है। समुदायों को संगठित करने, उनकी बचत क्षमता बढ़ाने तथा साख प्रदान करने में गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका स्वीकार करने के बाद नाबार्ड ने भी इनके सहयोग को बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया है। नाबार्ड इन संगठनों का सहयोग क्षमता का निर्माण, प्रशिक्षण तथा स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहन देने एवं वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है।

गैर-सरकारी संगठन सामाजिक समूह बनाकर सामाजिक पूँजी निर्माण में विशेष योगदान दे रहे हैं। इससे सदस्यों की साख में वृद्धि हुई है तथा वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के प्रति इनका विश्वास बढ़ा है। इस प्रकार से गरीबों एवं वित्त प्रदान करने वाली संस्थाओं के बीच कड़ी का काम करते हुए इन्हें जोड़ने में सफल हुए हैं। गैर-सरकारी संगठन स्वयं सहायता समूह को प्रशिक्षण भी देते हैं ताकि वे बैंकों से समान शर्तों पर लेन-देन कर सकें।

गैर-सरकारी संगठनों के वित्तीय मध्यस्थ की भूमिका निभाने के बाद बैंकों से गरीबों को पर्याप्त ऋण मिलने लगा है। आर्थिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए शीर्ष वित्तीय संस्थाओं; जैसे-नाबार्ड, सिडबी, आई०डी०बी०आई० आदि ने गैर-सरकारी संगठनों की सहायता के लिए अनेक योजनाएँ आरम्भ की हैं। ये बैंक बिना ब्याज या कम ब्याज पर अनुदान के रूप में वित्त देकर सहायता करते हैं।

गाँवों में स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण के मामले में गैर-सरकारी संगठन समाज के साथ मिलकर उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को राज्य सरकारें स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से चलाती हैं। इस कार्यक्रम में गाँव के लोगों, विशेषकर महिलाओं की गरिमा और व्यक्तिगत गोपनीयता बनाये रखने के लिए घरों में सामुदायिक शौचालय के निर्माण के साथ-साथ वातावरण की स्वच्छता और स्वास्थ्य पर ध्यान देने वाले पहले भी शामिल किये गये हैं।

एक तरफ गैर-सरकारी संगठनों को अपने कार्यों का सिंहावलोकन करने की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ सरकारी अधिकारी यह जानते हैं कि विकास का अन्तिम दायित्व उन पर है तथा इस उद्देश्य के लिए गैर-सरकारी संगठन केवल सरकार की बाह्य एजेन्सी की भूमिका निभाती हैं। गैर-सरकारी संगठन गरीबों के हित की रक्षा ही नहीं करते बल्कि वे ऐसे कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने में भी सक्षम हैं जिससे लोगों की आजीविका चल सके। गरीब लोगों की संगठनात्मक शक्ति बढ़ाने के साथ ही ऐसा वातावरण बना सकती है जो योजनाओं के कार्यान्वयन में गरीबों से सहयोग ले सकती है।

अभी तक इस बात पर जोर दिया गया है कि गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, गैर-सरकारी संगठनों का एक महत्त्वपूर्ण कार्य मानव संसाधन परियोजनाओं तथा लोगों के हितों के लिए संसाधन जुटाना है। सहकारी समिति, युवा क्लब, ग्राम विकास समितियाँ और ग्राम कल्याण संगठनों के द्वारा स्थानीय संसाधनों को संघठित ग्रामीण वातावरण को सुधारने तथा परिवर्तित करने में गैर-सरकारी संगठन अहम भूमिका निभा सकते हैं। स्वयंसेवी संगठनों की विविधता सरकारी एजेन्सियों से विभिन्न कार्यों में सहायक सिद्ध होंगी।

जहाँ तक पंचायती राज संस्थाओं की सफलता का प्रश्न है, यह माना गया है कि अधिकतर स्थानीय स्तर या गैर-सरकारी संगठनों की सक्रिय भागीदारी से सम्भव हैं। अपने अनुभव एवं प्रवीणता के कारण वे निपुण की भूमिका अदा कर सकते हैं। पंचायत स्तर

पर गैर-सरकारी संस्थाएँ शिक्षक, प्रशिक्षक, प्रोत्साहक तथा सहायक की भूमिका निभाने का काम कर सकती हैं। कई पंचायती राज के प्रतिनिधि अनपढ़ व कम पढ़े-लिखे होते हैं। वहाँ पर गैर-सरकारी संगठन व निर्वाचित प्रतिनिधियों को विकास योजनाओं की जानकारी देना, प्रशिक्षण, संस्थापन व्यावसायिकी में सहयोग एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श करके योजनाओं एवं कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू करवाने में सफल सिद्ध हो सकते हैं।

गैर-सरकारी संगठनों की भूमिका और उसकी उपयोगिता का उल्लेख करते समय कापार्ट की भूमिका उल्लेखनीय है। कापार्ट एक ऐसी संस्था है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र विशेषज्ञ रोजगार मन्त्रालय के अधिकारी, प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्त्ता और स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हैं। ये विभिन्न कार्यक्रमों के लिए दिशा-निर्देश तैयार करती हैं।

एक अनुमान के अनुसार इस समय देश में लगभग 6 लाख स्वयंसेवी संगठन कार्यरत हैं परन्तु अधिकतर संगठन तो कुछ समय सक्रिय रहकर दम तोड़ देते हैं और कुछ संगठन तो ऐसे हैं जो समाज सुधार के लिए बनाये गये हैं जो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को समाप्त करने के लिए प्रयास करते हैं।

आज गैर-सरकारी संगठनों का दायरा बहुत बढ़ गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य-जीव संरक्षण आदि अनेक क्षेत्रों में देश-विदेश के अनेक भागों में अनेक संगठन सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं और काफी हद तक अपने मिशन में सफल भी रहे हैं। वैश्वीकरण एवं निजीकरण की दौड़ में गैर-सरकारी संगठन ही विश्व व्यापार बाजार संगठन जैसी संस्थाओं की अव्यावहारिक नीतियों को जनता के सामने उजागर कर रहे हैं।

गैर-सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारी यदि तालमेल के साथ योजनाएँ एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करें तो कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होगा कि जो प्राप्त नहीं किया जा सके।

सही मत तो यह है कि आज सामाजिक, आर्थिक जीवन से जुड़ी कोई समस्या नहीं है जिसमें गैर-सरकारी संगठन काम नहीं कर रहे हों, विशेषकर ग्रामीण विकास, पर्यावरण संरक्षण, जनसंख्या नियन्त्रण एवं जनचेतना जागरण कुछ ऐसे विशिष्ट क्षेत्र हैं जहाँ इनकी उपलब्धियाँ सरकारी क्षेत्र से कहीं अधिक हैं। चूँकि ये संगठन जन सहयोग, जनसहभागिता, जनसम्पर्क पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुए लोगों के मध्य रहकर कार्य करते हैं इसलिए इनकी पहुँच और विश्वसनीयता आम लोगों में सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की अपेक्षा अधिक है। एक दूसरी विशेषता इनकी कार्यविधि एवं कार्यनीति में लचीलापन एवं तीव्र निर्णय की प्रक्रिया है। अधिक स्वतन्त्र होने के कारण ये संगठन नये कार्यक्रमों के प्रयोग एवं परीक्षणों के लिए अधिक योग्य एवं सक्षम हैं।

नि:सन्देह ही इन संगठनों को अधिक-से-अधिक दायित्व और अवसर उपलब्ध कराकर, विशेष रूप से ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सकता है।

प्र.3. 'कापार्ट' किस प्रकार का संगठन है? परिचय दीजिए।

Which type of organisation is 'CAPART'? Give introduction.

उत्तर

कापार्ट
(CAPART)

"CAPART" Council for Advancement of People Actions & Rural Technology "जन क्रिया प्रगति एवं ग्राम प्रौद्योगिकी परियोजना की स्थापना 1986 में ग्राम प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् और जनकल्याण विकास भारत को मिलाकर की गई थी। कृषि मन्त्रालय संरक्षण के अधीन CAPART एक स्वशासनिक (Autonomous) संगठन है और यह सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अधीन पंजीकृत सोसाइटी है। जनक्रिया विकास का उद्‌भव FAO द्वारा 1960 में शुरू किया गया। इसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 के तहत पंजीकृत किया गया है।

रोजगार दिलाने तथा आमदनी व उत्पादन बढ़ाने के लिए समेकित योजनाएँ तथा कृषि आदानों के वितरण के लिए उन्हें सहायता भी देना था। इसका विलय CAPART बनाने के लिए किया गया था। इस संगठन ने ग्रामीण इलाकों में समुचित प्रौद्योगिकी के विकास में बढ़ावा दिया तथा विकास कार्य को वित्तीय सहायता दी। इसमें मशीनरी, औजारों व उपकरणों के निर्माण के लिए भी ग्रामीण प्रौद्योगिकी के ज्ञान का भी प्रसार किया।

CAPART का प्रमुख महानिदेशक उसकी सहायता के लिए विभिन्न तकनीकों व तकनीकी स्टॉफ के लिए उपमहानिदेशक होते हैं। CAPART की आम सभा की सदस्य संख्या 100 है। कार्यकारिणी समिति में 25 सदस्य होते हैं। 50% से अधिक सदस्य स्वैच्छिक क्षेत्र के होते हैं। CAPART की आम सभा का अध्यक्ष कृषि मन्त्री होता है और ग्राम विकास राज्यमन्त्री इसका उपाध्यक्ष होता है।

TOUCH 'n' PASS

अन्य सदस्यों में ग्राम विकास विभाग, सचिव, संयुक्त सचिव, वित्त सलाहकार शामिल हैं।
आर्थिक कार्य विभाग, कृषि विभाग और योजना आयोग के सचिव भी सदस्य होते हैं। यद्यपि इसमें कई गैर-सरकारी सदस्य होते हैं फिर भी सरकार से पदेन प्रतिनिधि सरकारी प्रभाव का प्रयोग करने के लिए होता है।
सभापति के रूप में ग्राम विकास राज्यमन्त्री रहते हैं और ग्राम विकास विभाग का सचिव उपसभापति होता है। अन्य सदस्यों में ग्राम विकास विभाग के अपर सचिव, संयुक्त सचिव और वित्त सलाहकार शामिल हैं। आम सभा में कार्य विकास समिति और जो ग्रामीण उत्पादकों और बिक्री केन्द्रों के बीच विपक्ष तथा सम्पर्क सूत्र बनाने की कार्यनीति तैयार करता है। एक नया प्रभाव बनाया गया है जो स्वैच्छिक संगठनों को परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है। CAPART द्वारा शुरू की गई एक अन्य योजना के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों में सरकारी जो इन संगठनों की विशेषता वाले क्षेत्रों में जानकारी प्राप्त करने में उनकी सहायता करते हैं।

उद्देश्य—1. गाँव की समृद्धि बढ़ाने के लिए परियोजनाओं के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक क्रिया को प्रोत्साहित करना, उनका संवर्धन करना तथा उनकी सहायता करना। इस प्रयोजन के लिए नई प्रौद्योगिकी चलाने के लिए प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देना।

2. ग्राम विकास के लिए सुसंगत प्रौद्योगिकियों के उत्पादन और प्रसार-प्रचार के लिए राष्ट्रीय नोडल बिन्दु के रूप में कार्य करना।
3. विभिन्न एजेन्सियों विशेषकर स्वैच्छिक संगठनों के अनुसन्धान और विकास प्रयासों का पता लगाकर तथा उन्हें वित्तीय सहायता देकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना।
4. सरकारी विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी समितियों, स्वैच्छिक संगठनों तथा आम जनता को उपयुक्त प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण के लिए सारिणी के रूप में कार्य करना।
5. सूचना और डाटा बैंक।
6. मशीन, टूल्स, उपकरण आदि के निर्माताओं को ग्रामीण प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में जानकारी देना ताकि इनका उत्पादन बड़ी मात्रा में हो सके।
7. ऐसी परियोजनाओं और स्कीमों को प्रोत्साहन, सहायता और उन्हें बनाये रखना तथा उनमें समन्वय रखना जिनका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुमुखी विकास, रोजगार के अवसर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, संगठन तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है।
8. प्रशिक्षार्थियों के लिए खास तौर पर स्वैच्छिक क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार हो सकें।
9. ग्राम विकास व प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कार्य कर रही सरकारी एजेन्सी तथा स्वैच्छिक एजेन्सियों के बीच कार्य बढ़ाने के लिए कृषि कार्यक्रम, विचार संगोष्ठियाँ आदि प्रायोजित करना।
10. सोसाइटी के लिए पत्र-पत्रिकाएँ और पुस्तकें तैयार करना, मुद्रित करना तथा प्रकाशित करना।

कार्यकलाप—1. CAPART बहुत-सी स्कीमों को वित्तीय और तकनीकी सहायता देता है।

2. ग्राम विकास में स्वैच्छिक क्रिया का संवर्धन करना।
3. गरीबी उन्मूलन के विभिन्न कार्यक्रम के अधीन जिनके लिए परिषद से सहायता उपलब्ध हो कार्य करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रेरित करना है।

इन स्कीम के अधीन आय पैदा न करने वाला रेशम उद्योग, ग्रामोद्योग लघु सिंचाई, धारा उत्पाद और सामाजिक क्रिया-कलाप; जैसे-शिक्षा, स्वास्थ्य आदि।

लाभार्थियों का संगठन—इस स्कीम के अन्तर्गत जानकारी शिविरों का आयोजन करने के लिए और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से गरीब ग्रामीण लाभार्थियों को जागरूक करने के लिए स्वैच्छिक समितियों को सहयोग प्रदान करते हैं। इस स्कीम के निम्न घटक हैं—

1. **सामाजिक प्रेरकों का प्रशिक्षण**—लक्ष्य समूह के वे लोग ही सामाजिक प्रेरक होते हैं जो गाँव के निवासी हैं। प्रशिक्षण और क्षमता प्राप्त करने के बाद वे लोगों को अपनी क्षमता का बोध कराएँ। यह प्रशिक्षण CAPART Voluntary Organisation द्वारा दिया जाता है।

TOUCH 'n PASS

2. **जानकारी शिविरों की व्यवस्था**—यह व्यवस्था ग्रामीण निर्धनों को समाज की विभिन्न सामाजिक, आर्थिक ताकतों तथा उनकी बाधाओं और असुविधाओं से अवगत कराने के लिए की जाती है।
3. **ग्रामीण संगठनकर्त्ताओं का चयन**—संगठनकर्त्ता सामूहिक कार्य शक्ति का बोध कराकर लाभार्थियों को संगठित करने में सहायक होता है। 1989-90 लाभार्थियों के संगठन के लिए ₹62 लाख 80 हजार की सहायता से 230 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई थी।
4. **ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास**—ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास के अधीन शुरू किये गये क्रियाकलाप डेयरी, सिलाई, बुनाई, खाद्य पदार्थ, संशोधन और वस्त्र बुनाई आदि थे। 1988-89 में 194 परियोजनाओं के लिए ₹ 324 लाख की सहायता ली गई।
5. **ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम**—इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1988-89 में वह परियोजनाएँ गृह निर्माण, सड़क निर्माण, आदि सामाजिक मुआयने की मृदा तथा जल संरक्षण से सम्बन्धित थी।
6. **CAPART ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम**—इस कार्यक्रम के अधीन परियोजना चलाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को प्रोत्साहित किया जाता है। यह पेयजल पर प्रौद्योगिकी मिशन के उद्देश्यों के अनुपालन में परियोजनाओं को सहायता देता है।
7. **केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम**—इसके अधीन 1988-89 में 260 परियोजनाओं को ₹562.6 लाख की सहायता स्वीकृत की गई थी।

प्र.4. निम्नलिखित के बारे में लिखिए–
Write about the following :

(i) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद (Indian Council of Agricultural Research)

(ii) केयर (CARE)

उत्तर

(i) भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (ICAR)

भारत में कृषि तथा सिंचाई मन्त्रालय के अन्तर्गत भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् (Indian Council of Agricultural Research) की स्थापना हुई।

उद्देश्य (Objectives)—इसके तीन प्रमुख उद्देश्य हैं—

(a) कृषि सम्बन्धी शोध करना।
(b) ग्रामीण युवकों के लिए लाभदायक कार्यक्रम आयोजित करना।
(c) कृषि सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करना।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद् विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। इसके अन्तर्गत देश में लगभग 22 कृषि विश्वविद्यालयों तथा 31 अनुसन्धान केन्द्रों को सहायता प्रदान की जा रही है। मेधावी छात्र-छात्राओं को ICAR कृषि एवं गृह-विज्ञान में अनुसन्धान हेतु प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति भी दी जाती है।

उपरोक्त संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों ने कुछ चुने हुए ग्रामों में ग्रामीण युवक क्षेत्र परियोजनाएँ आरम्भ की हैं। कुछ अन्य संस्थाओं और विश्वविद्यालयों ने ग्रामीण युवक विकास कार्यक्रम आरम्भ किये हैं।

सन् 1973 में ICAR ने एक समिति गठित की जिसकी सिफारिश पर देशभर में कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गयी। इसका उद्देश्य प्रशिक्षण प्रणाली द्वारा कृषकों को तकनीकी ज्ञान देना है जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव कृषि उत्पादन पर पड़ता है। कृषि विज्ञान केन्द्र से प्रशिक्षित कृषक अपने उपार्जित ज्ञान को तत्काल व्यवहार में लाकर उत्पादन और आय में वृद्धि कर सकता है। जो युवक तथा युवतियाँ बीच में ही स्कूल-कॉलेज छोड़ने के लिए विवश हुए हैं उनके लिए भी ये केन्द्र वरदान सिद्ध हुए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है।

ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए भी कृषि विज्ञान केन्द्र प्रयत्नशील हैं। यहाँ से गृह-विज्ञान में प्रशिक्षण पाकर ग्रामीण महिलाएँ अपने समाज में प्रतिष्ठा के योग्य बन जाती हैं। घरेलू उद्योगों का सफलतापूर्वक संचालन कर अर्थोपार्जन में उनका महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था से केवल एक व्यक्ति का ही विकास नहीं होता बल्कि पूरे परिवार के विकास की सम्भावनाएँ बढ़ जाती हैं। आर्थिक स्तर उन्नत होने से पोषण स्तर में भी सुधार होता है।

TOUCH 'n' PASS

सन् 1989 तक भारत में 101 कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना हो चुकी थी। ये कृषि विज्ञान केन्द्र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्, राज्य सरकारों, कृषि विश्वविद्यालयों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के अन्तर्गत संचालित हो रहे हैं।
कृषि अनुसन्धान परिषद् ने कृषि से सम्बन्धित अनेक शोध कार्यों तथा कृषि साहित्य का प्रकाशन भी किया है।

(ii) केयर
(CARE)

केयर का पूरा नाम अंग्रेजी में को-ऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर (Co-operative for American Relief Everywhere) है।

स्थापना (Establishment)—केयर एक गैर-सरकारी, गैर-साम्प्रदायिक संस्था है। युद्ध की विभीषिका से त्रस्त यूरोपियन लोगों के सहायतार्थ अमेरिकी दाताओं द्वारा खाद्य-सामग्री भेजने के लिए सन् 1946 में इसकी स्थापना हुई। युद्धोपरान्त आपातकाल की स्थिति समाप्त हो गई। इसके बाद भी संस्था ने अन्य देशों को खाद्य-सामग्री भेजने का कार्य किया। चिकित्सीय उपकरण, एक्सरे मशीन, दवाएँ, विटामिन तथा मिनरल्स की गोलियाँ, कृषि कार्य का सामान, बीज, पानी, पम्प आदि जरूरतमन्द देशों को उपलब्ध कराया।

भारत में केयर के कार्य (CARE's Activities in India)—भारत में केयर ने 1950 में अपना सहायतार्थ कार्य आरम्भ किया। 1961 से भारत के स्कूलों में मध्यान्ह आहार योजना (Mid day Meal Scheme) प्राथमिक पाठशालाओं के बच्चों के लिए आरम्भ की। संसार की सबसे बड़ी शालेय आहार योजना (School Feeding Programme) है। यह योजना स्कूली बच्चों के पोषणीय स्तर को बेहतर बनाने तथा उनके मध्य पोषण सम्बन्धी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से चलाई जा रही है।
इसके अतिरिक्त CARE ने अमेरिका द्वारा Food for Peace के तहत प्राप्त सोयाबीन, मक्खन, चीज (Cheese), दुग्ध चूर्ण (Milk powder) UNICEF की सहायता से कुपोषित माताओं एवं बच्चों के बीच वितरित किया। ये खाद्य सामग्री मातृ एवं शिशु कल्याण केन्द्रों में भी वितरित की गई।
भारत में चल रहे व्यावहारिक पोषाहार कार्यक्रम में CARE ने अपनी यथासम्भव सहायता प्रदान की है। 'काम के बदले अनाज' (Food for work) योजना के अन्तर्गत सिंचाई प्रबन्ध सम्बन्धी कार्यरत मजदूर, बाँध बनाने वाले, सड़क बनाने वाले मजदूरों को अनाज बाँटने का काम CARE ने किया है।
आहार-योजना के अलावा केयर ने चिकित्सा, साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कृषि के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान की है। 'केयर' स्कूल के बच्चों को सब्जियाँ उगाने और फल उगाने में सहायता देता है। बगीचों के लिए पम्प, बगीचे के उपकरण, उत्तम बीज आदि प्रदान करता है।
चिकित्सा के क्षेत्र में केयर ने चिकित्सा-वाहन (Medical Van), एक्स-रे मशीन, परीक्षण उपकरण, चश्मों के लिए काँच और फ्रेम, चिकित्सा सम्बन्धी पुस्तकें, दवाइयाँ, विटामिन की गोलियाँ आदि प्रदान की हैं।

प्र.5. हेल्पेज इंडिया रिपोर्ट क्या है? वर्णन कीजिए।
What is helpage India report? Explain.

उत्तर

हेल्पेज इंडिया रिपोर्ट
(Helpage India Report)

हेल्पएज इंडिया को भारत में एजिंग-परिदृश्य के बारे में जानकारी के लिए वन-स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह इस क्षेत्र से सम्बन्धित कई प्रकाशनों और रिपोर्टों को हर वर्ष जारी करके यह प्रतिष्ठा अर्जित करता है।
हल्पएज इंडिया, हेल्पएज इंटरनेशनल (यूके) के संस्थापक सेसिल जैक्सन कोल के साथ 1978 में अपने पहले राष्ट्रपति के रूप में आया था। इस दौरान लगभग दो अन्य लोग हेल्पएज इंडिया की कहानी में प्रमुखता से थे- जॉन एफ।
पीयरसन ओर सैमसन डनियल एंडोमेंट्स, यूनाइटेड किंगडम से कुछ पियर्सन और कोल को लगा था कि लम्बे समय में व्यावहारिक नहीं होगा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें बॉक्स के बारे में सोचने की जरूरत है ताकि विकासशील देशों के धर्मार्थों को धन का एक नियमित प्रवाह जारी रखा जा सके ताकि वे एक सकारात्मक ओर स्थायी प्रभाव बना सकें।
मार्च 1974 में, जब कोल ने भारत का दौरा किया, तो शम्सन डनियल नाम की एक निष्ठावान परोपकारी ने दिल्ली में एक सदस्य संगठन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता के लिए उनसे सम्पर्क किया। एक दूरदर्शी व्यक्ति, कोल ने धन देने के लिए उसे

TOUCH 'n PASS

प्रशिक्षित करने की पेशकश की। लंदन में तीन महीने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के बाद, श्री डैनियल और उनकी पत्नी भारत लौट आए और दिल्ली में स्कूली बच्चों के साथ प्रायोजित चलन का आयोजन किया। यह इतना सफल था कि 1975 में हेल्पएज इंटरनेशनल ने मुंबई, मद्रास और कलकत्ता को कवर करने के लिए और अधिक कर्मचारियों की भर्ती की।

अप्रैल 1978 में, हेल्पएज इंडिया आधिकारिक तौर पर दिल्ली में पंजीकृत हुआ था। पीर्यसन संगठन का ट्रस्टी और इसके गवर्निंग बोर्ड का प्रमुख सदस्य बन गया। हेल्पएज इंटरनेशनल के संस्थापक सदस्यों में से एक, फिलिप जैक्सन, 1978 में हेल्पएज इंडिया के पहले चीफ एक्जीक्यूटिव के रूप में आए थे।

तीन महीने के भीतर यह स्वायत्त बन गया था क्योंकि यूके से वित्तीय समर्थन समाप्त हो गया था। इसके तुरंत बाद, जुलाई में, सोसाइटी को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए और 80 जी के तहत छूट के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया, इस प्रकार सोसाइटी के मामलों में सामान्य विश्वास का संकेत मिलता है।

हेल्पएज एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहाँ बुजुर्गों का सक्रिय, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन का अधिकार होता है। हम अपने कार्यक्रमों और सेवाओं को एकजुट कर रहे हैं, और कल्याण से विकास के लिए और वरिष्ठ नागरिकों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति जागरूक रूप से आगे बढ़ रहे हैं।

हेल्पएज वरिष्ठ नागरिक संघों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और अपने स्वयं के अधिकारों के लिए बोलने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

हेल्पएज सक्रिय रूप स एक दबाव समूह के रूप में काम कर रहे हैं और बड़े अधिकारों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जैसे कि पर्याप्त स्वास्थ्य बीमा, सार्वभौमिक पेंशन का अधिकार और वद्ध उपयुक्त सेवाओं के साथ एक समाज को प्रदान करने के लिए काम करने का अधिकार।

अपने परिवार के वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेटियों, बेटा और उनके बच्चों को कोई समय नहीं मिल रहा हैं बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी सेवाएँ और समाज को समर्थन प्रदान किया है, अपने जीवन के इस चरण में अप्रिय और उपेक्षित महसूस करते हैं। उनकी बिगड़ती भौतिक ताकत और अन्य जेरियाट्रिक बीमारियाँ उनकी कठिनाइयों में वृद्धि कर रही हैं।

उनकी अक्सर गरीब वित्तीय स्थिति, किफायती स्वास्थ्य देखभाल की कमी और समाज द्वारा सामान्य उपेक्षा के कारण हेल्पएज इंडिया ने 36 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मजेदार नीतियों के लिए बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों और अधिवक्ता को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया है।

हेल्पएज इंडिया सन 1978 से, भारत में एक अग्रणी दान मंच है, जो कि वंचित ओर बुजुर्गों के साथ काम कर रहा है और भारत के बुजुर्गों के लिए प्रतिनिधि आवाज बन गया है।

भारत के वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में सुधार के लिए समर्पित यह 23 राज्यों में शहरी और ग्रामीण भारत में चिकित्सा सेवाएँ, गरीबी उन्मूलन और आय पैदा करने वाली योजनाएँ प्रदान करता है।

हेल्पएज इंडिया उन सभी का स्वागत करता है जो ऑनलाइन समर्थन, दान या प्रायोजित करना चाहते हैं और जो बुजुर्ग नागरिकों को सहायता करने के लिए स्वयंसेवक बनाना चाहते हैं।

गैर लाभ संगठन के बारे में अधिक जानकारी के लिए भारत में एक अग्रणी दान है जो 3 दशकों से अधिक के लिए और वंचित बुजुर्गों के साथ काम कर रहा है।

हेल्पएज इंडिया 1978 में स्थापित किया गया था और 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

परम्परागत रूप से फोकस, मुफ्त राशन, मुफ्त दवाइयाँ और परामर्श प्रदान करके और अपने कल्याणकारी परियोजनाआं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में अनैच्छिक वृद्धों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार का कार्य कर रहा है।

पिछले कुछ वर्षों से मुफ्त मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा का संचालन, बड़े अधिकारों के लिए अधिसूचना में वृद्धि हुई है, नए कानून तैयार करने पर सरकार के साथ जुड़ा हुआ है और वृद्ध व्यक्तियों की राष्ट्रीय नीति के कार्यान्वयन के लिए जोर भी दे रहा है।

हेल्पएज अब भी शहरी बुजुर्गों की चिंताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है जो महसूस कर रहा है कि अपेक्षाकृत आर्थिक रूप से लाभकारी बड़ों का भावनात्मक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

हेल्पएज नई दिल्ली के कस्तूरबा गांधी मार्ग में एक किराये के दो कमरे के कार्यालय से एक विनम्र पहल के रूप में शुरू हुआ अब 26 राज्यों में फैले व्यापक अभियान में उभरा है, जिसमें भारत में 90 परियोजना कार्यालय हैं और मुख्यालय राजधानी के कुटाब इंस्टीट्यूशनल एरिया में है।

TOUCH 'n PASS

गरीबी, अलगाव और उपेक्षा के खिलाफ हेल्पएज लगातार लड़ाई में, हालांकि हमने महत्तवपूर्ण प्रगति की है, लेकिन वे समुद्र में सिर्फ एक बूंद हैं हम वर्ष 2020 तक निम्नलिखित मील के पत्थर हासिल करने की आशा करते हैं।
बुजुर्गों के संस्थानों के माध्यम से 20 लाख बुजुर्गों के लिए आजीवन सुरक्षा 20 लाख बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा बड़ों के एक राष्ट्रीय आंदोलन जो उन्हें एक आवाज और राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र देता है।
सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में 12 मिलियन बुजुर्गों के लिए उपयुक्त आयु सेवाएँ प्रधान हैं।
हेल्पएज का उद्देश्य लोगों को अपने स्वयं के जीवन का पुनर्निर्माण करना और स्वयं के भविष्य का कार्यभार संभालने में मदद करना है, उनके भीतर आत्म-मूल्य और आत्मविश्वास की भावना बहाल करना है।

प्र.6. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए।
Write a long note on UNICEF.

उत्तर

यूनिसेफ का इतिहास
(History of UNICEF)

1. संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (United Nations Children's Fund-UNICEF) संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसम्बर, 1946 को बनाया गया था।
2. पूर्व में इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (United Nations International Children's Emergency Fund) कहा जाता था।
3. पौलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉश्मन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई।
4. इसे बनाने का प्रमुख उद्देश्य द्वितीय विश्वयुद्ध में तबाह हुए देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन और स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराना था।
5. 1950 में यूनिसेफ के दायरे को विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं को दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए विस्तारित किया गया था।
6. 1953 में यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और इस संगठन के नाम में से 'अन्तर्राष्ट्रीय' एवं 'आपातकालीन' शब्दों को हटा दिया गया।
7. अब इसका नाम संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है किंतु मूल संक्षिप्त नाम 'यूनिसेफ' को बराकरार रखा गया।

वित्तीय स्थिति (Financial Condition)—

1. यूनिसेफ का वित्त पोषण विभिन्न सरकारों और निजी दाताओं द्वारा किया जाता हैं। संगठन के संसाधनों का दो-तिहाई योगदान विभिन्न देशों की सरकारें करती हैं।
2. निजी समूहों और व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय समितियों के माध्यम से शेष योगदान किया जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि, यूनिसेफ के राजस्व का 92 प्रतिशत सेवा कार्यक्रम के लिये वितरित किया जाता है।
3. यूनिसेफ के कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक स्तर की सेवाओं को विकसित करने पर जोर देते हैं।
4. यूनिसेफ को वर्ष 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार, वर्ष 1989 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार और वर्ष 2006 में प्रिंस ऑफ अस्तुरियस अवॉर्ड मिला था।

कार्यक्षेत्र विस्तार—

1. यूनिसेफ का अधिकांश कार्यक्षेत्र 190 देशों/क्षेत्रों में मौजूद है। 150 से अधिक देशों के कार्यालयों/मुख्यालयों और यूनिसेफ के नेटवर्क से जुड़े अन्य कार्यालयों तथा 34 राष्ट्रीय समितियाँ मेजबान सरकारों के साथ विकसित कार्यक्रमों के माध्यम से यूनिसेफ के मिशन को पूरा करती हैं। सात क्षेत्रीय कार्यालय आवश्यकतानुसार देशों के कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।
2. यूनिसेफ का आपूर्ति विभाग कोपेनहेगन में स्थित है और यह HIV, पोषण सम्बन्धी खुराक, आपातकालीन आश्रयों, परिवारों के पुनर्मिलन तथा बच्चों और माताओं के लिये टीके, एंटी-रेट्रोवायरल दवाओं जैसी; आवश्यक वस्तुओं के वितरण के प्राथमिक बिंदु के रूप में कार्य करता है।

TOUCH 'n' PASS

3. 36 सदस्यीय कार्यकारी बोर्ड इसकी नीतियों को तय करता है, कार्यक्रमों को मंजूरी देता है और प्रशासनिक तथा वित्तीय योजनाओं की देख-रेख करता है। कार्यकारी बोर्ड उन सरकारी प्रतिनिधियों से मिलकर बना है, जो आमतौर पर तीन साल के लिये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा चुने जाते हैं।

क्रियाविधि एवं नियमन—प्रत्येक देश में स्थित यूनिसेफ कार्यालय मेजबान सरकार के साथ सहयोग कायम कर एक अनूठे कार्यक्रम के माध्यम से अपने मिशन को पूरा करता है। यह कार्यक्रम बच्चों और महिलाओं के अधिकारों का एहसास कराने के लिये व्यावहारिक तरीकों पर केंद्रित है। क्षेत्रीय कार्यालय इस कार्य का मार्गदर्शन करते हैं और आवश्यकतानुसार राष्ट्रीय कार्यालयों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं। संगठन का समग्र प्रबंधन और प्रशासन मुख्यालय में होता है, जहाँ बच्चों पर वैश्विक नीति बनाई जाती है। यूनिसेफ के सभी कार्यों का मार्गदर्शन और उनकी निगरानी उपरोक्त कार्यकारी बोर्ड करता है। कार्यकारी बोर्ड के कार्यों का समन्वय एक ब्यूरो द्वारा किया जाता है जिसमें अध्यक्ष और चार उपाध्यक्ष होते हैं, प्रत्येक अधिकारी पाँच क्षेत्रीय समूहों में से एक का प्रतिनिधित्व करता है।

यूनिसेफ की राष्ट्रीय समितियाँ—

1. ये राष्ट्रीय समितियाँ 38 (औद्योगिक) देशों में हैं तथा इनमें से प्रत्येक एक स्वतंत्र स्थानीय गैर-सरकारी संगठन के रूप में स्थापित है। राष्ट्रीय समितियाँ सार्वजनिक क्षेत्र से धन जुटाती हैं।
2. यूनिसेफ को पूरी तरह से स्वैच्छिक योगदान से वित्तपोषित किया जाता है और राष्ट्रीय समितियाँ सामूहिक रूप से यूनिसेफ की वार्षिक आय का लगभग एक-तिहाई हिस्सा जुटाती हैं। यह दुनिया भर में छह मिलियन व्यक्तिगत दाताओं के निगमों, नागरिक समाज संगठनों के योगदान के माध्यम से आता है।

प्रचार और अनुदान संचयन—

1. अमेरिका, नेपाल ओर कुछ अन्य देशों में यूनिसेफ अपने 'ट्रिक-ऑर-ट्रीट फॉर यूनिसेफ' कार्यक्रम के लिये जाना जाता है, जिसमें बच्चे यूनिसेफ के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं।
2. वस्तुत: यूनिसेफ दुनियाभर के 191 देशों और क्षेत्रों में मौजूद है, लेकिन नौ अन्य देश (बहामास, ब्रुनेई, साइप्रस, लातविया, लिचटेंस्टीन, माल्टा, मॉरीशस, मोनाको और सिंगापुर) इसमें शामिल नहीं हैं।
3. विकसित देशों में लोग यूनिसेफ की 36 राष्ट्र समितियों में से किसी एक की गतिविधियों के माध्यम से यूनिसेफ के काम के बारे में जानकारी लेते हैं।
4. ये गैर-सरकारी संगठन (NGO) मुख्य रूप से धन संचयन, यूनिसेफ ग्रीटिंग कार्ड ओर उत्पादों को बेचने, निजी और सार्वजनिक भागीदारी बनाने, बच्चों के अधिकारों का समर्थन करने और अन्य सहायता प्रदान करने का जिम्मा उठाते हैं।
5. यूनिसेफ के लिए अमेरिकी कोष राष्ट्रीय समितियों में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी।

ट्रिक-ऑर-ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स—वर्ष 1950 के बाद जब फिलाडेल्फिया, पेन्सिल्वेनिया में बच्चों के एक समूह ने द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद पीड़ितों की मदद के लिए हैलोवीन (अमेरिका में मनाया जाने वाला एक उत्सव) पर मिले 17 डॉलर दान में दे दिये, तभी से उत्तरी अमेरिका में ट्रिक-ऑर-ट्रीट यूनिसेफ बॉक्स हेतु दान देने की एक परम्परा बन गई है। 31 अक्टूबर से पहले ये छोटे नारंगी बक्से स्कूलों और अन्य स्थानों पर बच्चों को सौंप दिये जाते हैं। वर्ष 2012 तक यूनिसेफ अभियान के लिये ट्रिक-ऑर-ट्रीट ने कनाडा में लगभग 91 मिलियन डॉलर और अमेरिका में 167 मिलियन डॉलर से अधिक धनराशि जुटाई।

गर्ल स्टार प्रोजेक्ट—द गर्ल स्टार प्रोजेक्ट फिल्मों की एक शृंखला है जो भारत के पाँच उत्तरी राज्यों में सबसे वंचित समुदायों की उन लड़कियों की कहानी है, जिन्होंने शिक्षा के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक बाधाओं के बावजूद जीवन में सफलता प्राप्त की है। ये युवतियाँ अपने समुदायों में रोल मॉडल बनने की दिशा में बढ़ी हैं और छोटी लड़कियों को स्कूल जाने तथा अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित करती हैं। इन्होंने शिक्षण और नर्सिंग से लेकर तीरंदाजी, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसायों का चयन किया है, जो पारम्परिक रूप से पुरुषों का कार्यक्षेत्र रहा है। गर्ल स्टार यूनिसेफ की सबसे चर्चित परियोजनाओं में से एक है।

किड्स यूनाइटेड—किड्स यूनाइटेड वर्ष 2000 से वर्ष 2007 के बीच जन्मे चार बच्चों का एक फ्रांसीसी संगीत समूह है। यह यूनिसेफ के अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाया गया है तथा दो गायकों हेलेन सेगारा और कॉर्निले द्वारा प्रायोजित है। वर्ष

TOUCH 'n' PASS

2015 में यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे पर पहला एल्बम 'अनमोंडे मीइलुर' (एक बेहतर दुनिया) लॉन्च किया गया था। इसे फ्राँस में स्वर्ण प्रमाणन (Gold Certificate) मिला।

यू-रिपोर्ट—यू-रिपोर्ट एक निःशुल्क SMS, सामाजिक निगरानी उपकरण और सामुदायिक भागीदारी के लिये वास्तविक समय (Real Time) सूचना प्रणाली है, जिसे सामुदायिक नेतृत्व वाले विकास, नागरिक सहभागिता और सकारात्मक बदलाव को मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया है।

SMS-पोल और अलर्ट यू-पत्रकारों को भेजे जाते हैं और वास्तविक समय पर प्रतिक्रिया की जानकारी एकत्र की जाती है। परिणाम और विचार समुदाय के साथ वापस साझा किये जाते हैं। निर्वाचित मुद्दों में स्वास्थ्य, शिक्षा, जल, स्वच्छता, युवा बेरोजगारी, रोग प्रकोप जैसे सामाजिक मुद्दे शामिल होते हैं। यह पहल वर्तमान में 41 देशों में चालू है और इसमें 3 मिलियन से अधिक लोगों को शामिल किया गया है।

सेलिब्रिटी राजदूत—यूनिसेफ राजदूत मनोरंजन उद्योग, राजनीति, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, खेल और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे बच्चों की जरूरतों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करते हैं और अपनी प्रतिभा तथा प्रसिद्धि का उपयोग यूनिसेफ की ओर से धन जुटाने, उसका समर्थन करने और शिक्षित करने के लिए करते हैं।

अवसंरचनात्मक सुविधाएँ—

यूनिसेफ वर्ल्ड वेयरहाउस—पुराना यूनिसेफ वर्ल्ड वेयरहाउस डेनमार्क में एक बड़ी आवासीय सुविधा है, जो यूनिसेफ के सुपुर्दगी योग्य सामानों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थियों को आपातकालीन सहयोग देने सहित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेडक्रॉस और रेड क्रीसेर सोसाइटीज की मेजबानी भी करता है। वर्ष 2012 तक यह सुविधा कोपेनहेगन के मारमोर-मोलोइन में एक गोदाम के रूप में थी। एक छत के नीचे कोपेनहेगन में संयुक्त राष्ट्र की सभी गतिविधियों को पूरा करने के लिए यूएन सिटी के निर्माण के साथ, कोपेनहेगन के मुक्त बंदरगाह के बाहरी हिस्सों में गोदाम सेवा को स्थानांतरित कर दिया गया है। इसमें यूनिसेफ आपूर्ति प्रभाग है जो दुबई, पनामा और शंघाई में रणनीतिक परिवहन हब का प्रबंधन करता है। गोदाम में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ होती हैं, जैसे—खाद्यान्न, जल शोधन हेतु गोलियाँ, आहार और विटामिन की खुराक इत्यादि।

यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर—यूनिसेफ इनोसेंटी रिसर्च सेंटर इटली के फ्लोरेंस में वर्ष 1988 में स्थापित किया गया था। औपचारिक रूप से इसे अंतर्राष्ट्रीय बाल विकास केंद्र के रूप में जाना जाता है। इसका उद्देश्य बच्चों के अधिकारों से सम्बन्धित मुद्दों की अंतर्राष्ट्रीय समझ में सुधार करना तथा आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने वाली आर्थिक नीतियों को प्रोत्साहन देना है। यह केन्द्र औद्योगिक और विकासशील देशों में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के पूर्ण कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने में मदद करने के लिये भी कार्य करता है।

गोद लेने का कार्यक्रम—यूनिसेफ की यह नीति है कि कोई अन्य विकल्प नहीं होने पर ही अनाथालयों को केवल बच्चों के लिये अस्थायी आवास के रूप में उपयोग किया जाना चाहिये। यूनिसेफ बच्चों के लिये स्थायी अनाथालयों के बड़े पैमाने पर निर्माण का विरोध करता रहा है और जहाँ तक संभव हो सके परिवारों और समुदायों में ही बच्चों के लिये स्थान खोजने यानी उन्हें गोद देने को प्राथमिकता देता है। यूनिसेफ विदेशी माता-पिता को गोद देने के बजाय स्वदेश में ही बच्चों की देखभाल करने पर जोर देता है।

शिशु मृत्यु-दर—बाल मृत्यु-दर कुछ क्षेत्रों में उतनी तेजी से कम नहीं हुई है जितनी कि अनुमान लगाया गया था। उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र में अभी भी उच्चतम बाल मृत्यु दर है (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 92 मौतें)। वैश्विक रूप से पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में लगभग आधी मौतें कुपोषण के कारण होती हैं।

कॉर्पोरेट साझेदारी—यूनिसेफ विभिन्न कम्पनियों के साथ सीधे अपने व्यावसायिक व्यवहारों को बेहतर बनाने के लिये काम करता है, उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय कानून के तहत दायित्वों के अनुरूप लाता है और यह सुनिश्चित करता है कि वे बाजार, कार्यस्थल और समुदाय के दायरे में बच्चों के अधिकारों का सम्मान करें। वर्ष 2012 में यूनिसेफ ने बच्चों के अधिकारों और व्यावसायिक सिद्धांतों को विकसित करने के लिये 'सेव द चिल्ड्रेन' एवं 'द यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल कॉम्पेक्ट' के साथ काम किया तथा कार्य बिंदु साझा किये और अब यूनिसेफ की यही सलाह इन्हीं कम्पनियों के लिये दिशा-निर्देश बना दी गई हैं। यूनिसेफ एक उचित परिश्रम प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सामाजिक स्थिरता में सुधार करने की कोशिश करने वाली कम्पनियों के साथ काम करता है, जहाँ उनकी आपूर्ति शृंखला में बाल श्रम जैसे मुद्दों की पहचान की जा सकती है और इस सम्बन्ध में कार्रवाई की जा सकती है।

TOUCH 'n' PASS

सामरिक योजना (2002-2025)—

1. यूनिसेफ की रणनीतिक योजना, 2022-2025, हर जगह सभी बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिये यूनिसेफ की अनारक्षित प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
   - यह एक महत्त्वपूर्ण समय पर लाई गई है जब बच्चों के मानवाधिकारों को एक हद तक खतरे में डाल दिया जाता है जो एक पीढ़ी से अधिक में नहीं देखा गया है।
2. यह 2030 की ओर दो अनुक्रमिक योजनाओं में से पहली है और यह सभी व्यवस्थाओं में बाल-केंद्रित सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में यूनिसेफ के योगदान का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे, यह देश के कार्यक्रमों और राष्ट्रीय समितियों के लिये एक वैश्विक ढाँचा प्रदान करता है।
3. रणनीतिक योजना COVID-19 से एक समावेशी पुनप्राप्ति की दिशा में समन्वित कार्रवाई का मार्गदर्शन करेगी, SDGs की उपलब्धि की दिशा में त्वरण और एक ऐसे समाज की प्राप्ति जिसमें प्रत्येक बच्चे को शामिल किया गया है एवं बिना किसी भेदभाव के अवसर और उनके अधिकारों को पूरा किया गया है।
4. योजना को बच्चों, समुदायों, सरकारों संयुक्त राष्ट्र की सहयोगी एजेंसियों, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज और अन्य भागीदारों की आवाजों द्वारा सूचित किया गया था।
   - यह प्रमुख प्रोग्रामेटिक लक्ष्यों और परिणाम क्षेत्रों के सम्बन्धित समूह, परिवर्तन रणनीतियों और समर्थकों को रेखांकित करता है, जिसमें जलवायु कार्रवाई, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा जैसे विषयों पर नए या त्वरित दृष्टिकोण शामिल हैं।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित में से कौन-सा युक्तिकरण के रक्षा तन्त्र की सबसे महत्त्वपूर्ण विशेषता है?

(क) विकास के पहले चरण में वापस जाना
(ख) किसी के कार्यों को उचित ठहराना
(ग) कुछ कार्यों के लिए जादुई रूप से प्रायश्चित करना जो अपराध को जन्म देते हैं
(घ) किसी की भावनाओं को अन्य व्यक्तियों पर आरोपित करना

उत्तर (ख) किसी के कार्यों को उचित ठहराना

प्र.2. "लोग दूसरों की ओर उनसे दूर और उनके विरुद्ध जाकर बुनियादी चिन्ता को नियन्त्रित करते हैं।" व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिकों के किस समूह ने इस कथन का सिद्धान्त दिया?

(क) मनोविश्लेषणात्मक (ख) नव-फ्रायडियन
(ग) सामाजिक शिक्षा (घ) संज्ञानात्मक

उत्तर (ख) नव-फ्रायडियन

प्र.3. एक मनोरोगी व्यक्ति सम्भवतः किस एमएमपीआई-2 पैमाने पर उच्चतम अंक प्राप्त करेगा?

(क) अवसाद (ख) हिस्टीरिया
(ग) सिजोफ्रेनिया (घ) उन्माद

उत्तर (ग) सिजोफ्रेनिया

प्र.4. सूक्ष्म नींद मुख्यतः निम्नलिखित में से किसी एक के कारण होती है—

(क) नींद विकार (ख) नशे की अवस्था
(ग) नींद की कमी (घ) स्वप्न अवस्था

उत्तर (ग) नींद की कमी

TOUCH 'n PASS

प्र.5. आत्म-प्रभावकारिता है—
(क) किसी व्यक्ति की क्षमता और दृष्टिकोण का मानसिक मॉडल
(ख) स्वयं के प्रति एक सामान्यीकृत मूल्यांकनात्मक रवैया जो मूड और व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है
(ग) वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई व्यक्ति व्यक्तिगत विशेषताओं को जानता या समझता है
(घ) विश्वासों का एक समूह जिसे कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में पर्याप्त रूप से निष्पादित कर सकता है
उत्तर (घ) विश्वासों का एक समूह जिसे कोई व्यक्ति किसी विशेष स्थिति में पर्याप्त रूप से निष्पादित कर सकता है

प्र.6. निम्नलिखित में से कौन-सा गिलफोर्ड मॉडल का उत्पाद है?
(क) मूल्यांकन (ख) अनुभूति (ग) परिवर्तन (घ) प्रतीक
उत्तर (ग) परिवर्तन

प्र.7. अमूर्त, आदर्शीकृत प्रतिनिधित्व जो चीजों की एक श्रेणी के औसत या विशिष्ट सदस्य को दर्शाता है, उसे कहा जाता है—
(क) उदाहरण (ख) प्रोटोटाइप (ग) संकल्पना (घ) स्कीमा
उत्तर (ख) प्रोटोटाइप

प्र.8. वर्किंग मेमोरी में निम्नलिखित में से क्या शामिल है?
(क) भण्डारण क्षमता और जीवन सम्बन्धी जानकारी
(ख) अर्थ सम्बन्धी जानकारी और प्रसंस्करण क्षमता
(ग) भण्डारण क्षमता और प्रसंस्करण क्षमता
(घ) जीवनी सम्बन्धी जानकारी और अर्थ सम्बन्धी जानकारी
उत्तर (ग) भण्डारण क्षमता और प्रसंस्करण क्षमता

प्र.9. निम्नलिखित में से कौन-सी एक प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है?
(क) व्यक्तिगत अभिविन्यास (ख) दीर्घकालिक अभिविन्यास
(ग) रिश्ते अपने आप में अन्त हैं (घ) रिश्ते अन्त का साधन हैं
उत्तर (घ) रिश्ते अन्त का साधन हैं

प्र.10. निम्नलिखित में से ''अर्थव्यवस्था और समाज'' पुस्तक के लेखक कौन हैं?
(क) मैक्स वेबर (ख) एंथोनी गिडेंस (ग) ई० दुर्खीम (घ) ए० कॉम्टे
उत्तर (क) मैक्स वेबर

प्र.11. निम्नलिखित में से कौन-सा ग्रामीण समुदाय का तत्त्व नहीं है?
(क) हम-भावना (ख) सांस्कृतिक विविधता (ग) क्षेत्र (घ) आत्मनिर्भरता
उत्तर (ख) सांस्कृतिक विविधता

प्र.12. बढ़ती जटिलता के क्रम में निम्नलिखित का सही क्रम चुनें—
(क) शिकार, संग्रहण, कृषि, देहाती, औद्योगिक और उत्तर-औद्योगिक समाज
(ख) सभा, देहाती, शिकार, औद्योगिक और उत्तर-औद्योगिक समाज
(ग) शिकार, देहाती, कृषि, औद्योगिक और उत्तर-औद्योगिक समाज
(घ) कृषि, संग्रहण, शिकार, बागवानी, औद्योगिक और उत्तर-औद्योगिक समाज
उत्तर (ग) शिकार, देहाती, कृषि, औद्योगिक और उत्तर-औद्योगिक समाज

प्र.13. समाजशास्त्र की विशेषता एक ऐसा परिप्रेक्ष्य है जो ..... को अग्रभूमि में रखता है।
(क) व्यक्तिगत (ख) अद्वितीय सामाजिक घटनाएँ
(ग) सामाजिक संपूरक (घ) संस्कृति
उत्तर (ग) सामाजिक संपूरक

TOUCH 'n' PASS

प्र.14. जब दो लोग एक-दूसरे के साथ बातचीत करते हैं तो वे बनते हैं—

(क) एक समाज (ख) एक संस्था

(ग) एक संघ (घ) एक डायडिक समूह

उत्तर (घ) एक डायडिक समूह

प्र.15. मैक्समूलर निम्नलिखित मं से किसे धर्म का सबसे प्रारम्भिक रूप मानते थे?

(क) प्रकृतिवाद (ख) मोनोइज्म

(ग) जीववाद (घ) अंधभक्ति

उत्तर (क) प्रकृतिवाद

प्र.16. उपहास एक है—

(क) सामाजिक संस्कृति (ख) सामाजिक मानदण्ड

(ग) मोरेस (घ) लोकमार्ग

उत्तर (क) सामाजिक संस्कृति

प्र.17. 'संदर्भ समूह' शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?

(क) हाइमन (ख) मेटर्न

(ग) श्रीनिवास (घ) कूली

उत्तर (क) हाइमन

प्र.18. मीड के अनुसार 'सामान्य मैंने' दूसरों को प्रेरित किया और 'महत्त्वपूर्ण अन्य' के निर्माता हैं—

(क) में (ख) मैं

(ग) अहंकार (घ) सुपर अहंकार

उत्तर (ख) मैं

प्र.19. प्रकार्यवादी की निर्णायक पद्धति है—

(क) अनुमानित इतिहास (ख) पुस्तकालय कार्य

(ग) क्षेत्र कार्य (घ) सामग्री विश्लेषण

उत्तर (ग) क्षेत्र कार्य

प्र.20. किसी दी गई स्थिति के साथ चलने वाली भूमिकाओं के संग्रह को कहा जाता है—

(क) एकाधिक भूमिकाएँ (ख) भूमिकाओं का संघर्ष

(ग) भूमिका सेट (घ) भूमिकाओं का सारांश

उत्तर (ग) भूमिका सेट

❑

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VII

नेतृत्व
Leadership

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. नेतृत्व को परिभाषित कीजिए।
Define Leadership.

उत्तर अधिकतर यह कहा जाता है कि 'आज के युवा कल के नेता हैं।' जीवन के विभिन्न पहलुओं में नेता प्रसिद्ध होते हैं। जनसंपर्क माध्यमों से हमारे सामने खेल, राजनीति, सिनेमा और व्यवसाय के दिग्गजों की तस्वीरें सामने लायी जाती हैं। एक सफल नेता के पीछे कई कहानियाँ जुड़ी होती हैं और सफल नेता बनने के लिए कोई एक विशेषता काफी नहीं होती। सामाजिक–सांस्कृतिक परंपराएँ, राजनीतिक–आर्थिक स्थितियाँ, नेतृत्व के कुछ महत्त्वपूर्ण निर्धारक हैं। परिवार, व्यवसाय, विद्यालय, देश व सेना में सफलता आदि नेतृत्व की विशेषता को प्रभावित करते हैं। आज कम्प्यूटर व इंटरनेट के द्वारा काम करने से राष्ट्रीय व भौगोलिक रेखाएँ मिट गयी हैं जिससे वैश्विक स्तर पर नेतृत्व की माँग बढ़ी है। नेतृत्व का अर्थ है—दूसरों को निश्चित लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। एक अच्छा नेता अपने समर्थकों के व्यवहार, विशेषताओं व प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।

प्र.2. समाज में नेतृत्व का क्या महत्त्व है?
What is importance of leadership in society?

उत्तर नेतृत्व महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह लोगों को प्रेरित करता है, और दुनिया में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लोगों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेता एक दृष्टि स्थापित करते हैं, कार्य योजना प्रदान करते हैं और अपने अनुयायियों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं। नतीजतन, वे लोगों को एक साथ अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए मार्गदर्शन करते हैं।

प्र.3. नेतृत्व के लिए चार दृष्टिकोण क्या हैं?
What are the four approaches to leadership?

उत्तर नेतृत्व के चार दृष्टिकोण लक्षण, कौशल, व्यवहार और स्थितिजन्य कहे जाते हैं। नेतृत्व का गुणात्मक दृष्टिकोण अन्य दृष्टिकोणों की तुलना में असामान्य है, क्योंकि यह अनुयायियों या स्थिति के बजाय विशेष रूप से नेता पर जोर देता है। एक अच्छे नेता के सबसे महत्त्वपूर्ण गुणों में से एक है अच्छे निर्णय लेने की क्षमता।

प्र.4. नेतृत्व के गुण क्या हैं?
What are the leadership qualities?

उत्तर अच्छे नेतृत्व में आत्मविश्वास, ईमानदारी, प्रतिबद्धता, अखंडता, धैर्य, पारदर्शिता, रचनात्मकता, सकारात्मक दृष्टिकोण, खुला दिमाग, जिम्मेदारी को व्यक्त करने की क्षमता और प्रभावी रूप से संवाद करने की क्षमता सहित कई गुण होने चाहिए।

प्र.5. नेतृत्व क्षमता क्या है?
What is leadership capability?

उत्तर नेतृत्व क्षमता वह गुण है जो अन्य व्यक्ति की क्रियाओं को निर्देशित करता है। यह व्यक्तित्व का एक शील गुण है। यह समूह के व्यक्तियों के व्यवहारों को प्रभावित करने की योग्यता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.6. अच्छे नेता के गुण लिखिए।
Write the merits of good leader.

उत्तर जिस तरह गाँधीजी सामाजिक नेता के उदाहरण हैं, उसी प्रकार नारायणमूर्ति व्यावसायिक नेता के तथा बुद्ध, यीशू, गुरुनानक धार्मिक नेता के उदाहरण हैं। प्रभुत्व व प्रभाव नेतृत्व प्रक्रिया के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। नेताओं को अधिकतर लोगों द्वारा सुना व स्वीकार किया जाता है।

किसी भी सफल नेता के गुण स्थान, संस्कृति व स्थिति के अनुसार अलग-अलग होते हैं। हर कार्यक्षेत्र के अपने-अपने नेता हैं; जैसे-क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर, व्यवसाय में रतन टाटा, लेकिन उन्हें जनता का नेता नहीं कहा जाता है। किसी विशेष कार्यक्षेत्र में नेतृत्व होना व जनता में सामाजिक नेतृत्व होना दोनों में अन्तर है। किसी भी नेता की मनोवैज्ञानिक विशेषताएँ इस प्रकार होती हैं—

1. वह अपने समर्थकों की क्षमताओं को जानते हैं।
2. मौखिक व अमौखिक दोनों तरह के अच्छे संवाद करने में सक्षम होते हैं।
3. अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं और समूह के सदस्यों के लिए एक उदाहरण बनते हैं।
4. इनमें स्थिति को समझने की क्षमता होती है।
5. वह अच्छी योजना बनाने वाले, सोच-विचार रखने वाले व विश्वसनीय होते हैं।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. नेतृत्व प्रशिक्षण के मार्ग में आने वाली बाधाओं का उल्लेख कीजिए।
Explain the obstacles in the way of leadership training.

उत्तर

नेतृत्व प्रशिक्षण के मार्ग में बाधाएँ
(Obstacles in the Way of Leadership Training)

कुछ ऐसे कारक (factors) हैं जिनके चलते नेतृत्व प्रशिक्षण के मार्ग में बाधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। उन कारकों में प्रमुख निम्नांकित हैं—

1. सम्भव है कि नेता यह महसूस ही न करे कि उसे किसी प्रकार की प्रशिक्षण की जरूरत है। समूह की सभी क्रियाएँ उसे ठीक-ठीक नजर आती हों और वह यह भी समझता हो कि समूह का मनोबल (morale) एवं उत्पादकता का स्तर वही है जो होना चाहिए। अगर उसे समूह में कभी गड़बड़ी नजर भी आये तो वह इसका कारण स्वयं पर न लेकर कुछ ऐसे कारकों पर फेंक दे जो उसके नियंत्रण से बाहर हो।
2. प्रशिक्षण प्रक्रियाओं के प्रति नेता की मनोवृत्ति अनुकूल नहीं होने से भी नेतृत्व प्रशिक्षण के मार्ग में बाधा पहुँचती है। मनोवृत्ति अनुकूल नहीं होने से वह यह सोच सकता है कि समूह की प्रमुख नीतियों एवं योजनाओं के निर्धारण में वह इतना सक्षम है कि न तो उनमें किसी प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है और न ही किसी सदस्य की राय की।
3. कभी-कभी नेता का स्वयं अपना व्यक्तित्व (personality) भी नेतृत्व प्रशिक्षण के मार्ग में बाधक हो जाता है। अक्सर यह देखा गया है कि नेताओं में पद चेतना (status consciousness) काफी होता है जिसके कारण वह अपनी कमजोरियों को हमेशा छिपा कर नेतृत्व का कार्य करता है। प्रशिक्षण से इन कमजोरियों का प्रकाश में आने का भय बना रहता है। फलतः वह हर संभव प्रयास कर अपने आपको प्रशिक्षण से दूर रखने की कोशिश करता है।
4. प्रशिक्षण का एक उद्देश्य यह होता है कि नेता प्रशिक्षण के बाद नयी भूमिका अदा करेंगे। इस नयी नेतृत्व भूमिका के लिए जिन कौशलों (skills) का होना अनिवार्य है, सम्भव है कि वे उस नेता में नहीं हो। ऐसी परिस्थिति में नेता प्रशिक्षण के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि वह जानता है कि प्रशिक्षण समाप्त होने के बाद वह भूमिका योग्य नहीं है।

उपरोक्त वर्णनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्व प्रशिक्षण एक उपयोगी कार्यक्रम होते हुए भी कुछ बाधाओं से ग्रसित है। समाज मनोवैज्ञानिकों का यह प्रयास रहा है कि जब वे नेता को प्रशिक्षण देना प्रारम्भ करें तो यथासम्भव इन बाधाओं को दूर करके ही प्रशिक्षण का कार्यक्रम आरम्भ करें।

TOUCH 'n PASS

प्र.2. सामाजिक समूह कार्य में कुशलता प्राप्ति का उल्लेख कीजिए।
Explain the achievement of skills in social group work.

उत्तर

सामाजिक समूह कार्य
(Social Group Work)

सामाजिक समूह कार्य को समाज कार्य की एक पद्धति के रूप में कार्यकर्त्ता द्वारा उपयोग में लाया जाता है। अत: अपेक्षित है कि समूह कार्यकर्त्ता वृत्तिक समाज कार्य अभ्यास में कुशल एवं निपुण हो जिसके लिए उसका व्यावसायिक रूप से प्रशिक्षित होना आवश्यक होता है। सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता को व्यावसायिक समाज कार्य प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। समूह कार्य करने की प्राथमिक अवधि में कार्यकर्त्ता को अधिक अनुभव प्राप्त, समूह कार्यक्रम के निरीक्षक के अन्तर्गत कार्य करना चाहिए।

कई बार समूह कार्य की अन्त:क्रियाओं की बहुलता होने के कारण नये कार्यकर्त्ताओं को कठिनाइयों का अनुभव हो सकता है। इसलिए यदि कार्यकर्त्ता अपने से अधिक अनुभवी कार्यकर्त्ता को समूह कार्य अभ्यास करते समय देखता है और उसका अवलोकन करता है तो वह अधिक सीख सकता है। यदि स्वयं भी वह अकेले ही समूह कार्य का अभ्यास कर रहा है, तो अनुभवी कार्यकर्त्ता को अवलोकन के लिए बुलाकर, बाद में उसके साथ चर्चा द्वारा अपने कार्य का मूल्यांकन करके समूह कार्य में अधिक निपुणता प्राप्त कर सकता है।

इसके अलावा कार्यकर्त्ता समूह कार्य की रिपोर्ट लिखकर उसके आधार पर अपने पर्यवेक्षक के बारे में मूल्यांकनात्मक चर्चा कर सकता है। ऐसा करने से भी वह अधिक जिम्मेदारी व समझदारी प्राप्त कर सकता है और अपने समूह कार्य के अभ्यास को अधिक प्रभावी और उद्देश्यपूर्ण बना सकता है।

समस्याग्रस्त समूहों की विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त करना कार्यकर्त्ता के लिए आवश्यक होता है। समान विशेषताओं के आधार पर निर्मित समूह अपने आप में एक प्रकार के समूह के साथ कार्य कर रहा हो, उसके बारे में विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करे। विभिन्न प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने वाली संस्थाएँ बीच-बीच में छोटे-छोटे अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती रहती हैं। इनका लाभ कार्यकर्त्ता उठा सकते हैं और अलग-अलग प्रकार के समूहों के साथ कार्य करने में कुशल हो सकते हैं।

संस्थाएँ अपने उद्देश्यों के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती हैं; जैसे—बाल कल्याण संस्था द्वारा एक या दो सप्ताह का बाल व्यवहार विज्ञान का प्रशिक्षण शिविर, युवा कल्याण संस्था द्वारा नेतृत्व विकास प्रशिक्षण शिविर, अस्पताल में टी०बी० या कैंसर मरीजों के साथ समूह कार्य का प्रशिक्षण शिविर या मद्यपान करने वाले मरीजों के साथ काम करने के कौशल के शिविर आदि।

कार्यकर्त्ता जिस संस्था में कार्यरत हों, उसके तत्वावधान में भी अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जा सकते हैं। कार्यकर्त्ता जिस विषयों में कठिनाई अनुभव करता है, उन विषयों पर अनुभवी कार्यकर्त्ताओं के साथ विचार-विमर्श तथा गोष्ठियों का आयोजन भी संस्था द्वारा किया जा सकता है। कार्यकर्त्ता समूह कार्य के अपने अनुभवों के आधार पर लेखलिख कर भी समूह कार्य अभ्यास के कुछ पक्षों के बारे में अन्त: दृष्टि प्राप्त कर सकता है। समय-समय पर अपने कार्यों का विचारात्मक मूल्यांकन करने से भी कार्य करने की नयी दिशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है।

प्र.3. कार्यकर्त्ता के गुण एवं विशेषताएँ लिखिए।
Write the merits and characteristics of worker.

उत्तर

कार्यकर्त्ता के गुण एवं विशेषताएँ
(Merits and Characteristics of Worker)

कुछ विशेष प्रकार के गुणों वाले व्यक्ति अच्छे कार्यकर्त्ता सिद्ध होते हैं। समूह कार्य की भूमिकाओं को बखूबी निभाने में कौशल के साथ-साथ व्यक्ति की अपनी विशेषताएँ भी महत्त्वपूर्ण होती हैं। कार्यकर्त्ता एक व्यक्ति होने के नाते एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व वाला होता है। उसकी स्वयं की रुचियाँ और कार्य करने का दृष्टिकोण होता है। सामूहिक समाज कार्य के लिए उपयुक्त कार्यकर्त्ता के गुण कई बार उसके सामान्य गुणों व व्यक्तित्व के पहलुओं से भिन्न हो सकते हैं। कार्यकर्त्ता को इस बात का अहसास होना चाहिए कि उसके व्यक्तित्व का कौन-सा पक्ष कार्य में अधिक उपयोगी हो सकता है या कौन-सा पक्ष समूह के विकास कार्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। सामान्य रूप से बहुत शान्त या बहुत क्रोधी व्यक्ति कार्यकर्त्ता बनने लायक नहीं होते है, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति की भूमिका में ऊपर लिखे दोनों गुणों का प्रक्षेपण अपने सामान्य संबंधियों के सामने धारकों के लिए सामान्य बात होगी।

TOUCH 'n PASS

एक मानव होने के नाते उसे पूरा अधिकार व छूट रहती है कि वह अपने सहज व्यक्तित्व के साथ लोगों के साथ पेश आये। इन गुणों वाले व्यक्ति जब कार्यकर्त्ता की भूमिका में होते हैं तो इन्हीं गुणों का उपयोग समझदारी से समूह के लिए जो उपयुक्त होता है, उस प्रकार से करते हैं। समाज कार्य प्रशिक्षण द्वारा इस बात का प्रयास किया जाता है कि कार्यकर्त्ता अपने सामान्य व्यक्तित्व के गुणों का इस प्रकार से उपयोग करना सीख जायें जिससे कि लाभार्थी का सेवा संबंधी उद्देश्य पूरा हो। प्रशिक्षण के दौरान मानव व्यवहार संबंधी ज्ञान एवं सहायता करने के अभ्यास द्वारा व्यावसायिक कार्यकर्त्ता में अपेक्षित गुणों का विकास किया जा सकता है और किया जाता रहा है।

प्र.4. नेतृत्व के सिद्धान्तों का उल्लेख कीजिए।
Explain the principles of leadership.

उत्तर

नेतृत्व के सिद्धान्त
(Principles of Leadership)

नेतृत्व के बहुत से सिद्धान्त हैं, उनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण निम्नांकित हैं—
प्राचीन दृष्टिकोण यह बताता है कि नेता जन्मजात होते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार, कुछ लोग नेतृत्व के गुणों के साथ ही जन्म लेते हैं और उन्हीं को नेता बनने का जन्मजात अधिकार होता है।

1. **गुण सम्बन्धी सिद्धान्त**—यह सिद्धान्त यह बताता है कि कौन-सी व्यक्तिगत विशेषताएँ प्रभावी नेतृत्व की ओर ले जाती हैं। आत्मविश्वास, दूसरों के विचारों का सम्मान, नौकरी के प्रति भावावेश तथा दूसरों के लिए एक उदाहरण बन पाने की क्षमता, लोगों के प्रति प्रेम, स्वीकृति, परिपक्वता, जिम्मेदारी और लक्ष्य हासिल करने की तीव्र इच्छा आदि नेतृत्व की कुछ अन्य विशेषताएँ हैं।
2. **व्यवहारपरक सिद्धान्त**—ऐसा देखा गया है कि सफल नेता का व्यवहार दो तरह का होता है—कार्य-केन्द्रित और कर्मचारी केन्द्रित। कार्य प्रबोधन काम के गुण एवं मात्रा से संबंधित होता है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी केन्द्रित प्रबोधन समूह के सदस्यों की निजी जरूरतों को पूरा करने की ओर ध्यान देता है।
3. **परिस्थितिजन्य सिद्धान्त**—हम अक्सर यह देखते हैं कि प्रभावी नेतृत्व में परिस्थितिजन्य परिवर्त्य महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेतृत्व व्यवहार की विशेष शैली पर निर्भर करती है। जैसे-जैसे स्थितियाँ बदलती हैं अलग-अलग नेतृत्व शैली उपयुक्त बन जाती हैं।
4. **लक्ष्य सिद्धान्त**—लक्ष्य सिद्धान्त यह केन्द्रित करता है कि किस प्रकार नेता अपने अनुयायियों की उम्मीदों को प्रभावित करते हैं। इसके अनुसार नेता का व्यवहार अनुयायी के लिए तब स्वीकार्य होता है जब उन्हें यह लगे कि उससे उनकी उम्मीदें या भविष्य में होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हो रही है।
   लक्ष्य सिद्धान्त द्वारा नेतृत्व की चार निम्नलिखित शैलियाँ मानी गयी हैं—
   (i) गति-दिशा शैली अनुयायी को यह बताती है कि क्या करना है और किस प्रकार करना है।
   (ii) सहायक शैली अनुयायी के साथ अन्तर्वैयक्तिक संबंध स्थापित करने से संबंधित है।
   (iii) सहभागिता शैली यह विश्वास रखती है कि अनुयायी की सहभागिता निर्णय लेने की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है।
   (iv) उपलब्धि शैली अनुयायी के लिए चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करती है।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. नेतृत्व प्रशिक्षण का अर्थ, महत्त्व एवं प्रविधियों का वर्णन कीजिए।
Describe the meaning, importance and techniques of leadership training.

उत्तर

नेतृत्व प्रशिक्षण का अर्थ
(Leadership Training)

नेतृत्व प्रशिक्षण का अर्थ नेता को अपनी भूमिका-निर्वाह से संबंधित आवश्यक तथ्यों से ज्ञान कराना है। संसार के करीब-करीब सभी प्रजातंत्रात्मक देशों (democratic countries) में पहले यह अनुभव किया जाता था कि नेतृत्व प्रशिक्षण गुणकारी चीज नहीं है। यह धारणा मूलत: दो बातों पर आधारित थी—पहला तो यह कि नेता जन्म से पैदा होते हैं, बनाये नहीं जाते हैं (Leaders are born not made)। अत: प्रशिक्षण देने से कोई फायदा नहीं होगा। जो पैदाइशी नेता हैं, वे नेता बने रहेंगे तथा जो पैदाइशी

TOUCH 'n PASS

नहीं हैं, उन्हें प्रशिक्षण देकर भी नेता नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह थी कि प्रजातंत्र में थोड़ी-सी भी परिस्थिति अनुकूल मिल जाने पर कोई भी व्यक्ति नेता हो सकता है। अत: नेतृत्व प्रशिक्षण जैसी चीज गोबर में घी डालने के समान है। परन्तु धीरे-धीरे ये दोनों तरह की अवधारणाओं की मान्यता टूटती गयीं और अब यह बिल्कुल ही स्थापित हो गया है कि नेतृत्व प्रशिक्षण द्वारा नेता को अधिक प्रभावकारी एवं गुणकारी बनाया जा सकता है। बेवेलस (Bavelas, 1942) द्वारा किये गये अध्ययनों से स्पष्ट हो गया है कि प्रशिक्षित नेतृत्व में समूह उत्पादकता (group productivity) अप्रशिक्षित नेतृत्व की अपेक्षा कहीं अधिक होती है।

महत्त्व
(Importance)

नेतृत्व प्रशिक्षण की अत्यधिक महत्ता है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के समूहों की समस्याओं के अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यदि समूह का नेता प्रशिक्षित (trained) होता है, तो उस समूह का मनोबल (morale) तथा उत्पादकता (productivity) दोनों ही उच्च होती हैं। ऐसा समूह अपने लक्ष्यों (goals) की प्राप्ति की ओर तेजी से अग्रसर होता है। विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व प्रशिक्षण के महत्त्व को हम इस प्रकार बतला सकते हैं—

1. उद्योग-धन्धों में नेतृत्व प्रशिक्षण का विशेष महत्त्व है। उद्योगों में सर्वेक्षक (supervisors) तथा फोरमैन (foreman) के सामने अनेक तरह की समस्याएँ आती हैं जिनका समाधान करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित होना आवश्यक है। **ब्लम** तथा **नेलर** (Blum & Naylor, 1984) के अनुसार औद्योगिक संगठनों के लिए एक प्रशिक्षित पर्यवेक्षक अप्रशिक्षित सर्वेक्षक की अपेक्षा कई गुना श्रेष्ठकर होता है।
2. व्यवसाय संगठनों (Business organisations) में कार्यपालक (executives) तथा प्रबंधक (managers) होते हैं जिनका निर्णय व्यवसाय को या तो अधिकतम मुनाफा दिला देता है या घाटा। अत: यह आवश्यक है कि वे उचित परिस्थिति में उचित निर्णय लें। इसके लिए भी इन्हें प्रशिक्षित होना अनिवार्य है अन्यथा व्यावसायिक संगठन घाटे में चलेगा और एक दिन बन्द भी हो सकता है।
3. नेतृत्व प्रशिक्षण का महत्त्व सरकारी संस्थानों में भी काफी है। सरकार के प्रशासनिक अफसरों (administrative officers) को भी अपने कार्य संचालन में भिन्न-भिन्न तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ-ही-साथ उन्हें अपने उच्च अधिकारियों एवं अधीनस्थों (subordinates) दोनों के साथ ऐसा तालमेल रखना पड़ता है कि उनकी प्रशासनिक आज्ञाओं का सही समय में अनुपालन हो सके। इसके लिए यह आवश्यक है कि उनमें प्रशासनिक कुशलता (administrative skills) हो। यह तभी संभव है जब उन्हें ठीक ढंग से प्रशिक्षित किया गया हो। यही कारण है कि भारत सरकार I.A.S. तथा I.P.S. एवं अन्य उच्च पदाधिकारियों को पद भार ग्रहण कराने के पहले कुछ दिनों तक उन्हें प्रशिक्षित करती है। प्रत्येक राज्य सरकार भी अपने उच्च अधिकारियों को प्रशिक्षण देती हैं और सम्बन्धित क्षेत्र में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन्हें विदेश तक भेजने में हिचकिचाती नहीं है। सरकार द्वारा प्रशिक्षण पर इतना बल दिए जाने से सरकारी संस्थाओं में नेतृत्व प्रशिक्षण की महत्ता अपने आप ही स्पष्ट हो जाती है।
4. शिक्षा (Education) के क्षेत्र में भी नेतृत्व प्रशिक्षण की अत्यधिक महत्ता है। कॉलेज एवं स्कूल के शिक्षक एवं प्रधानाचार्य आदि यदि प्रशिक्षित होंगे तो स्वभावत: उन्हें अपने कार्यों को पूरा करने में एवं उत्तरदायित्व निभाने में सहूलियत होगी तथा छात्रों के साथ पूर्ण न्याय कर पायेंगे। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार अपनी एक उच्चतर संस्थान अर्थात् विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission) द्वारा पूरे भारत में कॉलेज शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष तरह का कॉलेज (College) खुलवाया है जिसे एकेडेमिक स्टॉफ कॉलेज (Academic Staff College) की संज्ञा दी गयी है। प्रत्येक राज्य के कुछ चुने हुए विश्वविद्यालयों में इस ढंग का कॉलेज खोला गया है जहाँ कॉलेज शिक्षकों को यथोचित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरे भारत में अभी 48 विश्वविद्यालयों में ऐसा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार में पटना विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय तथा राँची विश्वविद्यालय में ऐसे कॉलेज खोले गए हैं जहाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय एवं अन्य नजदीक के विश्वविद्यालयों के शिक्षक प्रशिक्षित किये जा रहे हैं।

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि नेतृत्व प्रशिक्षण का अत्यधिक महत्त्व है तथा इसका सफलतापूर्वक प्रयोग भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में करके इसे और भी अधिक गुणकारी बनाया जा रहा है।

TOUCH 'n' PASS

नेतृत्व प्रशिक्षण की प्रविधियाँ
(Techniques of Leadership Training)

नेतृत्व प्रशिक्षण की कई प्रविधियाँ (techniques) हैं जिनमें निम्नांकित चार प्रमुख हैं—

1. भाषण विधि (Lecture method)
2. सम्मेलन विधि (Conference method)
3. समस्या-विवेचन विधि (Case discussion method)
4. भूमिका निर्वाह विधि (Role playing method)

1. **भाषण विधि** (Lecture method)—इस विधि में प्रशिक्षण पाने वाले नेतागण एक खास जगह पर एवं एक खास समय पर एकत्रित होते हैं और कोई विशेषज्ञ (expert) उन्हें नेतृत्व संचालन से संबंधित भिन्न-भिन्न पहलुओं पर भाषण देता है एवं समस्याओं के समाधान के तरीकों पर प्रकाश डालता है। प्रशिक्षण पाने वाले नेता विशेषज्ञों की बात को सुनते हैं तथा बतायी गयी दिशाओं में अपने व्यवहारों एवं मनोवृत्तियों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं।
   यद्यपि इस विधि द्वारा नेता को प्रशिक्षित करना काफी आसान है, फिर भी इस विधि में कुछ कठिनाइयाँ हैं; जैसे—कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की विधि में अधिकतर नेताओं को कोई फायदा नहीं हो पाता है और वे विशेषज्ञ की बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। यह भी बताया गया है कि उच्च बुद्धि के नेता इस विधि से कोई खास लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान भाषण पर केन्द्रित हो ही नहीं पाता है। मायर (Maier, 1970) के अनुसार, मात्र भाषण सुन लेने से नेताओं में व्यावहारिक कौशल (practical skill) विकसित नहीं होता है। ऐसे प्रशिक्षित नेताओं को अपने कार्य पर लौटने पर फिर वही कठिनाई सामने आने लगती है।
2. **सम्मेलन विधि** (Conference method)—सम्मेलन विधि में प्रशिक्षण पाने वाले नेता या सर्वेक्षकगण (supervisors) एक बड़े हॉल (hall) में एकत्रित होते हैं तथा नेतृत्व से सम्बन्धित समस्याओं पर किसी विशेषज्ञ (expert) के मार्गदर्शन में वे विचार-विमर्श करते हैं। यहाँ विशेषज्ञ भाषण नहीं देता है बल्कि सभी उपस्थित नेताओं से आपस में विचार-विमर्श कराकर नेतृत्व की कुशलता तथा प्रभावशीलता को बढ़ाने की विधियों से उन्हें अवगत कराता है। इस तरह से नेता सम्मेलन विधि द्वारा प्रशिक्षित हो जाते हैं। यह विधि भाषण विधि से थोड़ा श्रेष्ठकर इसलिए होती है, क्योंकि इसमें प्रशिक्षण पाने वाले नेताओं की भूमिका अधिक सक्रिय होती है तथा इनकी भागीदारी (involvement) भी होती है। इस विधि द्वारा अधिक बुद्धि के नेताओं को प्रशिक्षण देना कठिन है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ऐसे नेता सम्मेलन में चुपचाप बैठे रह जाते हैं। वे किसी भी पहलुओं पर अपना विचार व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इस तरह से उनमें नीरसता आने लगती है और धीरे-धीरे सम्मेलन से मानसिक रूप से वे अलग हो जाते हैं।
3. **समस्या-विवेचन विधि** (Case discussion method)—समस्या-विवेचन विधि सम्मेलन विधि के ही समान है। अन्तर सिर्फ इतना है कि इसमें नेता के प्रशिक्षण का केन्द्र बिन्दु (focal point) कुछ चुनी हुई विशिष्ट समस्याएँ होती हैं। इन समस्याओं पर बारी-बारी से कोई एक विशेषज्ञ प्रशिक्षण पाने वाले नेताओं के साथ (जिनकी संख्या प्राय: कम होती है) विचार-विमर्श करता है। इस विचार-विमर्श के दौरान उन्हें नये-नये अनुभव होते हैं और इस तरह से वे धीरे-धीरे प्रशिक्षित होने लगते हैं। **फिशर** (Fisher, 1982) के अनुसार यह विधि सम्मेलन विधि से अधिक प्रभावकारी दो कारणों से सिद्ध हुई है। पहला तो यह कि समस्या-विवेचन विधि में प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों का एक छोटा समूह होता है जिससे विचार-विमर्श में प्रशिक्षार्थियों (trainees) की सहभागिता (participation) अधिक हो पाती है। दूसरा यह कि समस्या-विवेचन विधि में विचार-विमर्श नेतृत्व के सामान्य पहलुओं पर न होकर विशिष्ट समस्याओं पर केन्द्रित होता है। फलत: प्रशिक्षार्थियों को लाभ अपेक्षाकृत अधिक होता है।
4. **भूमिका निर्वाह विधि** (Role playing method)—नेतृत्व प्रशिक्षण की इस विधि के प्रतिपादन का स्रोत मोरेनो (Moreno, 1930) का 'मनोनाटक' (Psychodrama) विधि है। भूमिका निर्वाह विधि की सबसे प्रमुख पूर्वकल्पना (assumption) यह है कि हम जो चीज करके सीखते हैं (Learning by doing) वह अधिक मजबूत एवं टिकाऊ होती है। इस विधि में प्रशिक्षण पाने वाले नेताओं को कुछ विशेष भूमिका निभानी होती है। भूमिका निभाते समय उस भूमिका से सम्बन्धित नियमों एवं कर्त्तव्यों का भी पालन करना होता है। इस तरह से नेता भूमिका से सम्बन्धित कर्त्तव्यों (duties) एवं अधिकारों को निभाना सीख लेते हैं। उदाहरणार्थ, एक समूह में कुछ सर्वेक्षकों (supervisors) को

TOUCH 'n PASS

मालिक (proprietor) की भूमिका निभाने के लिए कहा जा सकता है तथा कुछ को ऐसे कर्मचारी (employees) का जो मालिक का घेराव वेतन वृद्धि की माँग को पूरा करने के लिए कर रहे हों। स्वभावत: मालिक की भूमिका निभाने में उस सर्वेक्षक (supervisor) को उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा जो सचमुच में एक मालिक को करना पड़ता है। कर्मचारी की भूमिका में सर्वेक्षकों को उन कर्त्तव्यों का ज्ञान होगा जो एक कर्मचारी में होता है। नेतृत्व प्रशिक्षण में भूमिका निर्वाह विधि की सार्थकता की पुष्टि अनेकों मनोवैज्ञानिकों; जैसे-ब्रेडफोर्ड तथा लिपिट (Bradford & Lipitt, 1945) एवं फ्रेंच (French, 1946) आदि ने अपने-अपने अध्ययनों के आधार पर किया है।

इस तरह से हम देखते हैं कि नेतृत्व प्रशिक्षण की कई प्रविधियाँ (techniques) हैं। इन प्रविधियों में अपनी सरलता के कारण भाषण विधि एवं सम्मेलन विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रचलित हो पायी है।

प्र.2. कार्य की निपुणता और सामाजिक समूह कार्य में कार्यकर्त्ता की भूमिका और कार्यों का वर्णन कीजिए।
Describe the skills of worker and role and work of worker in social group work.

उत्तर

कार्यकर्त्ता की निपुणता
(Skills of Worker)

1. समूह के साथ भाग लेने में निपुणता—
   (i) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूह के प्रति अपनी भूमिका निर्धारित करने, उसकी व्याख्या करने, उसे ग्रहण करने और उसे परिवर्तित करने की निपुणता होनी चाहिए।
   (ii) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूह के सदस्यों को सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने, अपने बीच में से नेतृत्व को ढूँढ़ने और अपनी क्रियाओं के विषय में उत्तरदायित्व स्वीकार करने में सहायता देने की कुशलता होनी चाहिए।
2. समूह की भावनाओं से निपटने में निपुणता—
   (i) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूह के प्रति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की निपुणता होनी चाहिए और उसे प्रत्येक नवीन परिस्थितियों को उच्चकोटि की विषयनिष्ठता, भविष्यात्मकता से अध्ययन करना चाहिए।
   (ii) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूह को अपनी सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार की भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता देने की कुशलता होनी चाहिए। कार्यकर्त्ता में सामूहिक एवं अन्त:सामूहिक संघर्ष की परिस्थिति का विश्लेषण करने में समूह को सहायता देने की कुशलता होनी चाहिए।
3. कार्यक्रम के विकास में निपुणता—
   (i) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में सामूहिक चिंतन का मार्ग प्रदर्शित करने की निपुणता होनी चाहिए जिससे उसकी अभिरुचियाँ और आवश्यकताएँ प्रकट हो सकें और समझी जा सकें।
   (ii) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूहों को ऐसे कार्यक्रमों का विकास करने में सहायता देने की निपुणता होनी चाहिए जिसके माध्यम से समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हों।
4. उद्देश्यपूर्ण संबंध स्थापित करने में निपुणता—
   (i) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूह में स्वीकृति प्राप्त करने और समूह से एक सकारात्मक व्यावसायिक आधार पर संबंध स्थापित करने की निपुणता होनी चाहिए।
   (ii) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में निपुणता होनी चाहिए कि वह समूह के सदस्यों को एक-दूसरे को स्वीकार करने और सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह के साथ सहयोग कर सके।
5. समूह की परिस्थिति का विश्लेषण करने में निपुणता—
   (i) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूह के स्तर को जानने, उसकी आवश्यकताओं को ज्ञात करने और समूह जितनी जल्दी आगे बढ़ने को तैयार है, निर्धारित करने के लिए समूह के विश्वास के स्तर को समझने की निपुणता होनी आवश्यक है।
   (ii) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में इस बात की निपुणता होनी चाहिए कि वह समूह के अपने विचारों को व्यक्त करने, उद्देश्यों का निर्माण करने, लक्ष्य का स्पष्टीकरण करने और समूह के रूप में अपनी शक्तियों और कमजोरियों को समझने में सहयोग कर सके।

TOUCH 'n' PASS

6. संस्था और सामुदायिक साधनों के प्रयोग में निपुणता—
   (i) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में उन विभिन्न सामुदायिक सहायक साधनों का पता लगाने और उनके विषय में समूह को जानकारी कराने की निपुणता होनी चाहिए, जिनका प्रयोग कार्यक्रमों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है।
   (ii) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता में समूह के उन सदस्यों, जिनकी आवश्यकताएँ समूह के माध्यम से पूरी नहीं हो पाती, विशिष्ट सेवाओं का प्रयोग करने में सहायता देने की निपुणता होनी चाहिए।
7. मूल्यांकन में निपुणता—
   (i) सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता द्वारा समूह के साथ कार्य करते समय विकास संबंधी क्रिया के अभिलेखों का प्रयोग और समूह को उन्नति प्राप्त करने में ज्ञान, प्रबोध और सिद्धान्तों का चेतन प्रयोग इस विधि से किया जाना चाहिए जिससे व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार में उचित परिवर्तन आ जाए।

फिलिप ने सामूहिक समाज कार्य से कार्यकर्त्ता में अपेक्षित निम्नलिखित दक्षताओं का सुझाव दिया है—

1. संस्था के कार्यों के प्रयोग में निपुणता।
2. वर्तमान वास्तविकता के प्रयोग में निपुणता।
3. भावनाओं के संचारण में निपुणता।
4. सामूहिक संबंधों की उत्तेजना एवं उपयोग में निपुणता।

सामाजिक समूह कार्य में कार्यकर्त्ता की भूमिका और कार्य
(Role and Work of Worker in Social Group Work)

कार्यकर्त्ता समूह कार्य के उद्देश्यों की प्राप्ति में समूह की मदद सामूहिक समाज कार्य के सिद्धान्तों एवं प्रणालियों का उपयोग सामाजिक संस्था के तत्त्वावधान में संस्था की नीतियों का पालन करते हुए करता है। सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता तभी कार्य कर सकता है जब वह समूह कार्य पद्धति का अर्थ, उद्देश्यों, प्रणालियों एवं दक्षताओं से परिचित हो। समाज कार्य प्रशिक्षण द्वारा उसे इन चीजों का ज्ञान तो होता है। किन्तु बदलती परिस्थितियों, बदलते मूल्यों, धारणाओं एवं उनकी प्रभावित प्रणालियों का स्वरूप समाज कार्य व अन्य विषयों के अन्तर्गत हुई खोजों की जानकारी द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। अत: कार्यकर्त्ता का मुख्य कार्य होता है कि वह समूह कार्यों संबंधी दिन-प्रतिदिन नये स्थापित तथ्यों से अवश्यकता होने के लिए प्रयासरत् रहे।

समूह के प्रत्येक सदस्य एक-दूसरे पर अन्त:क्रिया द्वारा प्रभावित होते हैं। इन अन्त:क्रियाओं को उपयुक्त दिशा की ओर उन्मुख करना कार्यकर्त्ता का कार्य है।

कई विकास कार्य में लगी संस्थाएँ सामूहिक समाज कार्य के द्वारा समस्याओं से निपटने में प्रयासरत् हैं; जैसे-महिला बचत योजना, पंचायती राज प्रशिक्षण शिविर, व्यावसायिक प्रशिक्षण शिविर, उद्योगकर्त्ता विकास शिविर आदि कार्यक्रमों के संचालन में समूह कार्य का बहुतायत में उपयोग हो रहा है। **एन्डरसन** (1979) का मानना है कि सामाजिक प्रतियोगिता के विकास का उद्देश्य रखने वाले व्यक्तियों के लिए समूह महत्त्वपूर्ण साधन सिद्ध होता है। खास कर ऐसे व्यक्तियों के लिए जो निम्नलिखित अनुभवों से गुजर रहे हों-अलगाव, निराशा, शोषण, वर्तमान मानवीय संबंधों के संदर्भ में दूसरों द्वारा न समझा जाना एवं परिवर्तित हो रही ऐसी व्यवस्थाओं में अपर्याप्तता का अनुभव जिन व्यवस्था के वे स्वयं एक भाग हों। इस प्रकार की भावनाओं से ग्रस्त व्यक्तियों तक पहुँचना और उन्हें उनके कष्टदायी दायरों से बाहर निकालकर समूह कार्य द्वारा उनका मनोबल बढ़ाना कार्यकर्त्ता का कार्य होता है। इस प्रकार की भावनाओं से ग्रसित व्यक्ति कई बार इतने निराश रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए यह सूझता ही नहीं है। कार्यकर्त्ता ऐसे लोगों को ढूँढ कर, उनसे सम्पर्क कर उन्हें समूह कार्य द्वारा सहायता पहुँचाने का प्रयास करता है।

नेतृत्व के पीछे जो पथ-प्रदर्शन का उद्देश्य है, वह प्रजातांत्रिक समाज की सामान्य मान्यताओं पर आधारित है; जैसे-प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रतापूर्वक अपनी क्षमताओं के उपयोग के अवसर देना, दूसरों की प्रशंसा एवं आदर करना और अपने उत्तरदायित्व को ग्रहण करना।

सामूहिक समाज कार्य अभ्यास के पीछे वैयक्तिक एवं सामूहिक व्यवहार का ज्ञान और सामाजिक स्थितियों एवं सामुदायिक संबंधों का ज्ञान हो। इस ज्ञान के आधार पर सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता उस समूह जिसके साथ वह कार्य करता है, को नेतृत्व प्रदान करता है जो सदस्यों की अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग करने और सामाजिक से रचनात्मक सामूहिक क्रिया-कलापों का सृजन करने के योग्य बनाता है।

TOUCH 'n PASS

सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता वैयक्तिक और सामूहिक के विषय में अपने ज्ञान का चेतन रूप से प्रयोग करता है और व्यक्तियों एवं जिनके साथ वह कार्य करता है, के प्रति और उन विस्तृत सामाजिक मूल्यों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पहचानता है।
विल्सन और **राइलैण्ड** के अनुसार, व्यक्ति समूह में कई उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित होते हैं; जैसे—
(1) सुरक्षा (2) शिक्षा (3) अन्वेषण या साहसिक कार्य (4) उपचार (5) उन्नति (6) परामर्श या सलाह (7) प्रशासन (8) सहयोग (9) एकीकरण (10) नियोजन।

सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता द्वारा समूह के माध्यम से इनकी पूर्ति में सहायता—सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता समूह के बीच होने वाली अंत:क्रिया के माध्यम से कार्य करता है। समूह का प्रत्येक सदस्य को कई दूसरे सदस्य को कई तरीकों से प्रभावित करता है। विल्सन और राइलैण्ड ने सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता के कार्यों में निम्न को विशिष्ट कार्य माना है—

1. समूह के साथ बैठक।
2. व्यक्तियों के साथ विचार-विमर्श जिसमें साक्षात्कार विधि का प्रयोग; जैसे-समूह में सदस्य के निबंधन के समय साक्षात्कार, आकस्मिक साक्षात्कार और सदस्यों के घरों में मुलाकात करना।
3. प्रतिवेदन और अभिलेख लिखना।
4. सामुदायिक कार्यों में संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

कार्यकर्त्ता को सामूहिक जीवन की गतिशीलता का पूरा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि समूह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा—

1. व्यक्ति व्यक्तिगत एवं सामाजिक संतुष्टि और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं।
2. व्यक्तिगत एवं सामाजिक आदर्श बदले जाते हैं।
3. समाज में नियंत्रण बनाए रखा जाता है।
4. समाज अपने रस्मों, रिवाजों, आदर्शों और मूल्यों को हस्तांतरित करता है।

प्र.3. समूह में नेतृत्व विकास की प्रक्रिया को विस्तार से लिखिए।
Write in detail the process of leadership development of in group.

उत्तर

समूह के नेतृत्व विकास की प्रक्रिया
(Process of Development of Leadership in Group)

नेतृत्व समूह का एक प्राकृतिक प्रमुख तत्त्व है। नेतृत्व के द्वारा ही समूह अपने विकासात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति के उस गुण से संबंधित होता है जो वह समूह के अन्य सदस्यों को स्वयं आगे बढ़कर मार्ग दिखाने वाला होता है। नेतृत्व शक्ति प्रत्येक में होती है, किन्तु किसी में कम और किसी में अधिक दिखाई पड़ती है।
समूह प्रत्येक व्यक्ति की नेतृत्व शक्ति को संचालित करने की योग्यता रखता है। आत्मनिर्णय के लिए समूह कार्य समूह प्रक्रिया द्वारा सदस्यों को प्रेरित करता है। आत्मनिर्णय की प्रक्रिया में व्यक्ति नेतृत्व की शक्ति भी संलग्न रहती है। स्वनिर्णय को शक्ति स्वसंचालन को प्रेरित करती है और दूसरों पर निर्भर होने से बचाता है। इस अर्थ में आत्मनिर्णय नेतृत्व शक्ति का भाग होता है।
सामान्यत: नेतृत्व का अर्थ व्यक्ति के उस कार्य से लिया जाता है जो वह समूह के अन्य सदस्यों के हित के लिए इस अपेक्षा से उठाता है कि अन्य सदस्य उसके साथ उस हितकारी कार्य में सहभागी होंगे और उसका अनुसरण करेंगे। इन अर्थों में नेतृत्व दो तरफा होता है। इसमें नेता समूह के अन्य सदस्यों द्वारा प्रदर्शित प्रतिक्रियाओं के आधार पर ही स्वयं को सफल व असफल समझ सकता है। दूसरी ओर अन्य सदस्य भी अपने लिए लाभकारी कार्यों को चाहते हुए भी कर नहीं पाते हैं जब तक उन्हें नेतृत्व का सहारा नहीं मिल पाता है।
नेता का अनुसरण करने के लिए भी आत्मनिर्णायक शक्ति का उपयोग होता है। कोई व्यक्ति यदि स्वयं में सक्षम है तो नेता की राह नहीं देखेगा। उसे जो चाहिए उसके बारे में वह स्वयं अपने आप निर्णय ले लेगा और उसे प्राप्त करने का प्रयास करेगा। कई समूहों में चर्चा के कार्यक्रम के दौरान कुछ देर प्रारम्भ में शांति रहती है फिर एक व्यक्ति के बोलने पर एक-एक करके सभी बोलने लगते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि एक साथ ही दो तीन लोग बोलते हैं। कई बार एक ही व्यक्ति अपनी बात अधिक जोर देकर बोलता है। इन परिस्थितियों में "नेतृत्व" चर्चा प्रारंभ करने वाले सदस्य में अधिक होगा ऐसा समझा जा सकता है।

TOUCH 'n PASS

कई बार एक ही समूह में कई बराबरी के नेतृत्ववान व्यक्ति भी हो सकते हैं। इस परिस्थिति में नेतृत्व का संघर्ष भी हो सकता है। न केवल दो या तीन नेतृत्व गुणधारक सदस्यों में बल्कि अन्य सदस्यों में भी कुछ एक-दूसरे को मानेंगें और कुछ इस उलझन में पड़ जायेंगें कि किसको मानें।

अच्छे नेतृत्व के गुण (Merits of Good Leadership)—अच्छा नेता समूह के कार्यों में सहायता करता है। वह अन्य लोगों के विचारों का आदर करता है। वह व्यक्तियों को अपनी सहायता से परावलंबी नहीं स्वावलंबी बनाता है। समूह बौद्धिक रूप में उससे मार्गदर्शन प्राप्त करता है। यह सब तभी सम्भव है जबकि वह सदा वस्तुनिष्ठ और नमनशील रहे और उसका व्यवहार लोकतांत्रिक हो और वह समूह को अधिकतम जिम्मेदारी सौंपता हो। उसके व्यक्तित्व का गठन स्वस्थ होना चाहिए और समूह के सदस्यों के प्रति उसका व्यवहार सदा सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। उसे समूह की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का ज्ञान होना चाहिए।

यह आवश्यक नहीं कि एक ही व्यक्ति हर परिस्थिति में नेतृत्व प्रदान कर सके। एक व्यक्ति खेल के मैदान में अधिक दृढ़ निश्चयी प्रतीत हो सकता है, पर वही व्यक्ति एक मजदूर संघ में दूसरे नेता की खोज करता है जिसका वह अनुसरण कर सके। नेतृत्व शक्ति एक आवश्यकता होती है। सामूहिक समाज कार्य नेतृत्व को प्रोत्साहित करता है।

समूह कार्यकर्त्ता एवं नेतृत्व (Group Worker and Leadership)

1. नेतृत्व के विभिन्न पहलुओं, नेतृत्व के लक्षण, गुण, आवश्यकता एवं नेतृत्व विकसित करने वाले उपायों से अवगत कराता है।
2. समूह की अन्त:क्रिया के आधार पर सदस्यों की नेतृत्व शक्तियों का ध्यान आकर्षित करता है।
3. सदस्यों को कार्यक्रमों के प्रयोजन, नियोजन व संचालन का उत्तरदायित्व लेने के लिए प्रेरित करता है एवं उसका मनोबल बनाये रखने में मदद करता है और उन्हें उत्साहित करता रहता है।
4. कार्यक्रमों में उत्तरदायित्वों के विभाजन की ओर समूह को अग्रसर करता है।
5. संघर्षमय स्थिति से उबरने में समूह की मदद करता है।
6. साधारणत: प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यवहार एवं कार्यों के प्रति स्वयं को उत्तरदायी अनुभव करे, इसके लिए कार्यकर्त्ता समूह के सभी सदस्यों में नेतृत्व विकास की दृष्टि से व्यक्तिकरण के सिद्धान्त का उपयोग करता है। विकासात्मक सिद्धान्तों द्वारा प्रभावित युग में प्रत्येक व्यक्ति को स्व:नेतृत्व की भावना का आभास होना, उसके सुखी समायोजन के लिए आवश्यक है।

प्रत्येक व्यक्ति स्व:नेतृत्व संचालन में कुछ महत्त्वपूर्ण तरीकों का उपयोग करता है, जो निम्न प्रकार हैं—

1. दूसरों से संबंध बनाता है।
2. निर्णय लेता है। आत्मनिर्णायक शक्तियों का अनुमान लगाता है और उनका विकास करता है व उपयोग भी करता है।
3. स्वयं की इच्छानुसार कार्य सम्पादित कर लेता है।
4. दूसरों को अपने विचारों से अवगत कराता है और उसकी अच्छाइयों में दूसरों को क्या लाभ है यह बताता है।
5. संघर्षों या कठिनाइयों को निबटाता है।
6. बाहरी या अन्य समूह के सम्बन्धों की मदद से समूह विशेष में अपना नेतृत्व सम्पादित करता है।
7. दबावयुक्त समूहों की रचना का प्रयास करता है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण 'शुद्धता एवं प्रदूषण' पर आधारित है?

(क) एम०एन० श्रीनिवास (ख) ए०आर० देसाई
(ग) लुई ड्यूमोंट (घ) योगेन्द्र सिंह

उत्तर (ग) लुई ड्यूमोंट

प्र.2. सामाजिक स्तरीकरण का कार्यात्मक सिद्धान्त किसने दिया है?

(क) टी०बी० बॉटमोर (ख) के० डेविस
(ग) हम मूर (घ) कार्ल मार्क्स

उत्तर (ख) के० डेविस

TOUCH 'n' PASS

प्र.3. ''संस्कृति मनुष्य की मार्गदर्शक है, यह उसे मुक्त करने के साथ-साथ गुलाम भी बनाती है जैसा कि सभी मार्गदर्शक करते हैं।'' निम्नलिखित में से कौन-सा स्कूल इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है?

(क) विकासवादी स्कूल (ख) मार्क्सियन स्कूल
(ग) डिफ्यूजनिस्टिक स्कूल (घ) संस्कृति-व्यक्तित्व विद्यालय

उत्तर (घ) संस्कृति-व्यक्तित्व विद्यालय

प्र.4. 'समाजशास्त्रीय कल्पना' शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था?

(क) पी० बर्जर (ख) सी० डब्ल्यू मिल्स
(ग) ए० गिडेंस (घ) जे०एस० मील

उत्तर (ख) सी० डब्ल्यू मिल्स

प्र.5. समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अनेक पद प्राप्त हैं। एक ही व्यक्ति से जुड़ी विभिन्न स्थितियों को कहा जाता है—

(क) स्थिति असंगति (ख) स्थिति अनुक्रम (ग) स्थिति सेट (घ) स्थिति उत्तराधिकार

उत्तर (ग) स्थिति सेट

प्र.6. डैहरनडोर्फ के अनुसार मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त है—

(क) सार्वभौमिक रूप से खारिज किया गया
(ख) सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया जाना
(ग) आमतौर पर स्वीकार और संशोधित किया जाना है
(घ) प्रासंगिक रूप से अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाना

उत्तर (घ) प्रासंगिक रूप से अस्वीकार, स्वीकार और संशोधित किया जाना

प्र.7. वह प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय मानव शिशु धीरे-धीरे एक आत्म-जागरूक जानकर व्यक्ति बन जाता है, उस संस्कृति के तरीकों में कुशल हो जाता है जिसमें वह पैदा हुआ था, उसे क्या कहा जाता है?

(क) पुनः समाजीकरण (ख) सामाजिक स्थिति (ग) समाजीकरण (घ) साझा समझ

उत्तर (ग) समाजीकरण

प्र.8. संज्ञानात्मक-विकास सम्बन्धी समाजीकरण के चरण किसके द्वारा प्रस्तावित किये गये थे?

(क) एच० मीड (ख) एस० फ्रॉयड (ग) सी०एच० कूली (घ) जे० पियागेट

उत्तर (घ) जे० पियागेट

प्र.9. निम्नलिखित में से कौन-सा आयाम विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'स्वास्थ्य' की परिभाषा में शामिल नहीं है?

(क) शारीरिक (ख) व्यावसायिक (ग) मानसिक (घ) सामाजिक

उत्तर (ख) व्यावसायिक

प्र.10. जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक (पीक्यूएलआई) में निम्नलिखित शामिल हैं—

(क) शिशु मृत्यु-दर, प्रति व्यक्ति कैलोरी सेवन और जीवन प्रत्याशा
(ख) शिशु मृत्यु-दर, मातृ मृत्यु-दर और जीवन प्रत्याशा
(ग) साक्षरता की स्थिति, शिशु मृत्यु-दर और जन्म के समय जीवन प्रत्याशा
(घ) साक्षरता की स्थिति, 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु-दर

उत्तर (घ) साक्षरता की स्थिति, 1 वर्ष की आयु में जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु-दर

प्र.11. असामयिक मृत्यु के कारण नष्ट हुए जीवन के वर्ष और विकलांगता की गम्भीरता के अनुसार समायोजित विकलांगता के साथ जीये गए वर्षों को कहा जाता है—

(क) मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) (ख) स्वास्थ्य समायोजित जीवन प्रत्याशा (हेले)
(ग) विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY) (घ) सुलिवान का सूचकांक

उत्तर (ग) विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष (DALY)

TOUCH 'n' PASS

प्र.12. आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किये जाने वाले पैमाने निम्नलिखित हैं—
(क) लिकर्ट स्केल (ख) बी०जी० प्रसाद स्केल
(ग) संशोधित कुप्पूस्वामी स्केल (घ) संशोधित उदय परेड स्केल

उत्तर (क) लिकर्ट स्केल

प्र.13. ऐसी आबादी में कार्यान्वयन के लिए रोकथाम का कौन-सा स्तर लागू होता है जो अभी तक जोखिम कारकों में सम्पर्क में नहीं है?
(क) तृतीयक रोकथाम (ख) माध्यमिक रोकथाम (ग) प्राथमिक रोकथाम (घ) प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन

उत्तर (घ) प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन

प्र.14. यह प्राथमिक रोकथाम नहीं है—
(क) उस बच्चे को आइसोनियाजिड (आईएनएच) जिसे थूक पॉजिटिव ट्यूबरकुलर माँ ने स्तनपान कराया है
(ख) स्वयं स्तन परीक्षण
(ग) बच्चे को विटामिन ए की खुराक
(घ) पल्स पोलियो टीकाकरण

उत्तर (ख) स्वयं स्तन परीक्षण

प्र.15. 'हॉस्पिस' की अवधारणा किससे सम्बन्धित है?
(क) वृद्ध और असाध्य रोगग्रस्त रोगियों की मदद करने वाले लोगों का विशेष समूह
(ख) परित्यक्त बच्चों के लिए अनाथालय चलाने वाला एक संघ
(ग) परिवार स्वास्थ्य सलाहकार सेवा
(घ) असाध्य रूप से बीमार रोगियों के लिए इच्छा-मृत्यु

उत्तर (क) वृद्ध और असाध्य रोगग्रस्त रोगियों की मदद करने वाले लोगों का विशेष समूह

प्र.16. यदि कोई दवा मृत्यु-दर को रोकती है लेकिन प्रभावी ढंग से इलाज नहीं करती है तो निम्नलिखित में से कौन-सा सत्य है?
(क) घटनाओं में कमी आएगी (ख) घटनाएँ बढ़ेंगी
(ग) व्यापकता कम हो जाएगी (घ) व्यापकता बढ़ेगी

उत्तर (घ) व्यापकता बढ़ेगी

प्र.17. किसी बीमारी की मौसमी भिन्नता का आकलन किसके द्वारा किया जा सकता है?
(क) रोग की व्यापकता की तुलना करना (ख) रोग की घटनाओं की तुलना करना
(ग) जीवित रहने की दर की गणना (घ) मृत्यु-दर की गणना

उत्तर (ख) रोग की घटनाओं की तुलना करना

प्र.18. निम्नलिखित को छोड़कर सभी बीमारियों के लिए WHO के अनुसार निगरानी की आवश्यकता होती है—
(क) चिकन-पॉक्स (ख) पीला बुखार (ग) मलेरिया (घ) रेबीज

उत्तर (क) चिकन-पॉक्स

प्र.19. साल्क वैक्सीन है—
(क) जीवित टीका (ख) जीवित क्षीण टीका (ग) मारे गये टीके (घ) टॉक्सोइड

उत्तर (ग) मारे गये टीके

प्र.20. वैक्सीन उत्पादन के लिए रूबेला वायरस का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला स्ट्रेन है—
(क) एचपीवी/77 (ख) जापानी से 336 (ग) आरए 27/3 (घ) सेंडेहिल वायरस

उत्तर (ग) आरए 27/3

TOUCH 'n' PASS

UNIT-VIII

कार्यक्रम योजना
Programme Planning

खण्ड-अ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. समाज कार्य में कार्यक्रम का महत्त्व लिखिए।
Write the importance of programme in social work.

उत्तर समाज कार्य में कार्यक्रम का महत्त्व निम्न प्रकार से है—

1. समूह की अन्तर्क्रियाएँ कार्यक्रमों के माध्यम से ही सक्रिय रहती हैं।
2. समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति कार्यक्रमों के द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं।
3. कार्यक्रमों के प्रयोजन, नियोजन और संयोजन के लिए निर्णय की प्रक्रिया सामूहिक होती है। अत: समूह का हर सदस्य संगठन के उद्देश्यों से निर्णय के पक्ष या विपक्ष में होता है। इस परिस्थिति में किसी सदस्य को अपनी इच्छाओं का सामूहिक इच्छाओं में विलय करना पड़ता है और कुछ सदस्यों को अपनी इच्छाओं का दमन भी करना पड़ता है। इस प्रक्रिया में सदस्य मिलकर काम करना और रहना सीखते हैं।

प्र.2. सामूहिक समाज कार्य के कार्यक्रम की कोई तीन विशेषताएँ लिखिए।
Write any three characteristics of group social work programme.

उत्तर सामूहिक समाज कार्य के अच्छे कार्यक्रमों में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए—

1. कार्यक्रम में समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं तथा रुचियों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
2. कार्यक्रम बनाने में सदस्यों की उम्र में भिन्नता, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाना चाहिए।
3. समूह के अनुभव, ज्ञान, क्षमता और तैयारी के अनुसार कार्यक्रम का सिलसिला क्रमिक रूप से सरल से जटिल की ओर अग्रसर होना चाहिए।

प्र.3. ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक योजना के प्रभाव बताइए।
State the community planning effects on rural life.

उत्तर सामुदायिक विकास योजना, ग्रामीण जीवन के आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है। इस योजना के सामाजिक प्रभावों को केवल इसी तथ्य से समझा जा सकता है कि एक सामान्य ग्रामीण का जीवन पहले की अपेक्षा न केवल काफी खुशहाल और सम्पन्न दिखाई देता है बल्कि जीवन और समाज के प्रति उसकी धारणाओं और विचारधाराओं में काफी परिवर्तन हो गया है। ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य के स्तर को सुधारने, शिक्षा का प्रसार करने, स्त्रियों तथा बच्चों का कल्याण करने, एक नवीन चेतना उत्पन्न करने तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की दिशा में भी सामुदायिक विकास योजना के महत्त्व की अवहेलना नहीं की जा सकती।

प्र.4. सामुदायिक विकास में पंचायती राज संगठनों व संस्थाओं की भूमिका स्पष्ट कीजिए।
Explain the role of Panchayati Raj organisations and institutions in community development.

उत्तर सामुदायिक विकास में पंचायती राज संगठनों व संस्थाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इस व्यवस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

1. स्थानीय प्रशासन में जन सहभागिता सुनिश्चित करना।

TOUCH 'n PASS

2. जनता की भागीदारी से ग्राम से सम्बन्धित योजनाओं की परिकल्पना एवं उनका कार्यान्वयन करना।

सन् 1995 से पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा एक केन्द्रीय मुददा बन गया, ग्राम सभा ग्रामीण लोगों का एक समूह होता है जिसमें गाँव का हर एक पंजीकृत मतदाता सभा का सदस्य है।

खण्ड-ब लघु उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. कार्यक्रम नियोजन एवं विकास का वर्णन कीजिए।
Describe programme planning and development.

उत्तर

कार्यक्रम नियोजन एवं विकास
(Programme Planning and Development)

सामूहिक समाज कार्य के विकास में एक अवस्था ऐसी थी, जब कार्यक्रम को क्रिया-कलापों और घटनाओं से संबंधित किया जाता था। ट्रेकर के अनुसार "अब कार्यक्रम को "एक अवधारणा माना जाता है—एक ऐसी विस्तृत अवधारणा जिसमें क्रिया-कलापों, संबंधों, अन्त:क्रियाओं और वैयक्तिक एवं सामूहिक अनुभवों की एक पूरी प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता है और जिसका नियोजन समझ-बूझकर किया जाता है और जिन्हें कार्यकर्त्ता की सहायता से व्यक्तियों और समूहों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्यान्वित किया जाता है।"

कार्यक्रम को एक प्रक्रिया माना जाता है जिसमें समूह के सदस्यों की आवश्यकताओं और समूह के सदस्यों की अभिरुचियों को कार्यकर्त्ता संस्था के उद्देश्यों एवं कार्यों और सामुदायिक पृष्ठभूमि में समझता है। इन आवश्यकताओं और अभिरुचियों को खाजने समझने में वह व्यावसायिक प्रणालियों, विधियों और अपनी निपुणताओं का प्रयोग करता है। इस प्रयोग में संस्था के सदस्य, साज-सामान और माध्यम सम्मिलित हैं। इन कार्यक्रमों का क्षेत्र सामुदायिक जीवन होता है।

कार्यक्रम समूह के तत्त्वाधान में एक उपकरण है जिसका प्रयोग व्यक्तियों और सम्पूर्ण समूह के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से कार्यक्रम व्यक्ति और समूह के विकास का एक माध्यम या उपकरण है और इसे एक विकासात्मक अनुभव होना चाहिए न कि कोई अध्यारोपित वस्तु। इसी प्रकार कार्यक्रम व्यक्ति एवं समूह के विकास का माध्यम है जिसे समूह की मौलिक आवश्यकताओं और अभिरुचियों से ही बनाया जाना चाहिए। समूह द्वारा किए जाने वाला यह क्रिया-कलाप कार्यक्रम का एक भाग होता है और उसे कार्यान्वित करने के लिए जो कुछ भी किया जाता है, वह उस समूह का उस समय का कार्यक्रम कहलाता है।

प्र.2. राष्ट्रीय पोषण संस्थान की स्थापना कब हुई तथा इसके प्रमुख विभाग कौन-से हैं?
When was the National Institute of Nutrition established and what are its main departments?

उत्तर

राष्ट्रीय पोषण संस्थान
(National Institute of Nutrition)

भारत में इस संस्थान की स्थापना कुनूर में कूनूर रिसर्च लैबोरेट्री नाम से हुई थी। सन् 1959 में इसे हैदराबाद में स्थानांतरित करके राष्ट्रीय पोषण संस्थान (National Institute of Nutrition) NIN नाम दिया गया, तब से वह इसी नाम से प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख विभाग हैं—

1. जीव रसायन विज्ञान (Bio chemistry)
2. आहार एवं पोषण विज्ञान (Food and nutrition)
3. शिक्षा एवं प्रशिक्षण (Education and training)
4. रोग सम्बन्धी पोषण (Clinical nutrition)

राष्ट्रीय पोषण संस्थान पोषण सम्बन्धी अनेकों शोध कर चुका है तथा अब भी इस कार्य में संलग्न है। भोज्य पदार्थों के पोषक मूल्यों का विश्लेषण करके उसके परिणामों को ICMR सहायता से Nutritive Value of Indian Food नाम से प्रकाशित किया है। यह एक मानक पुस्तिका है। NIN 'पोषण' नामक पत्रिका का प्रकाशन करता है।

TOUCH 'n PASS

प्र.3. ग्राम पंचायत का परिचय दीजिए।
Give an introduction of Gram Panchayat.

उत्तर

ग्राम पंचायत
(Gram Panchayat)

ग्राम पंचायत एक संवैधानिक संस्था है जो एक या अधिक को मिलाकर, जिनकी आबादी 1000 हो, बनाई जाती है। ग्राम पंचायत के मुखिया को प्रधान कहा जाता है। ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाती है। 1993 में हुए संशोधन के अनुसार उत्तर प्रदेश में 1000 से 2000 तक 11 सदस्य, 2000 से 3000 तक 13 सदस्य तथा 3000 से अधिक जनसंख्या पर 15 सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव ग्राम के सभी सदस्य मतों द्वारा करते हैं। प्रधान का साक्षर होना अनिवार्य है। निर्वाचित सदस्यों में कुछ स्थान अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिलाओं के लिए आरक्षित रखे जाते हैं।
ग्राम पंचायत को सरकारी सहायता के अतिरिक्त कुछ स्थानीय कर, पशु-बाड़े परती भूमि, चारागाहों, तालाबों, पोखरों, मत्स्य पालन अथवा सिंचाई आदि द्वारा आय होती है। पंचायत को कर लगाने के क्षेत्र में गृहकर, चुँगीकर, वाहन-कर, यात्रीकर तथा वाणिज्यिक फसलों पर कर लगाने का अधिकार प्राप्त है।

प्र.4. भारत में पंचवर्षीय योजना का उल्लेख कीजिए।
Mention in five year plans in India.

उत्तर

भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ
(Five Year Plans in India)

भारत में नियोजन की ओर पहला कदम 15 मार्च, 1950 को उठाया गया, जब सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से हुई जो कि 1956 तक चली। दूसरी योजना 1956-1961, तीसरी 1961-66 तक चली। जबकि 1966-69 तक नियोजन की अवधि स्थगित रही। इसे योजनावकाश भी कहा जाता है। इस बीच एक वर्षीय योजनाएँ चलीं। चौथी योजना 1969-1974, पाँचवीं 1974-1979 तक चली। सत्ता परिवर्तन के कारण पाँचवीं योजना 1978 तक ही चली। इसी बीच नई सरकार ने 1978-1983 की अवधि हेतु पंचवर्षीय योजना बनाई, किन्तु 1980 में केन्द्र में कांग्रेस ने वापस आकर इसे स्थगित किया। बाद में 1980-85 छठीं योजना, 1985-90 सातवीं योजना रही। 1990-91 और 1991-92 में केवल एक वर्षीय योजनाएँ चली। 1992-97 तक आठवीं योजना तथा 1997-2002 तक नौवीं योजनाएँ चली।

प्र.5. द्वितीय पंचवर्षीय योजना का परिचय दीजिए।
Give an introduction of second five year plan.

उत्तर

द्वितीय पंचवर्षीय योजना
(Second Five Year Plan)

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1956-57 से 1960-61) विकास के प्रारूप को बढ़ावा देने पर लक्षित थी। इसका उद्देश्य अंतत: भारत में एक समाजवादी समाज का प्रारूप स्थापित करना था। इसके प्रमुख लक्ष्य थे (i) राष्ट्रीय आय में 25% की बढ़ोत्तरी करना (ii) आधारभूत और भारी उद्योगों पर विशेष रूप से जोर देकर तीव्र औद्योगीकरण करना (iii) रोजगार के अवसर का बड़े पैमाने पर प्रसार और (iv) आय और धन की असमानता कम करना और आर्थिक शक्ति का अधिक समान वितरण, योजना का लक्ष्य 1960-61 तक पूँजी निवेश की दर को राष्ट्रीय आय के लगभग 7% से बढ़ाकर 11% तक करना। इसमें औद्योगीकरण, लौह एवं इस्पात के उत्पादन में बढ़ोत्तरी, नाइट्रोजनीकृत उर्वरकों सहित भारी रसायनों तथा भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन निर्मित करने वाले उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया।

प्र.6. छठी पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था?
What was the main objective of sixth five year plan?

उत्तर

छठी पंचवर्षीय योजना
(Sixth Five Year Plan)

छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85 का सबसे प्रमुख उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था। इसमें कृषि एवं औद्योगीकरण के लिए एक साथ अवसंरचना को मजबूत करने की रणनीति अपनाई गई थी। सभी क्षेत्रों में वृहत प्रबन्धन, कार्यक्षमता और व्यापक निगरानी के साथ

TOUCH 'n PASS

व्यवस्थित दृष्टिकोण से अंत:सम्बन्धित समस्याओं के निराकरण पर बल दिया गया था। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर विकास की विशेष योजनाओं को निर्मित करने में जन भागीदारी तथा योजनाओं के तीव्र और प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने की प्रमुखता दी गई थी। छठी योजना का वास्तविक खर्च परिकल्पित कुल सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय ₹97,500 करोड़ (1979–80 के मूल्य) की तुलना में ₹1,09,291.7 करोड़ (वर्तमान मूल्य) बैठा, इस प्रकार इसमें सामान्य अवधि में 12% की वृद्धि दर्ज हुई। योजना के लिए औसत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 5.2% निर्धारित किया गया था।

खण्ड-स विस्तृत उत्तरीय प्रश्न

प्र.1. कार्यक्रम के मूलभूत तत्त्वों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए।
Describe in detail the basic elements of programme.

उत्तर

कार्यक्रम के मूलभूत तत्त्व
(Basic Elements of Programme)

कार्यक्रम की व्याख्या में कार्यक्रम के तीन अंगभूतों–विषय–वस्तु, क्षेत्र, माध्यम एवं कार्यक्रम के सम्पादन की पद्धति का उल्लेख भी आवश्यक है। विषय–वस्तु के अधिक भाग में मनोविनोद और अवकाश के समय का प्रयोग आता है। नागरिकों द्वारा समुदाय के मामलों में सहभागिता भी सामूहिक समाज कार्य का महत्त्वपूर्ण भाग है। कुछ संस्थाएँ घरेलू और पारिवारिक जीवन जिनमें सामाजिक और आर्थिक संबंधों की कई समस्याएँ आती हैं, पर बल देती हैं।

कार्यक्रम के माध्यम में सामाजिक उत्सव, रंगमंच (नाच–गान), मनोविनोद के कार्यक्रम, आदि आते हैं। सामूहिक कार्यक्रम की पद्धति में कार्यकर्त्ता द्वारा समूह के साथ कई प्रकार की क्रियाओं की एक शृंखला आती है। कार्यकर्त्ता समूह को कार्यक्रम संबंधी विषय–वस्तु और कार्यक्रम के सम्पादन का माध्यम निर्धारित करने में सहयोग देता है।

कार्यक्रम का प्रमुख भाग विचार विमर्श है। अत: कार्यकर्त्ता इस विचार–विमर्श को निर्देशित करके कार्यक्रम के निर्माण में सहायता देता है। सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता कार्यक्रम के तीन पक्षों–कार्यक्रम का क्या–विषयवस्तु, कार्यक्रम का कैसे–माध्यम को, कार्यक्रम का क्यों–उद्देश्य से संबंधित करता हुआ उच्च कोटि की निपुणता का प्रयोग करता है। कार्यक्रम के इस निर्माण में सहायता करता हुआ कार्यकर्त्ता समूह के सदस्यों की पृष्ठभूमि, दृष्टिकोणों और आकांक्षाओं का ध्यान रखता है।

विल्सन और राइलैण्ड के अनुसार, सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता कार्यक्रम नियोजन और विकास का एक भाग होता है जिसे अपने उपकरणों और सामग्री का पूरा ज्ञान होता है। कार्यक्रम विषयवस्तु की उपयुक्तता, संस्था के उद्देश्य और कार्य समूह के सदस्यों की विकास संबंधी आवश्यकताएँ एवं अभिरुचियाँ, और किसी विशेष समूह और सम्पूर्ण समुदाय के मूल्य एवं आदर्श कार्यक्रम के उपकरण एवं सामग्री हैं। उनके समूह कार्यक्रम प्रक्रिया में तीन मूलभूत तत्त्व होते हैं—

1. सदस्य
2. सामूहिक समाज कार्यकर्त्ता
3. कार्यक्रम विषय–वस्तु।

प्रत्येक तत्त्व के अपने–अपने कई अंग होते हैं; जैसे–सदस्य अपनी अभिरुचि, आवश्यकता, विशेष योग्यता, मूल्य एवं आदर्श में परस्पर संबंध रखते हैं। कार्यकर्त्ता अपना व्यावसायिक ज्ञान एवं निपुणता, अपनी विशेषताएँ, सदस्यों से अपने संबंध, अपनी भूमिका, और संस्था तथा सम्पूर्ण समुदाय के मूल्य एवं आदर्श प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम विषय–वस्तु सदस्यों की आवश्यकताओं और अभिरुचियों को पूरा करने की क्षमता, समूह, समुदाय और समाज के मूल्यों एवं आदर्शों को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है।

सामूहिक समाज कार्य में समूह के कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्यक्रमों के आधार पर ही समूह की गतिविधियाँ कार्यरत् रहती हैं और कार्यक्रमों के नियोजन, संचालन व मूल्यांकन में सदस्य व्यस्त रहते हैं। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधों में दृढ़ता आती है और समूह का प्रत्येक सदस्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समूह के नियमों का पालन करता हुआ प्रयत्नशील रहता है।

सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम नियोजन के मूल सिद्धान्तों का तो पालन किया ही जाता है, पर साथ ही इसके अन्य सिद्धान्तों का भी प्रयोग किया जाता है। समूह जो करना चाहता है, वह स्वयं निश्चित करता है।

TOUCH 'n' PASS

कार्यकर्त्ता समूह के इस कार्य में केवल सही दिशा दिखाता है। कार्यकर्त्ता समूह को कार्यक्रम नियोजन में निम्न प्रकार से मदद करता है–

समूह को कार्यक्रम नियोजन के लिए प्रेरित करता है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों की यथोचित समय पर जानकारी देता है। कौन-सा कार्यक्रम किस प्रकार से उपयुक्त रहेगा, इस निर्णय में समूह के कार्यक्रमों के गुण-दोष बताकर मदद करता है। इससे समूह को हितकारी कार्यक्रमों के चयन व निर्णय में सहायता मिलती है। समूह की आवश्यकताओं के बारे में समूह में चेतना जाग्रत करता है। समूह के सदस्य स्वयं की एवं समूह की आवश्यकताओं को समझ सकें और उसके अनुसार कार्यक्रम का नियोजन कर सकें, इसके लिए उनकी मदद करता है। आवश्यकतानुसार कार्यक्रमों के आयोजन में लगने वाले साधनों के चयन में सदस्यों की सहायता करता है। साधन कहाँ से उपलब्ध हो सकते हैं व किस प्रकार उपलब्ध हो सकते हैं, इस प्रयास में भी समूह की सहायता करता है तथा समूह की परिस्थितियों से अवगत कराता है। समूह की स्थितिजन्य कमियों, गुणों एवं शक्तियों से परिचय कराता है।

सामूहिक समाज कार्य में कार्यक्रम नियोजन में निम्नलिखित विशेष बातों का ध्यान देना चाहिए—

1. कार्यक्रम समूह द्वारा नियोजित होना चाहिए। समूह के सदस्यों को मिलकर यह बताना चाहिए कि अब क्या कार्यक्रम करना है। निर्णय के लिए समूह चर्चा आवश्यक परिस्थिति होती है।
2. संस्था के नियमों, गुणों, साधनों व सीमाओं का विशेष ध्यान रखते हुए कार्यक्रम नियोजन होना चाहिए। इसके लिए कार्यकर्त्ता को यह चाहिए कि वह समूह को संस्था की सभी विशेषताओं से अवगत कराए।
3. कार्यक्रम निर्णय में सभी सदस्यों की इच्छाओं तथा आवश्यकताओं का भी यथासंभव समावेश होना चाहिए।
4. कार्यक्रमों का स्वरूप समूह के सर्वाधिक समस्याग्रस्त भाग को लाभ पहुँचाने वाले उद्देश्यों को प्राथमिकता देने वाला होना चाहिए।

कार्यक्रम कार्यकर्त्ता नियोजन में निम्न प्रकार से भी सहायता करता है—

1. प्रेक्षण व अवलोकन करके, समझकर तथा कार्य करके।
2. विश्लेषण और अभिलेखन।
3. सीमाओं का उपयोग। जिसमें तीन प्रकार की सीमाएँ आती हैं—(क) सामग्री व भौतिक पदार्थ (ब) साधनों व सुविधाओं द्वारा आरोपित सीमाएँ और (ग) व्यक्ति के अन्दर अन्तर्निहित सीमाएँ।
4. घर व समुदाय संबंधी निरीक्षण, परीक्षण और परामर्श करता है।
5. अध्यापन व नेतृत्व करता है।
6. व्यक्तियों की निपुणताएँ प्राप्त करने में सहायता करता है।
7. सदस्यों को नेतृत्व करने में सहायता करता है।
8. विशेषता का उपयोग करता है। अपने विशेष ज्ञान का समूह कार्य में कार्यक्रमों के नियोजन में उपयोग करता है।

प्र.2. कार्यक्रम नियोजन विधि का विवरण दीजिए।
Describe the programme planning method.

उत्तर

कार्यक्रम नियोजन विधि
(Programme Planning Method)

समूह के कार्यक्रम बड़े, छोटे, समयानुसार, लम्बी अवधि के समय व्यतीत करने के लिए, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, समस्याओं को दूर करने के लिए, समूह के सदस्यों के विकास के लिए और कई बार समूह कार्य संबंधी संस्थाओं के उद्देश्यों के स्वरूप नियोजित किए जाते हैं।

कार्यक्रम के नियोजन के लिए समूह का मिलना आवश्यक होता है। कार्यक्रम समूह के सदस्य को समय व स्थान और मिलने के संदेश की सूचना देता है।

समूह के सदस्यों के एकजुट हो जाने पर कार्यकर्त्ता सर्वप्रथम औपचारिक सम्बोधनों या किसी खास खबर के बारे में बोलकर बातचीत प्रारम्भ करता है। यह तरीका समूह में बातचीत करने का या संचार का सहज वातावरण तैयार करने के लिए अच्छा होता है।

यदि इस औपचारिक कार्यक्रम क्रिया के दौरान किसी सदस्य के व्यवहार में कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया दिखाई पड़ी तो उसके लिए समूह का ध्यान उसकी ओर आकर्षित करवाना चाहिए ताकि समूह के सदस्य उस कार्यक्रम प्रतिक्रिया को सहजता से परिवर्तित

TOUCH 'n' PASS

करने का प्रयास करें। अन्य सदस्यों के इस प्रयास से भी कार्यक्रमों का स्वरूप स्पष्ट हो सकता है; जैसे–यदि कोई सदस्य उदासीन दिखाई पड़ा, बोलने में हिचक रहा है तो कार्यकर्त्ता उससे पूछ सकता है कि क्या आपको कोई तकलीफ है?
ऐसा कहकर समूह का ध्यान उस व्यक्ति की ओर आकर्षित करवाता है। सदस्य उत्सुकता दिखाते हैं जिससे उस उदासीन सदस्य की समस्या कम हो जाएगी।
कार्यक्रम की रूपरेखा में निम्नलिखित अवयवों को स्पष्टता से अंकित किया जाता है—

1. कार्यक्रम की आवश्यकता।
2. कार्यक्रम के उद्देश्य।
3. कार्यक्रम का प्रकार व नाम।
4. कार्यक्रम के अन्तर्गत होने वाली गतिविधियाँ।
5. कार्यक्रम का स्थान।
6. कार्यक्रम की तारीख, समय व अवधि।
7. कार्यक्रम के संचालनार्थ समितियों का गठन व काम की जिम्मेदारी का निर्णय (कौन–कौन से कार्य करेगा।)
8. साधनों की सूची बनाना और साधन इकट्ठा करना।
9. व्यवस्था करना।
10. अभ्यास करना।
11. कार्यक्रम संचालित करना।
12. कार्यक्रम के दौरान आने वाली अड़चनों को दूर करना।
13. कार्यक्रम का मूल्यांकन करना।

शिविर (Camp) यदि कई लोग एक प्रकार की परिस्थितिजन्य समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उनको दूर करने के लिए प्रशिक्षण शिविर व अन्य रोकथाम शिविर का आयोजन किया जा सकता है; जैसे–युवाओं को रोजगार उन्मुख बनाने के लिए रोजगार दक्षता शिविर चलाये जा सकते हैं। उसमें उन्हें तरह–तरह के कार्य सिखाये जा सकते हैं। साथ ही उन्हें रोजगार प्राप्ति के लिए उपयोगी कुशलताओं का प्रशिक्षण भी दिया जा सकता हैं; जैसे–आवेदन–पत्र कैसे लिखना, किसको लिखना, किससे मिलना आदि का ज्ञान। स्वरोजगार के बारे में भी औपचारिकताओं व रोजगार चलाने के लिए उपयुक्त कार्यकुशलताओं; जैसे–खर्चे का लेखा–जोखा रखना, ग्राहकों को कैसे आकर्षित करना, किस प्रकार का उत्पाद बनाना, कीमतें कैसे तय करनी आदि के बारे में बताया जा सकता है। इसी प्रकार से स्कूल छोड़े हुए बच्चों को शिविर लगाकर विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा शिविर व प्रशिक्षण लेने के लिए प्रेरित किया जा सकता है।

रचनात्मक कार्यक्रम (Creative Programme)—मिट्टी से खेलना, बालू के टीले का घर बनाना, कागज के एलबम या छोटे–छोटे खिलौने व घर आदि बनाना, लकड़ी काटकर उन्हें आकार देना, माचिस की तीलियों से आकार बनाना, कागज के फूल बनाना, पाककला की वस्तुएँ बनाना, बुनना, सिलना, ड्राईंग (चित्र) आदि सब रचनात्मक कार्यक्रम की गतिविधियाँ हैं। उसमें चटाई बनाना, कागज काटना, चिपकाना, टोकरी बनाना, पतंग बनाना आदि भी शामिल हो सकते हैं। चित्र घर, मानव आकार, आदि बनाने से एक ओर जहाँ कलात्मक कौशल का विकास होता है, वही भावनाओं की अभिव्यक्ति का साधन भी है। सामाजिक जीवन की अड़चनों व संबंधों के नकारात्मक पहलुओं को कला के माध्यम से उद्घटित करके व्यक्ति को संतुष्ट किया जा सकता है। बाल निर्देशन केन्द्रों में इस प्रकार की गतिविधियों द्वारा बच्चों की मानसिकता का उसकी समस्याओं व अवरोध ग्रंथियों को समझने के लिए उपयोग किया जाता है। चिकित्सा पद्धति में इसका उपयोग भावनाओं के स्पष्टीकरण व कुंठाओं से मुक्ति दिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है।

चर्चा सत्र (Discussion Session)

1. चर्चा करने से व्यक्तियों में आपसी संचार बढ़ता है, एक–दूसरे से बातचीत करने की क्षमता का विकास होता है।
2. अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलता है जिससे व्यक्ति संतुष्ट होता है, साथ ही स्वयं को मान–सम्मान व सामूहिक स्वीकृति भी मिलती है।
3. अपनी गलत धारणाएँ सुधारने की परिस्थिति प्राप्त होती है।
4. ज्ञान मिलता है और ज्ञान बाँटने का मौका भी मिलता है।

TOUCH 'n' PASS

5. निर्णायक शक्ति का विकास भी होता है।
6. कार्यक्रम निर्धारण का मौका मिलता है।
7. असंतुष्टि से छुटकारा मिलता है।
8. सामूहिकता की भावना में वृद्धि होती है और एक-दूसरे की बातें सुनने समझने की भावना भी बढ़ती है।
9. चिकित्सकीय चर्चा सत्रों द्वारा मनोशारीरिक व्याधियों का निदान भी संभव होता है।
10. जीवन के प्रति लगाव बढ़ता है, अपनी समस्या कम लगने लगती है।
11. यह भी आभास होता है कि समस्या केवल हमें ही नहीं हैं अन्य लोगों को भी हैं। उससे मनोबल बढ़ता है और समस्या का असर मानसिक तौर पर कम होता है। साथ ही मिलकर समस्या-समाधान के रास्ते निकाले जा सकते हैं और समस्या सुलझाने का प्रयास किया जा सकता है।

प्र.3. ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक योजना के प्रभाव का वर्णन कीजिए।
Describe the impact of community planning on rural life.

उत्तर

लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण
(Democratic decentralisation)

इस योजना के फलस्वरूप आज लोकतान्त्रिक व्यवस्था का गाँवों में विकेन्द्रीकरण हुआ है। ग्रामों में जिला परिषद्, ग्राम पंचायत तथा पंचायत समितियों द्वारा ग्रामीण विकास में अधिकाधिक योगदान इन लोकतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण की ही एक मूर्त अभिव्यक्ति है। इसके फलस्वरूप विकास योजनाओं में ग्रामीण जनता की रुचि निरन्तर बढ़ रही है तथा वह आत्मनिर्भर की दिशा में आगे बढ़ी है। सामुदायिक विकास योजना का यह वह महत्त्वपूर्ण प्रभाव है जिसे प्रचार के किसी भी साधन अथवा प्रशिक्षण की किसी दूसरी योजना के द्वारा इतना सफल नहीं बनाया जा सकता है।

आर्थिक विकास (Economic Development)

आर्थिक विकास के क्षेत्र में तो सामुदायिक विकास योजना ने ग्रामीण समुदाय के परम्परागत स्वरूप को पूर्णतया बदल दिया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसानों को न केवल उत्तम किस्म की खेती के उपकरण, बीज, रासायनिक खाद तथा कीटनाशक दवाइयों का वितरण किया गया बल्कि वर्षा पर खेती की निर्भरता को कम करने के लिए कुओं का निर्माण, नलकूपों की व्यवस्था तथा नहरें बनाने के कार्य को भी विशेष महत्त्व दिया गया। ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भूमिहीन मजदूरों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसरों की व्यवस्था की गई, भूमि सुधार कार्यक्रमों को लागू किया गया तथा अनाज को मण्डियों तक ले जाने के लिए नई सड़कों का निर्माण किया गया। सहायक व्यवसाय के रूप में मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग-धन्धों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया जिससे ग्रामीण अपने अतिरिक्त समय में उपयोगी कार्य कर सकें। इन सभी प्रयत्नों के फलस्वरूप ग्रामीण जनता के रहन-सहन के स्तर में पहले की अपेक्षा बहुत अधिक सुधार हो सका है।

मनोवृत्तियों में परिवर्तन (Change in Attitudes)

भारत में सैकड़ों वर्षों से उदासीनता और शोषण के वातावरण में पलते हुए ग्रामीण समुदाय के जीवन में तब तक कोई सुधार सम्भव नहीं था जब तक उनके दृष्टिकोण, विचारधारा या वास्तविक अर्थों में उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन न किया जाता। सामुदायिक विकास योजना के फलस्वरूप विभिन्न विकास कार्यक्रमों में जैसे-जैसे ग्रामीणों का सहभाग बढ़ता गया, उसी अनुपात में उनमें हीनता की भावना भी कम होती गयी। आज एक औसत ग्रामीण स्वयं को किसी वर्ग या व्यक्ति के अधीन मानकर कोई शोषण सहन करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान इस सीमा तक पहुँच चुका है कि वह अपने व्यवसाय और जीवन को किसी से नीचा नहीं मानता। इस योजना ने ग्रामीणों के विश्वास को बढ़ाया है, उन्हें अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने का अवसर प्रदान किया है तथा उनमें एक ऐसी नव-चेतना उत्पन्न की है जो भविष्य में उनके जीवन को कहीं अधिक सुखी एवं समृद्ध बना सकती है।

स्वास्थ्य तथा सफाई (Health and Sanitation)

अतीत की अपेक्षा ग्रामीण अपने स्वास्थ्य तथा स्वच्छता के प्रति आज कहीं अधिक जागरूक हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव से अब गन्दे तालाबों की जगह पीने के लिए स्वच्छ पानी का उपयोग किया जाता है। सड़कों को गन्दा करने की अपेक्षा

TOUCH 'n PASS

शौचालयों के उपयोग को अच्छा समझा जाने लगा है। संक्रामक बीमारियों को देवी प्रकोप न समझकर ग्रामीण जनता चिकित्सक तथा बच्चे की देखभाल में अधिक रुचि लेने लगी है तथा परिवार नियोजन के प्रति ग्रामीणों के उत्साह में भी वृद्धि हुई है। इस योजना का ही यह प्रभाव है कि गाँवों में मृत्यु दर घटी है, जीवन अवधि में वृद्धि हुई है। परिवार का औसत आकार घट गया है तथा स्वास्थ्य का सामान्य स्तर पहले की तुलना में कहीं अधिक सन्तोषप्रद दिखायी देता है। इसी सुधार के फलस्वरूप ग्रामीणों की कार्यक्षमता में भी कल्पनातीत वृद्धि हुई है।

साक्षरता में वृद्धि (Increase in Literacy)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का एक महत्त्वपूर्ण प्रभाव भारत की ग्रामीण जनसंख्या में तेजी से साक्षरता का बढ़ना है। सामुदायिक विकास खण्डों की सहायता से आज गाँव-गाँव में शिक्षा का प्रसार किया जा रहा है। प्रौढ स्त्री-पुरुषों को साक्षर बनाने के लिए विशेष केन्द्रों की स्थापना की गयी है। पुस्तकालयों तथा वाचनालयों के द्वारा बाह्य जगत से ग्रामीणों को जोड़ा गया है तथा साक्षरता अभियान की सफलता का मूल्यांकन करने के लिए समय-समय पर प्रयत्न किये जाते हैं। इन प्रयासों के फलस्वरूप पिछले 20 वर्षों में ग्रामीण साक्षरता में 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

संप्रेषण द्वारा चेतना (Consciousness through Communication)

गाँवों में आज सम्प्रेषण अथवा संचार की सुविधाएँ कहीं अधिक उन्नत स्थिति में हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत नयी सड़कों का निर्माण, पुरानी सड़कों की मरम्मत, मनोरंजन के लिए रेडियो, हाटों, खेलों तथा मेलों की व्यवस्था आदि के कारण ग्रामीणों को अन्य समूह के सम्पर्क में आने का अवसर मिला। नये बाजारों में ज्ञान तथा सरकार की योजनाओं से परिचित हो जाने के कारण उन्हें अपने श्रम का अधिक अच्छा मूल्य प्राप्त करने का अवसर मिला तथा अपनी समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण धीरे-धीरे बदलने लगा। संचार की सुविधाओं के प्रभाव से ही ग्रामीण जीवन में सामाजिक समस्याओं, रूढ़ियों, अन्धविश्वासों और स्वार्थ समूह के प्रति शोषण का प्रभाव दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है।

ग्रामीण नेतृत्व का विकास (Development of Rural Leadership)

ग्रामीण समुदाय में नेतृत्व का एक नया रूप देने में भी सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्त्व कम नहीं है। वास्तव में नेतृत्व का प्रत्यक्ष सम्बन्ध सामूहिक क्रियाओं में व्यक्ति के अधिकाधिक सहभाग से है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्राम और खण्ड स्तर पर अधिक कुशल और उत्साही व्यक्तियों को अपने समूह को नेतृत्व देने का अवसर मिला, नवीन योजनाओं के क्रियान्वयन में नेतृत्व के अवसरों में वृद्धि हुई तथा ग्रामवासियों के जीवन स्तर में सुधार होने के साथ ही उन्होंने नेतृत्व की आवश्यकता तथा इसके महत्त्व को महसूस किया। आज ग्रामीणों द्वारा अपने उचित अधिकारों की माँग, शोषण के विरुद्ध संगठित प्रदर्शनों का आयोजन तथा समूह कल्याण के प्रति बढ़ती हुई रुचि ग्रामीण नेतृत्व के विकासशील स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती है।

मातृत्व तथा शिशु कल्याण (Maternal and Child Welfare)

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के फलस्वरूप ग्रामीण समुदाय में स्त्रियों, माताओं तथा बच्चों के जीवन में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। ग्राम सेविकाएँ, ग्रामीण महिलाओं को घर-घर जाकर स्वच्छता, पोषण, स्वास्थ्य, बच्चों की देख-रेख तथा भोजन के पौष्टिक तत्त्वों की जानकारी देती है। जिससे ग्रामीण महिलाओं के दृष्टिकोण में अब काफी परिवर्तन आ गया है। स्वयं गाँव में ही आयोजित विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से स्त्रियों ने अपने दैनिक जीवन, रहन-सहन तथा दूसरे समूहों से सम्बन्धों का पुनर्मूल्यांकन करना आरम्भ कर दिया है। ग्रामों में महिला मण्डलों की स्थापना ने स्त्रियों में भी नेतृत्व की कुशलता उत्पन्न की है। सामुदायिक विकास से सम्बन्धित कल्याण कार्यक्रमों के प्रभाव से ग्रामीण स्त्रियों का शोषण कम होता जा रहा है। स्त्रियाँ अपने अधिकारों के प्रति सजग हो रही हैं, उनके स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है तथा बच्चों की देख-रेख में अब पहले से अधिक कुशल हो चुकी है।

सार संक्षेप (Summary)

हाल ही में मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश में हुए ग्रामीण सर्वेक्षणों से ये तथ्य प्रकाश में आये कि ग्रामीण समुदाय में अनुसूचित जातियों की स्थिति में भी निरन्तर सुधार हो रहा है। कुछ संकीर्ण और धर्मान्ध प्रकृति के स्वार्थी व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश ग्रामीण जातिगत भेदभाव के खोखलेपन को समझने लगे हैं। ग्रामीणों से भाग्यवादिता के स्थान पर श्रम के प्रति निष्ठा बढ़ी है तथा जीवन के प्रति ग्रामीणों की आकांक्षाएँ एवं मनोवृत्तियाँ प्रगतिशील दशा में आगे बढ़ रही है। ये सभी अनुभवसिद्ध निष्कर्ष ग्रामीण जीवन पर सामुदायिक कार्यक्रम के प्रभावों को स्पष्ट कर देते हैं।

TOUCH 'n PASS

प्र.4. पंचायतों की संरचना को स्पष्ट कीजिए। ग्राम पंचायत से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताएँ, कार्य, बजट तथा आय के स्त्रोत लिखिए।

Clarify the structure of Panchayat. What do you understand by Gram Panchayat? Write its characteristics, functions, budget and source of income.

उत्तर

पंचायतों की संरचना
(Structure of Panchayat)

संविधान (73वाँ संशोधन) अधिनियम, 1992 द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी हैं। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन हैं। इसके अनुसार;

1. सबसे निचले स्तर अर्थात् ग्राम स्तर पर ग्राम सभा जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है।
2. मध्यवर्ती स्तर अर्थात् खण्ड स्तर पर क्षेत्र पंचायत और
3. सबसे उच्च स्तर अर्थात् जिला स्तर पर पंचायत के गठन का प्रावधान किया गया है।

जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से अधिक नहीं है, वहाँ मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। राज्यों द्वारा बनाई विधियों में निम्नलिखित प्रतिनिधित्व को उपलब्ध किया जाता है—

1. ग्राम पंचायत का अध्यक्ष मध्यवर्ती (क्षेत्र) पंचायत का सदस्य होता है। यदि किसी राज्य में मध्यवर्ती स्तर नहीं हो तो वह जिला पंचायत का सदस्य होगा।
2. मध्यवर्ती (क्षेत्र) स्तर का अध्यक्ष जिला पंचायत का सदस्य होता है।
3. उस राज्य के लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जिला और मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होते हैं।
4. राज्य के राज्यसभा के सदस्य विधान परिषद् (यदि हो) उस क्षेत्र की जिला और मध्यवर्ती पंचायत के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष, संसद सदस्य और विधानसभा के सदस्यों को पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार है।

ग्राम पंचायत
(Gram Panchayat)

प्रत्येक ग्राम सभा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का प्रावधान किया गया है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा की निर्वाचित कार्यपालिका है। ग्राम पंचायत का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्येक पंचायत को उसकी पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। पंचायत को विधि के अनुसार इससे पहले भी विघटित किया जा सकता है। यदि ग्राम पंचायत 5 वर्ष से 6 माह पूर्व विघटित कर दी जाती है तो पुनः चुनाव आवश्यक होता है। नई गठित पंचायत का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होगा। ग्राम पंचायत की माह में एक बैठक आवश्यक है। बैठक की सूचना कम-से-कम 5 दिन पूर्व सभी सदस्यों को दी जाएगी। प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उपप्रधान किसी भी समय पंचायत की बैठक को बुला सकता है। यदि पंचायत के एक-तिहाई सदस्य किसी भी समय हस्ताक्षर कर लिखित रूप से बैठक बुलाने की माँग करते हैं तो प्रधान को 15 दिनों के अन्दर बैठक आयोजित करनी होगी। यदि बैठक को प्रधान द्वारा आयोजित नहीं किया जाता है तो निर्धारित अधिकारी, सहायक अधिकारी या पंचायत बैठक बुला सकता है।

ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति (कोरम) के लिए आवश्यक होती है। यदि गणपूर्ति के अभाव में बैठक नहीं होती है तो दोबारा सूचना देकर बैठक बुलाई जा सकती है। इसके लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं होती है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता ग्राम प्रधान तथा उसकी अनुपस्थिति में उप-प्रधान करता है। इन दोनों की अनुपस्थिति में प्रधान द्वारा लिखित रूप से मनोनीत सदस्य अध्यक्षता करेगा। यदि प्रधान ने किसी सदस्य को मनोनीत नहीं किया है तो बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता करने के लिए किसी सदस्य का चुनाव कर सकता है।

ग्राम पंचायत के कार्य (Works of Gram Panchayat)

1. कृषि सम्बन्धी कार्य।
2. ग्राम्य विकास सम्बन्धी कार्य।

TOUCH 'n PASS

3. प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय व अनौपचारिक शिक्षा के कार्य।
4. युवा कल्याण सम्बन्धी कार्य।
5. राजकीय नलकूपों की मरम्मत व रख-रखाव।
6. हैंडपम्पों की मरम्मत एवं रख-रखाव।
7. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य।
8. महिला एवं बाल विकास सम्बन्धी कार्य।
9. पशुधन विकास सम्बन्धी कार्य।
10. समस्त प्रकार की पेंशन को स्वीकृत करने व वितरण का कार्य।
11. समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों की स्वीकृति व वितरण का कार्य।
12. राशन की दुकान का आवंटन व निरस्त्रीकरण।
13. पंचायती राज सम्बन्धी ग्राम्य स्तरीय कार्य आदि।

ग्राम पंचायत का बजट
(Budget of Gram Panchayat)

1. प्रत्येक ग्राम पंचायत एक निश्चित समय में एक अप्रैल से प्रारम्भ होने वाले वर्ष के लिए ग्राम पंचायत की अनुमानित आमदनी और खर्चे का हिसाब-किताब तैयार करना।
2. हिसाब-किताब पंचायत की बैठक में उपस्थित होकर वोट देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक वोटों से पास किया जाएगा।
3. बजट पास करने के लिए बुलाई गई ग्राम पंचायत की बैठक का कोरम कुल संख्या का आधा होगा।

ग्राम पंचायत के आय के स्त्रोत
(Source of Income of Gram Panchayat)

1. भू-राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक पंचायत कर।
2. प्रान्तीय सरकार अथवा स्थानीय अधिकारियों द्वारा अनुदान।
3. मनोरंजन कर।
4. गाँव के मेले, बाजारों आदि पर कर।
5. पशुओं तथा वाहनों आदि पर कर।
6. मछली तालाब से प्राप्त आय।
7. नालियों, सड़कों की सफाई तथा रोशनी के लिए कर।
8. कूड़ा-करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आय।
9. चूल्हा कर।
10 .व्यापार तथा रोजगार कर।
11. सम्पत्ति के क्रय-विक्रय पर कर।
12. पशुओं की रजिस्ट्रेशन फीस।
13. दुग्ध उत्पादन कर आदि।

प्र.5. क्षेत्र पंचायत से आप क्या समझते हैं? इसके कार्य एवं शक्तियों को विस्तार से लिखिए।
What do you understand by Kshetra Panchayat? Write in detail its functions and powers.

उत्तर

क्षेत्र पंचायत
(Kshetra Panchayat)

क्षेत्र पंचायत गाँव एवं जिले के मध्य सम्पर्क स्थापित करता है। यह पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। राज्य सरकार प्रत्येक जिले को खण्डों में बाँटती है। खण्डों की सीमाओं का निर्धारण भी राज्य सरकार तय करती है। प्रत्येक खण्ड को विकास खण्ड

TOUCH 'n' PASS

कहा जाता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार प्रत्येक विकास खण्ड में एक क्षेत्र पंचायत होगी। क्षेत्र पंचायत का नाम विकास खण्ड के नाम पर रखा जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में 25000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्डों में 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र (क्षेत्र पंचायत का निर्वाचन क्षेत्र) तथा 25000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोतर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर, किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। मैदानी क्षेत्रों में 50000 तक ग्रामीण जनसंख्या वाले विकास खण्डों में 20 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र तथा 50000 से अधिक जनसंख्या वाले विकास खण्डों में उत्तरोतर अनुपातिक वृद्धि के आधार पर, किन्तु अधिकतम 40 प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होंगे। क्षेत्र पंचायत के निर्वाचित सदस्य (जिनका चुनाव प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाता है) विकास खण्ड के सभी ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान, लोकसभा और राज्यसभा के वे सदस्य जिनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास खण्ड पूर्ण या आंशिक रूप से आता है तथा राज्यसभा और विधान परिषद के सदस्य जो विकास खण्ड के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं, को मिलाकर क्षेत्र पंचायत का गठन किया जाता है।

क्षेत्र पंचायत के कार्य एवं शक्तियाँ
(Function and Powers of Kshetra Panchayat)

नये अधिनियम में क्षेत्र पंचायतों को निम्नलिखित अधिकार एवं कृत्य सौंपे गये हैं—

1. **कृषि**—कृषि प्रसार, बागवानी की प्रोन्नति और विकास, सब्जियों, फलों और पुष्पों की खेती और विपणन की प्रोन्नति।
2. **भूमि विकास**—सरकार के भूमि सुधार, भूमि संरक्षण और चकबन्दी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना।
3. **लघु सिंचाई, जल प्रबन्ध और जलाच्छादन विकास**—लघु सिंचाई कार्यों के निर्माण और अनुरक्षण (संरक्षण) में सरकार और जिला पंचायत की सहायता करना। सामुदायिक और वैयक्तिक सिंचाई कार्यों का कार्यान्वयन।
4. **पशुपालन, दुग्ध उद्योग और मुर्गी पालन**—पशु सेवाओं का अनुरक्षण पशु, मुर्गी और अन्य पशुधन की नस्लों का सुधार। दुग्ध उद्योग, मुर्गी पालन तथा सुअर पालन की उन्नति।
5. **मत्स्य पालन**—मत्स्य पालन के विकास की उन्नति।
6. **सामाजिक और कृषि वानिकी**—सड़कों और सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण और परिरक्षण। सामाजिक वानिकी और रेशम उत्पादन का विकास और उन्नति।
7. **लघु वन उत्पाद**—लघु वन उत्पादों की उन्नति और विकास।
8. **लघु उद्योग**—ग्रामीण उद्योगों के विकास में सहायता करना। कृषि उद्योगों के विकास की सामान्य जानकारी का सृजन करना।
9. **कुटीर और ग्राम उद्योग**—कुटीर उद्योगों के उत्पादों का विपणन (बाजार प्रबन्धन)।
10. **ग्रामीण आवास**—ग्रामीण आवास कार्यक्रमों में सहायता देना और उसका कार्यान्वयन।
11. **पेय जल**—पेयजल की व्यवस्था करना तथा उसके विकास में सहायता देना। दूषित जल को पीने से बचाना। ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देना और अनुश्रवण करना।
12. **ईंधन और चारा भूमि**—ईंधन और चारा से सम्बन्धित कार्यक्रमों की उन्नति। पंचायत क्षेत्र में सड़कों के किनारे वृक्षारोपण।
13. **सड़क, पुलिया, पुल, नौकाघाट, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन**—गाँवों के बाहर सड़कों, पुलियो का निर्माण और उनका अनुरक्षण। पुलों का निर्माण, नौका घाटों और जल मार्गों के प्रबन्ध में सहायता।
14. **ग्रामीण विद्युतीकरण**—ग्रामीण विद्युतीकरण की उन्नति।
15. **गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत**—गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों के प्रयोग को बढ़ावा देना और उसकी उन्नति।
16. **गरीबी उन्मूलन**—गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
17. **शिक्षा**—प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा का विकास। प्रारम्भिक और सामाजिक शिक्षा की उन्नति।
18. **तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा**—ग्रामीणों, शिल्पकारों और व्यावसायिक शिक्षा की उन्नति।
19. **प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा**—प्रौढ़ साक्षरता और अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण।

TOUCH 'n' PASS

20. **पुस्तकालय**—ग्रामीण पुस्तकालयों की उन्नति और पर्यवेक्षण।
21. **खेलकूद और सांस्कृतिक कार्य**—सांस्कृतिक कार्यों का पर्यवेक्षण। क्षेत्रीय लोकगीतों, नृत्यों और ग्रामीण खेल-कूद की उन्नति और आयोजन। सांस्कृतिक केन्द्रों का विकास और उन्नति।
22. **बाजार और मेले**—ग्राम पंचायत के बाहर मेलों और बाजारों (जिसमें पशु मेला भी सम्मिलित है) की उन्नति, पर्यवेक्षण और प्रबन्ध।
23. **चिकित्सा और स्वच्छता**—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और औषधालयों की स्थापना और अनुरक्षण। महामारियों का नियन्त्रण। ग्रामीण स्वच्छता और स्वास्थ्य कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
24. **प्राकृतिक आपदाएँ**—प्राकृतिक आपदाओं में सहायता देना।
25. **परिवार कल्याण**—परिवार कल्याण और स्वास्थ्य कार्यक्रमों की उन्नति।
26. **प्रसूति और बाल विकास**—महिलाओं, बाल स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में संगठनों की सहभागिता के लिए कार्यक्रमों की उन्नति।
27. **समाज कल्याण**—विकलांगों तथा मानसिक रूप से मन्द व्यक्तियों का कल्याण। वृद्धावस्था विधवा पेंशन योजनाओं का अनुश्रवण करना।
28. **कमजोर वर्ग**—कमजोर वर्गों, अनुसूचित जातियों, जनजातियों का कल्याण। अनुसूचित जातियों और कमजोर वर्गों के कल्याण की प्रोन्नति। सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करना और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।
29. **पर्यवेक्षण**—ग्राम पंचायतों का पर्यवेक्षण, नियत प्रक्रिया के अनुसार ग्राम पंचायतों को अनुदान का विवरण तथा ग्राम पंचायतों के क्रिया कलाप के नियमों के अनुसार सामान्य पर्यवेक्षण।

प्र.6. पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रगति का मूल्यांकन कीजिए।
Evaluate the progress of community development programmes in five year plans.

उत्तर

भारत में पंचवर्षीय योजनाएँ
(Five Year Plans in India)

भारत में नियोजन की ओर पहला कदम 15 मार्च, 1950 को उठाया गया, जब सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। नियोजन की प्रक्रिया की शुरुआत 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से हुई जो कि 1956 तक चली। दूसरी योजना 1956-1961, तीसरी 1961-66 तक चली। जबकि 1966-69 तक नियोजन की अवधि स्थगित रही। इसे योजनावकाश भी कहा जाता है। इस बीच एक वर्षीय योजनाएँ चलीं। चौथी योजना 1969-1974, पाँचवीं 1974-1979 तक चली। सत्ता परिवर्तन के कारण ये पाँचवीं योजना 1978 तक ही चली। इसी बीच नई सरकार ने 1978-1983 की अवधि हेतु पंचवर्षीय योजना बनाई, किन्तु 1980 में केन्द्र में कांग्रेस ने वापस आकर इसे स्थगित किया। बाद में 1980-85 छठी योजना, 1985-90 सातवीं योजना रही। 1990-91 और 1991-92 में केवल एक वर्षीय योजनाएँ चलीं। 1992-97 तक आठवीं योजना तथा 1997-2002 तक नवीं योजनाएँ चली। 2002-2007 में दसवीं योजना चली।

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1951-31 मार्च 1956)
(First Five Year Plan (April 1, 1951 to March 31, 1956)

प्रथम योजना के प्रारम्भ होने के समय देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त थी। 200 वर्षों की शोषण-सत्ता से छुटकारा मिलने के बाद देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। इसलिए स्वतन्त्रता के तत्काल बाद आर्थिक विकास की योजना पर काम कर पाना सम्भव नहीं था। अत: योजना के दो उद्देश्य रखे गये थे—पहला देश में व्यापक असन्तुलन को दूर करना था तथा दूसरा चहुँमुखी संतुलित विकास की प्रक्रिया को एक साथ प्रारम्भ करना ताकि राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो सके। इस प्रकार पहला उद्देश्य अल्पकालीन तथा दूसरा दीर्घकालीन था। इस योजना में सिंचाई व परिवहन की ओर अधिक ध्यान दिया गया। संचार साधनों का विस्तार किया गया। राष्ट्रीय आय वृद्धि 3.6 रही (वार्षिक)। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 1.8% रही।

TOUCH 'n' PASS

दूसरी पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1956-31 मार्च 1961)
(Second Five Year Plan (April 1, 1956 to March 31, 1961)

दूसरी योजना का प्रारूप महालनोबिस ने तैयार किया था। यह एक दीर्घकालीन विकास की युक्ति थी। जिसके अनुरूप दो दशक तक कार्य किये गये। इसके अन्तर्गत औद्योगीकरण पर जोर दिया गया। चूँकि भारत इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था। इसलिए उद्योगों की स्थापना व पुराने उद्योगों का विकास आवश्यक था। ऐसे उद्योगों का विकास किया गया जो मशीनें बनाने हेतु मशीनों का निर्माण कर सके। इसके लिए लोहा, इस्पात, कोयला, धातु, सीमेन्ट, भारी रसायन व अन्य उद्योगों का विकास किया गया।

द्वितीय योजना का दूसरा लक्ष्य समाजिक था। सामाजवाद के आधार पर समाज की स्थापना एक लक्ष्य था। इसके लिए कमजोर वर्गों के लोगों की आय वृद्धि की आवश्यकता महसूस हुई। इस योजना के तहत सरकारी क्षेत्र में वास्तविक व्यय ₹ 4,672 करोड़ हुआ तथा राष्ट्रीय आय वृद्धि दर 4.5% थी। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 2.1% रही।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1961-31 मार्च 1966)
(Third Five Year Plan (April 1, 1961 to March 31, 1966)

इस योजना में अर्थव्यवस्था को आर्थिक गतिशीलता की अवस्था पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया। इस अवस्था में विकास प्रक्रिया गम्भीर कठिनाइयों में फंस गई। नई भूमि को खेती के अन्तर्गत लाकर उत्पादन बढ़ाने की सम्भावना समाप्त हो गई थी जिससे खाद्यान्नों का आयात भारी मात्रा में करना पड़ा। विदेशी व्यापार में घाटे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी और बचत की दर में काफी कमी आ गई थी। 1962 में चीन व 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छिड़ा। 1965-66 में सूखा पड़ा था।

इस योजना में अनाज की आत्मनिर्भरता पर काफी बल दिया गया। इस बात पर जोर दिया गया कि देश में पूँजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाए जिससे विदेशों पर निर्भरता कम की जाए। इसमें आत्मनिर्भरता विकास की ओर जोर दिया गया। राष्ट्रीय आय वृद्धि 2.5% थी।

1966-69 तीसरी योजना के बाद अकाल व विदेशी सहायता की अनिश्चितता के कारण चौथी योजना सही समय पर लागू नहीं हुई।

चौथी पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1969-31 मार्च 1974)
(Fourth Five Year Plan (April 1, 1969 to March 31, 1974)

इसका मुख्य उद्देश्य स्थिरता के साथ आत्मनिर्भरता व आर्थिक विकास की प्रगति था। प्रत्येक क्षेत्र में परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई, जो कम समय में पूरी की जा सके। इस दृष्टि से भारी उद्योगों की जगह हल्के उद्योगों, यातायात के क्षेत्र में रेलों की जगह सड़कों के विकास को और कृषि में सामुदायिक कार्यक्रमों की जगह उर्वरक व अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग को प्राथमिकता दी गई। इसमें यह भी ध्यान दिया गया कि विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो, कमजोर वर्गों की दशा सुधरे। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 4.8% थी।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1974-31 मार्च 1979)
(Fifth Five Year Plan (April 1, 1974 to March 31, 1979)

यह योजना 1978 में अपने समय से पूर्व ही समाप्त कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन व आर्थिक आत्मनिर्भरता था। यह उद्देश्य दीर्घकालीन थे इसलिए इन्हें पूरा करने हेतु प्रभावपूर्ण कदम उठाने पर जोर दिया गया। सम्पन्न व धनी वर्ग के लोगों को धन बचत कराने पर जोर दिया गया। राष्ट्रीय आय की वृद्धि 4.8% थी।

छठी पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1980-31 मार्च 1985)
(Sixth Five Year Plan (April 1, 1980 to March 31, 1985)

इस योजना के प्रारम्भिक वर्ष भयंकर सूखे से प्रभावित थे। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ रही थीं। इस योजना में संवृद्धि की दर को तेज करने का निर्णय किया गया था। IRDP व NREP जैसे कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। परन्तु बड़े उद्योगों को पहले जैसी प्राथमिकता नहीं मिली। इसके अलावा इस योजना में निर्यात संवर्धन पर भी जोर दिया गया। इसका उद्देश्य दीर्घकाल में भुगतान

TOUCH 'n PASS

सन्तुलन की स्थिति को ठीक करना था। खाद्यान्न उत्पादन में 154 मिलियन टन का लक्ष्य प्राप्त किया गया। राष्ट्रीय आय में वृद्धि 5.4% रहीं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1985-31 मार्च 1990)
(Seventh Five Year Plan (April 1, 1985 to March 31, 1990)

इस योजना में रोजी-रोटी व उत्पादकता पर जोर दिया गया था। इसके प्रमुख लक्ष्यों में खाद्यान्न उत्पादन में तीव्र वृद्धि, सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग व रोजगार सृजित करना था। यह पिछली योजनाओं से इस प्रकार भिन्न थी कि यह एक दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई थी जिसका लक्ष्य आगामी 15 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था को एक स्व:पोषित अर्थव्यवस्था बना देना था। राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि दर 5.8% रही।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1992-31 मार्च 1997)
(Eight Five Year Plan (April 1, 1992 to March 31, 1997)

आठवीं योजना का मूलभूत उद्देश्य विभिन्न पहलुओं में मानव विकास करना था। इसके लिए शताब्दी के अन्त तक लगभग पूर्ण रोजगार की स्थिति को प्राप्त करना था। जन सहयोग से जनसंख्या वृद्धि पर लगाम कसना, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य सुविधाएँ बढ़ाना, कृषि क्षेत्र में वृद्धि व विविधीकरण इस योजना के लक्ष्य थे। केन्द्रीयकृत प्रणाली को त्याग कर निर्देशात्मक योजना प्रणाली को अपनाया गया। इस योजना में समन्वित दृष्टिकोण अपनाया गया। राष्ट्रीय आय वृद्धि 6.7% रही।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1997-31 मार्च 2002)
(Ninth Five Year Plan (April 1, 1997 to March 31, 2002)

न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास (Growth with Equity and Distributive Justice) को नौवीं पंचवर्षीय योजना (राष्ट्रीय आय में वार्षिक वृद्धि 6.7% रही, जबकि लक्ष्य 5.6% था, प्रति व्यक्ति आय 4.6%), (1993-94) की कीमतों के आधार पर) का मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसके मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना तथा पर्याप्त संख्या में उत्पादक रोजगार सृजित करना था जिससे गरीबी दूर की जा सके। खाद्य व पोषण की सुविधा उपलबध करना तथा जनसंख्या वृद्धि दर को नियन्त्रित करना भी उद्देश्य थे। नौवीं योजना के लिए कहा गया कि देश आर्थिक उदारीकरण के दौर में प्रवेश कर गया है इसलिए इसमें सरकार की भूमिका को नया रूप दिए जाने की आवश्यकता है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 2002-31 मार्च 2007)
(Tenth Five Year Plan (April 1, 2002 to March 31, 2007)

दसवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में कहा गया था कि यह योजना एक साधन योजना न होकर सुधार योजना है। इस योजना में आवश्यक सुधारों पर बल दिया जाएगा। सरकारी भूमिका में बदलाव की अपेक्षा की गई कि सरकार दूरसंचार, पावर, बंदरगाह, विकास के क्षेत्र में जोर देगी। सड़क-विकास में भूमिका प्रभावी होनी चाहिए।

दसवीं योजना का मुख्य उद्देश्य प्रति व्यक्ति आय को दुगना करना था। विकास की दर का लक्ष्य 8% रखा गया। कई सार्थक लक्ष्य बनाये गये; जैसे—

1. निर्धनता अनुपात को 26% से 21% तक लाना।
2. नई जन शक्ति को लाभप्रद व उच्च रोजगार देना।
3. सभी बच्चों को 2003 तक स्कूल भेजना।
4. शिशु मृत्यु-दर में कमी लाना।
5. जनसंख्या घटाना।
6. वनों का विस्तार।

इसी योजना में समता व न्याय को सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है। कृषि विकास को केन्द्रीय तत्त्व माना गया है तथा निर्धनता निवारण हेतु सब्सिडी के स्थान पर परिसम्पत्ति-निर्माण कार्यक्रम पर अधिक बल दिया गया है।

TOUCH 'n PASS

प्र.7. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना को विस्तार से समझाइए। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों का परिचय दीजिए।

Briefly explain the eleventh five year plan. Give an introduction of socio-economic goals of eleventh five year plan.

उत्तर

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना
(Eleventh Five Year Plan)

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 समावेशी विकास, अर्थव्यवस्था की बढ़ती ताकत पर निर्माण के साथ उभरकर आई कमजोरियों को दूर करने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान करती है। इसमें पाँच वर्षों के दौरान 9% की विकास दर हासिल करना और योजना के अन्त में इसे तीव्र कर 10% पर पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया था। 1950-51 से 2002-03 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय शुद्ध उत्पाद में 8.7 गुना की वृद्धि हुई, जो ₹ 1,32,367 करोड़ से बढ़कर ₹ 11,56,714 करोड़ (1993-94 के मूल्य पर) हुई। इस प्रकार इसमें प्रतिवर्ष 4.2% की चक्रवृद्धि विकास दर हासिल हुई। प्रतिव्यक्ति आय (एनएनपी) में तीन गुना की वृद्धि दर्ज की गई जो ₹ 3,687 से बढ़कर ₹ 10,964 (1993-94 के मूल्य पर) हो गई। इस प्रकार इसमें प्रतिवर्ष 2.1% की चक्रवृद्धि विकास दर हासिल हुई।

ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित प्रकार हैं—

1. तीव्रतर विकास के साथ अधिक संहिता (Inclusive) संवृद्धि की दोतरफा रणनीति।
2. निर्धनता अनुपात में सन् 2007 तक 5% की तथा सन् 2012 तक 15% की कमी लाना।
3. कम-से-कम ग्यारहवीं योजना में होने वाली श्रम बल वृद्धि को उच्च गुणवत्ता युक्त रोजगार मुहैया कराना।
4. 2001 से 2011 तक के दशक में जनसंख्या संवृद्धि की दशकीय वृद्धि दर को घटाकर 16.2% के स्तर पर लाना।
5. ग्यारहवीं योजना अवधि में साक्षरता दर को बढ़ाकर 75% करना।
6. सन् 2012 तक देश के सभी गाँवों में स्वच्छ पेयजल की अनवरत पहुँच सुनिश्चित करना।
7. योजनावधि में रोजगार के 7 करोड़ नए अवसर सृजित करना।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के सामाजिक-आर्थिक लक्ष्य आय एवं निर्धनता
(Socio-economic Goals of Eleventh Five Year Plan)

1. वर्ष 2016-17 तक प्रतिव्यक्ति आय को दोगुना तक लाने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वार्षिक संवृद्धि दर को 8% से बढ़ाकर 10% करना तथा इसे 10% से 12% के मध्य बनाए रखना।
2. उच्च विकास दर के लाभों को व्यापक स्तर पर लाने के लिए कृषि जीडीपी की वार्षिक संवृद्धि दर को 4% तक बढ़ाना।
3. रोजगार के 70 मिलियन नए अवसर सृजित करना।
4. शैक्षिक बेरोजगारी को 5% से नीचे लाना।
5. अकुशल श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी दर में 20% तक की वृद्धि करना।
6. उपयोग निर्धनता के हेडकाउण्ट अनुपात में 10 प्रतिशतांक तक की कमी लाना।

शिक्षा (Education)

1. प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़कर घर बैठ जाने वाले बालकों की दर (ड्राप आउट रेट) को वर्ष 2003-04 में 52.2% से घटाकर वर्ष 2011-12 तक 20% के स्तर पर लाना।
2. प्राथमिक विद्यालयों में शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त करने के न्यूनतम मानक स्तरों को प्राप्त करना एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु नियमित रूप से जाँच करते रहना।
3. 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर को बढ़ाकर 85% करना।
4. साक्षरता में लिंग-अन्तराल (जेण्डर गैप) को 10 प्रतिशतांक तक नीचे लाना।

TOUCH 'n' PASS

5. प्रत्येक आयु वर्ग में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वालों के अनुपात को वर्तमान में 10% से बढ़ाकर ग्यारहवीं योजना के अन्त तक 15% करना।

स्वास्थ्य (Health)

1. शिशु मृत्यु दर को घटाकर 28 तथा मातृत्व दर को घटाकर प्रति एक हजार जीवित जन्म के स्तर पर लाना।
2. कुल प्रजननता दर को 2-1 तक नीचे लाना।
3. सन् 2009 तक सभी को स्वच्छ पेयजल मुहैया कराना तथा ग्यारहवीं योजना के अन्त 2012 तक यह सुनिश्चित करना कि इसमें कमी न आए।
4. 0-3 वर्ष आयु वर्ग के बालकों में कुपोषण को वर्तमान के स्तर से आधा करना।
5. महिलाओं एवं लड़कियों में रक्ताल्पता को ग्यारहवीं योजना के अन्त तक 50% तक घटाना।

महिलाएँ एवं बालिकाएँ (Women and Girls)

1. 0-6 आयु वर्ग में लिंगानुपात को वर्ष 2011-12 तक बढ़ाकर 935 तथा 2016-17 तक 950 करना।
2. यह सुनिश्चित करना कि सभी सरकारी योजनाओं के कुल प्रत्यक्ष एवं परोक्ष लाभार्थियों में महिलाओं एवं बालिकाओं का हिस्सा कम-से-कम 33% हो।
3. यह सुनिश्चित करना कि काम करने की किसी बाध्यता के बिना सभी बच्चे सुरक्षित बाल्यकाल का आनन्द उठा सकें।

बहुविकल्पीय प्रश्न

प्र.1. निम्नलिखित को छोड़कर इन्फ्लूएंजा के तेजी से फैलने के सभी कारण हैं—

(क) लघु ऊष्मायन अवधि (ख) बड़ी संख्या में उप-नैदानिक मामले
(ग) क्रॉस इम्युनिटी की उपस्थिति (घ) प्रतिरक्षा की छोटी अवधि

उत्तर (ग) क्रॉस इम्युनिटी की उपस्थिति

प्र.2. 'केस कंट्रोल स्टडी' के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी विशेषताएँ सत्य हैं?

(क) अध्ययन शुरू होने से पहले एक्सपोजर और परिणाम दोनों घटित हुए हैं
(ख) यह कारण परिकल्पना का परीक्षण नहीं कर सकता
(ग) सापेक्ष जोखिम की गणना की जा सकती है
(घ) अनुवर्ती कार्यवाही की लम्बी अवधि की आवश्यकता है

उत्तर (क) अध्ययन शुरू होने से पहले एक्सपोजर और परिणाम दोनों घटित हुए हैं

प्र.3. यदि प्लीहा दर अधिक हो तो क्षेत्र को अति स्थानिक होने में सहायता मिलती है—

(क) 10% (ख) 30% (ग) 50% (घ) 70%

उत्तर (ग) 50%

प्र.4. 'द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन' पुस्तक किससे सम्बन्धित है?

(क) नया लोक प्रशासन (ख) पारिस्थितिक दृष्टिकोण
(ग) विकासात्मक दृष्टिकोण (घ) सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण

उत्तर (घ) सार्वजनिक चयन दृष्टिकोण

प्र.5. निम्नलिखित में से कौन-सा टेलर का प्रबन्धन तन्त्र नहीं है?

(क) रूटिंग सिस्टम का उपयोग करना
(ख) एक स्मरणीय प्रणाली को नियोजित करना
(ग) एक आधुनिक लागत प्रणाली को नियोजित करना
(घ) गैंग प्लैंक का उपयोग करना

उत्तर (घ) गैंग प्लैंक का उपयोग करना

TOUCH 'n' PASS

प्र.6. भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 1947 के बारे में कौन-सा सत्य नहीं है?
(क) दो डोमिनियन का गठन किया गया—भारत और पाकिस्तान
(ख) भारतीय राज्यों पर महामहिम का आधिपत्य समाप्त हो जाएगा
(ग) संविधान सभा अन्तरिम अवधि के लिए विधान सभा के रूप में कार्य करेगी
(घ) गवर्नर जनरल के पास महामहिम के नाम पर किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की सीमित शक्ति होगी
उत्तर (घ) गवर्नर जनरल के पास महामहिम के नाम पर किसी भी विधेयक को मंजूरी देने की सीमित शक्ति होगी

प्र.7. विकेन्द्रीकरण पर रॉयल कमीशन का नेतृत्व किया गया था—
(क) लॉर्ड डलहौजी (ख) लॉर्ड हॉबहाउस
(ग) लॉर्ड रिपन (घ) लॉर्ड मेयो
उत्तर (ख) लॉर्ड हॉबहाउस

प्र.8. निम्नलिखित में से किसने सत्ता को सर्वोच्च समन्वयकारी शक्ति बताया है?
(क) कार्ल मार्क्स (ख) एफ० डब्ल्यू रिग्स
(ग) मैक्स वेबर (घ) मूनी और रीली
उत्तर (घ) मूनी और रीली

प्र.9. नौकरशाहों के डाउन्स वर्गीकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित में से कौन-सा सही नहीं है?
(क) पर्वतारोही (ख) मतदाता
(ग) वकील (घ) राजनेता
उत्तर (ख) मतदाता

प्र.10. 'विकासात्मक नौकरशाही' वाक्यांश किसके द्वारा गढ़ा गया था?
(क) ला पालंबोरा (ख) फ्रेड डब्ल्यू रिग्स
(ग) विलियम सिफिन (घ) एडवर्ड वीडनर
उत्तर (क) ला पालंबोरा

प्र.11. निम्नलिखित में से कौन-सा शब्द भारत के उपराष्ट्रपति पर लागू नहीं होता है?
(क) उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है
(ख) वह राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस्तीफा दे सकता है
(ग) उसे राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है और लोकसभा उस पर सहमत हो सकती है
(घ) वह कितनी भी बार पुनः चुनाव की माँग कर सकता है
उत्तर (क) उसे महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है

प्र.12. निम्नलिखित में से कौन-सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है?
(क) संघ लोक सेवा आयोग (ख) वित्त आयोग
(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (घ) चुनाव आयोग
उत्तर (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

प्र.13. पूर्ववर्ती अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा किस वर्ष दिया गया था?
(क) 1994 (ख) 1978 (ग) 1993 (घ) 1900
उत्तर (क) 1994

प्र.14. किस स्वतन्त्र राज्य का जनता की सहमति से भारतीय संघ में विलय हुआ?
(क) जम्मू और कश्मीर (ख) सिक्किम
(ग) गोवा (घ) हैदराबाद
उत्तर (ख) सिक्किम

TOUCH 'n' PASS

प्र.15. स्थानीय निकाय चुनाव में राजनीतिक दलों के प्रवेश का विरोध किसने किया?

(क) जवाहरलाल नेहरू (ख) जयप्रकाश नारायण
(ग) सरदार वल्लभ भाई पटेल (घ) अब्दुल कलाम आजाद

उत्तर (ख) जयप्रकाश नारायण

प्र.16. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी है?

(क) ग्राम सभा
(ख) ग्राम पंचायत
(ग) मध्यवर्ती पंचायत (पंचायत समिति)
(घ) जिला पंचायत (जिला परिषद)

उत्तर (क) ग्राम सभा

प्र.17. मैक्स वेबर के अनुसार एक स्थिति समूह की विशेषता है—

(क) व्यवसाय (ख) शैक्षिक पृष्ठभूमि
(ग) जीवन-शैली (घ) पारिवारिक पृष्ठभूमि

उत्तर (ग) जीवन-शैली

प्र.18. निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का तकनीकी निर्धारक माना जाता है?

(क) ई० दुर्खीम (ख) जी० सिमेल
(ग) टी० वेब्लेन (घ) टी० माल्थस

उत्तर (ग) टी० वेब्लेन

प्र.19. सैद्धान्तिक परिप्रेक्ष्य जो दावा करता है कि ऐसे स्पष्ट कारण हैं जिनसे समाज एक से अधिक बार या यहाँ तक कि बार-बार गुजरता है, उसे कहा जाता है—

(क) दोहराया विकासवादी सिद्धान्त (ख) एकरेखीय विकासवादी सिद्धान्त
(ग) चक्रीय विकासवादी सिद्धान्त (घ) रिफ्लेक्सिव इवोल्यूशनरी थ्योरी

उत्तर (ग) चक्रीय विकासवादी सिद्धान्त

❑

TOUCH 'n PASS

- यद्यपि इस पुस्तक को यथासम्भव शुद्ध एवं त्रुटिरहित प्रस्तुत करने का भरसक प्रयास किया गया है, तथापि इसमें कोई कमी अथवा त्रुटि अनिच्छाकृत ढंग से रह गई हो तो उससे कारित क्षति अथवा सन्ताप के लिए लेखक, प्रकाशक तथा मुद्रक का कोई दायित्व नहीं होगा। सभी विवादित मामलों का न्यायक्षेत्र मेरठ न्यायालय के अधीन होगा।
- इस पुस्तक में समाहित सम्पूर्ण पाठ्य-सामग्री (रेखा व छायाचित्रों सहित) के सर्वाधिकार प्रकाशक के अधीन हैं। अतः कोई भी व्यक्ति इस पुस्तक का नाम, टाइटिल-डिजाइन तथा पाठ्य-सामग्री आदि को आंशिक या पूर्ण रूप से तोड़-मरोड़कर प्रकाशित करने का प्रयास न करें, अन्यथा कानूनी तौर पर हर्जे-खर्चे व हानि के जिम्मेदार होंगे।
- इस पुस्तक में रह गई तथ्यात्मक त्रुटियों तथा अन्य किसी भी कमी के लिए विद्वत् पाठकगण से भूल-सुधार/सुझाव एवं टिप्पणियाँ सादर आमन्त्रित हैं। प्राप्त सुझावों अथवा त्रुटियों का समायोजन आगामी संस्करण में कर दिया जाएगा। किसी भी प्रकार के भूल-सुधार/सुझाव आप info@vidyauniversitypress.com पर भी ई-मेल कर सकते हैं।